विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017 - 18

मंडल के निदेशक
BOARD OF DIRECTORS

श्री नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक
Shri Y Nageswara Rao
Executive Director

श्री जी नारायणन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष
Shri G Narayanan
Non-Executive Chairman

श्री आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri R A Sankara Narayanan
Managing Director & CEO

श्री मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक
Shri Murali Ramaswami
Executive Director

श्री एन श्रीनिवास राव
सरकारी नामिती निदेशक
Shri N Srinivasa Rao
Govt Nominee Director

श्री जी पी बोरा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Shri G P Borah
R.B.I. Nominee Director

श्री विवेक सोनी
गैर अधिकारी निदेशक (सीए श्रेणी)
Shri Vivek Soni
Non-Official Director under CA category

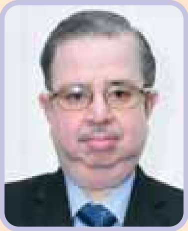

श्री एम भगवंत राव
गैर अधिकारी निदेशक
Shri M Bhagavantha Rao
Non Official Director

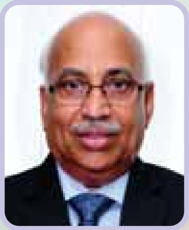

श्री वी वी आर शास्त्री
गैर अधिकारी निदेशक
Shri V V R Sastry
Non Official Director

श्री एस रघुनाथ
गैर अधिकारी निदेशक
Shri S Raghunath
Non official Director

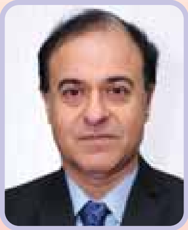

श्री राजन डोगरा
शेयरधारक निदेशक
Shri Rajan Dogra
Shareholder Director

श्री राघवेंदर गुप्ता
शेयरधारक निदेशक
Shri Raghvender Gupta
Shareholder Director

वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 में पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक
Board of Directors who demitted office during FY 2017 - 2018

श्रीमती भारती राव
शेयरधारक निदेशक
Smt. Bharathi Rao
Shareholder Director

श्री पी वैद्यनाथन
शेयरधारक निदेशक
Shri P Vaidyanathan
Shareholder Director

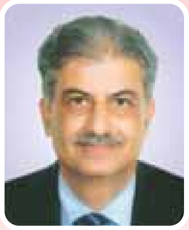

डॉ .किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Dr. Kishore Sansi
Managing Director & CEO

श्री संजय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Govt. Nominee Director

श्री बी एस रामाराव
कार्यकारी निदेशक
Shri B S Rama Rao
Executive Director

श्री जी एस नारंग
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri G S Narang
Chief Vigilance Officer

महा प्रबंधक
GENERAL MANAGERS

श्री विजय दुबे
Shri Vijay Dube

श्री अनंत चरण स्वाईं
Shri Ananta Charan Swain

श्रीमती निर्मला श्रीधर
Smt. Nirmala Sridhar

श्री सतीश बल्लाल सी
Shri Satish Ballal C

श्रीमती मणिमेखलै ए
Smt. Manimekhalai A

श्री अजय के खुराना
Shri Ajay K Khurana

श्री रमेश कुमार मिगलानी
Shri Ramesh Kumar Miglani

श्री सिद्देश्वर पात्रा
Shri Sidheswar Patra

श्री जगन मोहन एम
Shri Jagan Mohan M

श्री राजेंद्रन के
Shri Rajendran K

श्री सुदर्शन एस ए
Shri Sudarsan S A

श्री सिवय्या के
Shri Sivaiah K

श्री सुब्रत कुमार
Shri Subrat Kumar

उप महा प्रबंधक DEPUTY GENERAL MANAGERS

श्री गोपालकृष्णन नायर के
Shri Gopalakrishnan Nair K
श्री वेंकटेश सेट्टी वाई
Shri Venkatesh Setty Y
श्री विजय कुमार बसेठा
Shri Vijay Kumar Basetha
श्री सर्वेश के रस्तोगी
Shri Sarvesh K Rastogi
श्री सेट्टिपल्ली धीरेंद्र
Shri Settipalli Dheerendra
श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar
श्री इनुमेल्ला वी एल श्रीधर
Shri Inumella V L Sridhar
श्री विनोद कुमार रेड्डी पी
Shri Vinod Kumar Reddy P
श्री सुधाकर डी नायक ए
Shri Sudhakara D Nayak A

श्री मुरली कृष्णा ए
Shri Murali Krishna A
श्री श्रीधर मूर्ति ए
Shri Sridhara Murthy A
श्री हरि मोहन अग्रवाल
Shri Hari Mohan Aggarwal
श्री नीलब चंद्र रॉय
Shri Nilab Chandra Roy
श्री अजय के खोसला
Shri Ajay K Khosla
श्री गिरीश सी डालाकोटी
Shri Girish C Dalakoti
श्री नरेंद्र आर भट्ट
Shri Narendra R Bhat
श्री सैम एम मोहन
Shri Sam M Mohan
श्री प्रदीप कुमार नायक
Shri Pradip Kumar Nayak

श्री सुधांशु कुमार सिंह
Shri Sudhanshu Kumar Singh
श्री अनिल कुमार
Shri Anil Kumar
श्री नरेंद्र सिंह
Shri Narendra Singh
श्री गोपाल कृष्णा आर
Shri Gopala Krishna R
श्री देवेंद्र के मिश्र
Shri Devendra K Mishra
श्री सत्यनारायण राजु के
Shri Satyanarayana Raju K
श्री नरसिंह राव एम आर एल
Shri Narasimha Rao M R L
श्री कल्याण वी
Shri Kalyan V
श्री श्रीनिवास रेड्डी पोलूरी
Shri Srinivasa Reddy Poluri

श्री नागराज एम जे
Shri Nagaraja M J
श्री रामकृष्णन आर एस
Shri Ramakrishnan R S
श्री नीरज कुमार खन्ना
Shri Neeraj Kumar Khanna
श्री रामगोपाल जे
Shri Ramagopal J
श्री बसवराज अलगवाडी
Shri Basavaraj Alagawadi
श्री सोमनाथ नंदा
Shri Somanath Nanda
श्री दास डी
Shri Das D
श्री चिना कोटय्या के
Shri China Kotaiah K
श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
Shri Rajesh K Srivastava

श्री श्रीधर मूर्ति एम
Shri Sreedhar Murthy M
श्री राजशेखर सी एच
Shri Raja Sekhar C H
श्रीमती मिनी टी एम
Smt. Mini T M
श्री भौंरी लाल मीना
Shri Bhonri Lal Meena
श्री बैप्टिस्ट लोबो
Shri Baptist Lobo
श्री इंदर मोहन सिंह
Shri Inder Mohan Singh
श्री सारिपल्ली के राव
Shri Saripalli K Rao

मंडल के निदेशक 2017 -2018

BOARD OF DIRECTORS 2017 - 2018

CELEBRATE THE DREAM OF YOUR OWN HOME

VIJAYA HOME LOAN

विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

GROWTH POWERED BY TECHNOLOGY DRIVEN BY CUSTOMERS

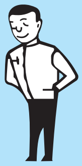

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	CONTENTS	Page No.
सूचना	2	Notice	183
निष्पादन वैशिष्ट्य 2017-2018	7	Performance Highlights 2017-2018	189
प्रगति की एक झलक 2017-2018	9	Performance at a Glance 2017-2018	191
शेयरधारकों को अध्यक्ष का संदेश	10	Message from the Chairman to Shareholders	192
शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	12	Message from the Managing Director CEO to Shareholders	195
निदेशकों की रिपोर्ट	15	Directors Report	199
व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट	55	Business Responsibility Report	242
कंपनी शासन रिपोर्ट	66	Corporate Governance Report	253
कंपनी शासन रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	99	Auditors' Certificate on Corporate Governance Report	288
तुलन पत्र	100	Balance Sheet	290
लाभ व हानि लेखा	101	Profit and Loss Account	291
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां	102	Schedules to Balance Sheet and Profit and Loss Account	292
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	110	Significant Accounting Policies	300
लेखों पर टिप्पणियां	117	Notes on Accounts	308
नकदी प्रवाह विवरण	145	Cash Flow Statement	341
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	147	Independent Auditors Report	343
बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज	149	Basel Disclosures Document	345
अविस्मरणीय घटनाओं की झलकियां	179	Glimpses of Memorable Events	179
एनईसीएस फार्म	383	NECs Form	384
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश फार्म	385	Attendance Slip cum Entry Form	386
प्रॉक्सी फार्म	387	Proxy Form	388

वार्षिक सामान्य बैठक	ANNUAL GENERAL MEETING
दिनांक : 29 जून, 2018 **समय :** 10.00 बजे **स्थान :** मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, 41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001	**Date : 29th June, 2018 Time : 10.00 a.m.** **Place :** Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, 41/2, M.G. Road, Bengaluru - 560001

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR . SHARE TRANSFER AGENT
कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं. For M/s SHIV JINDAL & CO कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. For M/s O P BAGLA & CO कृते मेसर्स प्राईस पेट एण्ड कं For M/s PRICE PATT & CO	मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **M/s. Link Intime India Private Limited** **यूनिट : विजया बैंक** Unit: Vijaya Bank **सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली, वेस्ट, मुम्बई 83** C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli, (West), Mumbai 4000 83 **दूरभाष** /Tel : 022 - 49186270 **फैक्स**/FaX: 022 - 49186060 ई-मेल/Email : rnt.helpdesklinkintime.co.in वेबसाईट/Website : www.linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office No. 41/2, एम.जी.रोड, M.G. Road, बेंगलूरु Bengaluru - 560 001

दूरभाष Phone : 080 - 2558 4066 (20 लाईन्स lines) फैक्स Phone : 080 - 255994737

वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

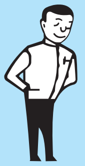

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरू – 560 001

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली, 2008 के नियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, शुक्रवार, 29 जून, 2018 को सुबह 10.00 बजे मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू-560 001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

सामान्य कारोबार

मद सं.1 : 31 मार्च 2018 तक के लेखापरीक्षित बैंक के तुलन-पत्र, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ व हानि लेखा एवं लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते **विजया बैंक**

ह/–

स्थान : बेंगलूरू — **(आर ए शंकर नारायणन)**

दिनांक : 08.05.2018 — **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

   बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की ज़रूरत नहीं है. तथापि, ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शुक्रवार, 22 जून, 2018 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी. रोड, बेंगलूरू – 560001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

   कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय, जो बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शुक्रवार, 22 जून, 2018 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी. रोड, बेंगलूरू – 560001 को जमा/प्रस्तुत की गयी हो.

3. **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पर्ची :**

   शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी मामला हो.

4. **सदस्यों के रजिस्टर का बंद होना :**

   अठारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में और शेयरधारकों को अंतिम लाभांश पाने के लिए हकदार बनाने के लिए विजया बैंक (शेयरों और बैठक) विनियम 2003 के खंड 12 के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और बैंक शेयर आंतरण बहियां शुक्रवार 22 जून, 2018 से शुक्रवार 29 जून 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी.

5. **मताधिकार :**

   अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा.

   उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो अंतिम दिनांक यानि शुक्रवार, 22 जून 2018 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा.

   विजया बैंक (शेयर और बैठकें संशोधन) विनियम, 2003 के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा.

6. **परोक्ष ई – मतदान :**

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान :

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक, अपने सदस्यों के वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय प्रतिभूतिकरण निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सेवाओं के जरिए कारोबार किया जा सकता है तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा व्यापार द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है.

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26.06.2018 (मंगलवार) 10.00 बजे से शुरू होती है और 28.06.2018 (गुरुवार) 5.00 बजे समाप्त होती है. शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को 22 जून 2018 (शुक्रवार) को उनके द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों पर माना जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए अंतिम तारिख है. अंतिम तारीख तक भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं.

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान "दो चरणों" में किया जाना है जो नीचे उल्लिखित है :

चरण 1 : https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल मतदान प्रणाली में लॉग-इन करें.

चरण 2 : एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें.

चरण 1 के विवरण नीचे उल्लिखित है :

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं. पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें.
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारकों' अनुभाग के तहत उपलब्ध है.
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी. आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा.

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवा यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान दे सकते है.

4. आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिए गए हैं :

शेयर धारण का प्रकार अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपकी यूजर आईडी है**
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका डीपी आईडी IN300** है और ग्राहक आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300 *** 12****** है
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं	16 अंक लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12************** है
ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	ईवीएन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 00*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

   क. यदि आप पहले ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

   ख. यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था. एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त कर लेंगे, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा.

   ग. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

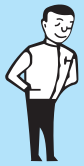

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको सूचित किया जाता है. अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं. ईमेल खोलें और संलग्नक अर्थात पीडीएफ फ़ाइल खोलें. पीडीएफ एनएसडीएल खाते के लिए फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है, भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक फोलियो नंबर है. पीडीएफ फ़ाइल में आपका 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है.

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आपके डाक पते पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको सूचित किया जाता है.

6. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम और शर्तों'' से सहमत होने की सहमति दें.

7. अब, आपको ''लॉगिन बटन'' पर क्लिक करना होगा.

8. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा.

चरण 2 का विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डाला जाए?

1. चरण 1 से सफल लॉगिन के बाद, आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे. ई–वोटिंग पर क्लिक करें. फिर, सक्रिय मतदान चक्र पर क्लिक करें.

2. सक्रिय वोटिंग चक्रों पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को ''EVEN'' देख पाएंगे जिनमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में हैं.

3. कंपनी के ''EVEN'' का चयन करें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं.

4. अब आप वोटिंग पेज के खुलने पर ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं.

5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट दें यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और ''सबमिट करें'' पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर ''पुष्टि करें'' पर क्लिक करें.

6. पुष्टि पर, ''सफलतापूर्वक वोट'' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.

7. आप पुष्टींकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेंगे, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) के संबंध में अधिकृत हस्ताक्षरी के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ scrutinizer@nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटीनाइज़र को भेजने की आवश्यकता है.

2. यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक ध्यान दें. ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगइन पासवर्ड के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''उपयोगकर्ता जानकारी भूल गए पासवर्ड'' या ''भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें'' विकल्प से गुजरना होगा.

3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को पढ सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं या www.evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं.

4. सदस्यों के मतदान अधिकार 22 जून, 2018 की अंतिम तारीख के रूप में कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे.

5. नोटिस भेजने के बाद यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और बैंक का सदस्य बनता है और अंतिम तारीख यानी 22 जून, 2018 तक शेयर धारण करता है, तो evoting@nsdl.co.in अथवा Issuer/RTA को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

हालांकि, अगर आप पहले से ही एनएसडीएल के साथ परोक्ष ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''उपयोगकर्ता पासवर्ड भूल गए हैं?'' या ''भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं.

6. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी एक सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन वार्षिक सामान्य बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

7. यथा अंतिम तारीख को यदि किसी व्यक्ति का नाम सदस्यों की पंजी में दर्ज है या डेपासिटरीस द्वारा अनुरक्षित हितधारक स्वामी की पंजी में दर्ज है तो रिमोट ई–मतदान के साथ–साथ वार्षिक सामान्य बैठक में टैब मतदान के जरिए अपना मतदान दे सकता है.

8. कंपनी के सदस्यों को मतदान तथा परोक्ष ई–मतदान को निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है.

9. अध्यक्ष, एजीएम में, जिन प्रस्तावों पर मतदान किया जाना है, उनके बारे में चर्चा के अंत में, सभी के लिए ''टैब वोटिंग'' के उपयोग से जांचकर्ता की सहायता से मतदान की अनुमति देंगे. उन सदस्य जो एजीएम में मौजूद हैं लेकिन रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाकर अपने वोट नहीं डाला है.

10. अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद स्क्रूटीनाइज़र की रिपोर्ट के साथ परिणाम www.vijayabank.com की वेबसाइट पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा. परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दिए जाएंगे.

7. **लाभांश का भुगतान**

मंडल की सिफारिश के अनुसार तथा वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित लाभांश, घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 22 जून, 2018 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक हैं.

ख) शेयरधारक, जिनके नाम यथा शुक्रवार, 22 जून 2018 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट ईसीएस या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 29 जुलाई, 2018 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

8. **डिविडेंड वारंट / इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ऋण समाशोधन) में बैंक खाता का विवरण – (एनईसीएस) :**

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना के अनुसार 1 अक्तूबर 2009, ईसीएस के माध्यम से पैसे का प्रेषण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. एनईसीएस कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन के बाद बैंकों द्वारा आवंटित नए और अद्वितीय बैंक खाता संख्या पर काम करता है. यह सुविधा भौतिक और डीमैट रूपों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को दी जाती है. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक आर एंड टी एजेंट एम / एस लिंकइनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में अपने खातों से संबंधित चेक की फोटो प्रति के साथ अपने बैंक द्वारा प्रदान किए गए खाता संख्या को प्रस्तुत कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूपों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक खातों के विवरण अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपडेट करेंगे.

गैर सीबीएस बैंक शाखाओं में बैंक खाते वाले शेयरधारकों को एनईसीएस द्वारा कवर नहीं किया जाता है और उन्हें भौतिक लाभांश वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान किया जाएगा. इन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते, बैंक का नाम और शाखा प्रस्तुत करें, जहां वे नकद के लिए लाभांश वारंट जमा करना चाहते हैं. उपर्युक्त विवरण संयुक्त / एकल शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं. एनईसीएस का प्रपत्र इस नोटिस में संलग्न है.

9. **दावा रहित लाभांश, यदि कोई हो तो :**

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, अगर कोई हो तो, से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें.

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते ''....... वर्ष के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता'' में अंतरण कर दिया जाएगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा तथा इसके बाद बैंक या आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा नहीं किया जा सकता है.

(भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए बैंक के पास स्थित अदत्त/ दावा रहित लाभांश को 13.08.2018 को आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा. सभी संबंधित शेयरधारकों को 15-07-2018 तक उनके दावे भेजने के लिए अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे जा रहे हैं. अगर दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते में बची हुई शेष राशि को आईईपीएफ खाते में आंतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद उस संबंध में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी दावा शेयरधारकों को उपलब्ध नहीं होगा).

10. **शेयरधारकों से अनुरोध :**

10.1 **तुलन पत्र की प्रतियां :**

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

10.2 **शेयरों का अमूर्तीकरण :**

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र अब भी मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

10.3 **पते में परिवर्तन अधिसूचित करना :**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना निम्न को दें :

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस रोड,विक्रोली (प), मुंबई - 400083.

ग) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से यह अनुरोध भी है कि वे अपना ई-मेल पता बैंक/आर व टी एजेंट के साथ पंजीकृत करवाए/अद्यतन करवाए ताकि बैंक सभी सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेइल के जरिए प्रेषित कर सकें. डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोसिटरी पार्टिसिपन्ट के साथ ई-मेल पता अद्यतन करवाएं. यह, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए कंपनी मामलों में हरित पहल को लागू करने की योजना के अनुसार है.

10.4 **फोलियो का समेकन :**

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर उसी नाम क्रम में अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

10.5 स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन :

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटते समय निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या आईएफएससी कूट व एमआईसीआर कूट और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

10.6 लेखों की सूचना :

खातों की सूचना चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को पत्र लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को पहुंच जाता है जिससे प्रबंधन सूचना तैयार करके रख सके. उत्तर केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

11. **अन्य सूचना :**

11.1 हरित पहल का समर्थन करते हुए बैंक ने यह निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी.

11.2 शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते **विजया बैंक**

ह/-

स्थान : बेंगलूरू **आर ए शंकर नारायणन**

दिनांक : 08.05.2018 **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

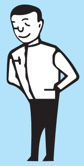

कार्य निष्पादन झलकियाँ : 2017–18

व्यापार वृद्धि

- बैंक का कुल कारोबार 20.07 % सुदृढ वृद्धि अंकित किया है और ` 2,75,965 करोड़ के अभी तक के सबसे बड़े स्तर पर पहुँच गया है.
- सकल अग्रिम यथा 31.03.2017 के ` 96821 करोड़ से बढकर यथा 31.03.2018 को `118677 करोड़ हुआ है और 22.57% सुदृढ वृद्धि अंकित किया है.
- कुल जमाएँ यथा 31.03.2017 के ` 133012 करोड़ से बढकर यथा 31.03.2018 को ` 157288 करोड़ हुए हैं और 18.25 % सुदृढ वृद्धि अंकित किया है.
- बैंक के कासा जमा 5.33% की वृद्धि के साथ ` 39390 करोड़ हुआ है. बचत जमा 6.36% सुदृढ़ वृद्धि के साथ ` 30669 करोड़ और चालू खाता जमा 1.84 % वृद्धि के साथ ` 8721 करोड़ हुआ है.
- खुदरा अग्रिम 31 मार्च 2017 के ` 29157 करोड़ से 31 मार्च 2018 तक 24.98% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ` 36439 करोड़ हो गया है.
- कुल अग्रिम के खुदरा अग्रिम का प्रतिशत 30.70 % तक वृद्धि हुई है.
- बैंक का बंधक ऋण में 128.01 % की सुदृढ वृद्धि हुई.
- आवास ऋण, रत्न ऋण, वाहन ऋण और शिक्षा ऋण क्रमशः 30.50%, 21.76% तथा 21.38% और 15.5 % की सुदृढ वृद्धि दर दर्ज किया है.
- ऋण जमा अनुपात में 31.03.2018 को 72.79% से 75.45 % प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सुधार हुआ है.

आय और लाभप्रदता

- बैंक ने निवल लाभ ` 727 करोड़ दर्ज किया.
- बैंक का परिचालन लाभ ` 2421 करोड़ से 27.95 % प्रतिशत बढोतरी के साथ ` 3098 करोड़ हो गया है.
- निवल ब्याज मार्जिन 2.77 % से 3.10 % हुआ है.

आस्ति गुणवत्ता

- यथा मार्च 2017 को बैंक का सकल एनपीए अनुपात 6.59 % से यथा मार्च 2018 को 6.34 % के साथ सुधार हुआ है.
- यथा मार्च 2017 को बैंक का निवल एनपीए अनुपात 4.36 % से यथा मार्च 2018 को 4.32% के साथ सुधार हुआ है.
- प्रावधान कवरेज अनुपात में 59.39 % तक बढोत्तरी हुई है.

प्राथमिकता क्षेत्र परिचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग यथा 31.03.2017 के ` 40590 करोड़ से दिनांक 31.03.2018 को बढ़कर ` 48364 करोड़ रहा और वर्ष दर वृद्धि दर 19.15 % रहा. बैंक ने एएनबीसी के 47.70% तक संविभाग को यथा 31.03.2018 को पहुँचा कर प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल किया है.
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के कृषि ऋण 24.88 % की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2017 को रू 15632 करोड़ के मुकाबले यथा 31.03.2018 को रू 19521 करोड़ तक पहुंचा है.(एएनबीसी का 19.25 %)
- कमजोर वर्ग हेतु अग्रिम ` 16089 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 10% के मानदंड के प्रति 15.87% रहा.
- महिला हिताधिकारियों के लिए अग्रिम यथा मार्च 2017 के ` 9501 करोड़ के प्रति यथा मार्च 2018 को 23.04% की वृद्धि दर दर्ज करके ` 11690 करोड़ रहा. बैंक एएनबीसी के 5% के निर्धारित लक्ष्य के प्रति 11.53% हासिल किया है.

वित्तीय समावेशन

- पीएमजेडीवाई आधार सीडिंग प्रतिशत यथा मार्च 2017 को 88 % से यथा मार्च 2018 को 90.01 % रहा.
- यथा मार्च 2017 को आधार सीडिंग 62% रहा और मार्च 2018 को 82 % के रूप में सुधार हुआ.
- 'विजया डिजिटल गांव' परियोजना के अनुसार भारत भर में हमारे बैंक ने 105 गांवों को गोद लिया है. इन में से 101 गांव वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गोद लिए.
- विजया वित्तीय साक्षरता न्यास ने 6923 जागरूकता कार्यक्रम चलाए जिसमें 312977 सहभागियों ने भाग लिया और 45786 लोगों को काउंसिलिंग किया.
- फरवरी 2018 के दौरान वित्तीय समावेशन का विशेष अभियान चलाया गया. इस के दौरान जन-धन खाते उन सभी अप्रावरित लोगों के लिए खोले गए. साथ में पहले ही खोले गए खातों में से निष्क्रिय खातों को सक्रिय किया है. रूपे कार्ड जारी किया और सक्रिय किया तथा आधार सीडिंग और सभी परिचालन खातों को प्राधिकृत किया.

- नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हॉन्स्ड स्टडीज बेंगलूरू के माध्यम से बैंक ने एक शोध परियोजना का प्रायोजन किया. विषय रहा 'कर्नाटक में वित्तीय लिखतों की प्रकृति और औपचारिक, अनौपचारिक वित्तीयन की सीमाएं - अध्ययन'.
- सभी शाखाओं में और हैंड हेल्ड मशीन /माइक्रो एटीएम में भी ई-केवाईसी समर्थित किया गया है.

डिजिटल बैंकिंग

- विजया डिजिटल गांव 'परियोजना के अनुसार भारत भर में हमारे बैंक ने 105 गांवों को गोद लिया है. इन में से 101 गांव वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गोद लिए हैं. श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने इस डिजिटल गांव परियोजना की शुरूआत की.
- बैंक ने भीम आधार विजया पे की शुरूआत अप्रैल 2017 में किया. यह एक डिजिटल भुगतान स्वीकृति सोल्यूशन है और इसमें व्यापारी अपने अँड्रॉइड फोन के जरिए और फिंगर प्रिंट रीडर के जरिए उन ग्राहकों से जिनके बैंक खातों में आधार लिंक किया हुआ है उन के बायोमेट्रिक्स के अधिप्रमाणन से भुगतान ले सकते हैं.
- पास बुक का इलेक्ट्रानिक पाठ वी ई पासबुक से ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन में ही पासबुक का रख-रखाव कर सकने की सुविधा मिलता है. अधिक सुरक्षा फीचरों के साथ इस पाठ का विमोचन किया है.
- वी-पे क्विक एक चाटबोट आधारित लेनदेन सुविधा की शुरूआत की गई इसके जरिए काब, होटल आदि का बुकिंग कर सकते हैं.
- बी वी मोबाइल बैंकिंग के जरिए भारत बिल पे की शुरूआत की गई. इसके जरिए बिल किसी भी समय भुगतान कर सकते हैं. भारिबैं ने बैंक को बिलर आपरेटिंग यूनिट और ग्राहक आपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए अनुमोदन दिया है और बैंक ने बिलर और ऐजंट को आनबोर्ड लेना शुरू किया है.
- भारत क्यू आर 4.0 भीम विजया यूपीआई में स्थापित किया है जिससे यूपीआई या कार्ड के के जरिए भुगतान करने की सुविधा ग्राहकों को मिलती है.
- भीम विजया क्यू आर सोल्यूशन की शुरूआत की गई. बैंक ने विविध व्यापारियों के साथ साठ गांठ की. विविध राज्यों में स्थित एचपीसीएल की आउटलेट में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त है.
- वी ई कनेक्ट में टागल डेबिट कार्ड, कार्ड नियंत्रण सोल्यूशन को संपर्क किया है. इससे कार्ड का नियंत्रण, अस्थाई रूप से कार्ड को बंद करना और जरूरत पडने पर चलाना, डेबिट कार्ड को हाट लिस्ट करना आदि कर सकते हैं.
- सोशल मीडिया बैंकिंग यानी फेसबुक, टिवटर,लिंकड-इन, यू ट्यूब और इंस्टा ग्राम आदि में बैंक की उपस्थिति से सफलता प्राप्त हुई.

पूंजी-पर्याप्तता

- बैंक ने बेसल III मानदंडों का अनुपालन किया है और यथा 31 मार्च 2018 को 10.875 % के न्यूनतम विनियामक पूंजी के प्रति सकल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.90 % (टियर I-11.71% -टियर - II -2.19 %) है.
- बैंक ने बेसल II मानदंडों का भी अनुपालन किया है और यथा 31.03.2018 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.32 % रहा है जो न्यूनतम विनिर्दिष्ट 9% से भी अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के जरिए ` 700 करोड़ सामान्य ईक्विटी टायर 1 के जरिए और ` 1277 करोड़ भारत सरकार की पूंजी अतः प्रवाह ईक्विटी टायर 1 के जरिए तथा प्रतिधारित उपार्जन (विनियामक पूंजी के लिए हिसाब में लिया जाएगा) के अंतर्गत ` 538.67 करोड़ बैंक ने जुटा लिया.
- यथा 31.03.2018 को न्यूनतम एलसीआर 90% के प्रति यथा 31.03.2018 को बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 129.94 % रहा और भारतीय रिज़र्व बैंक के 4.50% के सूचक अनुपात के प्रति यथा 31.03.2018 को बैंक के लीवरेज अनुपात 6.26% रहा.

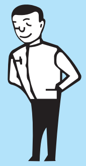

निष्पादन की एक झलक 2017–18

(` करोड़ों में)

प्रमुख मानदंड	2015–16	2016–17	2017–18
शाखाओं की संख्या	1863	2031	2136
एटीएम की संख्या	1651	2001	2155
आरक्षिति और अधिशेष	6472	7153	9323
सकल लाभ	1549	2421	3098
निवल लाभ	382	750	727
कुल जमाराशियां	125441	133012	157288
वृद्धि %	3.50	6.04	18.25
कासा जमाराशियां	29125	37398	39390
वृद्धि %	13.23	28.12	5.33
कुल जमाराशियों का %	23.22	28.10	25.04
सकल ऋण	90765	96821	118677
वृद्धि %	3.50	6.67	22.57
कुल कारोबार	216206	229833	275965
वृद्धि %	1.01	6.30	20.07
सकल एनपीए	6027	6382	7526
(%)	6.64	6.59	6.34
निवल एनपीए	4277	4118	5021
(%)	4.81	4.36	4.32
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	38003	40590	48364
एएनबीसी के प्रति %	41.54	41.35	47.70
कुल कर्मचारी	14544	15679	16079
प्रति कर्मचारी कारोबार	14.58	15.51	18.10
प्रमुख अनुपात (%)			
जमा लागत	7.34	6.50	5.65
अग्रिमों पर आय	10.52	9.89	9.14
निवल ब्याज मार्जिन	2.27	2.77	3.10
आस्तियों पर आय	0.28	0.49	0.44
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल III)	12.58	12.73	13.90

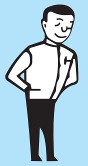

शेयरधारकों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक

विजया बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से मुझे वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की प्रगति तथा निष्पादन को आपके सक्षम प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है.

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 पूरे विश्व का आर्थिक पुनर्जीवन का वर्ष रहा. वर्ष के दौरान, वैश्विक बाजार में गति पकडी है और पिछले वर्ष की तुलना में कर्षण प्राप्त किया है. दुनिया भर के अधिकांश देशों के आर्थिक संकेतकों ने देशों के सुधार बुनियादी सिद्धांतों के साथ सकारात्मक संकेत दिखाया है. विश्व बैंक के अनुसार, श्रम बाजार संकेतक देशों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम में सुधार जारी रखते हैं, और पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में दुनिया भर में लगभग दो-तिहाई देशों का विकास हुआ है. उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़ता है जिसमें सीमा पार उधार देने और विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था दोनों में मजबूत क्रेडिट वृद्धि शामिल है.

यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि द्विवितीय छ-माही में एक ठोस गति से आगे बढ़ रही है, जो 2017 को एक दशक से अधिक समय तक क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे वर्षों में से एक के रूप में चिह्नित करती है, हालांकि राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रा की मजबूती से संभवतः उपभोक्ता खर्च और कारखाने की गतिविधि धीमी गति से, चली.

प्रमुख ईएमई में भी आर्थिक गतिविधि का विस्तार जारी रहा. 2017 में चीन की अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि 2016 में दर्ज 6.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत के आधिकारिक लक्ष्य से ऊपर था. ब्राजील में, वस्तुओं की उच्च कीमतों, बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण के कारण आर्थिक गतिविधि तेजी से बढ़ रही है.

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए पिछले नीतिगत सुधारों के मिश्रित प्रतिक्रिया का अनुभव किया. वर्ष के दौरान 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (माल और सेवा कर) को लागू करने से देश में ऐतिहासिक नीति सुधार देखने को मिला. इस कर को लागू करने से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा विभिन्न करों को प्रतिस्थापित कर दिया है. हालांकि जीएसटी के कार्यान्वयन ने शुरुआती चरण में सार्वजनिकों के बीच बड़े पैमाने पर कुछ भ्रम और जटिलताएं उत्पन्न की, बाद में धीरे-धीरे सही रास्ते पर आ गया.

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विनिर्माण और व्यापार में हालांकि धीमी गति दर्शाई, सरकार द्वारा उपयुक्त संशोधनों के साथ प्रणाली को सरल बनाने के लिए की गई पहल के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे सुधार हुआ है. वर्ष 2016-17 के दौरान लागू की गई विमुद्रीकरण योजना द्वारा उत्पन्न विघटन भी 2017-18 के दौरान खत्म हो गए हैं.

देश का सकल घरेलू उत्पाद तिमाही दर तिमाही तक बढ़ता जा रहा है. वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.7% था जो दूसरी तिमाही के दौरान 6.5% तक बढ़ गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.2% तक सुधार हुआ. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 2017-18 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि में पहली अग्रिम अनुमानों में 6.5 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

बैंकिंग उद्योग के संबंध में, वर्ष 2017-18 बैंकों की विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता और समग्र वृद्धि के मामले में प्रगति का वर्ष नहीं रहा. जहां तक बैंकिंग उद्योग का संबंध है, देश की स्थूल आर्थिक परिस्थितियां मजबूत विकास के लिए बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थीं. इस क्षेत्र में कम लाभप्रदता के साथ बैंक की आस्ति गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई. वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से 16 बैंकों ने निवल हानि रिपोर्ट की सूचना दी है. यह मुख्य रूप से खराब ऋण और बैंक की अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के कारण है.

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सतत गिरावट और बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट के कारण निकायों को इस मुद्दे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया है. बैंकों द्वारा प्रमुख मापदंडों में खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पीसीए ढांचे के अधीन कई बैंकों को रखा है. भारत सरकार ने बैंकों को मजबूत बनाने कारोबारा की सही रणनीति से सुरक्षित कारोबार क्षेत्रों में वृद्धि और ऋण देते समय उचित उपाय और अधिक सावधानी के कारण बैंक कम प्रभावी होगा और आधातंसह होगा. के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में बैंक से ऋण के लिए कुल मांग लगभग स्थिर रही.

इस पृष्ठभूमि में विजया बैंक के प्रदर्शन का आकलन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किया जाना चाहिए. मुझे यह कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में, हमारे बैंक ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. बैंक के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन, द्वारा किए गए सकारात्मक उपाय और क्षेत्राधिकारियों द्वारा किए गए यथांक्षित परिश्रम के कारण, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने आपको सुरक्षित रखा, दूसरें बैंकों द्वारा सामना किए जानेवाले प्रतिकूल प्रभाव से.

वर्ष के दौरान बैंक ने बदलते व्यापक आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप कई रणनीतियाँ बनाई. बैंक ने आस्ति की गुणवत्ता और खुदरा व्यापार खंडों में व्यापार के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया. बैंक ने स्वच्छ वित्तीय प्रोफ़ाइल के साथ सरकारी व्यापार और निजी कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सावधानी बरती है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ` 727 करोड़ का निवल लाभ घोषित किया है. 27.95% की वृद्धि दर्ज करते बैंक का परिचालन लाभ ` 3098 करोड़ तक बढा है. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.07% की मजबूत वृद्धि को चिह्नित करते हुए बैंक का कुल व्यापार ` 275,965 करोड़ के उच्चतम स्तर तक पहुंचा. बैंक की कुल जमा और अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.25% और 22.57% की दोगुनी अंकों की वृद्धि दिखाई दी है जो उद्योग के औसत से ऊपर है.

बैंक की खुदरा परिसंपत्ति बही ने वर्ष के दौरान एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया. बैंक के बंधक ऋण मार्च 2017 में ` 357 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में 814 करोड़ रुपये हो गए, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 128.01% की वृद्धि दर्ज की गयी. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक का आवास ऋण खंड 30.50% तक बढा.

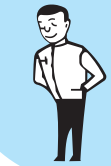

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक का कुल खुदरा ऋण संविभाग 24.98% बढा.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में अशांति के चलते बैंक का प्रदर्शन बेहद सराहनीय है. बैंक ने विभिन्न रणनीतिक उपायों के माध्यम से अपनी आस्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत सावधानीपूर्वक कदम उठाए हैं. बैंक ने अपनी वसूली प्रक्रिया को मजबूत किया है. इसके कारण, मार्च 2017 में बैंक का सकल एनपीए 6.59% से घटकर मार्च 2018 में 6.34% हो गया है. मार्च 2017 में बैंक का निवल एनपीए 4.36% से सुधारकर मार्च 2018 में 4.32% हो गया. अस्थायी कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई जो मार्च 2017 में 58.15% से मार्च 2018 में 59.39% रहा.

वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष की 2031 शाखाओं की तुलना में बैंक ने अपनी शाखाओं की संख्या 2136 तक बढायी है. बैंक ने प्रत्येक शाखा को लाभ केंद्र के रूप में बनाने के प्रयास किए हैं. पिछले वर्ष में कुल 2001 एटीएम की संख्या बढ कर अब एटीएम की कुल संख्या 2155 बन गई है.

डिजिटल बैंकिंग के संबंध में बैंक हमेशा अपने सम्मानित ग्राहकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग प्रदान करने के लिए तत्पर है. वर्ष के दौरान, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लाभों का फायदा उठाने और बैंकिंग की लागत को कम करने के लिए कई पहल की हैं. बैंक ने अपने सभी डिजिटल चैनलों को नवीनतम उपलब्ध संस्करण के साथ अपग्रेड कर दिया है जिसके लिए बैंक को उन सभी ग्राहकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है जो हमारे सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों में सक्रिय ग्राहकों की वर्धित संख्या से गोचर है. हमने डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ सभी आयु वर्गों के ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे सभी डिजिटल बैंकिंग अनुप्रयोगों को भी सरल बनाया है.

बैंक में अनुपालन तथा कॉर्पोरेट शासन में उच्च मानक हमारे बैंक की संस्कृति है जो हमें गुणवत्ता व्यवसाय और समग्र कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 को बैंक को प्राप्त लाभ को ध्यान में रखते हुए मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि बैंक की निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 1.20(12%)लाभांश की सिफारिश की इस का अनुमोदन आनेवाली बैंक की वार्षिक सामान्य बैंठक की करना है.

यह मेरी अंतिम सामान्य बैंठक होगी चूंकि अगस्त 2018 को मैं पदभार से मुक्त हो जाऊगां.विजया बैंक के साथ मेरे एसोकिएशन स्मरणीय रहेगा और खुशी के पल अविस्मरणीय है.मुझे विशवास है कि बैंक के कर्मचारी इसी पर विजयी रहेगें.मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ की बैंक के भविष्य उज्वल हो. मंडल को मैं सराहता हूँ और ध्न्यावाद देता हूँ हर विष्य कों उन्की समीक्षात्मक बाते, मूल्य बर्धित किया. हर बोर्ड की यर्था में सीखनेको बहुत मिला तथा अच्छे शासन का उच्चतम मानक का प्रदर्शन किया.

आईएमएफ द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार लाने की उम्मीद है. आईएमएफ ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक में उल्लेख किया था कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढने की आशा है तथा विमुद्रीकरण व जीएसटी के प्रभाव से उभरने के बाद यह 7.8 प्रतिशत बढने की उम्मीद है. भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक सुधारों में उच्च विकास प्रक्षेपण के लिए तैयार है. अर्थव्यवस्था को विमुद्रीकरण और जीएसटी पहलों के लिए अधिक लाभ मिलेगा. आर्थिक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7-7.5% स्तर तक बढेगी. अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ बैंकिंग उद्योग में वृद्धि होने की उम्मीद है. बैंक ऋण की मांग दो अंकों की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी जो वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 8.4% रही. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ` 2.11 ट्रिलियन देने की सरकार की पहले, को मजबूत करने में मदद करेगी.

उच्चतर प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग परिदृश्य में विजया बैंक की स्थिति अच्छी है. अब बैंक ने अल्पकालिक, मध्यम से दीर्घकालिक आधार पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाया है. बैंक अब देश में बदलती आर्थिक स्थितियों के लिए किसी भी बदलाव और प्रतिक्रिया को अपनाने के लिए लचीला है. बैंक ने अपनी परिचालन क्षमता को सुदृढ़ कर दिया है और विभिन्न प्रकार के बैंकों से प्रतिस्पर्धा के स्तर से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक के मानव संसाधन ने विजयी साथियों को उसका सामना करने की क्षमता बढ़ा दी है. बैंक एक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करता है जो हमारी मुख्य ताकत और महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे बैंक को अन्य बैंकों से अलग करता है. बैंक के प्रमुख व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को अधिक ग्राहक अनुकूल दृष्टिकोण के साथ एक सतत और लाभप्रद व्यावसायिक मॉडल बनाने और बैंक के ब्रांड नाम और सद्भावना को बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी नवोभेषी विधाओं पर केंद्रित है. आगे बढ़ते हुए, बैंक समाज के प्रति अपनी अच्छी सेवा बनाए रखेगा, राष्ट्र की प्रगति के लिए विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन करेगा और बैंक की विभिन्न हितधारकों की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए हमारी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करेगा.

मुझे पूरा विश्वास है कि विजया बैंक नवोन्मेषी और नूतन दृष्टिकोण पर समेकित प्रयासों के साथ इन योजनाओं का लाभ उठा पाएगा.

निदेशक मंडल और खुद की तरफ से, मैं अपने आत्मविश्वास और समर्थन के लिए बैंक के सम्मानित शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों और अन्य हितधारकों को हमारी ईमानदारी से कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं. मैं इस अवसर पर बैंक के प्रबंधन और कर्मचारियों को बैंक के विकास की दिशा में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपना ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं.

समग्र कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 को बैंक को प्राप्त लाभ को ध्यान में रखते हुए मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि बैंक की निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 1.20(12%)लाभांश की सिफारिश की इस का अनुमोदन आनेवाली बैंक की वार्षिक सामान्य बैंठक की करना है.

यह मेरी अंतिम सामान्य बैंठक होगी चूंकि अगस्त 2018 को मैं पदभार से मुक्त हो जाऊगां.विजया बैंक के साथ मेरे एसोकिएशन स्मरणीय रहेगा और खुशी के पल अविस्मरणीय है.मुझे विशवास है कि बैंक के कर्मचारी इसी पर विजयी रहेगें.मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ की बैंक के भविष्य उज्वल हो.

मंडल को मैं सराहता हूँ और धन्यावाद देता हूँ हर विषय कों उनकी समीक्षात्मक बाते, मूल्य बर्धित किया. हर बोर्ड की यर्था में सीखनेको बहुत मिला तथा अच्छे शासन का उच्चतम मानक का प्रसर्शन किया.

जी. नारायणन
अध्यक्ष

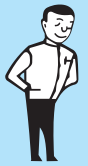

हितधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग क्षेत्र पर एक समग्र समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे बैंक के कार्य निष्पादन के एक स्नैप शॉट को साझा करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2017-18, पूरे विश्व में कई देशों के वैश्विक व्यापार में प्रगति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ सकारात्मक वर्ष रहा. स्थिरता और सुस्त विकास की लंबी अवधि के बाद, यह नोट करने में खुशी हो रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत बन गई है. पिछले वर्ष का उल्लेखनीय पहलू यह है कि वैश्विक व्यापार का विस्तार जारी रहा, जो देशों में मजबूत निवेश और विनिर्माण गतिविधियों से समर्थित है. बढ़ता उपभोग और निवेश की मांग के आधार पर यूरो क्षेत्र में विकास की गति दिखाई दे रही है. कम हो रही बेरोजगारी और कम ब्याज दरों के साथ आर्थिक आशावाद सुधार का समर्थन किया है. यूरो क्षेत्र के देशों ने मजबूत रोजगार वृद्धि का अनुभव किया और सकल देशी उत्पाद में वृद्धि भी प्राप्त की.

संयुक्त राज्य अमरीका ने सकल देशी उत्पाद में सकारात्मक विकास दर्ज किया और देश के मूलभूत सिद्धांत मजबूत हो गए हैं. मुद्रास्फीति के स्तर में सकारात्मक स्थिति, रोजगार बाजार में सुधार और निवेश में पुनरुत्थान से देश को अपनी दरों में वृद्धि लाने के लिए विश्वास प्राप्त हुआ. अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की, जो दिसंबर 2017 में तीसरी दर वृद्धि और दिसंबर 2015 के बाद छठे बार की वृद्धि है. यह निर्णय देश में आर्थिक विकास पर आधारित था, जिसमें रोजगार बाजार में ठोस लाभ, व्यापार निवेश में पुनरुद्धार और 2 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब की मुद्रास्फीति दर शामिल हैं.

पहले से रहे तेजी कारोबारी आत्मविश्वास को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए निर्माण गतिविधि ने जनवरी, 2018 में मजबूत बाहरी मांग पर तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण, जापानी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी जारी रही.

अर्जेंटीना, ब्राजील और रूस जैसे बड़े उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से कुछ देशों ने अपने मंदी से बाहर आएं. मजबूत घरेलू उपभोग और मजबूत निर्यात से प्रेरित चीनी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ. तथापि, विकास के लिए कुछ नकारात्मक जोखिम रहते हैं, खासतौर से ऋण स्तर में वृद्धि से.

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, यह देखा गया कि वर्ष 2017-18, विकास के मार्ग में अर्थव्यवस्था के प्रत्यावर्तन का वर्ष था. वित्तीय वर्ष 2017-18 में बहुत चुनौतियां और अवसर थे. जीएसटी का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान देश द्वारा देखा गया एक बड़ा सुधार है. प्रणाली में तरलता के मुद्दों और जीएसटी के कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था में जटिलताओं के कारण वर्ष के पहले भाग में मंदी की वृद्धि हुई. परंतु वर्ष की दूसरी छमाही में जीएमटी की पुनर्मुद्रीकरण प्रक्रिया और सामान्यीकरण द्वारा प्रणाली में अर्थव्यवस्था का हुई.

देश की सकल देशी उत्पाद तिमाही दर तिमाही में बढ़कर 2017-18 के पहली तिमाही में 5.7% से बढ़कर क्यूआर-2 में 6.5% क्यूआर-3 में 7.2% हुई है. इस प्रभावशाली विकास दर के साथ भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना स्तर हासिल कर लिया. देश के विनिर्माण और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि और सुधार की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए, पूरे वर्ष 2017-18 के लिए सकल देशी उत्पाद, उच्चतम स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है.

सामान्य मॉनसून के समर्थन के साथ कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमुख फसलों के दूसरे अनुमान के अनुसार, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड 277.49 मिलियन टन के स्तर तक वृद्धि अपेक्षित है..

भारत की व्यापार घाटा बढ़कर 2016-17 में 108.5 बिलियन घाटे की तुलना में मार्च 2018 में $156.8 बिलियन हो गई. पूरे वित्त वर्ष 18 के लिए निर्यात 9.8% बढ़कर $302.8 बिलियन हो गया, जबकि आयात 19.6% बढ़कर $459.7 बिलियन हो गया, मुख्य रूप से तेल आयात के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया है. यह पिछले साल प्रचलित कीमतों के सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कच्चे और पेट्रोलियम उत्पाद भारत की आयात बास्केट का एक प्रमुख घटक हैं और इस प्रकार अंतिम व्यापार घाटे के आंकड़ों पर भारी प्रभाव पडता है. जबकि आयात की पूर्ण मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, दुनिया भर में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के चलते मूल्य बढ़ गया है.

जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का मामला है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी संपत्ति की गुणवत्ता और बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट देखी गई. बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या की धोखाधड़ी भी देखी गई. यह बैंकिंग परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए नियामक निकायों को सख्त उपाय करने के लिए मजबूर किया. वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ

बैंकों को अपने पीसीए रूपरेखा के तहत शामिल किया है. सरकार द्वारा दिवाली और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को बैंकिंग प्रणाली में एक सकारातमक एवं स्वास्थ्य सुधार की दिशा में हुई है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में पीएसबी पुनर्पूंजीकरण योजना के भाग के रूप में रु 2.11 ट्रिलियन पूंजी लगाने का सरकार का निर्णय अत्यंत सकारात्मक कदम है.

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2017 के महीने में रेपो दर में 6.25 प्रतिशत से 6.00 प्रतिशत की नवीनतम कटौती के बाद अपनी नीति दरों पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखकर सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है. भा.रि.बैं. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मकान किराया भत्ते में वृद्धि; खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए नीति; तेल की कीमतों और राजकोषीय गिरावट के अत्यधिक प्रभाव से मुद्रास्फीति में अधिक जोखिम के बारे में चिंतित था. विशेष रूप से वर्ष की पहली छमाही के दौरान बैंक ऋण की मांग में धीमा विकास था. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि 8.4% रही.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, चुनौतीपूर्ण बैंकिंग परिदृश्य में विजया बैंक ने अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन दर्शाया बैंक ने आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्यों में बदलाव के अनुरूप विभिन्न अल्पकालिक और मध्यम व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाया. बैंक ने लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सकारात्मक उपाय लिए हैं. कई प्रमुख वित्तीय मानकों में उद्योग के औसत से अधिक वृद्धि दर्ज करके बैंक ने समकक्ष बैंकों से बेहतर कार्य निष्पादन किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ` 727 करोड़ का निवल लाभ दर्शाया है. बैंक का परिचालन लाभ यथा 31.03.2017 में `2421 करोड़ से 27.95% की वृद्धि दर्शाते ` 3098 करोड़ तक पहुंच गया.

पूरे देश में भौगोलिक क्षेत्रों में अपने समग्र व्यापार और उपस्थिति के मामले में बैंक अपने विस्तार चरण में है. बैंक का कुल कारोबार वर्ष दर वर्ष आधार पर 20.07% की सुदृढ वृद्धि दर्ज करते हुए ` 2,75,965 करोड़ हो गया है. बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो 22.57% की सुदृढ वृद्धि अंकित करते हुए ` 118677 करोड़ तक पहुंच गया है और बैंक के कुल जमा पोर्टफोलियो वर्ष दर वर्ष में 18.25% की वृद्धि दर्ज करते हुए `1,57,288 करोड़ तक बढ गया है. बैंक ने यथा 31.03.2017 को 2031 शाखाओं से 31.03.2018 तक अपने शाखा नेटवर्क को 2136 शाखाओं तक बढ़ा दिया है. एटीएम की संख्या बढ़कर 2155 एटीएम तक हो गई है जो मार्च 2017 के दौरान 2001 थी.

बैंक में उत्तम परिभाषित एक सुदृढ मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है. जोखिम प्रबंधन विभाग नियंत्रण के साथ पूंजी का समक्ष प्रबंधन किया है.

बैंक में 10.875% की न्यूनतम नियामक पूंजी के प्रति बेसल III के तहत 13.90% के सीआरएआर अनुपात के साथ पर्याप्त पूंजी लगाई गई है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने ईक्विटी शेयरों के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से `700 करोड़ (प्रीमियम सहित) मूल्य के सामान्य इक्विटी टियर -1 पूंजी जुटाने से, भारत सरकार से 1277 करोड़ (प्रीमियम सहित) की नई पूंजी लगाए जाने से और आंतरिक संसाधनों से अपनी पूंजी स्थिति को बढ़ा दी है और 538.67 करोड़ के अर्जन (नियामक पूंजी के लिए गणना) को बनाए रखा है। आगे, बेसल खखख के तहत पूंजी पर्याप्तता यथा 31.03.2017 में 12.73% से बढ कर यथा 31.03.2018 को 13.90% हो गई है.

बैंक ने संपत्ति की गुणवक्ता पर ध्यान केंद्रित किया तथा उचित ऋण निगरानी तथा एनपीए में कमी की गई. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक का सकल एनपीए अनुपात 6.34% से 6.59% हो गया है और बैंक का निवल एनपीए अनुपात 4.36% से 4.32% सुधार हुआ है.

इससे हमें निवल ब्याज मार्जिन जैसे लाभप्रद मानदंडों में सुधार लाने में मदद मिली जो 2.77% से 3.10% तक वृद्धि हुई. बैंक की निवल ब्याज आय यथा 31.03.2018 को 22.73% बढ़कर 4303 करोड़ हो गई. बैंक के ब्याज व्यय 6.61% तक कम हुई है. वर्ष के दौरान बैंक का कुल व्यय 4.45% कम हुआ है.

बैंक के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया है. बैंक ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न व्यावसायिक अभियान आयोजित किए. बैंक ने त्यौहार के मौसम के दौरान विभिन्न प्रस्ताव प्रदान करते हुए देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अपने दृष्टिकोण को भी कस्टमाइज किया. इससे हमें अपने खुदरा ऋण कारोबार को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24.98% की वृद्धि के साथ ` 36,439 करोड़ तक बढ़ाने में मदद हुई. बैंक के बंधक ऋण खंड 128% की सुदृढ वृद्धि दर्ज करते हुए `814 करोड़ तक पहुंच गया. आवास ऋण खंड में 30.50% की वृद्धि दर के साथ `14,700 करोड़ वृद्धि हुई है. आभूषण ऋण संविभाग 21.76% वृद्धि के साथ ` 6115 करोड़ हो गया. वाहन ऋण खंड में 21.39% वृद्धि हुई और ` 3,269 करोड़ तक बढ गया.

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग का अग्रिम 19.15 % की वृद्धि दर्ज करते हुए ` 48,364 करोड़ तक पहुंच गया. प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम 40% के नियामक मानदंड के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का

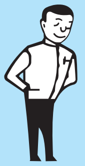

47.70% रहा. 24.88% की वृद्धि दर दर्ज करके बैंक का कृषि अग्रिम `19,521 करोड़ हो गया.

पिछले वर्ष में विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया था. बैंक सभी व्यावसायिक दिनों में भी इसी तरह की सकारात्मक सेवा प्रदान करना जारी रखता है. बैंक अपने शाखा परिवेश और एटीएम को अपग्रेड किया है. बैंक महिला ग्राहक, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग ग्राहकों पर विशेष ध्यान दे रहा है.

बैंक डिजिटल बैंकिंग में की गई प्रगतियों के लिए जाना जाता है. बैंक को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया पर अपनी सेवाओं के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं. इन डिजिटल चैनलों के ग्राहक द्वारा प्रयोग बढ़ रहे हैं. बैंक वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडीया के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल के लिए अपने हार्दिक समर्थन प्रदान करता है. बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बैंक को अखिल भारतीय आधार पर 3410 ग्रामों और 20 वार्डों सहित 1151 उप सेवा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं. बैंक ने इन ग्रामों को 289 शाखाओं द्वारा और शेष के लिए बैंक मित्र (कारोबार संवाददाता एजेंट) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की है. हमारे बैंक ने 'विजया डिजिटल ग्राम' परियोजना के तहत पूरे भारत में 105 ग्रामों को अपनाया है. वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें से 101 ग्रामों को अपनाया है. श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 26 अगस्त, 2017 को इस डिजिटल ग्राम परियोजना की शुरुआत की. बैंक ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन सुविधा की शुरुआत की जिसमें ग्राहक इस सुविधा के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए तत्काल पिन उत्पन्न कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बैंक का सकारात्मक दृष्टिकोण है. वैश्विक आर्थिक स्थित और मांग में सुधार हुआ है. तथापि राष्ट्रों के बीच उभरते व्यापार समर को वैश्विक नेताओं के हस्तक्षेप के साथ शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए. भारतीय अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरणऔर जीएसटी जैसे बड़े सुधारों के कार्यान्वयन के बाद अब शुद्ध है और स्वस्थ विकास की ओर है. सरकार को कर प्रणाली विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है. सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और अन्य निवेश पर व्यय करने के लिए कई पहल शुरु की हैं. इससे बैंक ऋण के लिए मांग में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र पुनर्प्रवर्तन होगा..

बैंक में बनाए रखे जाने योग्य कारोबार मॉडल है जो बैंक के सभी व्यावसायिक पोर्टफोलियो में स्वस्थ विकास सुनिश्चित करता है. बैंक को अपने कम लागत वाले बचत और चालू खाता पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा. बैंक की अपनी पूंजी, व्यावसायिक आकार, कर्मचारी उत्पादकता आदि मजबूत है. विजया बैंक चुनौतियों का सामना करने के लिए और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते अवसरों पर पूंजीकृत करने के लिए कार्यनीतिक रूप से उत्तम स्तर पर है.

बैंक में बहुत पेशेवर निदेशक मंडल गण हैं. समय पर उनके मार्गदर्शन और मूल्यवान योगदान जो, बैंक वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण कारण बना है, के लिए बैंक के निदेशक मंडल के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं. मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए भी अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं.

मैं सभी मूल्यवान शेयरधारकों को बैंक पर उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं.

मैं बैंक के सभी हितधारकों को आश्वस्त करता हूं कि हम, आगामी वर्ष के हमारे व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. आपके हर्दिक समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, मुझे विश्वास है कि वर्ष 2018–19 के दौरान हमारा बैंक उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचेगा.

शुभकामनाओं सहित

सादर,

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा एवं अन्य प्रासंगिक सूचना सहित, बैंक की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

वृहत–आर्थिक परिदृश्य 2017–18

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2017-18 दुनिया भर में दिखाई देने वाले समग्र आर्थिक पुनरुत्थान पर विचार करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर वर्ष था. वस्तुओं की कीमतों में प्रतिक्षेप, वैश्विक व्यापार में सुधार, स्वस्थ मुद्रास्फीति के स्तर इत्यादि, दुनिया भर के कई देशों में अर्थव्यवस्था की सुधारने में समर्थित हैं. वर्ष के दौरान पूंजी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचती है जो एक महत्वपूर्ण स्तर पर मजबूत होती जाती है.

आईएमएफ के अनुसार, वर्ष 2017 में, वैश्विक विकास 2017 में 3.8% की तुलना में 2018 में 3.9% तक रहने की उम्मीद है. जैसा कि आईएमएफ द्वारा उल्लेख किया गया है, कि पिछले दशक में 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट से शुरू होने वाले व्यापक आधार पर आर्थिक संकट और नकारात्मक झटके की एक श्रृंखला द्वारा, 2010-2012 के यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट और 2014-2016 की वैश्विक वस्तुओं की कीमतों के पुनर्गठन के बाद विरामित किया गया है. चूंकि इन संकटों और वर्तमान हेडविंड्स जो उनके साथ कम हो जाते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था ने मजबूत किया है, जो स्थायी विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के साथ प्रगति को आगे बढ़ाने वाले दीर्घकालिक मुद्दों की दिशा में पुनर्विचार नीति के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है.

उन्नत अर्थव्यवस्था में, अमेरिका ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में निश्चित व्यावसायिक निवेश में पुनरुत्थान और उपभोक्ता खर्च में मजबूत वृद्धि के आधार पर स्वस्थ विकास दर दिखायी. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) ने अर्थव्यवस्था के सुधार बुनियादी सिद्धांतों को इंगित करने वाले सहायक डेटा के आधार पर बारंबार दर में वृद्धि की. फेड ने 2018 और 2019 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान बढ़ाए और अनुमानों ने 2019 में अतिरिक्त वृद्धि दर की ओर इशारा किया. यूरोपियन क्षेत्र में, बेरोजगारी और कम ब्याज दरों में गिरावट के साथ-साथ आर्थिक आशावाद बढ़ने के कारण विकास की गति दिखाई दे रही थी. जापानी अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि निर्माण गतिविधि ने मजबूत बाहरी मांग पर तेजी से बढ़ोत्तरी की.

वर्ष 2017 के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि में तेजी आई. पिछले वर्ष की तुलना में चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो 2010 के बाद से विकास में पहली तेजी दर्शाती है. अपेक्षाकृत वृद्धि से अधिक मजबूत नीतिगत प्रोत्साहन, उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था, जिसमें उच्च आधारभूत संरचना खर्च शामिल था. हालांकि, विकास के कुछ नकारात्मक जोखिम बने रहे हैं, खासतौर से निश्चित संपत्ति निवेश को आसान बनाने और ऋण स्तर को बढ़ाने से.

जीडीपी में ठोस विकास के साथ ब्राजील तेजी से मजबूत हुआ है. हालांकि, यह मजबूती राजनीतिक अनिश्चितता के प्रति संवेदनशील है, जिसने उपभोक्ता विश्वास को कम कर दिया है. दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक स्थिति 2017 में आशाजनक नहीं थी और घरेलू बेरोजगारी और गिरावट वाली फैक्ट्री गतिविधि सहित घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना जारी रखती है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, वर्ष 2017-18 एक घटनापूर्ण वर्ष था. अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न अल्पकालिक परेशानियों के कारण निष्क्रिय विकास के एक साल बाद, देश ने 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.2% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के साथ दुनिया में सबसे तेज़ी से विकास अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है. यह वर्ष भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई सुधारों और पहलों का गवाह बना. वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही भारत ने अपने सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया. केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय, योजना और गैर-योजना व्यय को दूर करना, पूरे बजट अभ्यास में मदद करने के लिए एक महीने पहले केंद्रीय बजट की प्रस्तुति की प्रगति और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले 1 अप्रैल को वार्षिक व्यय योजनाओं और कर प्रस्तावों के लिए विधायी अनुमोदन आदि, अन्य प्रमुख सुधार थे जिन्हें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लागू किया था.

हालांकि वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में कुछ व्यवधान और धीमी गति का अनुभव हुआ हो, लेकिन जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय जटिलताओं के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही के दौरान अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत और गतिशील हुई है.

उपयुक्त सूचित अनुसार वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, अर्थव्यवस्था ने विकास की गति को फिर से प्राप्त किया क्योंकि सिस्टम में तरलता पुनर्मुद्रीकरण प्रक्रिया और जीएसटी प्रणाली के माध्यम से फीडबैक उद्योग द्वारा पुनर्स्थापित की गई. जीएसटी प्रणाली की जटिलताओं को कम किया गया और विकास दर के समर्थन के आधार पर कर दरों को तर्कसंगत बनाया गया तथा अर्थव्यवस्था ने साल की दूसरी छमाही के दौरान तेजी से अपनी गति को फिर से प्राप्त कर लिया है.

वर्ष 2017-18 के दौरान देश में मुद्रास्फीति निचले स्तर पर जारी रही. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अप्रैल-मार्च 2017 में 1.7% की तुलना

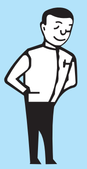

में अप्रैल-मार्च 2018 में 2.9% रहा. प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति अप्रैल-मार्च 2018 में घटकर 1.3% हो गई, जो कि अप्रैल-मार्च 2017 में 3.4% थी. हालांकि, वर्ष के दौरान, ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में -0.3% से 8.1% हो गई. विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष 2017 में 1.3% से बढ़कर अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष 2018 में 2.7% हो गई. औद्योगिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार और समग्र मांग में वृद्धि के साथ-साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति धीरे-धीरे बढ़ सकती है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति संचयी आधार पर अप्रैल-मार्च 2017 में 4.52% की तुलना में अप्रैल-मार्च 2018 में 3.59% तक क्षीण हुई है. सीपीआई मुद्रास्फीति का स्तर, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंड के भीतर रहा. भारतीय रिजर्व बैंक के पास विकास का समर्थन करते हुए +/- 2 प्रतिशत अंक के बैंड के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 4% मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अधिदेश है. दिसंबर 2017 में सब्जियों के मूल्य में अनियमित वृद्धि और केंद्र सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) एचआरए पंचाट के कार्यान्वयन के पूर्ण प्रभाव के कारण दिसंबर 2017 में 17 महीने के उच्चतम 5.2 प्रतिशत की गिरावट के चलते खुदरा मुद्रास्फीति दर कम हो रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को मजबूत करके मुद्रास्फीति के स्तर को नियंत्रित करने के लिए देखभाल की, जिसे सरकार द्वारा वित्तीय उपायों द्वारा समर्थित किया गया था.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संभावित एचआरए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ोतरी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में 4.7-5.1% और दूसरी छमाही में 4.4% के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति प्रक्षेपण निर्धारित किया.

विनिर्माण गतिविधियों में अक्टूबर 2017 के पश्चात धीमी गति से मार्च 2018 में लगातार आठ अंकों के लिए सुधार हुआ. भारत के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एक भाग में आठ प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में, 40.27% के भार के साथ अप्रैल-मार्च 2018 में संचयी आधार पर 4.2% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2017 में 4.8% की वृद्धि हुई थी.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय रुपये में 0.48% की कमी आई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी. वर्ष के दौरान रुपये में उत्साहजनक पूंजी प्रवाह और अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने पर रुपये में वृद्धि दर्ज की गई. लेकिन यह पूरे वर्ष गति को बनाए नहीं रख सका. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, चालू खाता घाटा बढ़ाना, राजकोषीय स्लिपेज, अमेरिका में मौद्रिक नीति सामान्यीकरण एक साथ रुपये के मूल्यह्रास का कारण बन गया था.

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान निर्यात डॉलर के संबंध में 9.78 फीसदी की वृद्धि दर्ज करके 302.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर है. अप्रैल-मार्च 2017-18 की अवधि के लिए निर्यात का संचयी मूल्य डॉलर के संबंध में 9.78 फीसदी और रुपये के संदर्भ में 5.56 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि के साथ 272.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1849428.76 करोड़ `) के मुकाबले 302.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1952168.79 करोड़ `) दर्ज किया गया. अप्रैल-मार्च 2017-18 के दौरान गैर-पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात की कीमत 10.73% की वृद्धि के साथ 222.45 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो 2016-17 में इसी अवधि के लिए 200.89 अरब अमेरिकी डॉलर थी.

अप्रैल-मार्च 2017-18 की अवधि के लिए आयात का संचयी मूल्य डॉलर के संबंध में 19.59 फीसदी और रुपये के संबंध में 14.94 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि के साथ 384.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2577665.59 करोड़ `) के मुकाबले 459.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2962897.70 करोड़ `) दर्ज किया गया. अप्रैल-मार्च 2017-18 के दौरान तेल आयात का मूल्य 109.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले साल इसी अवधि में 86.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तेल आयात से 25.47 प्रतिशत अधिक था. अप्रैल-मार्च 2017-18 के दौरान गैर-तेल आयात का मूल्य 350.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-मार्च 2016-17 में 297.39 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात के स्तर से 17.88 फीसदी अधिक था. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य डेटा के अनुसार मार्च 2017 के मुकाबले वैश्विक ब्रेंट कीमतों ($/ बीबीएल) में 27.86% की वृद्धि हुई है.

वित्त वर्ष 2018 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 156.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2017 में 105.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था. तेल आयात के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ गया है. सालाना आधार पर, 'स्वर्ण' और 'दालों' के आयात में क्रमश: -40.31% और -83.50% की कमी आई है. व्यापारिक माल और सेवाओं को एक साथ लेते हुए, अप्रैल-मार्च 2018 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 47% अधिक है. तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 19 के लिए चालू खाता घाटा 2.1 फीसदी के मौजूदा अनुमान से 20-30 बीपीएस तक पहुंच सकता है.

देश का सकल घरेलू उत्पाद तिमाही से तिमाही तक बढ़ता जा रहा है. वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.7% था जो दूसरी तिमाही के दौरान 6.5% तक बढ़ गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.2% तक उन्नत हुआ. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने वर्ष 2017-18 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में पहले अग्रिम अनुमानों में 6.5 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

बैंकिंग क्षेत्र

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने बढ़ते परिसंपत्ति गुणवत्ता के मुद्दों और बैंकों की लाभप्रदता में कमी आने पर खराब ऋणों को बढ़ने से रोकने की लड़ाई जारी रखी. बैंकिंग क्षेत्र ने मुख्य रूप से कॉर्पोरेट सेगमेंट में मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में डिफ़ॉल्ट खातों के उच्च स्लिपेज की रिपोर्ट जारी रखी. बैंकों के एक उच्च और बढ़ते अनुपात ने ऋण पर जोर दिया और गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के प्रावधान में परिणामी वृद्धि से बैंकों में कम लाभप्रदता देखी गई. इस वर्ष भी भारी मात्रा में बैंकिंग धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या का अनुभव हुआ.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2017 के महीने में 6.25 प्रतिशत से रेपो दर में नवीनतम कटौती के बाद अपनी पॉलिसी दरों पर स्थिति बनाए रखकर सावधानी बरतनी शुरू कर दी. भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के ऊपर के जोखिम, खासतौर से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए के बढ़ते प्रभाव; खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर पहुंचने के लिए नीति; तेल की कीमतों और राजकोषीय स्लिपेजेस में वृद्धि होने के बारे में चिंतित था.

पिछले वर्ष के दौरान विमुद्रीकरण योजना के कार्यान्वयन ने बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच डिजिटल बैंकिंग जागरूकता बढ़ाने में मदद की और 2017-18 के दौरान डिजिटल लेनदेन की संख्या में उल्लेखनीय स्तर पर वृद्धि हुई है.

गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि मार्च 2018 में वर्ष-दर-वर्ष 8.4% तक ठहर गई जो वित्त वर्ष 2017 के दौरान 8.4% की वृद्धि के मुकाबले थी. मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण 3.8% बढ़ गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% था. देश के कई हिस्सों में खेत क्षेत्र संकट में है, कई राज्य सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में किसानों को ऋण छूट की घोषणा की है. 16.4% की वृद्धि के मुकाबले मार्च 2018 में घरेलू और ऑटो ऋण जैसे खुदरा ऋण 17.8% बढ़ गए. मार्च 2018 में उद्योगों को ऋण में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई जबकि मार्च 2017 में 1.9% की गिरावट दर्ज की गई थी. नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण वृद्धि में एक तीव्र गति आने की उम्मीद है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दो साल में पूंजीगत राशि ` 2.11 लाख करोड़ लगाने का सरकार का फैसला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में बहुत सकारात्मक है. ये फंड बैंकों के जोखिम और ऋण पूंजी से संबंधित आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में मदद करेंगे. नियामक निकाय भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के स्तर को कम करने और बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की संख्या को कम करने के लिए कई पहलें की हैं.

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, परिचालन प्रणाली को मजबूत करने, बैंकों की ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उधारदाताओं की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी बैंकों के लिए पीसीए ढांचे में संशोधन किया है. इसने कई बैंकों को अतिरिक्त पूंजी, लाभांश भुगतान में प्रतिबंध, शाखा विस्तार इत्यादि बढ़ाने के लिए मजबूर किया. भारतीय रिजर्व बैंक ने पीसीए ढांचे के तहत बैंक को पूर्व में 10 फीसदी के मुकाबले 6 फीसदी के स्तर में शामिल करने के लिए आवश्यक एनपीए स्तरों को कम कर दिया है. पीसीए ढांचे के बाहर शेष बैंकों ने एनपीए पर प्रावधान कवरेज बढ़ाना अनिवार्य कर दिया. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, संशोधित नियम के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पीसीए ढांचे के तहत अनेक सर्वजनिक बैंकों को रखा है.

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बैंकिंग सुविधा, बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए कानूनी संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) का परिचय, भारत के लिए सार्वजनिक रजिस्ट्री पर उच्च स्तरीय कार्य बल, महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में 200 और 50 मूल्य के नए नोटों का परिचय, बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन, बैंकिंग विनियमन (संशोधित) अध्यादेश, 2017 को लागू करने की कार्य योजना, तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए संशोधित रूपरेखा, प्रारंभिक पहचान और तनावग्रस्त ऋण की रिपोर्टिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर विशेषज्ञ समिति का गठन, वचन पत्रों (एलओयू) और व्यापार ऋण आदि के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का विघटन जैसे कदम उठाए हैं. इन उपायों से बैंकिंग उद्योग को और मजबूत बनाने और बैंकिंग और आर्थिक परिदृश्य में उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी.

परिदृश्य

वैश्विक विकास परिदृश्य वर्ष 2018-19 और यहां तक कि लंबी अवधि के लिए भी सकारात्मक है. विश्व बैंक 2018 और 2027 के बीच 4.3 प्रतिशत के औसत से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाता है. हालांकि, उभरते और विकासशील देशों को उच्च आय वाले देशों की तुलना में तेजी से विकास की आवश्यकता है. संरक्षणवाद और अंदरूनी व्यापार नीतियों वाले देशों के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध वैश्विक विकास के लिए संभावित रूप से प्रभावित होंगे. विश्व के नेताओं को स्थिति को दूर करने और वैश्विक विकास के लिए द्वार खोलने के लिए पारस्परिक समझौता रूप से लाभप्रद व्यापार नीतियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस अवसर पर उभरना चाहिए, जहां सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित होंगी.

पिछले कुछ सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तन से गुज़र रही है. इस तरह की नीति पहल का लाभ देश को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ने के साथ सामना करने में भी मदद करेगा. आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के लिए जीडीपी विकास का पूर्वानुमान 7.4% और 7.9% पर रखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक गतिविधि को मजबूत निजी

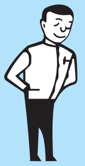

खपत के साथ-साथ उच्च मूल्य मुद्राओं के प्रदर्शन के कार्यान्वयन के प्रभाव को प्रभावित करने और राष्ट्रीय जीएसटी लागू करने के लिए उठाया जाएगा.

अब अर्थव्यवस्था तेजी एवं मजबूती से विकास के लिए तैयार है क्योंकि विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ बनाए गए व्यवधान और जटिलताएं लगभग खत्म हो गई हैं. विमुद्रीकरण ने औपचारिक अर्थवयस्था एवं व्यापक डिजिटल अर्थवयस्था को तेजी से बढने में सहयोग दिया है. जीएसटी से बहु राज्य कर प्रणाली का अनुपालन करने, औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक गतिविधि को आकर्षित करने और कर आधार का विस्तार करने की लागत को कम करके आर्थिक गतिविधि और वित्तीय स्थिरता का लाभ उठाने की उम्मीद है. जीएसटी कार्यान्वयन में स्थिरता, ऋण वृद्धि, निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण जैसे विकास को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास संभावनाएं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बहुत सकारात्मक हैं.

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक का निष्पादन वैशिष्ट्य एवं प्रमुख गतिविधियाँ

1. **पूँजी, आरक्षितियाँ और निवल मूल्य**

(i) **पूंजी**

बैंक की प्राधिकृत पूँजी संप्रति `3000 करोड़ है जो `10/- मूल्य के 300 करोड़ पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों में विभाजित है. संप्रति, भारत सरकार बैंक की 68.77% ईक्विटी शेयर पूँजी धारित करती है. बैंक की कुल प्रदत्त (ईक्विटी शेयर) पूँजी `1304.15 करोड़ है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने प्रत्येक `10/- के 11,10,22,997 शेयर अधिमानी आधार पर ` 700 करोड़ के कुल प्रवाह के साथ `53.05 प्रति शेयर के प्रीमियम पर योग्य संस्थागत खरीदारों और प्रत्येक `10/- के 19,42,79,628 शेयर अधिमानी आधार पर `1277 करोड़ के कुल प्रवाह के साथ ` 55.73 प्रति शेयर के प्रीमियम पर दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार को आवंटित किया.

(ii) अधिशेष एवं निवल मूल्य

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आरक्षितियाँ और अधिशेष `9323.05 करोड़ है. इस वर्ष बैंक का निवल मूल्य `6976.90 करोड़ से बढ़कर `9224.01 करोड़ हो गया है.

(iii) लाभांश

समग्र लाभप्रदता पर विचार करते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रति शेयर `1.20 (12%) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है. वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश कर सहित ईक्विटी लाभांश की कुल राशि `188.36 करोड़ है.

2. **कार्यकारी परिणाम**

यथा दिनांक 31.03.2018 को बैंक ने `727 करोड़ के शुद्ध लाभ की सूचना दी है जो यथा दिनांक 31.03.2017 को `750 करोड़ था. बैंक का परिचालन लाभ 27.95% की वृद्धि दर्ज करके यथा 31.03.2017 के ` 2421 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को ` 3098 करोड़ रहा. बैंक की सकल जमाराशि 18.25% की वृद्धि के साथ यथा दिनांक 31.03.2017 के ` 1,33,012 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को ` 1,57,288 करोड़ रही. बैंक का सकल अग्रिम 22.57% की उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित करते हुए यथा दिनांक 31.03.2017 के ` 96,821 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को `1,18,677 करोड़ के साथ 22.57% वृद्धि रहा, जमाओं की औसत लागत 2016-17 के 6.50% से घटकर 2017-18 में 5.65% रही. बैंक का निवल ब्याज मार्जिन यथा दिनांक 31.03.2017 के 2.77% से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को 3.10% रहा.

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृत्तियाँ नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	मद	2016-17	2017-18	वार्षिक वृद्धि (%)
1	ब्याज आय	12379.46	12589.84	1.70%
2	ब्याज खर्च	8873.02	8286.95	-6.61%
3	निवल ब्याज आय (1-2)	3506.44	4302.89	22.71%
4	गैर ब्याज आय	1651.26	1600.61	-3.07%
	i. निवेशों की बिक्री पर लाभ	768.99	544.26	-29.22%
	ii. अन्य गैर ब्याज आय	882.27	1056.35	19.73%
5	निवल कुल आय (3+4)	5157.70	5903.50	14.46%
6	परिचालन खर्च	2736.55	2805.70	2.53%
	i. स्टाफ से संबंधित खर्च	1747.89	1607.36	-8.04%
	ii. अन्य परिचालन खर्च	988.66	1198.34	21.21%
7	परिचालन लाभ	2421.15	3097.80	27.95%
8	परिचालन लाभ (खजाना लाभ को छोड़कर)	1652.16	2553.54	54.56%
9	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	1670.67	2370.78	41.91%
10	निवल लाभ	750.49	727.02	-3.13%

प्रमुख लाभप्रदता अनुपात

क्रम सं.	मद	2016-17 (%)	2017-18 (%)
1	निधि पर प्रतिफल	8.14	7.69
2	निधि लागत	5.83	5.06
3	ब्याज विस्तार (1-2)	2.31	2.63
4	अग्रिम पर प्रतिफल	9.89	9.14
5	जमा लागत	6.50	5.65
6	निवेश पर प्रतिफल (आरआईडीएफ को छोड़कर) क्रय लाभ को छोड़कर	7.65	7.28
	क्रय लाभ सहित	9.32	8.48
7	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.65	0.73
8	लागत-आय अनुपात	53.06	47.53
9	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	1.15	0.98

3. कारोबार विस्तार एवं शाखा नेटवर्क

(i) कुल कारोबार

बैंक का कुल कारोबार 20.07%की वृद्धि के साथ यथा दिनांक 31.03.2017 के ` 2,29,833 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को ` 2,75,965 करोड़ रहा.

(ii) जमा राशियां

बैंक की कुल जमाराशियां यथा 31.03.2018 को ` 1,33,012 करोड़ से ` 1,57,288 करोड़ रही तथा खुदरा मीयादी जमा यथा 31.03.2018 को ` 47,517 करोड़ से ` 49,020 करोड़ रहा, जिसमें क्रमश: 18.25% तथा 3.16% की वृद्धि हुई.

(iii) कासा जमा राशियां

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक की कासा जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष आधार में 5.33% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2017 के ` 37,398 करोड़ की तुलना में ` 39,390 करोड़ रही. उसमें से बचत बैंक जमाराशि में वर्ष के दौरान ` 30,669 करोड़ तक वृद्धि हुई और चालू खाता जमाराशि में ` 8,721 करोड़ तक वृद्धि हुई, जो क्रमश: 6.36% एवं 1.84% की वृद्धि है. कुल जमाराशि के कासा प्रतिशत में यथा दिनांक 31.03.2017 को 28.10% से यथा दिनांक 31.03.2018 को 25.04% की कमी रही.

(iv) शाखा नेटवर्क

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने शाखाओं की संख्या को 2031 से 2136 तक पहुँचाया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने विस्तार काउंटरों को 13 से 15 तक बढ़ा दिया है. सभी शाखाओं और कार्यालयों को अच्छी तरह से प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू द्वारा प्रबंधित किया जाता है तथा बैंक के 32 क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं.

4. ऋण विस्तार

(i) सकल ऋण

यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने पहली बार एक लाख करोड़ के अग्रिम स्तर को पार किया है. वर्ष के दौरान, ऋण वृद्धि में मंदी के बावजूद, बैंक का सकल ऋण यथा दिनांक 31.03.2017 को ` 96,821 करोड़ से 22.57% बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को ` 1,18,677 करोड़ हो गया है. चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल को ध्यान में रखते हुए, बैंक बड़े ऋण टिकट प्रस्तावों की मंजूरी में बहुत ही चयनात्मक हो गया था और बैंक द्वारा उच्च जोखिम संपत्तियों को कम करने के लिए सचेत प्रयास किए गए हैं. वर्ष के दौरान, बैंक ने सरकारी उपक्रमों को ` 17,290 करोड़ ऋण दिया है, जिनमें से राज्य सरकार की गारंटी ` 9,237 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध है. बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और ऋण प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु समुचित सावधानीतंत्र अपनाया है. बैंक, वित्त मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर ऋण अनुमोदनों को निपटाने के लिए समिति दृष्टिकोण का पालन कर रहा है. ऋण निर्णय के लिए परिवर्तनकाल कम करने हेतु समितियों की बैठक जितनी बार संभव हो, आयोजित की जाती हैं.

अच्छे मानक ऋण प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने 2017-18 के दौरान सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/एमबीए के व्यावसायिकों को भर्ती करने की रणनीति को जारी रखा.

बैंक के ऋण विभाग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान (बीएसआई) द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2005 प्रमाणीकीकरण से प्रत्यायित किया गया है.

बाजार प्रवृत्ति के अनुसार, बैंक ने कई नए उत्पादों की शुरुआत की तथा ग्राहकों की आवश्यकतानुसार मौजूदा उत्पाद भी परिष्कृत किए गए.

(ii) बडे और मझोले कॉर्पोरेट

बैंक ने कार्पोरेट ऋण के संवितरण में परिवर्तनकाल कम करने के अलावा बडे अग्रिमों पर बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करने हेतु विभिन्न भौगोलिक स्थानों में 14 नई कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं का गठन किया है. इसके साथ साथ मझौले कॉर्पोरेट व एसएमई ग्राहकों को उनके नकद प्रबंधन, फॉरेक्स, खजाना उत्पाद, व्यापार वित्त, जमाराशियां, खुदरा बैंकिंग, आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग की एसएमई शाखाएं देशभर में कार्यरत हैं.

बैंक की कार्पोरेट/एसएमई/आईएफबी बैंकिंग शाखाएं मीयादी ऋण, मांग ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं (निधि आधारित + गैर निधि आधारित), ब्रिज ऋण, समूहन ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी पर्याप्य किराए के प्रति ऋण, जैसे कई ऋण उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ और कॉर्पोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर और भी कई सुविधाएं प्रदान करती हैं.

बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए सभी प्रमुख केन्द्रों में एमएसएमई कक्ष स्थापित किये हैं.

बैंक ने अच्छी तरह से मूल्यांकित कंपनियों, सरकारी उपक्रमों आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक रणनीति का विकास किया है.

तदनुसार, सरकारी उपक्रमों का एक डाटाबेस सृजित किया गया है और इन संस्थाओं के साथ बैंकिंग संबंध को एक्स्प्लोर करने और संबंध स्थापित करने हेतु क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है.

(iii) बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र द्वारा दबाव का सामना किया जा रहा है इस पर विचार करते हुए बैंक द्वारा इस क्षेत्र हेतु वित्तपोषण करते समय सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है. अत: आवश्यक सहायक वित्त के साथ अच्छी और व्यवहार्य परियोजनाओं को विस्तारित किया गया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंतर्गत सकल अग्रिम का कुल 23.40% बकाया हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कुल एक्सपोजर निर्धारित क्षेत्रीय एक्सपोजर कैप का 32% है.

(iv) खुदरा ऋण

हमारे बैंक की प्रति-विक्रय (क्रॉस-सेलिंग) के लिए खुदरा ऋण को जोखिम फैलाव, बेहतरीन प्रतिफल तथा बडी मात्रा में ऋण मंजूरी जैसे निहित लाभ के कारण ऋण के विकास के लिए इसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है.

बैंक का खुदरा अग्रिम 24.98% की वृद्धि के साथ यथा दिनांक 31.03.2017 के ` 29,157 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2018 को ` 36,439 करोड़ रहा. खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 30.70% बनता है.

आवास ऋण व वाहन ऋण संविभाग दोनों ने यथा 31 मार्च, 2018 को क्रमश: `14,700 करोड़ व ` 3,269 करोड़ के बकाया स्तर के साथ 30.50% तथा 21.38% की प्रभावशाली वृद्धि दर को रिकॉर्ड किया है.

उसी प्रकार, वर्ष के दौरान आवास ऋण के अंतर्गत 27306 उधारकर्ताओं के लिए ` 5,020 करोड़ की राशि और वाहन ऋण के अंतर्गत 36243 उधारकर्ताओं के लिए ` 1,525 करोड़ की राशि की नई मंजूरी दी गई है.

क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धी भावना बनाने और अधिक व्यवसाय हासिल करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए.

पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आवास योजना) - सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों / कम आय वर्ग / मध्य आय समूह - I / मध्य आय समूह - II के लिए ''सभी के लिए आवास'' योजना के तहत, बैंक ने 2748 लाभार्थियों को ` 318.40 करोड़ के ऋण संवितरित किए.

(v) शिक्षा ऋण :

योग्य मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्व दिया जाता है. शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो में यथा 31.03.2018 को ` 1,513 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने के लिए 15.15% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए `199 करोड़ की वृद्धि हुई.

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत कार्य निष्पादन :

विमुद्रीकरण के बावजूद, एमएसएमई अग्रिम ने मार्च 2018 के अंत में ` 22002 करोड़ की राशि के बकाया स्तर तक पहुचंकर 11.06% की वृद्धि दर्ज की है. बैंक, यथा मार्च 2018 को सूक्ष्म व लघु उद्यमी (एमएसई) के अंतर्गत

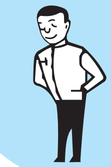

13.40% की वृद्धि दर्ज करते हुए `18288 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. प्रधान मंत्री के कार्यबल के तहत यथा मार्च 2018 के अंत तक प्रदर्शन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2018 को उपलब्धि
लक्ष्य 1	यथा 31 मार्च के पहले एमएसई क्षेत्र के कुल ऋण में से माइक्रो उद्यमों के लिए 60%	60.25%
लक्ष्य 2	माइक्रो उद्यमों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि	10.61%
लक्ष्य 3	एमएसई क्षेत्र के ऋण में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि	13.41%

बैंक द्वारा, ` 2850 करोड़ के लक्ष्य के प्रति ` 2290.00 करोड़ के संवितरण के साथ, वित्तीय वर्ष 2017-18 में `1.69 लाख उद्यमियों को कवर करते हुए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है, जिससे लक्ष्य का 80.35% प्राप्त किया गया है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 2225 उद्यमियों, जिनमें 1938 महिला उद्यमी शामिल हैं, को `422 करोड़ के ऋण संवितरण करते हुए उल्लेखनीय निष्पादन दर्शाया है.

(vii) ऋण के मामले में प्रशिक्षण

पूर्व ऋण अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और पदोन्नोति के कारण, बैंक ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऋण अधिकारियों के बारे में सोचा है. उपरोक्त की दिशा में, बैंक में प्रशिक्षित ऋण अधिकारियों का एक पूल निर्माण करने के लिए, बैंक ने देशभर की विभिन्न शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों से चयनित अधिकारियों के लिए गहन ऋण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है.

(viii) अनाहरित एक्सपोजर का निरसन करना

बेसल-III पूंजी पर्याप्तता ढांचा के अंतर्गत पूंजी परिवर्तन को बढाने का प्रयास, बड़े मूल्य के अनाहरित एक्सपोजर के निरसन पर बैंक ध्यान केन्द्रित कर रहा है. इस तरह के दृष्टिकोंण से दो आयामी प्रभाव होगा, अर्थात लाभदायक उद्यम में निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता और कम पूंजी आबंटन.

5. **प्राथमिकता क्षेत्र**

बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक मानदण्ड के 40% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 47.70% दर्शाते हुए मार्च 2018 के अंत में ` 48364 करोड़ रहा. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में मार्च-2017 की तुलना में `7774 करोड़ (19.15%) की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए औसत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उपलब्धि, औसत एएनबीसी के 44.15% था.

(i) कृषि वित्त

बैंक का कृषि अग्रिम मार्च 2018 को ` 19521 करोड़ रहा, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 19.25% बनता है. कृषि ऋण में `3889 करोड़ की समग्र वृद्धि के साथ 24.88% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शायी गई है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए औसत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उपलब्धि, औसत एएनबीसी के 17.15% थी.

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड योजना

यथा 31.03.2018 को वीकेसी का बकाया स्तर 175742 खातों के जरिए `3329 करोड़ रहा. बैंक के किसान कार्ड अब रुपे प्लैटफार्म के अधीन एटीएम समर्थित हैं.

(iii) कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

यथा मार्च 2018, बैंक द्वारा कमज़ोर वर्गों को बकाया अग्रिम `16089 करोड़ था, जो निर्धारित 10% मानदंड के प्रति एएनबीसी का 15.87% बनता है.

(iv) स्व-सहाय समूह (एसएचजी)

स्व-सहाय समूह (एसएचजी) को अग्रिम देने की ओर बैंक ने प्राथमिकता दी. एसएचजी को प्रदान किए गए अग्रिमों का अतिदेयता स्तर 31.03.2017 में ` 698 करोड़ से यथा 31.03.2018 को `841.00 करोड़ रहा.

बैंक, विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के कार्यान्वयन में सक्रिया रूप से भाग ले रहा है. 28963 महिला स्व-सहाय संघ को लाभान्वित करके डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत बैंक के अग्रिम `808 करोड़ रहा.

(v) महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम, 23% की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2017 के ` 9501 करोड़ की तुलना में मार्च 2018 में ` 11690 करोड़ रहा. समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के निर्धारित लक्ष्यध 5% के प्रति एएनबीसी के 11.53% बैंक की उपलब्धि है.

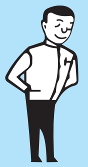

(vi) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन ऋण प्रवाह यथा 31.03.2018 को निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजनाएँ	हिताधिकारियों की संख्या	मार्च 2017 को बकाया ऋण राशि
1	डीएवाई-एनआरएलएम	28963	808.19
2	डीएवाई-एनयूएलएम	1090	12.17
3	पीएमईजीपी	3971	175.60

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुल अग्रिम मार्च 2018 में ` 2045 करोड़ रहा.

(viii) अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2018 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की मात्रा ` 6539 करोड़ है और सरकारी मानदण्ड के 15% के प्रति यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 15.04% बनता है.

(ix) अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को कर्नाटक राज्य के तीन जिलों अर्थात मण्ड्या, धारवाड और हावेरी जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. सभी तीन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित जिले की सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय करके वार्षिक ऋण योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), वित्तीय समावेशन, सोशल सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग, आधार सीडिंग, सीधा लाभ अंतरण योजना आदि के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं.

(x) फसल बीमा:

भारत सरकार ने कम बीमा प्रीमियम के साथ मौजूदा फसल बीमा योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है. हमारे बैंक ने 2017-2018 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और पीएमएफबीवाई के तहत 104343 किसानों को कवर किया.

(xi) वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं)

बैंक ने कर्नाटक राज्य के मंड्या व हावेरी में और मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर में विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. ये संस्थाएं विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/जागरूकता कार्यक्रमों और उद्यमी विकास कार्यशालाएं आदि का आयोजन कर रही हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2106-17 सभी तीनों वीआईबीएसईटीआाई को उच्चतम ग्रेडिंग 'एए' ग्रेड दिया है.

चालू वर्ष 2017-18 के दौरान वीआईबीएसईटीआई द्वारा 87 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2399 लाभार्थी प्रशिक्षित हुए. प्रारंभ में कुल 1624 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 63631 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया. लाभकारी स्वरोजगार उपक्रम के साथ प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का निपटान यथा 31.03.2018 को लगभग 70% रहा.

(xii) विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीएफ)

विकास कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, सेवाएं आदि तथा अन्य ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे साक्षरता, स्व रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में वैज्ञानिक, शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार गतिविधियों का संचालन करने के लिए वर्ष 1990 में बैंक द्वारा मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन (वीआरडीएफ) स्थापित किया गया. वीआरडीएफ, विभिन्न विषयों को कवर करते हुए ग्राम विकास परिषद (वीडीसी) के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्थाषपित 5 वीडीसी सहित वर्तमान में ऐसे 49 वीडीसी कार्य कर रहे हैं. फाउंडेशन की गतिविधियां दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड और उत्तरा कन्नड़ जिले के निकटवर्ती भागों में और हावेरी, धारवाड़ और मंड्या जैसे अन्य जिलों में फैले हैं जहां बैंक की अग्रणी बैंक ज़िम्मेदारी है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, वीआरडीएफ ने 11094 हिताधिकारियों को लाभान्वित करके 283 कार्यक्रमों का आयोजन किया है. वीआरडीएफ द्वारा अपनी स्थापिना के बाद से यह सालाना आयोजित कार्यक्रमों की सबसे ज्यादा संख्या है. स्थापना के बाद से 1969 कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 121665 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है.

2017-18 के दौरान आयोजित कुछ नए कार्यक्रम निम्नप्रकार थे :

- ग्रामीणों के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन मॉडल, जो दिन की आवश्यकता है.
- अक्षवानी मंगलूर के माध्यम से गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में 10वीं कक्षा कन्नड़ माध्यम ग्रामीण विद्यालय के छात्रों को रेडियो कक्षाएं.
- कृषि पेशे में रुचि विकसित करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए 50 विद्यार्थी कृषि संघों का गठन
- सब्जी के बीज का वितरण

6. वित्तीय समावेशन

(i) प्रमुख उपलब्धियां

- बैंक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में 3410 गांवों और 20 मुहल्ला को मिलाकर कुल 1151 उप सेवा क्षेत्र आबंटित किए गए हैं. बैंक ने 289 शाखाओं के जरिए और बाकी में बैंक मित्र (कारोबार संवाददाता एजेंट) के जरिए इन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के बिना बैंक की सुविधा वाले सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ मूल बैंक खाता, ` 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा रक्षा के साथ रुपे कार्ड, ` 30000/- का जीवन बीमा और खाता में संतोषजनक लेनदेन के आधार पर `5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 28.08.2014 को शुरूआत की थी.
- यथा दिनांक 31 मार्च 2018 को बैंक के पास ` 203.43 करोड़ के कुल बचत के साथ 14.59 लाख आधार बचत बैंक जमा खाते थे.
- सभी सक्रिय खातों को रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए गए.
- पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग प्रतिशत, मार्च 2017 में 88% की तुलना में मार्च 2018 में 90.01% बढ गया है.
- सक्रिय खातों में आधार सीडिंग, मार्च 2017 में 62% से मार्च 2018 में 82% तक बढ गया है.
- बैंक ने 9442 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ` 158.00 लाख की राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की है.

(ii) वित्तीय समावेशन गतिविधियों की मुख्य बातें

- सभी शाखाओं में ई-केवाईसी और हाथ वाली मशीन / सूक्ष्मप एटीएम सक्षम किए गए हैं.
- रुपे कार्ड लेनदेन सभी बीसीए स्थानों पर लागू किया गया है.
- सभी सूक्ष्म एटीएम को परिचालित किया गया है.
- बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बिना तीसरी पार्टी से बैंक खाते में नकद स्वीकार कराना सभी एचएचएम/कियोस्क में सक्षम किया गया है.
- क्षेत्र कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए नया एमआईएस और कारोबार संवाददाताओं के निष्पादन की निगरानी करने हेतु नियंत्रण कार्यालय विकसित किए गए है.
- पोर्टल के जरिए किए गए लेनदेनों की संख्या, दिन की शुरूआत / दिन के अंत की स्थिति आदि से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों का उपयोग करते हुए दैनिक आधार पर कारोबार संवाददाताओं की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष पहल :

- वित्तीय समावेशन पहलों के लिए विशेष ड्राइव का आयोजन फरवरी 2018 के महीने में, कवर न किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए जन-धन खातों को खोलने और खोले गए असक्रिय खातों का सक्रीयण, रुपे कार्ड जारी करने तथा आधार सीडिंग व सभी सक्रिय खातों का अधिप्रमाणन पर ध्यान केन्द्रित किया है.
- बैंक ने औपचारिक और अनौपचारिक वित्त की सीमाओं पर अध्ययन के साथ साथ कर्नाटक में वित्तीय उपकरणों की प्रकृति के संबंध में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बेंगलूरू के माध्यम से एक शोध प्रायोजित किया है.

(iv) विजया डिजिटल गांव :

हमारे बैंक ने पूरे भारत में 'विजया डिजिटल गांव' परियोजना के अंतर्गत 105 गावों को गोद लिया है. उनमें से 101 गांव चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गोद लिए है. श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने इस डिजिटल गांव परियोजना का 26 अगस्त, 2017 में शुभारंभ किया. योजना के अंतर्गत :

- सभी गांववालों को जन धन खातों के साथ कवर किया गया हैं.

- खाता धारकों को रुपे डेबिट सह एटीएम कार्ड जारी किया गया है.
- डिजिटल बैंकिंग उत्पाद जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट सुविधा के बारे में प्रोत्साहित किया गया है.
- खाता धारकों को पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर किया जाता है.
- बैंक की लागत पर गांवों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है.
- इन गावों में डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में सुधार हुआ है.

(v) वित्तीय साक्षरता :

- बैंक ने वित्तीय मामलों से संबंधित सभी शहरी व ग्रामीण जनता को साक्षरता उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ दिनांक 20.11.2015 को ''विजया वित्तीय साक्षरता न्यास'' (वीएफएलटी) की स्थापना की है. हमने 3 नए एफएलसी खोले हैं जिसे मिलाकर कुल 18 एफएलसी हैं जिसका प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा किया जाता है जो सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक कर्मचारी हैं.
- एफएलसी के माध्यम से ट्रस्ट विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और क्रेडिट परामर्श गतिविधियों का आयोजन करता है.
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' पर जागरूकता फैलाने के लिए बैंक ने खाते खोलने के लिए शिविर और अन्य साक्षरता कार्यक्रमों में दिखाए जाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में ऑडियो फिल्म तैयार किया है.
- पीएमजेडीवाई खाता धारकों और अन्य ग्रामीण एवं शहरी जनता को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देने के लिए शाखाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है.
- ट्रस्ट सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के प्रचार प्रसार के लिए सक्रियता से सहभागिता कर रहा है.
- वर्ष के दौरान, ट्रस्टने, 3,12,977 प्रतिभागियों के साथ 6923 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 45,786 को परामर्श विस्तारित किया है. उनमें से, 18,951 व्यक्तियों ने अपने बैंक खाते खोले हैं और 6223 सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पीएमएसबीवाई / पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई के तहत शामिल किये गये है.

(vi) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

बैंक एलपीजी ग्राहकों के आधार संख्या को उनके खाते में दर्ज करते हुए भारत सरकार के संशोधित डीबीटीएल कार्यक्रम को सक्रियता से कार्यान्वित कर रहा है. विविध माध्यमों के जरिए उनके खाते में आधार संख्या दर्ज करने के लिए सभी ग्राहकों को सतत रूप से एसएमएस अलर्ट भी भेजा जाता है.

(vii) इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण

बैंक ''एक जिला एक बैंक मॉडल'' योजना के अधीन बैंक मित्रों के जरिए मंड्या जिला में दो लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह ` 8.00 करोड़ से अधिक की राशि की सामाजिक सुरक्षा पेंशन/एमएनआरईजीए संवितरित करता है. हमारे बैंक के पास अलग से वित्तीय समावेशन कक्ष मण्ड्या, कर्नाटक राज्य में है जहां विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन/ एमएनआरईजीए की अधिक संख्या में हिताधिकारियों के खाते हमारे बैंक के पास 'एक जिला एक बैंक मॉडेल' योजना के तहत है.

7. खजाना और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

खजाना विभाग गतिशील बाजार शक्तियों के साथ संपर्क कर, उन्हें समझने और बैंक के लिए लाभ में ऐसी समझ को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य करता है. खजाना विभाग बैंक को अपने बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिसंपत्ति और दायित्व के अंतर को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण बाजार निविष्टियाँ और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

खजाना विभाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक आरक्षित निधि के सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव करता है, घरेलू और विदेशी मुद्रा में बैंक की अल्पावधि की तरलता आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करता है, बैंक के एसएलआर और गैर एसएलआर निवेश बही का प्रबंधन करता है, ब्याज दर, ईक्विटी और विदेशी मुद्रा के प्रपत्र का लेनदेन करता है, बाजारों में उपलब्ध अंतरपणन अवसरों का उपयोग करता है और बैंक के परिसंपत्ति देयता प्रबंधन में महत्वपूर्ण बाजार से संबंधित इनपुट भी प्रदान करता है. खजाना विभाग कार्यात्मक रूप से फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड-ऑफिस के रूप में विभाजित किया गया है. फ्रंट ऑफिस में उधार गतिविधियों का कार्य किया जाता है, जबकि बैक ऑफिस में फ्रंट ऑफिस लेनदेन के लेखांकन, मूल्यांकन और समाधान का कार्य किया जाता है. मिड-ऑफिस खजाना के लेन-देन गतिविधियों

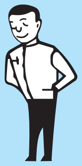

की निगरानी करने के लिए सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित निवेश नीति और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं. निगरानी में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, मिड-ऑफिस जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करता है.

2017-18 के दौरान खजाना परिचालन का सार नीचे दिया गया है :

(i) बाजार परिदृश्य:

2017-18 की पहली छमाही के दौरान ब्याज दरें सीमाबद्ध थीं, जिसमें 10 वर्ष के बेंच मार्क बॉन्ड ट्रेडिंग 6.42% से 6.99% की प्रतिफल सीमा में थे. वर्ष की दूसरी छमाही में 03 अक्टूबर, 2017 को प्रतिफल में 6.65% से 06 से मार्च 2017 को 7.78% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि कारकों के संयोजन, मुद्रास्फीति पर सख्त दृष्टिकोंण, बढ़ती तेल की कीमतें, सरकार के वित्तीय घाटे के लक्ष्य और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की चिंताओं को खत्म करने संबंधी कारणों के बारे में है. वर्ष 2018-19 के लिए सरकार के अपने बॉन्ड कार्यक्रम को तर्कसंगत बनाने में 10 वर्ष का बेंच मार्क वर्ष अंत पर 7.40% रहा.

यूएस फेडरल की बढ़ोतरी और व्यापार युद्ध के भय पर अनिश्चितताओं के चलते सुधारों से पहले जनवरी 2018 के दौरान भारतीय निवेश बाजार में घरेलू निवेशक, नेट एफआईआई प्रवाह और सकारात्मक व्यापार भावनाओं से प्रेरित हुए. एनएसई निफ्टी 50 ने वर्ष के आरंभ में 9238 के स्तर पर शुरूआत की, जो 29 जनवरी, 2018 को 11171 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया और वर्ष के अंत में 10114 पर बंद हुआ.

रुपया वार्षिक 64.86 के स्तर पर खुला और 63.25 से 65.90 के बीच कारोबार किया, जो वित्त वर्ष 2017 के समाप्त होने से पहले शुरुआती स्तर पर 65.14 रुपये या इससे कम के अंत तक पहुंच गया. जबकि शेयर बाजार अंतर्वाह में रुपये ने सहायता की, वहीं फेड रेट की बढ़ोतरी से चिंता हुई, अमेरिका और उत्तरी कोरिया के साथ-साथ अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्धों के खतरे ने भी इसे प्रभावित किया.

(ii) निवेश बही

बैंक के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खजाना द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 32.01% के औसत निवेश जमा अनुपात से स्पष्ट है. वर्ष के दौरान, निवेश बही यथा 31.03.2017 को ` 44,786.97 करोड़ से घटकर यथा 31.03.2018 को ` 40,281.86 करोड़ रही. एसएलआर निवेश ` 40,057.39 करोड़ से घटकर ` 35,251.99 करोड़ रहा, जबकि गैर-एसएलआर निवेश ` 4,729.58 करोड़ से बढ़कर ` 5,029.86 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने भारत सरकार के पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पुनर्पूंजीकरण बांड में ` 1,277 करोड़ का निवेश किया है.

औसत निवेश 2016-17 में ` 44,275.16 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ` 42,768.26 करोड़ था. निवेश पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2016-17 में 7.65% की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में 7.28% था.

(iii) खजाना परिचालन से ब्याज की आय

खजाना परिचालन से ब्याज की आय यथा 2016-17 में ` 3,359.09 करोड़ से घटकर यथा 2017-18 में `3,083.58 करोड़ रही, जो कि निवेश संविभाग में कमी के अनुरूप है.

(iv) खजाना परिचालन से लाभ

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, ` 794.71 करोड़ के लाभ की तुलना में बैंक के खजाना ने जी-सेक, ईक्विटी और विदेशी मुद्रा डेस्क में अपनी व्यापारिक गतिविधियों से वित्त वर्ष 2017-18 में ` 574.80 करोड़ का लाभ प्राप्त किया. मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और राजकोषीय घाटों को मजबूत करने के कारण बेंचमार्क के 10 साल के प्रतिफल में अस्थिरता के परिणामस्वरूप लाभ प्रभावित हुआ.

(v) ईक्विटी से लाभांश आय

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में ` 3.13 करोड़ के मुकाबले अपने ईक्विटी निवेश से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ` 7.84 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया है.

(vi) निधीयन कार्यविधियां

औसत निवल उधार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 6.27% की दर से ` 6,962 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 5.89% की दर से ` 4,449.22 करोड़ था. पिछले वर्ष की तुलना में उधार लेने की लागत, मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2018 में 25 बीपीएस द्वारा पॉलिसी दरों में कमी और विभिन्न उधार मार्गों के न्यायसंगत मिश्रण के कारण 38 बीपीएस घट गई है.

(vii) सीआरआर / एसएलआर का अनुरक्षण

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वर्ष 2017-18 के दौरान लगाई गई सीआरआर अपेक्षाओं सहित सीआरआर / एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

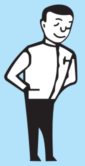

(viii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार यथा 31 मार्च 2018 को ` 692.38 करोड़ के आरडब्ल्यूए सहित ` 642.59 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च 2018 को ` 8,032.38 करोड़ के आरडब्ल्यूए सहित ` 8,654.75 करोड़ था. आरडब्ल्यूए में यह कमी निवेश पोर्टफोलियो में कमी के कारण है.

(ix) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए बैंक की 36 शाखाएं नामित हैं. इसके अलावा, बैंक के पास प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में कला एकीकृत डीलिंग रूम का है, जो हमारे ग्राहकों के लिए 9 प्रमुख मुद्राओं में दरों को उद्धृत करने के लिए सुसज्जित है.

यथा दिनांक 31.03.2018 को बैंक का निर्यात ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.86% की वृद्धि दर्शाते हुए `1696.46 करोड़ रहा. उपर्युक्त में से, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मात्रा अमेरिकी डॉलर 43.83 मिलियन रहा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार पण्यावर्त `18,350 करोड़ रहा. बैंक की कुल एनआरआई जमाराशियां यथा दिनांक 31.03.2018 को 7.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ` 4019.13 करोड़ के प्रति ` 4331.61 करोड़ रहा.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने देश में कहीं भी हमारी शाखाओं के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से खाड़ी से अपने खाते में धन प्रेषण करने हेतु सक्षम करने के लिए अल अंसारी एक्सचेंज संयुक्त यूएई और अल बदर एक्सचेंज, यूएई के लिए स्पीड/फ्लैश प्रेषण सुविधा और वाल स्ट्रीट एक्सचेंज के लिए 'स्पीड प्रेषण' सुविधा प्रदान करना जारी रखा है.

प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू में एनआरआई ग्राहक कक्ष की स्थापना की है. यह कक्ष विशेष रूप से हमारे एनआरआई ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है.

बैंक ने डीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए सीबीएस में विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रक्रिया प्रवाह के एकीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक के ईडीपीएमएस पोर्टल में वृद्धि, आयात संबंधित लेनदेन आदि को कैप्चर करने और निगरानी करने के लिए आईडीपीएमएस का कार्यान्वयन, आदि के माध्यम से, विभिन्न तकनीकी समर्थन सिस्टम को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है. इसके अतिरिक्त, एसडब्ल्यूआईएफटी परिचालन में साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान किए गए हैं और ये पूर्ण रूप से तैयार हैं. लेनदेन के त्वरित व कुशल वितरण के साथ प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा प्रोसेसिंग कक्ष के माध्यम से पूरे देश के ग्राहकों को समग्र विदेशी मुद्रा कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग लेनदेन की ऐसी जटिल और विविध प्रकार के निष्पादन की अनुकूलतम अनुपालन जाँच भी सुनिश्चित करती है.

8. जोखिम प्रबंधन

विजया बैंक ने एक अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाया है. जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित व्यापार के साथ, ड्राइविंग वैल्यू के दौरान, पूंजी को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय कार्य के साथ साझेदार के रूप में जोखिम प्रबंधन कार्य करता है. जोखिम प्रबंधन कार्य को बेसल II दिशानिर्देशों अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और चलनिधि जोखिम के तहत परिभाषित सिद्धांत जोखिमों के आधार पर विभाजित किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे को लागू किया है. हालांकि, बैंक ने शुरूआत में, क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है, अब तक किए गए / अनुमानित पहल बेसल दिशानिर्देशों में और अधिक उन्नत पूंजी माप के दृष्टिकोण हेतु बैंकों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार हैं. बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम आईएसएमएस प्रथाओं के लिए बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग को प्रतिष्ठित आईएसओ 27001: 2013 से सम्मानित किया गया है.

जोखिम प्रबंधन को और मजबूत बनाने के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई पहल शुरु की है.

- बैंक खुदरा पोर्टफोलियो पर ध्यान देने के साथ बैंक के लक्ष्य और जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ सरेखित करने के लिए पूंजी अनुकूलन तकनीक का लाभ उठाता हैं
- पात्र बाह्यत: मूल्यांकित खातों के कवरेज में निरंतर सुधार
- बेहतर गुणवत्ता वाले ऋण पोर्टफोलियो के लिए कम गुणवत्ता ऋण पोर्टफोलियो का मंथन
- एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग एक्सपोजर अधिकतम सीमा लागू करने हेतु, सेक्टोरियल कैप का अनुरक्षण जैसे मानदण्ड
- तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर सीमित करना

- ऋण खातों के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण करना
- रेटिंग मॉडलों को मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडलों के बाहरी और आंतरिक वैधीकरण
- प्रशिक्षण और ई-शिक्षा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलता
- बीमा कवर, नए सुरक्षा उपायों जैसे उचित जोखिम निवारण उपायों के लिए रक्षोपाय बैंकों की संपत्तियों द्वारा सिफारिश
- सुधारात्मक कार्रवाई योजनाओं की परिनियोजन के द्वारा प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार
- जोखिम माप प्रणाली को भी सभी राजकोष संबंधित उत्पादों अर्थात खजाना नीमि में अनुमोदित डेरिवेटिव, ईक्विटी, जी-सेक, विदेशी मुद्रा के लिए रखा गया है.
- आरबीआई के तनाव परीक्षण ढांचे के अनुसार व्यापारिक पुस्तक के लिए दबाव परीक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और बैंक ने आरबीआई के आईएमए दिशानिर्देशों के तहत दबाव परीक्षण के लिए अपने स्वयं के परिदृश्य भी बनाए हैं.
- बैकटीस्टिंग नियमित रूप से सभी वीएआर मॉडलों के लिए जैसे ऐतिहासिक सिमुलेशन दृष्टिकोण, विरिएंस कोवेरियंस दृष्टिकोण और मोंटे कार्लो सिमुलेशन दृष्टिकोण, आयोजित किया जाता है.
- ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए बैंक नियामक दिशानिर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करके सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रथाओं को कार्यान्वित करने की निरंतर प्रक्रिया में है.

(i) ऋण जोखिम

बैंक ने व्यापक उधार नीति तथा ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं को जैसे जोखिम की प्रवृत्ति, जोखिम आधारित मूल्यन, जोखिम विविधीकरण/निवारण कार्य नीति, यथोचित सीमाएं, पर्याप्त ऋण सीमाएं, समूह ऋण सीमाएं, रेटिंगवार ऋण सीमाएं, अधिमान्य क्षेत्र वृद्धि की कार्यनीति, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया, प्रलेखन व सुरक्षा मानक, सुरक्षा मूल्यांकन आदि को शामिल किया गया है. बैंक के कारोबार योजना व कार्पोरेट लक्ष्यो के आधार पर ये नीतियां समय समय पर संशोधित की जाती है. ऋण संविभाग के लिए तनाव, जैसे कि एनपीए में बढोत्तीरी, पुनर्गठित मानक खातों की फिसलन, काउंटर पार्टी रेटिंग में गिरावट, संपार्श्विक की कमी, आदि के कारण ऋण जोखिम के लिए तनाव परीक्षण अर्धवार्षिक के आधार पर किया जाता है.

आगे, बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रणाली बनायी है जो काउंटर पार्टी पर विविध जोखिम कारकों का एकल बिंदु सूचक है तथा उचित तथा स्थिर रूप से ऋण निर्णय लेने के लिए उपयोगी है. आवास व अन्य खुदरा क्षेत्रों के लिए अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल को भी तैयार किया है ताकि जोखिम रेटिंग कार्य का अधिकतम प्रावरण सुनिश्चित किया जा सके. ` 1.00 करोड़ से अधिक उधार के संबंध में अर्ध-वार्षिक तौर पर अभिगमन विश्लेषण किया गया है. बैंक ने क्रिसिल रॉम साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी खुदरा व गैर-खुदरा ऋणों के जोखिम रेटिंग की शुरूआत की है, जो बेसल II समर्थक है. यह साफ्टवेयर बैंक के सभी प्रकार के ऋण को मंजूरी से पहले ऋण श्रेणीकरण के अधीन प्रावरित करता है, ताकि ऋण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही बेसल II के उच्च स्तरीय दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो सकें. बैंक ने ऋण जोखिम में एफआईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित नीवं) दृष्टिकोण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं हैं. इस संबंध में ऋण जोखिम के लिए रेटिंग मॉडल का सत्यापन किया गया है और बैंक विभिन्न जोखिम ग्रेड के लिए पैरामीटर को नाप-तोलने की प्रक्रिया में है.

(ii) आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) व बाज़ार जोखिम

बैंक के एएलएम तथा बाजार जोखिम का प्रबंधन क्रमश: आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) द्वारा किया जाता है. चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों विभिन्न साम्यिक खंडों में असमानताओं के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की गयी है. 15 दिनों के अंतराल में इसका अनुवर्तन किया जाता है और निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है.

बाजार जोखिम ऋण वीएआर (जोखिम पर मूल्य), एजीएल (कुल अंतर सीमा) तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे साधनों से मापा जाता है. देश जोखिम निगरानी के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन हेतु सभी देशों के लिए समूह सीमाएं निर्धारित किए गए हैं. नियमित आधार पर अनुपालन की निगरानी के लिए मध्य कार्यालय बारीकी से खजाना लेनदेनों की निगरानी करता है और सुधारात्मक कार्रवाई लेने के लिए परामर्श दिया जाता है.

बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल एप्रोच (उन्नत दृष्टिकोण) को लागू करने के लिए बैंक ने भा.रि.बैं. से अनुमति मांगी है.

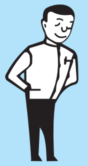

ब्याज दर मोड पर 200 आधार बिंदु शॉक का प्रयोग करते हुए ईक्विटी (निवल मूल्य) पर संभाव्य बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए समय के अंतराल विश्लेषण का अनुपालन किया जाता है.

शीर्ष प्रबंधन द्वारा संवेदनशीलता विश्लेषण भी आयोजित किया जाता है और समीक्षा की जाती है. आकस्मिकता निधीयन योजना, विवेकपूर्ण अनुपात / सीमाएं निर्धारित की गई हैं और चल निधि जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाती है. विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि पर त्रैमासिक आधार पर तनाव परीक्षण किया जाता है और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का मूल्यांकन किया जाता है. अल्पावधि तरलता की निगरानी करने के लिए, बैंक दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता के एएलएम विवरण तैयार कर रहा है.

बैंक निर्धारित अंतराल में चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) व लीवरेज अनुपात का परिकलन करता है. बैंक के चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) यथा 31.03.2018 के न्यूनतम एलसीआर के 90% के प्रति यथा 31.03.2018 को 129.94% रहा और बैंक के लीवरेज अनुपात भा.रि.बैंक की सांकेतिक दर के 4.50% के प्रति यथा 31.03.2018 को 6.26% रहा.

(iii) परिचालनात्मक जोखिम

प्रभावी ढंग से परिचालन जोखिम की पहचान, प्रबंधन तथा निपटान करने के लिए बैंक में एक स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा है. बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रूपरेखा भी बनायी है. परिचालन जोखिम प्रबंधन का नियंत्रण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा किया जाता है, जो परिचालन जोखिम हानि संबंधित आंकडे, नए उत्पाद, बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणालियों की समीक्षा करता है और आंतरिक प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक / निवारक उपायों का सुझाव प्रदान करता है. परिचालन जोखिम को कम करने के लिए, ऋण और जमा संविभागों में की गई धोखाधडी के बारे में कई विषयगत अध्ययन आयोजित किए गए ताकि जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से प्रणालीगत कमियों को पहचान सके. आगे, सुधारित दृष्टिकोण को अपनाने के क्रम में, बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआईएस) के लिए रूपरेखा बनाई है. समीक्षा द्वारा आरसीएसए और प्रमुख जोखिम संकेतक को मजबूत करने और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए कवरेज क्षेत्र में सुधार लाने हेतु बैंक द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं. जोखिम कारणकर्ता और परिचालन जोखिम हानी के मूल कारण की पहचान की गई है और अनुपालन के लिए उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की गई है और हितधारकों को सूचित की गई है.

बैंक, मेसर्स कार्डेक्स इंडिया प्रा. लि. का एक स्थापना सदस्य है, बैंक के आंतरिक हानि डाटाबेस को समृद्ध बनाने के के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में हानि डाटाबेस संघ गठित किया है.

मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के तहत परिचालन जोखिम पूंजी के आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को सहमति प्राप्त हुई है – (मार्च 2015 से समानांतर प्रभाव)

(iv) बेसल II और बेसल III का अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि के अंतराल और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है. बैंक ने बेसल III के मानदंडों का पालन किया है और यथा 31 मार्च, 18 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.90% (सीसीबी सहित) रहा, जो कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 10.875% के न्यूनतम निर्धारित मानक से अधिक है. आगे, बैंक ने बेसल II मानदंडों का भी अनुपालन किया है और यथा 31 मार्च 2018 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.32% रहा, जो 9% के न्यूनतम निर्धारित मानक से अधिक है.

बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की है जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन, उद्योग की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और आईसीएएपी दस्तावेजों के बाहरी सत्यापन में संशोधन के आधार पर संशोधित है. आईसीएएपी दस्तावेज़ संकलित किया गया है और अर्ध वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है. आईसीएएपी ढांचे के बाहरी सत्यापन आयोजित किया जाता है और बाहरी एजेंसी की सिफारिश उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के प्रयास के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है.

(v) एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल–II मानदंडों के सरल और प्रभावी अनुपालन की सुविधा के लिए, बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन शुरु किया है.

विशिष्ट आईआरएमएस परियोजना में छह समाधान होते हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम), बाजार मार्केट जोखिम प्रबंधन (एमआरएम), परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), ऋण जोखिम रेटिंग सोल्यूशन (सीआरआर) (खुदरा एवं गैर खुदरा), आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) और निधि आंतरण मूल्य निर्धारण (एफ़टीपी) समाधान.

जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यान्वयन और अविरत जागरुकता अभियान के रूप में, बैंक ने 32 क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की पहचान की है जो जोखिम प्रबंधन पहल के कार्यान्वयन में सहायक हैं. प्रशिक्षणकर्ता को प्रशिक्षण की अवधारणा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है.

(vi) बेसल III तथा पूंजी पर्याप्तता

बेसल III के तहत 10.875% की न्यूनतम नियामक पूंजी के प्रति 13.90% के सीआरएआर अनुपात के साथ बैंक की पूंजी उत्तम है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने ईक्विटी शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूमआईपी) के माध्यम से ईक्विटी शेयर पूंजी के माध्यंम से सामान्य ईक्विटी टायर-1 पूंजी को 700 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक बढाकर अपनी पूंजी स्थिति बढा दी है और भारत सरकार के ` 1277 करोड़ (प्रीमियम समेत) से ईक्विटी शेयर पूंजी के नए अंत:प्रवाह और आंतरिक संसाधनों की राशि के साथ ` 360 करोड़ की कमाई (नियामक पूंजी के लिए गणना) को बरकरार रखी है. बेसल–II मानदंडों के तहत 12.95% (यथा 31.03.2017) की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.32% (31.03.2018 तक) में सुधार हुआ है. इसके अलावा, बेसल–III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता यथा 31.03.2016 को 12.73% से यथा 31.03.218 को 13.90% तक वृद्धि हुई है. पूंजी के सापेक्ष घटकों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :

(` करोड़ो में)

बेसल–III	31.03.2017		31.03.2018	
	राशि	अनुपात	राशि	अनुपात
सामान्य ईक्विखटी टियर–I पूंजी ✻	7327.49	8.44%	10153.68	10.36%
अतिरिक्त. टियर–I पूंजी	1319.89	1.52%	1325.00	1.35%
टियर–I पूंजी ✻	8647.38	9.96%	11478.68	11.71%
टियर–II पूंजी	2404.11	2.77%	2145.75	2.19%
कुल पूंजी ✻	11051.49	12.73%	13624.43	13.90%
जोखिम भारित आस्तियां	86798.93		98024.80	

✻ पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 31.03.2017 को 1.25% और 31.03.2018 को 1.875% सहित.

9. आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है. इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- तनाव के लक्षण दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया और उन्हें विशेष निगरानी खाते की श्रेणी में रखा गया. जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया. एनपीए में फिसलन हुए एमएसएमई खातों के संबंध में लाभप्रदता अध्ययन किया जाना है तथा जहां कहीं संभव हो, निर्धारित समय सीमा में पोषण पर ध्यान दिया जाए.
- एनपीए खातों के व्यवस्थित अनुवर्तन हेतु क्षे.का. में विशेष वसूली कक्षों का गठन किया गया. जिन केंद्रों में ऋण वसूली प्राधिकरण कार्यरत हैं वहां नोडल अधिकारियों को पदनामित किया गया है जो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पीठासीन अधिकारी तथा बैंक के अधिवक्ता के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हैं.
- इरादतन चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण जैसे कानूनी विकल्प सहित भा.रि.बैं. को नाम देना आदि कठोर वसूली उपाय तत्काल करते हैं.
- अनर्जक ऋणों की त्वरित वसूली हेतु लोक अदालत की सेवाएं ली जाती है तथा ` 9.41 करोड़ रुपए की मात्रा के 725 संख्या के खाते लोक अदालत में निपटाए गए हैं.

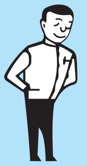

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एनपीए खातों की वसूली के लिए कारोबार संवाददाता नियुक्त हुए और 1688 खातों में ` 19.40 करोड़ की वसूली हुई.
- हासन, हुब्ली, कल्बुर्गी और मैसूर में चार वसूली केंद्र स्थापित किए गएं , जिनमें 1 प्रभारी केंद्र है और प्रत्येक केंद्र में 3 वसूली अधिकारी हैं.
- क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से त्वरित वसूली के लिए उन्हें मार्गदर्शन देते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा 10 लाख तथा उससे अधिक के सभी एनपीए खातों की समीक्षा करनी है.
- त्वरित वसूली की सुविधा हेतु, बैंक की वसूली नीति के अधीन विभिन्न केंद्रों में बडी संख्या के एनपीए खातों की शाखाओं के समूह के लिए नियमित रूप से विजया अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां पर खातों का निपटान उसी जगह पर किया जाता है. वर्ष के दौरान, 31.03.2018 तक बैंक ने निपटान के रूप में 8562 खातों में `121.30 करोड़ निपटाया है. क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखा स्तैर पर आयोजित अदालत से संबंधित विवरण के रिकार्डिंग के लिए और अदालत के तहत निष्पादन की प्रभावी निगरानी हेतु अलग से एक पोर्टल का उपयोग किया जाता है.
- बैंक की नवीन नीति के अनुसार, बैंक के देय की वसूली हेतु हमारे बैंक /सार्वजनिक बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नियुक्त किया है.
- कृषि और एमएसई क्षेत्रों के तहत एनपीए खातों में वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, बैंक ने कृषि ऋण खातों के लिए विशेष ओटीएस और कॉफी और अनार के वृक्षारोपण के लिए विशेष ओटीएस और एमएसएमई ऋण खातों के लिए विशेष ओटीएस पेश किया है जो दिनांक 31.03.2018 तक लागू था.
- बैंक के पास ` 10.00 लाख तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के लिए 'विजया ऋण मुक्ति योजना' नामक एक विशेष ओटीएस है.
- सर्फेसी अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए एनपीए खातों के संबंध में वसूली एजेंटों को नियुक्त किया गया है.
- सरफेसी के तहत शुरू की गई कार्रवाई को या तो वसूली या खाते के उन्नयन से तार्किक अंत दिया गया. बैंक ने वर्ष के दौरान 31.03.2018 तक 6917 खातों में ` 1118.42 करोड़ वसूल किया.
- बैंक ने एनपीए वार रूम 1 और एनपीए वार रूम 2 नामक विशेष विंग गठन किया है. नए एनपीए खाते / अवमानक/ अन्य खुदरा एनपीए खातों का पालन शाखाओं / उधारकर्ताओं के साथ वसूली के लिए कर्मचारियों द्वारा वार रूम 1 में किया जा रहा है और ऋण खातों में संदिग्ध का पालन शाखाओं / उधारकर्ताओं के साथ वसूली के लिए कर्मचारियों द्वारा वार रूम में किया जा रहा है.
- बैंक ने एनपीए उधारकर्ताओं से संबंधित अतिरिक्त विवरण हासिल करने के लिए 'स्किप ट्रेसिंग' की नई पहल शुरू की है ताकि वसूली हेतु अनुवर्तन के लिए नया पता और उधारकर्ता से संबंधित अन्य विवरण पता लगा सके.
- संपर्क करने और विवरण रिकार्ड करने के लिए अलग से वसूली पोर्टल का उपयोग किया जाता है ताकि सभी एनपीए खातों का अनुवर्तन किया जा सके.
- संदिग्ध और हानि आस्तियों की वसूली के लिए वसूली एजेंटों को शामिल किया है.
- एनपीए वसूली पर पाक्षिक के आधार पर उच्च प्रबंधन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियों कॉन्फरेन्स का आयोजन
- डिक्री मामलों में ईपी के त्वरित निष्पादन के लिए कनिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया है.
- सभी केन्द्रों में जहां डीआरटी कार्यरत है, वहां नोडल अधिकारियों को नामित किया है और मामलों के त्वरित निपटान के लिए पीओ / आरओ के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए अनुदेश दिया जाता है.
- बैंक की वसूली नीति के अनुसार ओटीएस योजना के तहत अनुमोदित समझौता किए गए सभी खाते, अनुमोदन की शर्तो के अनुसार तत्काल वसूली हेतु अनुवर्तन किए जाते हैं.
- दिवाला और दिवालियापन (आईबीसी) अधिनियम के तहत एनसीएलटी के लिए पात्र खातों को संदर्भित किए जाते हैं.
- अभिग्रहण एजेंटों के निष्पादन और निष्पाादन की निगरानी हेतु पोर्टल पर उच्च प्रबंधन के जरिए दो क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ दैनंदिन वीडियो कॉन्फरेन्स का आयोजना करने का प्रगति पर है.

यथा मार्च 2018 को कुल अग्रिमों के बैंक का सकल गैर-निष्पादन आस्ति 6.34% रहा, जबकि निवल अग्रिमों से निवल एनपीए अनुपात 4.32% था. वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को ` 1252.73 करोड़ की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा ` 876.57 करोड़ के एनपीए का उन्नयन किया गया. आगे, बैंक ने यथा 31 मार्च 2018 को ` 71.35 करोड़ के

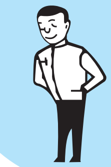

अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए `2442.65 करोड़ का प्रावधानीकरण भी किया. यथा मार्च 2018 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 59.39% रहा.

10. डिजिटल बैंकिंग

बैंक, नए तकनीकी के आधार पर ग्राहकों को अपने उत्पााद व सेवा का प्रस्ताव रखने में हमेशा अग्रसर है. यह बैंक को ग्राहक का अनुभव व संतुष्टि को बढाने में मदद करता है. वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने, उपलब्ध नए तकनीकी के अनुसार उत्पाद व सेवा की शुरूआत / अपग्रेड किया है. बैंक की सहजवृत्ति जैसे तकनीकी को अपनाना, नए उत्पाकदों का प्रस्ताव और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना बैंक के उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायक होती है. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा उठाए गए कुछ आईटी आधारित मुख्य पहल निम्नप्रकार है:

(i) इंटरनेट बैंकिंग

हम हाल ही में हमारे इंटरनेट बैंकिंग अर्थात वी-नेट बैंकिंग को अपग्रेड किया है, यह अब अनुक्रियाशील है अर्थात् लैपटॉप, मोबाइल या किसी हैण्ड--हेल्डग साधन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. वी-नेट बैंकिंग, जिसमें खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अंतर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष कर का भुगतान, राज्य वाणिज्यिक कर, यूटिलिटी बिल भुगतान, मंदिरों को ऑनलाइन दान एवं प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए ऑनलाइन दान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है. वी-नेट बैंकिंग में जोड दी गई विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ऑनलाइन मीयादी जमा / आवर्ती जमा खाता खोलना
- पासवर्ड को ऑनलाइन पुन: बनाया जा सकता है
- यूजर आईडी व पासवर्ड ऑनलाइन पर सृजित किया जा सकता है
- ग्राहक अपना पीपीएफ खाता देख सकते हैं तथा वी-नेट बैंकिंग सुविधा उपयोग करते हुए जुडे गए अपने परिचालनात्मक खातें से पीपीएफ खाते में निधि का अंतरण कर सकते हैं
- ग्राहक अपने विजया बैंक क्रेडिट कार्ड विवरण देख सकते हैं
- ग्राहक आयात एवं निर्यात सीमा शुल्क का भुगतान कर सकते है
- ग्राहक भाषा अर्थात हिन्दी / अंग्रेजी का विकल्प ले सकते हैं
- आईडीबीआई पूंजी के सहयोग से ऑनलाइन ट्रेडिंग
- कार्पोरेट वी-नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को थोक / वेतन अपलोड की सुविधा है
- ग्राहक वी-नेट बैंकिंग लेनदेनों की सुरक्षा के लिए साफ्टवेयर / हार्डवेयर टोकन को चुन सकते हैं
- ग्राहक दर्ज किया हुआ आयकर रीटर्न की ई-फाइलिंग कर सकते हैं
- ग्राहक एनईटीबी/एनईटीयू को एसएमएस भेजने द्वारा वी-नेट बैंकिंग को ब्लॉहक और अनब्लॉरक कर सकते हैं

(ii) मोबाइल बैंकिंग

बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की शुरूआत वर्ष 2009 में हुई. वी-मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक, खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, डीटीएच रीचार्ज, एनईएफटी द्वारा अंतर बैंक व बैंक की शाखाओं के बीच निधि अंतरण, आदि प्रदान कर रहा है जो कि ग्राहक एसएमएस/ जीपीआरएस संप्रेषण मोड के जरिए हैंडसेट से कर सकते हें. तत्काल भुगतान सेवा एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा शुरू की गई पहल है जिसे मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपयोग करनेवाले ग्राहक के लाभार्थ कार्यान्वित किया गया है. अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) (पी2पी-व्यक्ति से व्यक्ति को) जिसके जरिए 24 × 7 एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) का प्रयोग करके बैंक के अंदर व बैंकों के बीच लेनदेन कर सकते हैं. हमारी मौजूदा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में आईएमपीएस (पी2ए-व्यक्ति से खाते को) कार्यान्वित है जहां ग्राहक एमएमआईडी का उपयोग किए बिना, हिताधिकारी का खाता संख्या तथा आईएफएससी कूट का प्रयोग करते हुए निधि अंतरण कर सकते हैं.

अब बैंकने वर्धित रूप और भावना के साथ मोबाइल बैंकिंग के नए रूपांतरण का शुभारंभ किया है, जिसमें अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि ग्राहक द्वारा बैंक से सूचनाएं प्राप्त की जाना, निधि आंतरण लेनदेन की टिप्पणी जोड़ना, स्वयं द्वारा आवेदन पासवर्ड सृजित किया जाना और ग्राहकों के अनुकूल अन्य विकल्प उपलब्ध हैं. मोबाइल बैंकिंग द्विभाषी रूप में (हिन्दी व अंग्रेजी) उपलब्ध कराया गया है.

बैंक ने आईएमपीएस व्यापारी भुगतान के दोनों विकल्प अर्थात पुश एण्ड पुल सक्षम किया है. हमारा मोबाइल बैंकिंग ग्राहक आईएमपीएस विकल्प के तहत अपना एमएमआईडी,

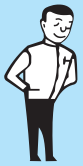

मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर किसी भी बिल्लर साइट पर ऑनलाइन व्याएपारी भुगतान करने में सक्षम होगा.

(iii) मिस्सड कॉल सेवाएं (फ्री बज्ज)

बैंक, अपने ग्राहकों के लिए मिस्सड कॉल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिससे ग्राहक, खाता शेष व लघु विवरण प्राप्त कर सकते हैं. शून्य प्रभार से मिस्स्ड कॉल देने की सुगमता ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है.

(iv) वी–फी हाईव

हमारी इन–हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने शैक्षिक संस्थाओं से शुल्क संग्रहण, अपार्टमेंट से मासिक रख–रखाव शुल्क संग्रहण तथा क्लबों द्वारा शुल्क संग्रहण के लिए एक विशेष एप्लिकेशन विकसित किया है. इसमें कुछ विशिष्टताएं हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग आदि अन्य भुगतान चैनल को एकीकृत किया जा सकता है. प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे कि आईआईएम–कालीकट, आर्मी पब्लिक स्कूल– दिल्ली, एनपोया कालेज– मंगलूर, माऊंट कार्मेल कालेज–बेंगलूरू इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं. डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम तकनीकी महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, एसएसआरआईटी बेंगलूरू, मोतिलाल नेहरू नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी और वासवी पर्ल अपार्टमेंट सहित इस साल में विभिन्न नई संस्थाओं के लिए आवेदन लागू किया गया था.

(v) वी–ई पासबुक +

हमारी इन–हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है जिससे खाता विवरण/लेनदेन विवरण प्राप्त किया जा सकता है. इस एप्लिकेशन में अतिरिक्त ग्राहकोन्मुख विशिष्टताएं हैं जैसे प्रत्येक लेनदेन के लिए टिप्पणियां जोडने की सुविधा, विभिन्न वैयक्तिक खाता शीर्ष रखने की सुविधा तथा एक ही क्लिक से इन खातों में पासबुक लेनदेन जोडने की सुविधा, आदि. अद्यतन प्रस्तुतियां तथा सूचनाएं जैसे बैंक की ब्याज दर से युक्त पृष्ठ इसके जरिए बैंक की वेबसाइट में जाने की सुविधा तथा किसी दोस्त को परिचय कराने की सुविधा इस एप्लिकेशन में उपलब्ध है. आनलाइन पर पासवर्ड को रीसेट किया जाना, वित्तीय कैलेंडर बनाए रखना, हमारी शाखा/एटीएम को पहचानना, हिन्दी/कन्नड भाषाओं में विवरण दर्शाया जाना, आदि जैसी आकर्षक विशेषताओं के साथ प्रचलित वर्ष के दौरान वी–ई पासबुक +2.00 का नया रूपांतरण जारी किया गया.

वी–ई पासबुक + – पासबुक का एक इलेक्ट्रानिक संस्करण जो खाता धारकों को अपने मोबाइल डिवाइस पर अपनी पासबुक बनाए रखने में सक्षम बनाता है.

मुख्य विशेषताएं –

- एकाधिक खातों की पासबुक का अनुरक्षण
- किसी भी अनुरोध या शाखा में जाने बिना सुविधा का लाभ उठाएं और जहां भी हो, किसी भी समय खाता जानकारी के साथ अपडेट हों
- बैंक डाटा के साथ सिंक करने हेतु जब भी आप मोबाइल नेटवर्क पर और ऑफलाइन मोड में भी उपयोग कर सकते हैं
- प्रत्येक पासबुक प्रविष्टियों पर व्यक्तिगत नोट्स बनाएं
- व्यक्तिगत खातों का अनुरक्षण करें और उसके साथ पासबुक के लेन–देन को टैग करें
- इन व्यक्तिगत खातों में भी बैंक के बाहर होनेवाले लेनदेनों का रिकार्ड करें

(vi) भीम आधार विजया

भीम आधार विजया उत्पादों की विशेषताएं :

- अपने खाते में सीधे तत्काल भुगतान स्वीकार करें – आपके खाते में नकद जमा करने के लिए समय बिताने की आवश्यकता नहीं है
- नकदी में भुगतान प्राप्त करने की परेशानी से बचें – नकली नोटों का कोई जोखिम नहीं है
- लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करें और अपने कारोबार का ट्रैक रखें
- कार्ड रहित लेनदेन : उपभोक्तात की जरूरतों के लिए उनकी आधार संख्या की आवश्याकता है
- सकुशल और सुरक्षित

(vi) बीएचआईएम आधार विजया

बीएचआईएम आधार विजया उत्पाद की विशेषताएं निम्नानुसार हैं

- सीधे अपने खाते में तत्काल भुगतान स्वीकार करें – अपने खाते में नकद जमा करने के लिए समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं है.
- नकदी में भुगतान प्राप्त करने की परेशानी से बचें – नकली नोटों का कोई जोखिम नहीं

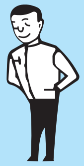

- लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करें और अपने कारोबार का ट्रैक रखें
- बिना कार्ड के लेन-देन: उपभोक्ता को केवल अपनी आधार संख्या की जरुरत है.
- सकुसल और सुरक्षित

(vii) बीएचआईएम विजया यूपीआई

बीएचआईएम विजया यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है और इसमें किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तत्काल धन आंतरण अनुमत है.

26 अगस्त 2016 को निम्न सुविधाओं के साथ यूपीआई शुरू किया गया था.

- एकाधिक बैंक खातों के लिए एकल ऐप
- विजया बैंक या गैर-विजया बैंक के ग्राहक विजया बैंक के यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने बैंक खाते के विवरण जाने बिना पैसे भेज सकते हैं या पैसे मांग सकते हैं
- वर्चुअल भुगतान पते (वीपीए) पर धन अंतरण
- खाता संख्या/ आईएफएससी या मोबाइल संख्या/ एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफ़ायर) का उपयोग करके पैसे भेजने का विकल्प
- केवल वर्चुअल भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके लाभार्थी को तुरन्त जोड़ें. बैंक खाता संख्या और आईएफएससी याद रखने या दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
- प्रेषक की वर्चुअल आईडी का उपयोग कर किसी से भी धन के लिए अनुरोध किया जा सकता है.
- लिंक किए गए बैंक खातों की शेष राशि की जांच कर सकते हैं.
- निधि अंतरण तत्काल 24 × 7, 365 दिन उपलब्ध है और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से होता है
- ग्राहक दुरुपयोग के डर के बिना अन्य लोगों के साथ यूपीआई वित्तीय पते को स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं
- ग्राहकों को बैंकों में के कई खातों के लिए एकाधिक वर्चुअल पतों को बनाने का विकल्प है
- आईएमपीएस का उपयोग करके भुगतान और वसूल करें

(viii) वी-ईकनेक्ट +

वी-ईकनेक्ट+ एक ऐसा ऐप है जो हमारे बैंक के विभिन्न ई-उत्पादों के साथ निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है.

- सभी मोबाइल एप के लिए त्वरित लिंक
- सभी वेबसाइट के लिए त्वरित लिंक
- मिस काल सेवा
- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- दर
- सोशल बैंकिंग
- हमारे बारे में जाने
- ऋण तथा जमा परिकलन
- छुट्टियां
- हमारे बारे में और हमसे संपर्क करें

(ix) टॉगल डेबिट कार्ड :

डेबिट कार्ड की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक बन गई है और ग्राहक को कार्ड का नियंत्रण प्रदान करना डेबिट कार्ड सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है. स्मार्टफोन से अपने कार्ड को नियंत्रित करने के लिए कार्डधारकों को सशक्त बनाने से, कार्डधारक एक ही स्पर्श के साथ अपने कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं. वे स्थान, क्षेत्रों के मानचित्र, व्यक्तिगत व्यापारी, व्यापारी प्रकार, लेनदेन वर्ग और व्यय सीमाओं के आधार पर व्यक्तिगत और निर्भर कार्ड उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं; तत्काल लेनदेन अलर्ट पर तुरंत कारवाई कर सकते हैं और धोखाधड़ी अलर्ट का जवाब दे सकते हैं; टैगिंग, ज्ञापन, व्यापारी रसीद कैप्चर, और विवाद धोखाधड़ी लेनदेन द्वारा लेनदेन का प्रबंधन कर सकते हैं.

उपयोगकर्ता, वी-ईकनेक्ट+ द्वारा प्रदान किए गए टॉगल समाधान का उपयोग कर सकते हैं:

- एकल ऐप का उपयोग करके एकाधिक कार्ड का प्रबंधन और नियंत्रण कर सकते हैं
- अस्थायी रूप से कार्ड को बंद कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर इसे वापस स्विच कर सकते हैं
- अनुकूलन लेनदेन प्रकार और खर्च सीमा

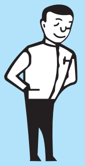

- एक समय में एक ही लेनदेन अनुमत करने के लिए सुरक्षित मोड चालू करें
- लेनदेन अलर्ट कॉन्फ़िगर करें
- भौगोलिक बाड़ लगाने का उपयोग करके स्थान के आधार पर नियंत्रण कार्ड
- अपनी सुविधा के आधार पर इंटरनेट बैंकिंग को अवरुद्ध और अनवरोधित करें

(x) टॉगल वी-नेट बैंकिंग

बैंक ने इसके उपयोग के सरलता पर समझौता किए बिना ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अपना डिजिटल बैंकिंग उत्पाद में सुरक्षा विशेषताओं को जोड़ने का सदैव प्रयास किया है. ग्राहकों की ओर से इंटरनेट बैंकिंग (वी-नेट बैंक) को सक्षम और अक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए टॉगल वी-नेट बैंकिंग की शुरूआत की है. यह ग्राहक को मोबाइल में उपलब्ध अपने वी-कनेक्ट+ से अपने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है.

(xi) सोशल मीडिया बैंकिंग

फेसबुक, ट्विट्टर, इंस्टाग्राम , यूट्यूब तथा लिंकेडिन जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे ग्राहक बैंकिंग सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं. सोशल मीडिया बैंकिंग फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदान करता है.

- ग्राहक पंजीकरण
- खाते में शेष राशी
- लघु विवरण
- निधि अंतरण
- बिल का भुगतान

(xii) एसएमएस अलर्ट्स/ई-मेल

- बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा भी प्रदान करता है. `1/- से अधिक सभी लेनदेन तथा चेक लौटाए जाने के संबंध में, चाहे राशि जितनी भी हो, संदेश भेजे जाते हैं. जिन खाताधारकों ने ई-मेल आइडी रजिस्टर किया है, उनको ई-मेल के जरिए खातों की मासिक विवरणी भेजने का कार्य शुरू किया गया है. ` 1 करोड़ तथा उससे अधिक की जमाराशि बंद करने तथा खोलने के लिए ग्राहक के पंजीकृत ईमेल आईडी (शाखा व क्षे.का) को अब लेनदेन अलर्ट मेल भी भेजा जा रहा है.

एसएमएस अलर्ट निम्न के लिए भी उपयोग किया जाता है -

- एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा हिताधिकारियों को वी-नेट बैंकिंग में जोडना
- ऑनलाइन पर वी-नेट बैंकिंग एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) रीसेट किया जा सकता है
- अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ खुदरा ग्राहक को , एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा स्व-प्रयोक्ता बनाया जा सकता है
- ग्राहकों को सलाहकार एसएमएस/मेल
- जमाकर्ताओं को बंद करने के बारे में एसएमएस

(xiii) वी ज्ञानसागर:

वी ज्ञानसागर विजया बैंक द्वारा जनता के लिए वित्तीय साक्षरता के भाग के रूप में वित्तीय जानकारी प्रदान करने की एक अनूठी पहल है. वी ज्ञानसागर आंड्राय्ड मोबाइल अनुप्रयोग है, जो ग्राहक को वित्तीय, आर्थिक और बैंकिंग विषय पर दैनिक अद्यतन प्राप्त करने की सुविधा तथा वित्तीय और बैंकिंग शब्दों की व्याख्या प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है.

(xiv) वी अबैकस :

एक मिस कॉल देकर खाता खोलना और टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा कार्यांवित की गई है.

जो ग्राहक शाखा में आकर खाता नहीं खोल सकते, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी है.

(xv) वी क्विकपे :

वी क्विकपे हमारे बैंक की एक अनूठी पहल है और अगली पीढ़ी की बिल भुगतान सेवा है, जहां क्यूआर कोड की स्कैनिंग द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है. ग्राहक को हमसे इस सुविधा का लाभ उठाए व्यापारियों द्वारा सृजित बिल के क्यूआर कोड का स्कैन करना है तथा पीओएस मशीन पर क्रेडिट / डेबिट कार्ड स्वाइप किए बिना बिल के भुगतान करना है. इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा और किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करने की सुविधा है.

(xvi) वी ऑनलाइन बचत बैंक खाता:

हमारी वेबसाइट 'www.vijayabank.com' द्वारा ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने का विकल्प पेश किया गया था.

ग्राहक खाते खोलने के लिए अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद का स्थान चुनना है. ग्राहक के अनुरोध के संबंध में शाखा एक स्वचालित मेल प्राप्त करती है; शाखा ग्राहक को बुलायेगी और आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सूचित करेगी. ग्राहक अपने द्वारा चुने दिनांक पर शाखा का दौरा करेंगे तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाता खोलते हैं.

(xvii) आंतरिक नियंत्रण

बैंक ने आईटी व आईएस सुरक्षा, इन्टरनेट बैंकिंग नीति, आईटी खरीद नीति, इंटरनेट उपयोग नीति, ई-मेइल नीति, कारोबार निरंतरता नीति, डिसास्टर रिकवरी नीति, औटसोर्सिंग नीति जैसी नीतियों पर दस्तावेज़ तैयार कर लिए हैं जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र स्तर व प्रशासनिक स्तर के कार्य शामिल हैं. इस प्रकार के प्रत्येक कार्यों से जुडे जोखिमों को दूर करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण भी तैयार किए गए हैं. वर्ष 2017-18 के दौरान आईटी नीति व आईएस नीति संशोधित की गयी. आईएस सुरक्षा के एक भाग के रूप में घटना प्रबंधन, भेद्यता व पेनट्रेशन परीक्षा के लिए भी नीतियाँ तैयार की गई है.

(xviii) सुरक्षा परिचालन केंद्र

बैंक ने सुरक्षा सूचना व घटना प्रबंधन समाधान (एसआईईएम) एवं सह-संबंध टूल सहित सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित किया,जो आक्रमण को क्रियात्मक रूप से रोकने/प्रशमन करने में बैंक को मदद कर रहा है. हमारे बैंक ने सामान्य आरएफपी के तहत भारत सरकार की नयी पहल के अनुसार सुरक्षा परिचालन केंद्र के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों के लिए सामान्य अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है तथा उक्त परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है. इस परियोजना के भाग के रूप में, हमारे बैंक के सुरक्षा बुनियादी को मजबूत करने के लिए हमारे बैंक ने निम्नरलिखित समाधान प्राप्तर किया है, जो कार्यान्वनयन के अंतर्गत है :

1. वेब एप्लिकेशन फायरवाल
2. डाटाबेस गतिविधि निगरानी समाधान
3. नेटवर्क विश्लेषण समाधान
4. विशेषाधिकृत पहचान प्रबंधन समाधान
5. विरोध उन्नत निरंतर खतरा समाधान
6. आईटी गवर्नेन्स, जोखिम व अनुपालन

(xix) एनएसीएच (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कार्पोरेट तथा सरकार के लिए इंटरबैंक, अधिक मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन जो दोहराव और आवधिक प्रकृति में हैं, को सुविधाजनक बनाने के लिए वेब आधारित समाधान का कार्यान्वित किया है. एनएसीएच परियोजना के लिए आधार-मापर व ओएमसी डीबीटीएल (विकल्प्-2) फाइल का जेनरेशन के लिए स्वचलित प्रकिया कार्यान्वित किया है.

(xx) आपदा उद्दार

बैंक ने एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली व एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करके कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत किया है. आईटीएमएस परियोजना मुंबई में डीआर सेटअप की स्थापना के साथ सभी उद्देश्यों को पूरा किया है. एचआरएमएस भी मुम्बई में डीआर सेटअप की स्थापना के साथ सभी उद्देश्यों को पूरा किया है.

(xxi) सॉफ्टवेयर टोकन

विजया बैंक ने दोहरी प्रमाणीकरण (2एफए) के अतिरिक्त उपाय के रूप में सॉफ्टवेयर टोकन (एनईएक्यूएस टीआरयूआईडी) की शुरूआत की है. सॉफ्ट टोकन एक मोबाइल अप्लीकेशन (एनईएक्यूएस टीआरयूआईडी) है जो विजया बैंक इंटरनेट बैंकिंग में लेनेदेन के प्रमाणीकरण के लिए एसएमएस ओटीपी के बदले में एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) सृजित करता है. यह तत्क्षण ओटीपी सृजित करता है और एसएमएस ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त करता है. मोबाइल अप्लीकेशन एनईएक्यूएस टीआरयूआईडी आपके मोबाइल को अनाधिकृत रूप से रखने वाले व्यक्ति द्वारा इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए पिन संरक्षित है.

(xxii) हार्डवेयर टोकन:

बैंक उच्च मूल्यवान कॉर्पोरेट ग्राहकों को हार्डवेयर टोकन प्रदान कर रहा है, जो बटन पर सिर्फ एक क्लिक से हार्डवेयर टोकन पर ओटीपी उत्पन्न कर सकते हैं. लाभार्थी परिवर्धन, निधि आंतरण इत्यादि के लिए ओटीपी का उपयोग किया जा सकता है.

(xxiii) बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली)

बीबीपीएस वी-मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पेश किया जा रहा है और बीबीपीएस के भाग के रूप में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं.

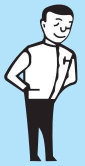

- सिस्टम किसी भी समय कहीं भी सुलभ है, जिससे ग्राहकों के लिए यह सुविधाजनक होता है
- स्पॉट भुगतान पुष्टिकरण पर सिस्टम आसानी से सत्यापन योग्य बनाता है
- ग्राहक केवल बीबीपीएस नेटवर्क से कनेक्ट करके, ऑनलाइन या एजेंटों के माध्यम से किसी भी समय कहीं भी बिलों के भुगतान की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं
- बैंक शाखाएं, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र, आदि, बीबीपीएस का आउटलेट हो सकते हैं, ग्राहक किसी भी बीबीपीएस आउटलेट से भुगतान कर सकता है
- इस प्रणाली के उपयोग के साथ ग्राहकों में सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान की जा सकती है

(xxiv) भारत क्यूआर – वीपेक्विक मर्चेंट एपीपी

भारत क्यूआर के लिए उपयोगकर्ता प्रक्रिया प्रवाह निम्नानुसार है:

- यह सुविधा ग्राहक को वीपेक्विक ऐप खोल देगा और भारत क्यूआर वेतन विकल्प का चयन करेगा
- इस विशेषता में ग्राहक को व्यापारी के क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा है
- क्यूआर कोड स्कैनिंग से व्यापारी का नाम और आईडी जैसे व्यापारी जानकारी प्रदर्शित होती है
- ग्राहक, राशि भर सकते हैं और लेनदेन कर सकते हैं
- ग्राहक के वीपेक्विक वॉलेट से राशि डेबिट कर दी जाएगी और संबंधित व्यापारी अधिग्रहणकर्ता को अनुरोध भेजा जाएगा
- व्यापारी, वीजा / मास्टर / रुपे / वीपेक्विक के हो सकते हैं
- यदि लेनदेन ऑनअस ओएनयूएस लेनदेन है, तो यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सुलझाया जाएगा और सफल प्रतिक्रिया ग्राहक और व्यापारी को भेजी जाएगी
- यदि लेनदेन ऑफअस लेनदेन है तो पीओएस लेनदेन में उपयोग की जा रही निपटान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

(xxv) भिम विजया यूपीआई क्यूआर समाधान

- ग्राहक निकटतम किराने की दुकान या किसी पेट्रोल बंक एचपीसीएल में भुगतान करने के लिए भिम विजया यूपीआई का उपयोग करता है
- खरीद के बाद, किराने की दुकान के मालिक ग्राहक को स्थिर क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए मांग कर सकते हैं या यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान विवरण के साथ पीओएस एप्लिकेशन का उपयोग कर एक गतिशील क्यूआर कोड उत्पन्न कर सकते हैं
- ग्राहक मोबाइल पर यूपीआई एप्लिकेशन खोलता है और पीओएस डिवाइस पर क्यूआर कोड या पीओएस द्वारा मुद्रित बिल पर या मर्चेंट आउटलेट पर प्रदर्शित स्थिर क्यूआर स्कैन करता है
- यूपीआई एप्लिकेशन ग्राहक को क्यूआर से सभी मूल्यों को पहले से भरे भुगतान स्क्रीन पर सीधे पहुंचाता है
- ग्राहक स्क्रीन पर प्रदर्शित सभी जानकारी सत्यापित करता है तथा भुगतान को पूरा करने के लिए और भुगतान पूरा करने के लिए भुगतान पर क्लिक करता है
- व्यापारी और ग्राहक दोनों तुरंत पुष्टि प्राप्त करते हैं

(xxvi) एटीएम

अपने विशाल विस्तार वाले ग्राहक आधार और भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष 2017-18 के दौरान 154 नए एटीएम खोले है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर दर्ज की गई थी. इसके साथ मार्च 2018 के अंत में कुल एटीएम की संख्या 2155 तक बढ गई. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के सभी मौजूदा एटीएम तथा नए स्थापित एटीएम को `200 मूल्य के नए मुद्रा के लिए कैलिब्रेट करना पडा और कैलिब्रेशन प्रक्रियाधीन है. विमुद्रीकरण के बाद, बैंक ने मोबाइल एटीएम वैन खरीदी और इसे चालू कर दिया, जो कि बेंगलूरू शहर और आसपास के शहरों में और आसपास के सार्वजनिक स्थानों जैसे प्रदर्शनियों, मेला (उदाहरण के लिए डिजिटल धन मेला) आदि पर सफलतापूर्वक ग्राहक की नकदी जरूरतों को पूरा करता है. यह सेवा ग्राहकों की सेवा के लिए उच्च स्तर की लचीलेपन प्रस्तुत करता है. बैंक ने अपने सीएसआर गतिविधियों के प्रत्येक सफल वित्तीय लेनदेन के लिए ` 0.50 साझा करके एक सामाजिक कारण के लिए बैंक को अपने समकक्ष बैंकों से एक कदम आगे बढ़ाया, जो सार्वजनिक रूप से हमारे बैंक के एटीएम को चुनने के लिए एक और बेहतर कारण जोडा. इससे जनता के बीच बैंक के ब्रांड नाम और छवि को बढ़ाने में मदद मिली. प्रति ग्राहक के लिए लागत तथा एटीएम का संचालन का समय कम करके

एटीएम की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी ऑनसाइट एटीएम को तद्नुरूपी एटीएम को लाभ केंद्र के रूप में बनाते हुए, सीआरए (नकद प्रतिपूर्ति एजेंसी) से मूल शाखा को वापस लाए गए है. बैंक अपने सभी एटीएम पर अच्छी माहौल बनाए रखने के लिए भी सावधानी बरतते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए सभी आवश्यक मार्गदर्शन और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ इसे साफ और सुव्यवस्थित रखा जा सके जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है.

(xxvii) आरटीजीएस एवं एनईएफटी सेवाएं

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग समाधान के अधीन लाने के जरिए अब बैंक के ग्राहकों को आरटीजीएस व एनईएफटी सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है. चूँकि एसटीपी को आरटीजीएस व एनईएफटी में सक्षम किया गया है इसलिए ग्राहक तुरंत अंतर बैंक व बैंक के अंदर भी तुरंत निधि अंतरण सेवा का लाभ उठा सकते हैं. केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे कि तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए संप्रति सिर्फ सीधी सदस्यता उपलब्ध है. भा.रि.बैं. ने एनईएफटी तथा आरटीजीएस प्रणालियों में भाग लेने हेतु उप-सदस्यता मार्ग को सभी लाइसेंसीकृत बैंकों को विस्तार करने का निर्णय लिया है. उप-सदस्य केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अपने प्रायोजक बैंक के जरिए भाग लेंगे, जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के सीधे सदस्य हैं. बैंक ने शिम्षा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर तथा लोकपावनी महिला सहकारी बैंक, मंड्या के साथ हमारी आरटीजीएस/एनईएफटी सेवाओं को उप-सदस्यों के रूप में प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की है.

(xxviii) आईएमपीएस :

मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यबम से पूरे भारत में बैंकों के भीतर धन अंतरण के लिए आईएमपीएस एक प्रबल उपकरण है, यह केवल सुरक्षित नहीं मगर दोनों वित्तीय तथा गैर वित्तीय परिप्रेक्ष्य में किफायती भी है. यह सेवा 24×7 उपलब्ध है, रविवार व किसी भी बैंक अवकाश सहित सालभर है. आईएमपीएस प्रणाली ग्राहकों को मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेनदेन करने देता है और वी-मोबाइल व वी-नेट बैंकिंग के जरिए सभी ग्राहकों को उसी का प्रस्ताव रखता है.

(xxix) व्यापारी नामांकन:

डिजिटलीकरण अपनाने के साथ, हमारे बैंक ने बड़ी संख्या में व्यापारियों को नामांकित किया है और वर्ष के दौरान 4224 मशीनें स्थापित की हैं. 2017-2018 के वित्तीय वर्ष के अंत में स्थापित मशीनों की कुल संख्या 9359 है, जबकि 31.03.2017 में मशीनों की संख्या 5135 थी. बैंक ताररहित कार्ड स्वाइपिंग मशीन प्रदान कर रहा है और टर्मिनल ईएमवी / यूकेपीटी / टीएलई के अनुरूप हैं. हमारी सभी पीओएस मशीन आधार सक्षम हैं.

(xxx) क्रेडिट कार्ड

वित्तीय वर्ष के अंत में, बैंक द्वारा जारी किए गए कुल कार्ड 61246 थें. 31/03/2018 को क्रेडिट कार्ड की कुल रकम ` 1564.70 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के ` 993.49 करोड़ के कारोबार की तुलना में 58 % की वृद्धि है. कार्डधारकों को बेहतर और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रेडिट कार्ड ग्राहक पोर्टल, कार्ड लेनदेन के लिए ईएमआई विकल्प जैसी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली में माइग्रेट किए गए थे. लेनदेन देखने, विवरण उत्पन्न करने, पिन उत्पन्न करने आदि के लिए ग्राहक पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है.

एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए एक नई पीढ़ी विजया बैंक क्रेडिट कार्ड मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है. ऐप का उपयोग कार्ड का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के उपयोग को अवरुद्ध / अनवरोधित करने, मेन और ऑड ऑन कार्ड के लेनदेन को देखने विवरण सृजित करने, सेवा अनुरोध इत्यादि के लिए किया जा सकता है.

बैंक ने उच्च मूल्य के रुपे प्लैटिनम और सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू किया है. रुपए क्रेडिट कार्ड में मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज सुविधा, विभिन्न छूट प्रस्ताव और `10 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज है.

हमारी शाखाओं के लिए क्रेडिट कार्ड आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है और इससे तेज़ी से क्रेडिट कार्ड जारी की जाने की सुविधा होती है.

(xxxi) डेबिट कार्ड

बैंक वीसा और रुपे दोनों के सहयोग से डेबिट कार्ड जारी करता है. भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को हमारा समर्थन देने के अनुक्रम में, हमारे बैंक ने हमारे ग्राहकों के बीच भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ब्रांड रुपे डेबिड कार्ड बढ़ावा देने का प्रबुद्ध निर्णय लिया है. बैंक हमारे उच्च निवल संपत्ति वाले ग्राहकों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी जारी कर रहा है और रुपे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटिनम डेबिट कार्ड को शुरू करने की प्रक्रिया में भी है.

हमारा डेबिट कार्ड व प्रीपेड कार्ड कारोबार में गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 33.79% की बढ़ोतरी हुई है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डेबिट कार्ड की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2016-17और 2017-18 में जारी किए गए डेबिट कार्डों के विवरण नीचे दर्शाया गया हैः

जारी किए गए डेबिट कार्ड	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल डेबिट कार्ड	9,51,518	14,46,281
प्रमंजधयो खातों को जारी डेबिट कार्ड	46,024	57,556
प्रमंजधयो खातों को जारी डेबिट कार्ड को छोड़कर डेबिट कार्ड की कुल संख्या	9,05,494	13,88,725

(xxxii) डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन

कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, बैंक के दौरान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन सुविधा शुरू की है. ग्राहक इस सुविधा के माध्यम से तत्काल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए पिन जेनरेट कर सकते हैं.

(xxxiii) जीएसटी के लिए पर्यवेक्षण और संग्रह

बैंक ने ग्राहकों द्वारा जीएसटी चालान संग्रह और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी शुल्क संग्रह की सुविधा के लिए सुविधा लागू की है. बैंक ने तमिलनाडु महानिरीक्षक पंजीकरण (टीएनआईजीआरएस), असम राज्य कर संग्रह और राजस्थान ऑनलाइन भुगतान के लिए राज्य कर संग्रह भी लागू किया है.

11. आंतरिक निरीक्षण व नियंत्रण प्रणाली

बैंक में सुपरिभाषित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति है, जिसमें जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा,एएमएल/केवाईसी अनुपालन, आदि शामील है. कार्यपालक की लेखापरीक्षा समिति व मंडल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा व नियंत्रण कार्य का की देखरेख करती है सकारात्मिक और समय पर मध्यंक्षेप के साथ प्रभावी प्रणाली का कार्यान्वयन तथा विकास में बैंक को मार्गदर्शन करती है.

देश के विभिन्न स्थानों में स्थित 10 क्षेत्रीय निरीक्षणालय, सांविधिक व नियामक आवश्यकताओं के अनुसार शाखाओं तथा कार्यालयों द्वारा नीति व प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण, प्रस्तुत प्रणाली का अनुपालन की जांच करता है. 2017-18 के दौरान, सभी 1443 शाखाओं / इकाईयों में आरबीआईए संचालित किया गया और 88% लेखापरीक्षित शाखाएं 'कम जोखिम' पाई गई है. 10 वां क्षेत्रीय निरीक्षणालय वर्ष के दौरान लखनऊ में उद्घाटित किया गया.

आरबीआईए, निरंतर आधार पर अधिक जोखिम और विशेष शाखाओं के समवर्ती लेखापरीक्षा के साथ पूरक बना है. वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 50% के प्रति, 437 शाखाएं / कार्यालय समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किए गए थें, जो बैंक के कारोबार के 80% थे.

सभी सेवा शाखाओं और खुदरा आस्ति केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (आरएसीपीसी) का सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा सीआईएसए योग्य अधिकारियों द्वारा की गई थी. बैंक के कर्मचारियों द्वारा 27 आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था. इसके अलावा, सीआईएसए / डीआईएसए योग्य सनदी लेखाकारों से युक्त समवर्ती लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा 9 आउटसोर्स वित्तीय गतिविधियों की लेखा परीक्षा हमारे बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और यह कार्य तुरंत पूर्ण होगा. जांच व संतुलन में सुधार व देखरेख मजबूत करने के लिए बैंक ने प्रणाली निर्वाह लेखापरीक्षा का भी प्रारंभ किया है. वर्ष के दौरान 150 शाखाओं में निर्वाह लेखापरीक्षा की गई है. आगे, 111 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

(i) वेब आधारित लेखापरीक्षा (ईआरबीआईए)

बैंक ने 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी वेब आधारित लेखापरीक्षा (ईआरबीआईए) कार्यान्वित किया है. ई-आरबीआई के तहत, लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया, जैसे कि लेखा परीक्षा योजना, आंतरिक लेखा परीक्षकों को शाखाओं का आबंटन, कार्य दिवस का निर्धारण, लेखापरीक्षा का वास्तविक संचालन, कारोबार के तहत मैट्रिक्स स्कोरिंग, नियंत्रण और समग्र जोखिम, शाखाओं का जोखिम मूल्यांकन, विस्तृत आरबीआई रिपोर्ट की तैयारी, खाता-वार विचलन और विचलन-वार खातों की पहचान, संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, टिप्पणियों में सुधार, अंतिम सुधार प्रमाण पत्र (एफआरसी) की प्रस्तुती सिस्टम-आधारित हैं. यह अत्यधिक डेटा / ऑडिट अखंडता और कार्यदिवस में महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करेगा. चूंकि वेब आधारित लेखापरीक्षा ऑन-लाइन लेखापरीक्षा है, टिप्पणियों के तत्काल हाजिर सुधार हेतु सभी संबंधितों द्वारा तत्काल आधार पर लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण किया जा सकता है. सभी क्षेत्रीय निरीक्षणालय के

अधिकारियों, शाखा प्रमुखों, एबीएम और क्षे.का. स्तर पर निरीक्षण विभाग संभालने वाले अधिकारियों के लिए वार्षिक रूप से प्रशिक्षण दिए गए हैं और सभी नई प्रगति(यदि कोई हो तो) को कार्यक्रम में शामिल की गई है.

वर्ष 2017-2018 के लिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआईए के संचालन के लिए ठेके के आधार पर बैंक ने स्केल खत तक के हमारे भूतपूर्व अधिकारियों / कार्यपालकों को आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है. हमारे नियमित आंतरिक निरीक्षक शाखाओं / कार्यालयों के लेखा परीक्षा के लिए इन आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ होंगे. एचओसी 17079 में सूचित मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सभी आंतरिक निरीक्षकों के लिए कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन किया जा रहा है.

(ii) वेब आधारित लेखा परीक्षा (समवर्ती):

बैंक ने 1 जुलाई 2017 से वेब आधारित लेखा परीक्षा (समवर्ती) शुरु की है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 50% के प्रति बैंक के कुल कारोबार के 80% से अधिक को कवर करने वाली जमा राशि और अग्रिमों जैसे व्यापार मानकों के अनुसार बैंकों को वार्षिक आधार पर शाखाओं को चुना जाता है. आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्दे शों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षकों का चयन वार्षिक आधार पर किया जाता है. सीआईएसए / डीआईएसए योग्य चयन समवर्ती लेखा परीक्षकों की चयन प्रक्रिया हर साल मई महीने में शुरू होती है और 15 जून से पहले समाप्त होती है और लेखा परीक्षकों का चयन 1 जुलाई से 30 जून तक की 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा. समवर्ती लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन वार्षिकआधार पर क्षे.का. और क्षे.नि. द्वारा किया जा रहा है. इसके तहत, शाखाओं में हर महीने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया की जाती है. सभी 'उच्च जोखिम' शाखाएं, सेवा शाखाएं, सभी सीबीबी, आरएसीपीसी और चयनित प्र.का. विभाग समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होंगे.

(iii) नियंत्रण इकाई

प्रका व क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण इकाई, 87 प्रमुख अलर्ट संकेतकों के अंतर्गत ग्राहक के लेनदने की निगरानी करता है. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण इकाई के नोडल अधिकारियों तथा शाखाओं के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालय में नियंत्रण व समीक्षा प्रकिया पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.

(iv) नियंत्रण इकाई रिपोर्ट पोर्टल

बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा एवं पर्यवेक्षण विभाग के ऑफसाइट निगरानी कक्ष के लिए 82 विभिन्न रिपोर्टों को बनाया है जहां कक्ष प्रारंभिक अवस्था में धोखाधड़ी और आय रिसाव की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के आधार पर आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर सकता है.

12. धोखाधडी निगरानी एवं सतर्कता

(i) धोखाधडी निगरानी कक्ष :

बैंक में एक स्वतंत्र धोखाधडी निगरानी कक्ष है, जो धोखाधडी – वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान `31.02 करोड़ मूल्य के 19 धोखाधडी भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए हैं. `1 लाख एवं उससे अधिक मूल्य के सभी धोखाधडी के मामलों को कार्यप्रणाली व प्रणाली में कमी यदि कोई हो तो, के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से विश्लेषित किए गए और समय पर भा.रि.बैं. को प्रस्तुत किए गए. ऐसे सभी धोखाधडी के मामलों के संबंध में पुलीस/सीबीआई मुकदमा दर्ज किए जाते हैं. ` 1लाख से अधिक मूल्य के धोखाधडी के मामले मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तथा मंडल के अनुदेश/दिशानिर्देश को कार्यान्वित किया जाता है. धोखाधडी के मामले की तिमाही समीक्षा मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है. `1करोड़ से अधिक के बडे मूल्य के धोखाधडीयों की समीक्षा आवधिक अंतराल पर मंडल की विशेष समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है. सभी धोखाधडी के मामलों में नवीनतम स्थिति/प्रगति के संबंध में त्रैमासिक आधार पर भा.रि.बैं को रिपोर्ट की जाती है. धोखाधडी रोकथाम के उपाय तथा प्रणाली में सुधार पर आवधिक दिशानिर्देश/ अनुदेश जारी किए जाते हैं.

धोखाधड़ी के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग पर 19.04.2017 मुंबई में अधीनस्थ विधान पर समिति, राज्यसभा पर एक अध्ययन दौरा किया गया और बैंक ने उक्त बैठक में भाग लिया है.

(ii) सतर्कता एवं सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग की अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं जो अब पंजाब एण्ड सिंध बैंक से प्रतिनियुक्त पर है. सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार करता है. इसके अतिरिक्त,

सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपाय पर ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों (एफवीओ) द्वारा शाखाओं और नियंत्रण कार्यालयों का यादृच्छिक सतर्कता निरीक्षण भी करता है. आंतरिक सॉफ्टवेयर विजिलेंस वन के जरिए निवारक सतर्कता निरीक्षण आयोजित किया जा रहा है. बेहतर निवारक सतर्कता तंत्र को अपनाने के लिए हमारे पास निम्न सूचित हैं कि

- ऋण और अग्रिम, कार्यालय लेखा, कर्मचारी से संबंधित मामलों, व्यय शीर्ष और नकदी संबंधी मामलों, आदि के क्षेत्र में पोर्टल के अनुकूलित सवाल टेम्पलेट्स.
- शाखा के जोखिम मापदंडों के आधार पर शाखा निरीक्षणों की प्राथमिकता को अनुकूलित किया गया है.

जांच के आदेश की शुरुआत से लेकर अंतिम आदेश जारी करने तक जांच की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए सतर्कता विभाग की पहल में विकसित आंतरिक सॉफ्टवेयर का लाइव परीक्षण आंतरिक पर्यवेक्षण और सतर्कता विभागों द्वारा पूर्ण हुआ है. सॉफ्टवेयर के परीक्षण का अंतिम चरण कार्मिक विभाग (आईआरडी) द्वारा प्रक्रियाधीन है.

हमने सामान्य जनता से सतर्कता से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए अपने बैंक के मानक लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) पोर्टल को भी अनुकूलित किया है. शिकायत दर्ज करने के लिए जॉब कार्ड भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि सतर्कता शिकायतों को दर्ज करने के लिए आम जनता की सुविधा हो सके. यह पोर्टल बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट में उपलब्ध कराया जाता है.

निवारक सतर्कता के हिस्से के रूप में, सतर्कता मामलों पर सभी स्टाफ सदस्यों को आवधिक अंतराल पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं.

सीवीसी के निदेशों के अनुसार, बैंक द्वारा 30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. हमने 2152 जागरूकता ग्रामसभा का आयोजन किया है तथा स्टाफ सदस्यों और बैंक के विभिन्न ग्राहकों द्वारा 104242 ई-प्रतिज्ञा/सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई. 3 नवंबर, 2017 को मंचनायकनहल्ली ग्राम, रामनगर जिला में एक जागरूकता ग्राम सभा की व्यवस्था की गई, जिसमें सीवीसी के अधिकारियों, बैंक के शीर्ष अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी और अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, मंचनायकनहल्ली ने भाग लिया. ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सत्यनिष्ठा शपथ, वित्तीय साक्षरता केंद्र और वित्तीय समावेशन के लिए स्टाल खोले गए. 41 कालेजों में 6892 छात्रों के लिए तथा 90 स्कूलों में 11850 छात्रों के लिए निबंध लेखन, भाषण, चित्रलेखन, चर्चा कार्यक्रम और क्विज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. बैंगलूर में 03 नवंबर, 2017 को एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग और बैंक के शीर्ष प्रबंधन के कार्यपालकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.

13. अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है तथा नीति में निदेशित अनुसार कार्य करता है. अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो उप महा प्रबंधक स्तर के है. प्र.का. के सभी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में अनुपालन अधिकारियों को पहचानित किया गया है.

अनुपालन के महत्व पर प्रतिभागियों को शिक्षित करने के लिए सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र आवंटित किया गया है. सभी द्वितीय पंक्ती के कार्यपालकों / क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों के लिए अनुपालन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी. अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि वह भारत सरकार, भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा अन्य विनियामकों द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही में अनुपालन परीक्षण किया जाता है. अनुपालन पहलुओं पर त्रैमासिक और वार्षिक समीक्षा मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है. अनुपालन जोखिम का आकलन करने के लिए 354 अनुपालन मानदंड पहचानित किया गया है. अनुपालन विभाग, प्र.का. विनियामकों को समय पर विवरणियों की प्रस्तुती की निगरानी भी करता है तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

(i) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारक (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम (सीएफटी)

बैंक ने काले धन को वैध बनाने या आतंकवादी वित्तीपोषण गतिविधियों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से बैंक को रोकने के उद्देश्य से केवाईसी, एएमएल और सीएफटी पर एक व्यापक नीति तैयार की है. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया व प्रणाली अपनाई गई हैं कि गुमनाम/फर्जी नाम या आपराधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्तियों द्वारा और/या आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा खाता नहीं खोला गया है. तैयार रेकनर और एकल बिंदु संदर्भ के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए मानक के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका' निकाली है.

बैंक ने ई-लर्निंग पोर्टल खोला है जिसमें एफएक्यू के साथ केवाईसी/एएमएल पर विस्तृत परस्पर संवाद सत्र भी शामिल है. केवाईसी मानदण्डक व एएमएल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की आंतरिक निरीक्षक तथा समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है निर्धारित आवधिकता के अनुसार, सिस्टम सृजित रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को प्रस्तुत करना है.

(ii) केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर)

बैंक ने केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री(सीकेवाईसीआर) कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए है, जिसमें सभी व्यक्तिगत ग्राहकों के केवाईसी विवरण ले सकते हैं तथा पता साक्ष्य,आईडी साक्ष्य, फोटो तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रतियों के साथ सीईआरएसएआई में अपलोड कर सकते हैं तथा 14 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या ग्राहक को दी जाएगी.

(iii) जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान चयनित बैंकों में लेनदेन-परीक्षण दृष्टिकोण (सीएएमईएलएस) की जगह को अनुपालन-आधारित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का प्रतिस्थापन किया है. आरबीएस में, बैंक के विकास प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते है. मार्च 2015 से हमारा बैंक आरबीएस ढांचे से जुडा है. मुख्यतः अनुपालन स्तर और प्रणाली और नीतियों का अनुपालन पर केन्द्रित है. बैंकिंग उद्योग में उभरते जोखिमों के आधार पर आवश्यकताओं को गतिशील रूप से बदलने की उम्मीद है. पर्यवेक्षक द्वारा एकत्रित किए गए डेटा में गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा शामिल हैं और व्यापक रूप से सभी जोखिम पहलुओं को कवर करने की अपेक्षा की जाती है.

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया ऑफसाइट निगरानी पर जोर देती है और इसीलिए यह डेटा बेहद सघन है.

बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और सूचना के ऑफसाइट विश्लेषण के आधार पर और साथ ही पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑनसाइट निरीक्षण का निष्कर्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत किया गया है. जोखिम और पूंजी मूल्यांकन (एसपीएआरसी) के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम के तहत बैंक की निगरानी की जा रही है.

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जो 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ. यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को पाने / तक पहुंचने का हक प्रदान करता है. प्रशासन में तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक मामले में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना ही इसका उद्देश्य है.

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सभी शाखा प्रबंधकों को सहायक जन सूचना अधिकारी, सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों की दूसरी पंक्ति के कार्यपालकों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपील प्रधिकारियों के रूप में पदनामित किया है. प्र.का. में उप महा प्रबंधक को जन सूचना अधिकारी तथा महा प्रबंधक को अपील प्रधिकारी के रूप में पदनामित किया है. समग्र बैंक में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 33 कार्यालयों को क्रमानुसार जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर वर्तमान जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक/आपात स्थिति में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी और एक वैकल्पिक अपील प्राधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाती है. वर्ष 2017-18 के दौरान, इस सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बैंक को ......725.... आवेदन व ....161...अपील प्राप्त हुए व निपटाए गए.

14. मानव संसाधन विकास

(i) श्रमशक्ति

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2017 के 15679 की तुलना में मार्च, 2018 में 16079 रही. कुल स्टाफ में से, 8410 अधिकारी, 5172 लिपिकीय कर्मचारी, 2497 कर्मचारी अधीनस्थ संवर्ग में है. मार्च 2018 के अंत तक महिला कर्मचारियों की संख्या 4479 रही जिसमें 2403 अधिकारी और 2076 एवार्ड स्टाफ हैं. मार्च 2018 के अंत

तक विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) वर्ग में 342 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 976 कर्मचारी रहे.

(ii) भर्ती

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने, की गई भर्ती के कुल 1154 संख्या 2 में से 548 अधिकारियों तथा 597 लिपिकों और अधीनस्थ संवर्ग में 09 कर्मचारियों की भर्ती की.

(iii) पदोन्नतियां

वर्ष 2017-18 के दौरान की गयी पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	से पदोन्नति	तक पदोन्नति	कुल पदोन्नत
1	उ.का.श्रे.वे VI	उ.का.श्रे.वे- VII	2
2	व.प्र.श्रे.वे-V	उ.का.श्रे.वे- VI	9
3	व.प्र.श्रे.वे-IV	व.प्र.श्रे.वे-V	34
4	म.प्र.श्रे.वे-III	व.प्र.श्रे.वे-IV	84
5	म.प्र.श्रे.वे-II	म.प्र.श्रे.वे-III	106
6	क.प्र.श्रे.वे-I	म.प्र.श्रे.वे-II	218
7	लिपिकीय	क.प्र.श्रे.वे-I	310
8	अधीनस्थ कर्मचारी	लिपिक	113

डीओपीटी, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, ''ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए पदोन्नति के मामले में 3 प्रतिशत की रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से (1) अंधापन या कम दृष्टि (2) सुनने में क्षीणता और (3) हरकत की दिव्यांगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीडित व्यक्तियों को हरेक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पद में प्रत्येक 1 प्रतिशत आरक्षित है''.

उपरोक्त के अतिरिक्त, जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में, समान रोजगार अवसर को बढावा देने और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के विधिसम्मत कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस प्रकार से प्रेरणा प्रदान करने के लिए हमारे बैंक ने नई पदोन्नति नीति तैयार की है, यह नीति बैंकिंग उद्योग में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए पहला अवसर है. नई शुरू की गई पदोन्नति नीति में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट है, जिससे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को अपना कैरियर में आगे बढने में सहायता मिलेगी. वर्ष 2017-2018 के दौरान 06 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग से कप्रश्रे वेतनमान-1 में पदोन्नत किया गया है.

(iv) कर्मचारी तथा शाखा उत्पादकता

तिमाही औसत प्रति कर्मचारी कारोबार यथा 31.03.2017 को ₹15.51 करोड़ से यथा 31.03.2018 को ₹18.10 करोड़ तक बढा. प्रति शाखा कारोबार यथा 31.03.2017 को ₹113.22 करोड़ से यथा 31.03.2018 को ₹129.20 करोड़ तक बढा.

(v) प्रशिक्षण

बैंक में प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसे को अतिरिक्त सक्षम श्रमशक्ति और आवश्यक संरचना के जरिए सुदृढ किया गया है. कर्मचारियों को अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने तथा अधिक स्पर्धात्मक, प्रौद्योगिकी उन्मुख, ग्राहक केंद्रित बैंकिंग वातावरण में अच्छी तरह निष्पादन करने तथा उसे बनाए रखने हेतु पाठ्यक्रमों को सुधारा गया है. बैंक अपने कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से ऋण, फॉरेक्स, खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन, आदि क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिलवा रहा है.

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 14710 विभीन्न संवर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया है. इसमें से 13228 कर्मचारियों को बैंक की अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया तथा 1482 समुद्रपारीय संस्थ्ाओं सहित प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थांओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारी

मार्च 2018 के अंत तक कुल 16079 स्टाफ में से 3252 अनुसूचित जाति वर्ग, 1236 अनुसूचित जनजाति वर्ग और 4042 अन्य पिछडे वर्ग के हैं.

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. प्रधान कार्यालय में अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन कार्यरत है.

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करके उन पर तुरंत निवारक कार्रवाई की जाती है. मुख्य संपर्क अधिकारी अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ व उनके प्रतिनिधियों से प्रधान कार्यालय में मिलते हैं तथा

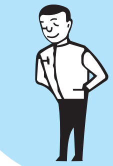

यदि कुछ शिकायत हो तो प्र.का. के संबंधित विभाग को निवारण हेतु भेज देते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रमुख/संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण करते हैं.

आगे, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधियों के बीच नियमित तौर पर तिमाही बैठक आयोजित की जाती है. इन बैठकों में, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित कोई शिकायत हो तो, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है तथा निपटाया जाता है. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है तथा प्रत्येक अभ्यावेदन पर की गयी कार्रवाई भी दर्ज की जाती है. समय-समय पर मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा रजिस्टर का निरीक्षण किया जाता है.

इसी प्रकार, सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय में ओबीसी के लिए अलग से नियुक्त मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन ओबीसी कक्ष कार्यरत है.

बैंक नियमित तौर से अ.जा/अ.ज.जा. व अ.पि.व. (अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी, लिपिक तथा वेतनमान III तक के अधिकारियों) के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है.

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए, बैंक ने प्रधान कार्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया है. समिति की तिमाही बैठकें नियमित आयोजित की जाती हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों को हल किया जाता हैं और कार्यदशा को बेहतर बनाने हेतु तथा कार्यस्थल को और अधिक सुगम बनाने के लिए उनके सुझाव और विचार मांगे जाते हैं.

हमारा बैंक दिव्यांग व्यक्ति सहित अ.जा/अ.ज.जा., अ.पि.व. व अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है.

(viii) स्टाफ संबंध

बैंक के सक्रिय एवं मानवीय दृष्टिकोण के कारण बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और बैंक के प्रबंधन तथा कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से बैंक लगातार प्रगतिशील वृद्धि दर्शा रहा है. वातावरण सकारात्मक है तथा इसका परिणाम मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निरंतर वृद्धि के रूप में प्रतिध्वनित हुआ है. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण है. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित मुद्दों के लिए कोई आंदोलन अथवा अशान्ति नहीं रही. कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित होते हैं.

(ix) खेल-कूद गतिविधियां

(क) बास्केट बॉल टीम

बैंक की बास्केटबॉल टीम में बहुत उत्तम निष्पा दन किया है. एसोसिएशन कप में वे रनर अप थे तथा मुल्कि सुंदर राम शेट्टी अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट एवं डिविजन स्टेट लीग में तीसरा स्थान हासिल किया है. श्री राजेश उप्पूर, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार प्राप्त किया है. श्री अनिल कुमार, केओए (कर्नाटक ओलंपिक संघ) का प्राप्तकर्ता और श्री अरविंद भारत और विदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं. श्री अनिल कुमार, श्री कार्तिकेयन और श्री अरविंद ने चैन्नई में आयोजित 68वें नेशनल में, कर्नाटक राज्य टीम का प्रतिनिधित्व किया हैं. श्री श्रीनिवास गौड़ा, श्री स्टालिन और श्री संजय को राज्य एसोसियेशन द्वारा चयनकर्ता और कोच के रूप में बुलाया गया था.

(ख) क्रिकेट टीम

क्रिकेट टीम ने एलेप्पी कप टी -20 जीत कर असाधारण प्रदर्शन किया है. वे प्रतिष्ठित जी 2 - प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट 2017 और टी10 बाश टूर्नामेंट बैंगलूर में रनर रहे.

श्री आर.विनय कुमार, श्री सी.एम. गौतम और श्री के. गोतम कर्नाटकने प्रतिनिधित्व किया हैं और भारतीय टीम के लिए संभावितों के रूप में नियमित प्रशिक्षण में हैं. श्री के.सी. कारियप्पा, श्री जीशान अली और श्री रोहन कदम ने कर्नाटक का प्रतिनिधित्व और नियास एन ने त्रिवेंद्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए रणजी ट्रोफी में भाग लिया.

श्री. के गौतम ने आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया.

श्री राजशेखर शांबल, श्री राघवेंद्र सी, श्री महेश, श्री संतोष कुमार और श्री अय्यप्पा के एम को राज्य एसोसियेशन द्वारा चयनकर्ता और कोच के रूप में बुलाया गया है.

(ग) कबड्डी टीम

कब्बडी टीम एक अनुकरणीय रूप में रही है और

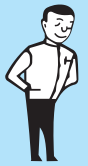

निरंतरता प्रदर्शित की है. वे मैसूर में 'ऑल इंडिया मेयर्स कप टूर्नामेंट', चन्नरायपट्टण में राज्य स्तर कबड्डी टूर्नामेंट, बेल्थंगडी में राज्य स्तर कबड्डी टूर्नामेंट के विजेता है. अखिल भारतीय कारवार टूर्नामेंट जमखंडी, बागलकोट जिले में अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट के रन्नर है.

श्री प्रशांत रै, श्री सुकेत हेग्डे, जो प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता है और श्री सचिन वी. फेडरेशन कप (रनर) के लिए चुने गए थें.

श्री दिवेश, श्री मोहम्मद इसाक, श्री रोहित मर्ला और श्री सुनील ने 10वीं बीच कबड्डी चैम्पियनशिप में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया. श्री प्रशांत रै, श्री सुकेत हेगड़े, जो टीम के स्टार कलाकार हैं, अब 18 वीं एशियाई गेम्स के लिए भारतीय प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन किए गए है. उन्होंने क्रमशः गुजरात फॉर्च्यून जैंट्स (कैप्टन) और हरियाणा स्टीलर्स का प्रो कबड्डी 2017 प्रतिनिधित्व किया है.

(x) स्टाफ कल्याण उपाय

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निवल लाभ के 3%, अधिकतम `15.00 करोड़ तक की राशि को बैंक के कर्मचारियों के कल्याण हेतु आबंटित किया जाना है.

बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं हैं जैसे

1. कैंटीन अनुदान
2. समाचार पत्र प्रतिपूर्ति
3. वार्षिक स्वास्थ्य जांच
4. प्र.का. में स्वास्थ्य क्लीनिक
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वीआरएस विकल्पी जिन्होंने 60 साल की आयु पूरी की है, को वार्षिक चिकित्सा सहायता
6. रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना
7. माइलस्टोन पुरस्कार प्रदान करना
8. अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए लैप-टॉप प्रदान करने की नयी योजना
9. स्टाफ सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नकद प्रोत्साहन
10. वी-शक्ति, वी-सुबोधिनी, वी-प्रगति के अधीन बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना
11. विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए डायग्नोलस्टिक (निदानार्थ) परीक्षण की प्रतिपूर्ति
12. महिला कर्मचारियों के लिए 3 साल तक के बच्चों के लिए क्रेच भत्ते की प्रतिपूर्ति
13. बैंक की महिला अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए साडी / सलवार कमीज की खरीद हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति

निवल लाभ के मूल निर्धारित निधि के 3% से अपनाई गई उपरोक्त कल्याण योजनाओं के अलावा, सेवानिवृत्ति सभी पू.का.स्वी//अं.का.स्वी के लिए भारतीय बैंक संघ की चिकित्सा बीमा योजना के प्रीमियम बैंक भर रहा है.

(xi) विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास

विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास 21.09.2002 से गठित किया गया है.

न्यास के अंतर्गत अपनाई कई विविध कल्याण योजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना
2. अस्पतालीकरण व्यय के दावे के शेष व्यय की प्रतिपूर्ति
3. चश्मे के व्यय की प्रतिपूर्ति
4. मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि देना
6. मानसिक रूप से अक्षम /स्पास्टिक बच्चों के माता-पिता, जो हमारे कर्मचारी है, उनको सहायता/छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु योजना
7. दिव्यांग कर्मचारियों/उनके बच्चों को कृत्रिम अंग /श्रवण उपकरण/बैसाखी आदि उपलब्ध कराने हेतु योजना
8. स्टाफ सदस्यों के लिए शिमला, तिरुपति, जयपुर, गोवा, पुरी, दिल्लीर शिरडी तथा बेंगलूरू में हॉलिडे होम की सुविधा प्रदान की गई है
9. पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना
10. पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के स्कूल न जानेवाले दिव्यांग बच्चों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना
11. पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों को विवाह के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना.

बैंक, परिवार कल्याण योजना भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक द्वारा पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं अपनाई गई हैं :

1. नेत्रहीन कर्मचारियों के लिए सहायता जैसे स्मार्ट वाकिंग केन, टॉकिंग साफ्टवेयर, ब्रेल उपकरण आदि
2. नेत्रहीन कर्मचारी और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वाहन सुविधा (ले आना व छोडना) दी गई है.
3. नेत्रहीन (वीआई) कर्मचारियों के लिए ब्रेल घडियां प्रदान की गई हैं
4. बधिर कर्मचारियों (एच आई) को श्रवण उपकरण की सुविधा प्रदान की गई है.

(xii) आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 (आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा) 09.12.2013 से लागू हो गया है.

यह अधिनियम, कार्यस्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के प्रति सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा यौन उत्पीडन के मामलों से संबंधित शिकायतों के रोकथाम व निवारण तथा इस संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए है.

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के अनुरूप, बैंक द्वारा कार्यस्थान पर लिंग भेद तथा यौन उत्पीडन से संबंधित स्टाफ सदस्यों से प्राप्त शिकायतों को निपटाने हेतु प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. श्रीमती मणिमेखलै, महा प्रबंधक – अध्यक्ष
2. श्रीमती मिनी टी एम–उप महा प्रबंधक – सचिव
3. श्री सेन्थिल नाथन–सहायक महा प्रबंधक – सदस्य
4. श्रीमती मिनी सी जी, वरिष्ठ प्रबंधक – संयोजक
5. श्रीमती रोशनी सी आर, वरिष्ठ प्रबंधक – सदस्य
6. श्रीमती गीता मेनन – एनजीओ – सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित किया गया है कि नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए मामले, यदि हो और निपटाये गये मामलों की संख्या को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना है. केंद्र सरकार ने भी इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध, निवारण) नियम, 2013 तैयार की है. नियम 14 के अधीन नियोजक को वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी करते समय निम्न सूचना शामिल की जानी है. तदनसुार, वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों के विवरण नीचे दिर्शाया गया है :

क्र सं.	**वर्ष में प्राप्त की गई यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या**	**वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या**	**90 दिनों से अधिक अवधि के लिए लंबित मामलों की संख्या**	**यौन उत्पीडन के खिलाफ आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम या कार्यशाला की संख्या**	**नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा ली गई कार्रवाई का प्रकार**
1	7	5	1 (अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है)	2	7 मुकदमों के संबंध में लिए गए निर्णय का प्रकार: मामलों की संख्या – लिए गए निर्णय का प्रकार 3 मामले – यौन उत्पीडन के दायरे से बाहर है और तदनुसार निपटाया गया है 1 – प्रतिवादी का स्थानांतरण किया गया. 1 – मामला समझौते के द्वारा निपटाया गया. 1 – अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. 1 – शिकायत फरवरी 2018 में दर्ज की गई और आईसीसी द्वारा समीक्षा प्रक्रियाधीन है.

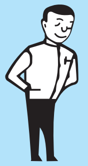

15. **सुरक्षा व्यवस्था**

बैंक सभी खतरों, उभरती चुनौतियों और विनियामक, सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के दिशानिर्देशों के आधार पर, प्रभावी, कुशल, डररहित और प्रगतिशील रूप में सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए सभी शाखाओं, कार्यालयों, करेंसी चेस्ट और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहा है. निर्धारित नीतियों और आवश्यकताओं के अनुसार बैंक लगातार सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन को विकसित करने और सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्ष के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सक्रिय और निवारक उपायों की शुरुआत की गई :

- नई शाखाओं/चेस्टों को हाई रिसोलुशन आईपी कैमरा सहित डिजिटल सीसीटीवी सिस्टम दिए गए हैं
- सभी शाखाओं को वायर और वायरलेस डिटेक्टरों के साथ हाइब्रिड अलार्म सिस्टम प्रदान किए गए हैं
- सभी शाखाओं को बीबी क्लॉस सेफ और भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्देशन के अनुरूप स्ट्रांग रूम प्रदान किया गया है
- सुरक्षा की बिन्दु से कमजोर के रूप में वर्गीकृत शाखाओं को कार्य-समय के दौरान सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं
- बैंक के सभी एटीएम स्थानों में ओपेक्स आधार पर ई-निगरानी लागू है
- वास्तविक समय पर किसी भी संदिग्ध या विषम व्यवहार की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राधिकारियों को अलर्ट रखने के लिए बैंक के वाईड एरिया नेटवर्क के लिए एटीएम साइट और शाखाओं की सीसीटीवी प्रणाली को ई-निगरानी से लिंक किया गया है
- आवधिक समीक्षा का आयोजन, सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी मजबूत बनाने हेतु सक्रिय उपायों को अपनाने के लिए और कमजोरियों का आकलन करने हेतु प्रका व क्षेत्रीय कार्यालय में सुरक्षा समिति का गठन किया गया है
- बैंक कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ निकट संपर्क बनाया रखता है और प्रचलित सुरक्षा जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तैयार है

16. **ग्राहक सेवा**

(i) ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना बैंक को स्पष्ट रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है. इससे बैंकिंग सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान करने, लाभदायक व्यवसाय मॉडल विकसित करने और प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए नवीनतम और लागत प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता होती है. उचित सेवा प्रदान करना और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहक शिकायतों को कम करना बैंक का उद्देश्य है. ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 'मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) अपनाई गई है. ग्राहक, बैंक वेबसाइट के जरिए एसपीजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाता है. अन्य माद्यम जैसे पत्र, ई-मेल और दूरभाष द्वारा प्राप्तै शिकायतों को भी इस सामान्य प्लॉटफार्म में दर्ज कर सकते हैं. शिकायतों के समाधान हेतु सिस्टम इन शिकायतों को संबंधित शाखा/कार्यशील विभाग/कार्यालयों को प्रेषित करता है.

शाखा स्तरपर ग्राहक सेवा समिति गठित की जाती है ताकि शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संप्रेषण के औपचारिक चैनल को प्रोत्साहित किया जा सके. शाखा स्तर की ग्राहक सेवा समिति जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनदारों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहक शामिल होकर महीने में एक बार मिलते हैं. विचारों / सुझावों को एकत्रित कर, ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के अध्यक्ष, अर्थात कार्यकारी निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. जिस समिति में गैर अधिकारी उनके स्वतंत्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र सदस्यों के रूप में शामिल हैं. समिति तिमाही में एक बार मिलती है तथा बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है.

प्रबंध निदेशक और सीईओ के नेतृत्ववाली मंडल की ग्राहक सेवा समिति में कार्यकारी निदेशक और मंडल के अन्य निदेशक तथा विशेषज्ञ और ग्राहकों के प्रतिनिधि आमंत्रितों के रूप में शामिल है, जो बैंक में कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करने और आंतरिक रूप से अनुपालन का मूल्यांकन करने में बैंक को सक्षम बानाएंगे. बैंक में प्रचलित प्रथाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए शिकायत के मूल कारण के विश्लेषण के साथ-साथ शिकायत का प्रकार और वर्गयुक्त त्रैमासिक समीक्षा नोट मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है.

बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन किया है, जिनमें शिकायतों के निपटान की स्थिति की समीक्षा पर प्रगति संवाद के दौरान माननीय प्रधान मंत्री की टिप्पणियों से अवगत कराया था और

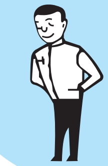

दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करने की प्रणाली शुरु की गई, जिसके अनुसार समय सीमा के निर्धारण के मूल्यांकन तथा उत्तर की गुणवत्ता और की गई कार्रवाई का विवरण का आकलन किया जाता है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाता है.

बैंक ने महा प्रबंधक के रैंक के प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जो पूरे बैंक में ग्राहक सेवा का कार्यान्वयन तथा शिकायत की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है. बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को उनके नियंत्रणधीन आनेवाली शाखाओं से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है.नोडल अधिकारी(यों) के नाम तथा संपर्क विवरण शाखा के नोटीस बोर्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं.

भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ग्राहक की संतुष्टी के अनुसार समाधान नहीं की गई शिकायत तथा बैंक के आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र में आंशिक रूप से निपटाई गई शिकायतों की जांच करने के लिए आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया है.

निम्नतलिखित पहलुओं पर हमारे स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए हमारे स्टफ प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा दिए जानेवाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राहक सेवा पर एक सत्र अनिवार्य कर दिया है :

- जब ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं तब ग्राहक को आरामदायक वातावरण प्रदान करने के लिए
- ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उनकी संतुष्टि हेतु गुणवत्तो की सेवा प्रदान करना
- ग्राहक की सेवा पर जोर देने के लिए 'ग्राहक सेवा, बैंक के कारोबार की जरूरत है और सामाजिक सेवा नहीं है' इस आदर्श के साथ बदलना है
- ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार में सहानुभूति का महत्व के बारे में पहली पंक्ती के स्टाफ को प्रभावित करना

वर्ष के दौरान बैंक के ग्राहक संतुष्टि सूचकांक पर एक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को चुना गया था. एजेंसी ने बैंक के लिए उत्तमम ग्राहक सेवा हासिल करने के प्रति ग्राहक संतुष्टि तथा समग्र निष्पोदन को बेहतर ढंग से समझने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और संभावित रूप से बैंक के लिए मानक स्थापित करने हेतु कर्मचारियों के सर्वेक्षण, दोनों के माध्यम से प्रत्येक नामोद्दिष्ट 849 शाखाओं का निष्पादन विश्लेषित किया है.

(ii) कॉल सेंटर

कॉल सेंटर ग्राहकों के लिए संपर्क का पहले स्तर के रूप में बैंक की छवि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह बैंक द्वारा दिए जानेवाले सभी उत्पादों एवं सेवाओं के लिए एक मात्र उपाय के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा यह एक निर्बाध सेवा की सुविधा प्रदान करता है और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करता है. बैंक ने 3 विभिन्न व कॉल सेंटरों, जैसे तीन विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सामान्य बैंकिंग, नेट बैंकिंग और कार्ड प्रभाग, को चौबीसों घंटे कार्यरत आउटसोर्स किया गया एक कॉल सेंटर में एकीकृत किए हैं. ग्राहकों / शाखाओं से प्राप्त कॉल को संभालने के अतिरिक्त, कॉल सेंटर के कार्यपालक वी-नेट बैंकिंग और कार्ड हॉटलिस्टिंग से संबंधित ईमेलों को संभालते हैं. बैंक में आवास ऋण तथा वाहन ऋण उधारकर्ताओं के विशेष उल्लेख खातों के बढ़ते स्तर पर नजर रखने के लिए का आउटबाउंड कॉल सेंटर भी है. यह प्रकिया बैंक के लिए बेहतर नियंत्रण, खुदरा ऋणों को अच्छी तरह से निगाह रखने के लिए और इन खातों को एनपीए संवर्ग में फिसलने से रोकता है. स्थापना के बाद से, बैंक के बढ़ रहे ग्राहक आधार के साथ तालमेल रखने के लिए कॉल सेंटर के कार्यपालकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है. बैंक द्वारा शुरू किए गए नए अभियानों और उत्पादों पर ग्राहक के प्रश्नों को अधिक कुशलतापूर्वक संभालने में मदद करने के लिए बैंक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहा है.

(iii) भारतीय बैंकिंग संहिता व मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई का सदस्य होने के नाते बीसीएसबीआई द्वारा तैयार की गयी स्वैच्छिक संहिता को बैंक ने अपनाया है अर्थात (i) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2014' (ii) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2015' (संहिता). बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्गनिर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उसका अनुपालन किया है. सभी शाखाओं को एक व्यापक सूचना बोर्ड प्रदान किया गया है जिसमें शाखा परिसर में प्रदर्शित होने वाली सभी अनिवार्य सूचनाएं शामिल हैं, जिससे बीसीएसबीआई के सूचना प्रसार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है. संहिता के प्रावधानों को समाहित किए गए ग्राहक

सेवा पर एक सत्र को कर्मचारी सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है ताकि सही मायने में संहिताओं का अनुपालन किया जा सके. बीसीएसबीआई ने जनवरी 2018 में 'ग्राहकों के लिए बैंक की वचनबद्धता संहिता' में संशोधन किया है और बैंक ने संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कई कदम उठाए हैं. ग्राहकों के सरल संदर्भ हेतु संहिताएं बैंक के कार्यालयीन वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है. ग्राहक हमारी किसी भी शाखा में इसका एक्सेस कर सकते हैं.

(iv) शाखा माहौल

बैंक की एक प्रमुख प्राथमिकता है ग्राहक की खुशी में सुधार. इसके लिए, बैंक ने ग्राहक सेवा, शाखा का माहौल तथा एटीएम की गुणवत्ता में सुधार लाया गया है ताकि हमारे परिसर में आने वाले ग्राहकों को सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सके. शाखाएं अब अद्यतित नोटिस बोर्ड और उत्पाद विवरण के साथ साफ और स्वच्छ हैं. यह ग्राहकों को सुखद बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है तथा हमारे परिसर की स्वच्छता तथा गुणवत्ता सेवा के मामले में बैंक की छवि बढ़ाने में मदद करता है. हमारी सभी शाखाएं तथा कार्यालय वातानुकूलित हैं जो ग्राहकों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पेशेवर बैंकिंग माहौल प्रदान करती है. दिव्यांग ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हेतु मेट्रो शाखाओं में रैंप उपलब्ध कराए गए हैं. शाखाओं में दिव्यांग महिला ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है. बैंक, भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशानुसार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ सभी प्राथमिकता और सुविधाएं प्रदान कर रहा है.

17. सामाजिक मीडिया

सोशल मीडिया उद्योगों में वर्तमान प्रेरणा है और बैंकिंग उद्योग की उपस्थिति का हिस्सा है और भविष्य में बैंकिंग को स्थानांतरित करने की उम्मीद है और यह उद्योग को एक नए युग में ले जाएगा. सोशल मीडिया किसी भी उद्योग में महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक, सुलभ और सरल मंच है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की लगभग सभी व्यक्तित्व शामिल हैं. तत्काल, उपयोगकर्ता उन लोगों से जुड़ सकते हैं जिन्हें वे सामान्य संप्रेषण में अन्य संप्रेषणों के माध्यम से नहीं पहुंच सकते हैं और उन संबंधों को स्थापित कर सकते हैं जो तत्काल संबंध शुरू कर सकते हैं और शामिल सभी पार्टियों को लाभ पहुंचा सकते हैं; कभी-कभी, ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. इसलिए, आवश्यक जांच की जानी चाहिए. आने वाले दिनों में सोशल मीडिया उद्योग में बड़ा अंतर डाल सकता है जो ग्राहकों और अन्य हितधारकों के दिमाग में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है. सोशल मीडिया की उपस्थिति में निवेश अगले दशक में भारी लाभ उठा सकता है और दौड़ में पहले मूवर्स को लाभ प्रदान करेगा.

बैंक ने दिनांक 29.06.2016 को फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी उपस्थिति की शुरुआत की. बैंक ने पिछले 20 महीनों से अपने अस्तित्व को सुदृढ किया है तथा बैंक ने अपने सोशल मीडिया पृष्ठों पर काफी प्रशंसकों का विश्वास कमाया. बैंक का फेसबुक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में तेज गति विकसित हुआ है 31 मार्च, 2018 को 4.2 लाख से ज्यादा पसंद पेज आकृष्ट किए हैं. सोशल मीडिया पर बैंक द्वारा आयोजित आपके बैंकिंग अधिकार जानें प्रतियोगिता ने वर्ष 2017 के दौरान बीएफएसआई द्वारा शीर्ष 5 सामाजिक अभियानों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

बैंक ने सोशल मीडिया के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरु की हैं और बैंक के ग्राहक अब ट्विटर तथा फेसबुक के माध्यम से ग्राहक पंजीकरण, खाता शेष, मिनी स्टेटमेंट, निधि अंतरण और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. ट्विटर बैंकिंग अधिक लोकप्रिय है.

बैंक ने सोशल मीडिया की उपस्थिति में तथा अपने सभी सोशल मीडिया चैनलों पर जागरूकता में काफी प्रभाव डाला है सोशल मीडिया के स्थातन में, अपने प्रवेश के आरंभ से, उल्लेखनीय वृद्धि की है.

18. सरकारी कारोबार, डीपी सेवा तथा बीमा

विजया बैंक समय-समय पर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है. प्रौद्योगिकी के कुशल और प्रभावी उपयोग के माध्यम से, हम अपनी शाखाओं में अपने सम्मानित ग्राहकों को बाधाओं से मुक्त अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं. हमारे बैंक द्वारा कार्यान्वित की गयी कुछ योजनाएं निम्नानुसार हैं :

(i) प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर वसूली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली ने हमारे बैंक को इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हमारे ग्राहकों को उपलब्ध 'ई-पेमेंट' सुविधा द्वारा ऑफ़लाइन मोड (नामित शाखाओं द्वारा प्रेषण) या ऑनलाइन मोड द्वारा प्रत्यक्ष कर वसूल करने की अनुमति प्रदान की है. हमने 276 शाखाओं को ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर वसूलने हेतु प्राधिकृत किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, हमारे बैंक ने कुल 4.93 लाख प्रत्यक्ष कर लेनदेन संसाधित किए हैं.

हमारे ग्राहक, अपनी वी-नेट बैंकिंग सुविधा द्वारा केंद्रीय

उत्पाद शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर भी अदा कर सकते हैं. हम दिनांक 01.07.2017 से, ओटीसी मोड (काउंटर पर), इलेक्ट्रॉनिक मोड (विजया बैंक ग्राहक वी-नेट बैंकिंग के माध्यम से विप्रेषण कर सकता है) तथा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सामान और सेवा कर (जीएसटी) वसूल कर रहे हैं. देश भर में हमारी सभी शाखाएं ग्राहकों से जीएसटी चालान वसूल करने के लिए प्राधिकृत हैं. दिनांक 01.07.2017 से हमने ₹3419,77,92,266 राशि के 2,40,212 जीएसटी चालानों को सफलतापूर्वक संसाधित किया है.

(ii) **पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान :** केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों की पेंशन के केंद्रीकृत भुगतान के लिए प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) कार्यरत है. केन्द्रीय सिविल, दूरसंचार, डाक, रक्षा, रेलवे, न्यायाधीशों और स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन जैसे सभी प्रकार की पेंशन को प्रधान कार्यालय के सीपीपीसी कक्ष द्वारा केंद्रीकृत भुगतान किया जाता है. सभी शाखाएं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों और चार मेट्रो शहरों में केंद्रीय नागरिक, रक्षा, दूरसंचार, डाक पेंशन संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं.

(iii) **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) :** हमारा बैंक अटल पेंशन योजना, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महान दृष्टिकोण युक्त अच्छी तरह से परिभाषित पेंशन प्रदान करने की योजना, विशेष रूप से गरीब तथा वंचित लोगों के लिए, कार्यान्वित करने में एक सच्चा चैंपियन रहा है. हमारे पास एपीवाई खातों को खोलने के लिए 1603 नामित शाखाएं हैं. हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1,15,510 एपीवाई खातों को खोला है और पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए सभी एपीवाई अभियानों में शीर्ष बैंकों में से एक है.

(iv) **सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) :** हमारे बैंक में यह योजना 2006 में शुरू की गई. बैंक की 887 शाखाओं को लोक भविष्य निधि खातों को खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 88,639 खाते खोले हैं.

(v) **सुकन्या समृद्धि योजना :** बैंक की 887 शाखाएं सुकन्या समृद्धि योजना को संभालने के लिए प्राधिकृत हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक ने 3508 खाते खोले हैं.

(vi) **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) :** यह योजना हमारी चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक ने 1684 खाते खोले हैं.

(vii) **सावरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) :** बैंक की सभी शाखाएं इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए नामोद्दिष्टि हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हमारी शाखाओं में कुल 1,16,361 ग्राम सोने के बांड बेचे गए हैं.

निक्षेपागार सेवांए एवं एएसबीए

(i) **निक्षेपागार भागीदार खाता तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग**

विजया बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के साथ निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) है.

हमारा बैंक निम्नगलिखित निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है :

- खाता खोलना
- प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण (शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, आदि)
- एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ जुडे स्टॉक विनिमयों में व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक निपटान
- बैंक ऋण के प्रति अमूर्त प्रतिभूति की गिरवी/दृष्टिबंधक
- सार्वजनिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक जमा
- जब कभी आवश्यक हो खातों का रोक लगाना ताकि खाते से नामे की अनुमति न हो
- अमूर्त खातों के लिए नामांकन सुविधा
- पते में परिवर्तन, बैंक खाता विवरण, आदि से संबंधित सेवाएं
- प्रतिभूतियों का प्रेषण करना
- एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा

बैंक ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आईडीबीआई कैपिटल के साथ टाइ-अप किया है.

(ii) अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) : बैंक एससीएसबी की सूची में शामिल है यह 01.02.2009 से प्रभावी है. अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) के लिए डीपी कक्ष नियंत्रण शाखा है और सभी शाखाओं को एएसबीए का आवेदन स्वीकार करने हेतु पदनामित किया गया है.

बीमा

जीवन बीमा कारोबार : ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार व्यवस्था की है.

सामान्य बीमा कारोबार : ग्राहकों की गैर-जीवन बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि. के साथ कार्पोरेट एजेन्सी करार किया है.

सरकारी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना :

बैंक ने पात्र सभी खाता धारकों के लिए लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स युनाईटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है.

यथा 31.03.2018 को, बैंक ने पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के अधीन निम्नलिखित नामांकन किया है :

योजना	नामांकन की संख्या
पीएमजेजेबीवाई	4,35,502
पीएमएसबीवाई	15,89,033

19. विपणन एवं प्रचार

(i) विपणन

बैंक के प्र.का. में स्थित विपणन कक्ष देशभर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/ आरएसीपीसी व एमएसएमई कक्ष में कार्यरत सभी विपणन अधिकारियों की सक्रिय प्रतिभागिता से बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार व विपणन में सक्रिय रूप से कार्यरत है.

(ii) प्रचार तथा जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक व उसके उत्पादों की दृश्यता को संपूर्ण देश में बढाने हेतु अंग्रेजी, हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में बैंक ने कई प्रमुख विज्ञापन अभियान आयोजित किए. 2017-18 के दौरान इस वर्ष बाह्य विज्ञापन मीडिया जैसे हवाई अड्डे, काचिगुडा एक्सेप्रेस पर ट्रेन ब्रांडिंग, एम जी रोड, बेंगलूरू में मेट्रो पिलर्स पर विज्ञापन आदि के जरिए प्रमुख प्रचार अभियान किए गए. मेट्रो शहरों में बाह्य विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए, रेल्वे स्टेशन/बस स्टेशन में ग्लो साइन/साइन बोर्ड विज्ञापन के जरिए प्रचार किया गया.

20. राजभाषा कार्यान्वयन

राष्ट्रीयकरण से बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति को सही भावना से कार्यान्वयन कर रहा है. स्टाफ सदस्यों के प्रयास से बैंक ने यथा 31.03.2018 को हिन्दी पत्राचार में 'क' क्षेत्र में 100% लक्ष्य के प्रति 94.05%, 'ख' क्षेत्र में 90% लक्ष्य के प्रति 93.56% तथा 'ग' क्षेत्र में 55% लक्ष्य के प्रति 71.20% हासिल किया है.

बैंक को भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु 'ग' क्षेत्र के तहत पुरस्कृ त किया गया है. दि. 14.09.2017 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को शील्ड व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया.

हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय के संयोजनाधीन चलायी जानेवाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के नराकासों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया. इसी प्रकार बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरू (दक्षिण) को क्षेत्रीय कार्यालयों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. पुरस्कार व शील्ड वितरण विशाखापट्टनम में आयोजित दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव (राजभाषा) द्वारा प्रदान किया गया.

बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं, राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु विभिन्न नराकास के द्वारा 16 पुरसकरों को प्राप्त, किए हैं, जिसमें बेंगलूरू (दक्षिण), हासन, लुधियाना,मंगलूर, मेरठ, पुणे क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है.

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने हमारी नोएडा शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय-हैदराबाद के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया.

बैंक ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस भेजना शुरू कर दिया.

बैंक ने जयपुर में अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी सेमिनार का भी आयोजन किया, जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी दिवस 2017 के दौरान अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी सेमिनार में प्राप्त श्रेष्ठ आलेखों को 'डिजिटल बैंकिंग' पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए.

'वी-जेनयूथ' के बैनर के अधीन सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय ने हिंदी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जैसे निबंध लेखन, भाषण, चित्रलेखन, कहानी बताने, रचनात्मक लेखन आदि. क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाओं ने डिजिटल बैंकिंग तथा अटल पेंशन योजना को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान आयोजित किए. वर्ष के दौरान, कार्यपालक/अधिकारी/लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए 129 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 2580

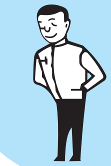

स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. इन कार्यशालओं में यूनिकोड का उपयोग के महत्व पर जोर दिया गया.

सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों से अपने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिंदी में सेमिनार / विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की. प्रधान कार्यालय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू के तत्वावधान में दिनांक 31.05.2017 को 'वस्तु एवं सेवा कर - एक ऐतिहासिक परिवर्तन तथा बैंकों के विलियन का वित्तीय क्षेत्र में प्रभाव 'विषय पर हिन्दी में सेमिनार आयोजित किया. सेमिनार में बेंगलूरू स्थित विभिन् बैंकों के राजभाषा अधिकारी / सामान्य अधिकारी उपस्थित थे.

वर्ष 2016-17 के लिए प्रभावी राजभाषा कार्यान्वयन हेतु आंतरिक राजभाषा शील्डर योजना के अंतर्गत प्रधान कार्यालय विभाग वर्ग के तहत कार्मिक विभाग को प्रथम पुरस्कार, योजना व विकास विभाग को द्वितीय पुरस्कार और ऋण विभाग (समीक्षा एवं वसूली) को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सर्वोत्तम क्षेत्र वर्ग के अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र को प्रथम पुरस्कार, नागपुर क्षेत्र को द्वितीय पुरस्कार तथा चंडीगढ क्षेत्र को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया.

21. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

(i) विजया बैंक – एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक

बैंक में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति भी है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का न्यायसंगत विकास, बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास है. मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए स्थायी सामाजिक प्रभावयुक्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित सीएसआर रोडमैप अनुमोदित किया है. हमारे प्राथमिक लक्ष्य बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्कूलों में स्वच्छता सुविधा, सुरक्षित पेयजल सुविधा तथा वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, परित्यक्त, अनाथ व असहायों के लिए स्कूलों, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, विशेष स्कूलों, आदि को बुनियादी सहायता तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करना है.

बैंक ने अपनी सीएसआर योजनाएं बनायी हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन स्तर पर दीर्घकालिक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रही हैं. हमारी सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख लक्षित क्षेत्र हैं :

(ii) बालिका को गोद लेना

बैंक की एक महत्वपूर्ण योजना है - समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देना. बैंक द्वारा गोद ली गयी बालिका को उसकी स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन पूर्ण होने तक वित्तीय सहायता दी जाती है. यह बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है तथा यह उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है तथा उसे वित्तीय बाधाओं के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ता है. बैंक उसकी शिक्षा से जुड़े खर्चों जैसे किताबें, जूते, यूनिफॉर्म, आदि के लिए बालिका को वार्षिक खर्च प्रदान करता है. वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 148 बालिका को गोद लिए हैं, गोद ली गई बालिकाओं की कुल संख्यां 1311 हो गई है.

(iii) ग्रामीण स्वास्थय केंद्र

सुदूर, पिछड़े क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों के लिए मूल स्वास्थ सेवा पहुंचाने के लिए बैंक ने विजया ग्रामीन स्वास्थय केंद्र (आरएचसी) की स्थापना की है. इन आरएचसी पर डाक्टर की नियुक्ति द्वारा निवारक स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करता है तथा मरीजों को मुफ्त दवा की आपूर्ति भी करायी गयी है. बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान में 13 ग्रामीण स्वास्थ केंद्र खोले हैं, जो वर्तमान के 45 को मिलाकर विजया ग्रामीण स्वास्थ केंद्रों की संख्या यथा दिनांक 31.03.2018 को 58 हो गई है.

(iv) शौचालय ब्लॉक का निर्माण तथा उनका अनुरक्षण

बैंक ने पिछडे क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अनुकूल शिक्षा माहौल तथा विशेषकर बालिकाओं में बीच में जल्दी स्कूल छोडने की दर कम करना सुनिश्चित करने के लिए लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक बनाए हैं. बैंक ने अब तक 66 स्कूलों/संगठनों को शौचालय ब्लॉक के निर्माण की दिशा में दिया है. बैंक उनके अनुरक्षण तथा सफाई सुनिश्चित करने के लिए मासिक तौर पर भी भुगतान करता है.

(v) वाहनों का दान

बैंक ने वाहनों - वैन, एंबुलेंस तथा बस, आदि गैर लाभ वाले धर्मार्थ संगठन, न्यास, अनाथालय तथा स्कूलों, आदि, जो कि अनाथ, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार, बेसहारा, परित्यक्त और असहाय व्यक्तियों की सेवा करते हैं, का दान किया है. प्रसिद्ध तीर्थयात्रा के तीर्थयात्रियों को परिवहन सुविधा में आराम प्रदान करने के लिए बस का दान किया गया है. बैंक द्वारा चिकित्सा आपात स्थिति में तथा बेसहारों को बचाने हेतु अनाथालय और धर्मार्थ न्यास को एंबुलेंस तथा वाहन दान किय गए हैं.

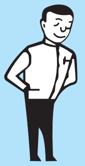

(vi) चिकित्सा मूलभूत सुविधा बनाने के संबंध में दान

बैंक ने स्थाई मूलभूत सुविधा जैसे धर्मार्थ अस्पताल के अल्जाइमर और डिमेंशिया रोगियों के लिए वार्ड/रोगी कक्षा का निर्माण के लिए दान किया है. प्रसिद्ध रक्त बैंक को बीमार और जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ चिकित्सा उपकरणों तथा वाहन की खरीद के प्रति भी दान किया है. इसके अलावा, अस्पसतालों को कैंसर रोगियों की सहायता के लिए बिस्तरों की खरीद आदि के लिए दान किए गए हैं.

(vii) सुरक्षित पेयजल की सुविधा

बैंक द्वारा स्वास्थ्य संस्थान सह अस्पताल के रोगियों तथा सामान्य जनता के कल्याणार्थ जल शोधन इकाइयों का दान किया गया. देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, अनाथालयों, अस्पतालों, धर्मार्थ संगठनों, सार्वजनिक स्थानों आदि के बच्चों, छात्रों, बूढे, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लाभार्थ सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए वाटर प्यू.रिफायर्स, वाटर फिल्टीर्स, जल भंडारण टैंक, आरओ वाटर यूनिट, आदि के दान किए गए.

(viii) स्कूलों/कॉलेजों को मूलभूत सुविधा

दिव्यांग, आदि के स्कूलों / विशेष स्कूलों को विद्यालयों मूलभूत मदें जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, वाटर फ़िल्टर, आदि के दान के अलावा बैंक ने वंचित लोगों के कल्याणार्थ स्कूल की स्थापना के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट को दान मंजूर किया है.

(ix) वृद्धाश्रम, अनाथालय, विशेष स्कूलों, धर्मार्थ संस्थाओं, आदि को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति

बैंक ने देशभर के वृद्धाश्रम, अनाथालयों, दिव्यांग के लिए विशेष विद्यालय, धर्मार्थ संस्थाओं, आदि को आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, ब्रेल सुविधायुक्त कंप्यू्टर, फ्रिज, सौर वाटर हीटर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, आदि का दान किया है. बैंक ने गरीब तथा जरूरतमंद की मदद के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को खाद्य सामग्री जैसे चावल, आदि ; न्यास के लिए खाद्यान्न खर्चों के प्रति, अनाथालय के सदस्यों के यूनिफार्म के लिए पोशाक सामग्री, आदि के लिए दान किया है. वंचित महिलाओं को आजीविका सृजित करने तथा उन्हें शिक्षित बनाने की ओर स्वचालित अगरबत्ती बनाने के मशीन भी दान किया गया.

(x) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित पहल की शुरूआत

पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को पहचानते हुए सीएसआर रोडमैप में हरित पहल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. बैंक द्वारा हरित पहल के तहत, वृक्षारोपण गतिविधियां, पेड़ गार्ड की स्थापना और सार्वजनिक बगीचों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा अन्य पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की गयी. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कचरे संग्रहण के लिए हॉपर टिपर वाहन तथा सड़क रखरखाव के लिए स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अंशदान जैसे प्रमुख दान बैंक द्वारा किए गए.

22. संसदीय समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संसदीय समिति के दौरे से संबंधित विवरण :

- 31 मई, 2017 को गोवा में 'अ.जा, अ.ज.जा, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण' पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा.
- 2022 तक सभी के लिए आवास प्रबंध - प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई - शहरी) आवास के लिए शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा और दीनदयाल अंत्योदय योजना (दिवस) - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), बेंगलुरु को 06 जून, 2017
- 08 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति
- 04 से 09 नवंबर, 2017 तक बेंगलुरू, विशाखापत्तनम और मुंबई को भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर दिशा - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर अधीनस्थ विधानसभा पर समिति की अध्ययन यात्रा

23. पुरस्कार और उपाधि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय तथा अन्य पहल में बैंक के उत्कृष्ट निष्पादन को पहचानते हुए बैंक को कई पुरस्कार और उपाधि प्रदान किए गए.

- भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कांर
- अटल पेंशन योजना हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आर ए शंकर नारायणन के तहत मेकर्स ऑफ एक्सालेंस के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पुरस्कार
- 'ट्रांसफार्मेटिव लीडर' के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पुरस्कार - हमारे

कार्यकारी निदेशक श्री नागेश्वर राव वाई को प्रदत्त

- माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला द्वारा प्रदत्त कृषि बैंकिंग के लिए एसोचैम सोशियल बैंकिंग एक्सलेंस एवार्ड 2017 के प्रथम पुरस्कार विजेता
- माननीय वित्तु राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला द्वारा प्रदत्त प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लिए एसोचैम सोशियल बैंकिंग एक्सलेंस एवार्ड 2017 के प्रथम पुरस्कार विजेता
- भारतीय बैंक संघ ने मध्यम श्रेणी के बैंकों में हमारे बैंक को 'टेक्नॉलजी बैंक ऑफ द ईयर एवार्ड 2017' प्रदान किया
- आईडीबीआरटी ने वित्तीय वर्ष 2017 के लिए मध्यम श्रेणी के बैंकों में हमारे बैंक वित्तीय समावेशन में तकनीकी के प्रयोग के लिए तथा 'डिजिटल बैंकिंग एमंग मिड साइज बैंक्स' से पुरस्कृत किया
- श्रीमती निर्मला श्रीधर, महा प्रबंधक, विजया बैंक द्वारा प्राप्त 'वुमन एक्सीलेंस-2017' के लिए आईपीई (सार्वजनिक उद्यम संस्थायन) एवार्ड
- बैंक ने दक्षिणी क्षेत्र में राजभाषा शील्ड के अधीन दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है
- बैंक की वीआईबीएसईटीआई ने दिनांक 07.06.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वितरित उच्चतम ग्रेडिंग (एए) प्राप्त किया
- पीएमएवाई योजना के अधीन अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए एचयूडीसीओ द्वारा पुरस्कार
- श्रेष्ठ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पद्धति के लिए वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा ईटी एनओबल्यू सीएसआर लीडरशिप एवार्ड

स्कॉच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एवार्ड 2017

- सार्वजनिक क्षेत्र में श्रेष्ठ बैंक
- बैंकर ऑफ द इयर, डॉ.किशोर सांसी, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, विजया बैंक
- बैंकर ऑफ द इयर (एनपीए प्रबंधन के लिए) – श्री बी.एस.रामा राव, बैंक के भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक
- एनपीए प्रबंधन में श्रेष्ठ बैंक
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अधीन निष्पादन के लिए गोल्ड एवार्ड
- खुदरा ऋण में श्रेष्ठ बैंक
- इंक्लूउसिव वैलेट – वीपेक्विक के लिए पुरस्कार
- डिजिटल समावेशन के लिए पुरस्कार
- आईटी सुरक्षा के लिए पुरस्कार
- एटीएम तथा शाखाओं की ई-निगरानी के लिए पुरस्कार
- 100 डिजिटल ग्राम – वित्तीय समावेशन के लिए पुरस्कार

24. मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप-समितियों की बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान, निदेशक मंडल की 17 बैठकें हुईं. समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार है :

मंडल की समिति का नाम	**बैठकों की सं.**
प्रबंध समिति	14
लेखा समिति	7
हितधारक संबंध समिति	4
शेयर अंतरण समिति	4
जोखिम प्रबंधन समिति	6
अधिक मूल्य की धोखाधडियों की समीक्षा समिति	2
प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति	22
निदेशकों की पदोन्नति समिति	1
अनुशासनिक मामलों एवं विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति	4
ग्राहक सेवा समिति	4
पारिश्रमिकसमिति	1
नामांकन समिति	2
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	5
वसूली की निगरानी हेतु समिति	7
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति	4
इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति	3
मानव संसाधन समिति	4
डिजिटल लेनदेन की समिति	1

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशकों ने कार्यग्रहण किया है :

1. श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त हुए.
2. श्री मुरली रामस्वामी दिनांक 19.02.2018 से प्रभावी कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.
3. श्री श्रीनिवास राव दिनांक 28.09.2017 से प्रभावी सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.
4. श्री राजन डोग्रा दिनांक 08.08.2017 से प्रभावी शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.
5. श्री राघवेंदर गुप्ता दिनांक 08.08.2017 से प्रभावी शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.
6. श्री विवेक सोनी दिनांक 27.12.2017 से प्रभावी सीए संवर्ग के अधीन गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्तन हुए.

वर्ष 2017-18 के दौरान, निम्नांकित निदेशक , बैंक के मंडल में निदेशक नहीं रहे :

1. श्री किशोर सांसी ने दिनांक 31.08.2017 को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यालय छोडा.
2. श्रीमती भारती राव ने दिनांक 07.08.2017 को शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यालय छोडा.
3. श्री पी वैद्यनाथन ने दिनांक 07.08.2017 को शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यालय छोडा.
4. श्री संजय कुमार ने दिनांक 27.09.2017 को सरकारी नामिती निदेशक के रूप में कार्यालय छोडा.
5. श्री बी.एस.रामा राव ने दिनांक 31.01.2018 को कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यालय छोडा.

यथा दिनांक को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशक हैं :

क्रम सं.	**निदेशक का नाम**	**पदनाम**
1.	श्री जी नारायणन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं गैर-अधिकारी निदेशक
2.	श्री आर ए शंकर नारायणन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री मुरली रामस्वामी	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एन श्रीनिवास राव	सरकारी नामिती
6.	श्री जी पी बोरा	भा.रि.बैं. नामिती
7.	श्री विवेक सोनी	गैर-अधिकारी निदेशक (सीए संवर्ग)
8.	श्री एम. भगवंत राव	गैर-अधिकारी निदेशक
9.	श्री वी वी आर शास्त्री	गैर-अधिकारी निदेशक
10.	श्री एस रघुनाथ	गैर-अधिकारी निदेशक
11.	श्री राजन डोग्रा	नामिती-शेयरधारक
12.	श्री राघवेंदर गुप्ता	नामिती-शेयरधारक

आभार

निदेशक मंडल संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता के प्रति ग्राहकों से प्राप्त संरक्षण, शेयरधारकों का सहयोग, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल को समाप्त किए निदेशकों को और सभी स्टाफ सदस्यों को अपने पूरे सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू **आर ए शंकर नारायणन**

दिनांक : 08.05.2018 **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

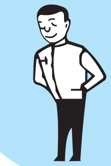

व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी की कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	विजया बैंक
3	पंजीकृत पता	41/2, एम.जी. रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरू - 560001
4	वेबसाइट	www.vijayabank.com
5	ई-मेल आईडी	planningdev@vijayabank.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2017-18
7	क्षेत्र, जिसमें कंपनी संलग्न है (कूटवार औद्योगिक गतिविधि)	बैंकिंग व वित्त
8	तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी तैयार करती है/उपलब्ध कराती है. (तुलन पत्र के अनुसार)	1. जमाराशि उत्पाद 2. ऋण उत्पाद 3. बेकिंग सेवाएं
9	स्थान की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियाँ की जाती है	शून्य
	(क) अंतर्राष्ट्रीय स्थान की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण उपलब्ध कराएं)	
	(ख) राष्ट्रीय स्थान की संख्या	2136
10	कंपनी द्वारा सेवा प्राप्त बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (`)	`1304.15 करोड़
2	कुल कारोबार (`)	` 2,75,965करोड़ (कुल कारोबार)
3	कर के बाद कुल लाभ (`)	`727 करोड़
4	कर के बाद लाभ का प्रतिशत के रूप में कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	` 3.98 लाख 0.55%

5 गतिविधियों की सूची जो उपरोक्त 4 में खर्च किया गया है :-

क) बालिका को गोद लेना - अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को उनके स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है.

ख) ग्रामीण गरीबों को मुफ्त में प्राथमिक स्वास्थ सहायता/ दवा की आपूर्ति करने के लिए पूरे भारत में पिछडे/ ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ केंद्र की स्थापना की गई है.

ग) शौचालय का निर्माण: बैंक ने सरकारी स्कूलों में शौचालय सुविधा प्रदान की है. बैंक उसका मासिक अनुरक्षण खर्च का भी भुगतान करता है.

घ) बैंक ने चौपहिया वाहन - वैन, एम्बुलेंस एवं बस आदि गैर लाभ वाले धर्मार्थ संगठन, समाजसेवी संस्था, अनाथालय और पाठशाला विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति आदि जो कि अनाथ, वृद्ध, विकलांग, बीमार, बेसहारा, परित्यक्त, कमजोर और असहाय व्यक्तियों की सेवा में संलग्न हैं, का दान किया है. स्कूलों, दिव्यांगो के लिए विशेष स्कूलों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अंधों के लिए विद्यालयों, धर्मार्थ ट्रस्ट, अस्पतालों तथा वृद्ध, अनाथ, बीमार, बेसहारा, असहाय आदि की सेवा में लगे हुए गैर लाभ संगठनों के लिए वाहनों दान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा उनके कल्याण के लिए बुनियादी आवश्यक वस्तुएं, फर्नीचर, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण, जल शुद्धिकरण यंत्र, वर्दी आदि का दान.

ड.) डिमेंशिया रोगियों के लिए धर्मार्थ अस्तपताल में वार्ड का निर्माण,रक्त बैंक का चिकित्सा उपकरनों का दान,अस्तपतलों में बिसतरों का दान आदी.

च) बोर वेल खोदने, जल शुद्धीकरण यंत्र स्थापित करने, पानी के भंडारण,पानी के शीतल संयंत्रों, फ़िल्टर आदि के लिए वित्तीय सहायता करते हुए गावों, गंदी बस्तियों,शूलों, सार्वजनिक जगहों आदि में, सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना.

छ) हरित पहल के तहत, बैंक ने सार्वजनिक पार्क के सफाई के रखरखाव की दिशा में वृक्षारोपण किया है. कचरे के संग्रह बागवानी उपकरण कचरा रिक्शा आदि दान किया है.

खंड ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी का कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ है? : नहीं

2. क्या मूल कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी पहल में सहायक कंपनी/ कंपनियाँ शामिल होती हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या सूचित करें: लागू नहीं

3. क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (उदाहरण आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी पहल में कंपनी सहयोग के साथ सहभागिता करती है? यदि हां तो ऐसे कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत सूचित करें. 30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा : नहीं

खंड घ : व्यापार जिम्मेदारी सूचना

1. व्यापार जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

(क) व्यापार जिम्मेदार नीति/नितियों के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

1. डीआईएन संख्या	लागू नहीं
2. नाम	श्री नागेश्वर राव वाई.
3. पदनाम	कार्यकारी निदेशक

(ख) व्यापार जिम्मेदार प्रमुख के विवरण

सं.	विवरण	ब्यौरे
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्रीमती. निर्मला श्रीधर
3	पदनाम	महा प्रबंधक
4	दूरभाष सं.	080-25584655
5	ई-मेल आईडी	nirmalasridhar@vijayabank.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) व्यापार जिम्मेदार नीति/नीतियाँ

(क) अनुपालन के ब्यौरे (हां/नहीं में जबाव दें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	.... के लिए कोई नीति/नीतियां है	हां*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबद्ध हितधारकों के परामर्श से नीतियाँ तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां तो उल्लेख करें (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त है? यदि हां तो प्रनि/मालिक/सीईओ/ उचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी के पास मंडल/निदेशक/ अधिकारी की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	क्या नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति संबंधी सूचना सभी संबद्ध आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों के शिकायतों को सुनने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन आंतरिक या बाह्य एजेंसी के द्वारा करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*बैंक की निगमित प्रशासन नीति, अनुपालन नीति, सतर्कता नीति बैंक के व्यापार नीति के अच्छे आचरण को सुनिश्चित करती है. इसके अतिरिक्त, बीसीएसबीआई के 'ग्राहकों को बैंक की प्रतिबद्धता का कूट-2018' 'सूक्ष्म और लघु ईकाइयों को प्रतिबद्धता का कूट- 2015' द्वारा घोषित मानक कूट के अनुसार बैंक अपने उत्पादों तथा सेवाओं का प्रस्ताव करता है.

(ख) यदि किसी भी सिद्धांत के प्रति क्रमांक संख्या 1 के प्रश्न का उत्तर नहीं हो तो कृपया जवाब दे क्यों : (विकल्प 2 तक चिन्हित करें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	कंपनी एक स्तर पर नहीं है जहां निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीति को तैयार और कार्यान्वयन करने की स्थिति में खुद को पाते हैं.									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है.									
4	अगले 6 महीने के अंदर इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष के अंदर इसे करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

1. **व्यापार जिम्मेदारी से संबंधित नियंत्रण**

(क)	बारंबारता सूचित करें जिससे निदेशक मंडल, मंडल समिति या सीईओ कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं. 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	जैसा कि व्यापार जिम्मेदारी प्रत्येक संबद्ध विभाग के बैंकिंग के समग्र विस्तार को समेटना होता है. नीतियाँ अलग अलग तैयार / नवीकृत की जाती है और मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है. इसके अतिरिक्त, मंडल बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और मंडल की बैठक की दौरान जो प्रत्येक माह में आयोजित की जाती है, बैंक नीतियों के अनुपालन में, भारिबैंक/वित्त मंत्रालय/भाबैंस से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में बैंक का कारोबार करने के विविध पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं.
(ख)	क्या कंपनी, व्यापार जिम्मेदारी या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या लिंक है? इसके प्रकाशित होने की बारंबारता क्या है?	हां, व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट www.vijayabank.com पर देखा जा सकता है. यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और यह बैंक के वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है.

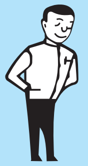

खंड ङ : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाता है.

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित है ? हां/ नहीं. क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य के लिए भी यह लागू है ?

   बैंक के पास निगमित प्रशासन और अनुपालन पर बेहतर नीति है. बैंक का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के सख्त दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता है.

2. गत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत तक संतोषजनक रूप से निपटाया गया ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें.

   बैंक के पास ग्राहकों सहित हितधारकों से शिकायतों को निपटाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है. बैंक के पास मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) के जरिए शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए शाखा स्तर पर शिकायतों को कम करने के लिए बैंक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है. यह शिकायतों की संख्या कम करने और शिकायत को निपटाने में बैंक की मदद करता है.

   वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या : 39

   वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या : 4660

   वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या : 4659

   निपटाए गए शिकायतों का प्रतिशत : 99.15%

सिद्धांत 2

व्यापार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है जो सुरक्षित है और उनके जीवन चक्र में स्थिरता के लिए योगदान करते हैं.

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिसकी रूपरेखा में सामाजिक या पर्यावरण संस्था, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया है.**

   क) **ऋण स्वैप योजना :** दोनों किसानों तथा माइक्रो उद्यमियों को कवर करते हुए उन्हें साहूकारों के पकड से बाहर लाने के लिए `1 लाख तक वृद्धि करते हुए योजना में संशोधन किया गया है. योजना के अंतर्गत बैंक साहूकारों से ऋण लिए किसानों तथा माइक्रो उद्यमियों को सक्रिय रूप से पहचानित कर रहा है तथा उनके अधिक लागत की उधारों की चुकौति के लिए उन्हें निम्नतम ब्याज दर में वित्त प्रदान करता है. पात्र उधारकर्ताओं को पहचानने के लिए, बैंक एसएचजी, गॉव के बुजुर्गों तथा पंचातय की सहायता लेता है. बैंक ने योजना के अंतर्गत 3967 लाभांवितों को ` 28 करोड़ ऋण दिया है.

   ख) समाज के निम्न वर्ग में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए, हमारे बैंक ने 'विजया डिजिटल ग्रामों' परियोजना के तहत पूरे भारत में 105 ग्रामों को अपनाया. इस 101 ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपनाया गया है. सभी ग्रामीणों को जन धन खातों से कवर किया गया है. खाताधारकों को रुपए डेबिट सह एटीएम कार्ड जारी किए गए हैं. बैंक हमारे डिजिटल बैंकिंग उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट सुविधा के मात्र्यम से कागज रहित बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है. खाताधारक पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत आते हैं. बैंक की लागत पर गांवों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई. इन गांवों में डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में सुधार हुआ.

   ग) **हरित बैंकिंग :** बैंक ने कई पर्यावरण अनुकूल उपायों की शुरूआत की है जैसे कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेली-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और कतिपय बैक ऑफिस परिचालन. इसके अतिरिक्त, बैंक ने उच्च तकनीकी बैंकिंग सुविधा सहित ई-लॉबी की स्थापना की है जैसे एटीएम, नकद जमा कियोस्क, पास बुक मुद्रण कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग आदि. बैंक सौर ऊर्जी व पवन चक्की परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हुए हरति ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है.

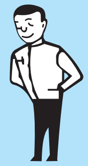

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति ईकाई (वैकल्पिक) संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराता है :**

   (क) सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती की गई चूंकि गत वर्ष पूरे वर्ष की गई थी?

   लागू नहीं

   (ख) ग्राहक (ऊर्जा, जल) के उपयोग द्वारा कटौती चूंकि गत वर्ष लक्ष्य हासिल किया गया था?

   लागू नहीं.

3. **क्या कंपनी के पास स्थाई सोर्सिंग (परिवहन सहित) के स्थान में अन्य प्रक्रिया अपनाई है?**

   लागू नहीं, बैंक मुख्यतः वित्तीय सेवाओं और उत्पादों से मुख्य रूप से संबंधित है.

   (क) यदि हां, आपके निविष्टियों का कितना प्रतिशत तक स्रोत बनाए रखा है ? लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें.

   लागू नहीं.

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के चारों ओर के समुदायों सहित स्थानीय व छोटे उत्पादकों से वस्तुओं व सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है?

   (क) यदि हां तो स्थानीय व छोटे व्यापारियों की क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाया है?

   वस्तुओं की खरीद जो शाखाओं की स्थापना और शाखाओं के संचालन आदि के लिए आवश्यक है, नीलामी प्रक्रिया के जरिए नजदीक के व्यापारियों के जरिए कराई जाती है.

5. **क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट की पुनरावृत्ति के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट (अलग से 5%, 5–10%, 10%) के पुनरावृत्ति का क्या प्रतिशत है, लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.**

   लागू नहीं

सिद्धांत 3

सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए व्यापार को बढ़ावा देने हेतु

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें.

   कर्मचारियों की कुल संख्या 16079 है.

2. कृपया अस्थायी/संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें.

   अस्थायी/संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 1434 है.

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.

   स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 4479 है.

4. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.

   दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 342 है.

5. क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

   हां

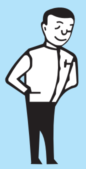

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी की कुल संख्या आपके स्थाई कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है?**

अधिकारी संघ	अभाविबैंअसं - 42.06%
कामगार संघ	1. विबैंकासं - 27.65%
	2. विबैंकसं - 17.45%

7. **कृपया गत वर्ष के बाल मजदूरी, बेगारी, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उसकी लंबित स्थिति सूचित करें.**

सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/बेगारी/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन शोषण	7	2
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	लागू नहीं

8. **नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को गत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयणीकरण प्रशिक्षण दिया गया था ?**

(क) स्थाई कर्मचारी	66.65 %
(ख) स्थाई महिला कर्मचारी	61.11 %
(ग) आकस्मिक/अस्थाई/संविदागत कर्मचारी	शून्य
(घ) दिव्यांग कर्मचारी	72.22 %

सिद्धांत 4

सभी हितधारकों के संबंध में विशेषकर जिन्हें नुकसान हो रहा है को हित और हित के उत्तरदायी व्यापार

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का खाका बनाया है? हां/नहीं**

   हां, बैंक के हितधारक में सरकार, निवेशक, कर्मचारी और बैंक के ग्राहक शामिल हैं.

2. **उपरोक्त के अतिरिक्त, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है ?**

   हां

3. **क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों को शामिल करने के लिए की विशेष कदम उठाया है, यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें.**

   कर्मचारी : बैंक जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव और पूर्वग्राह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाती है. बैंक सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार अजा/अजजा श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को समान लाभ/सुविधा/सहायता प्रदान करती है.

   बैंकिंग उद्योग में पहली बार दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याणार्थ दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अधिकारी और लिपिक में पदोन्नति हेतु अलग से पदोन्नति चैनल बनाई गई है. उच्च शिक्षा (10वीं से स्नातकोत्तर) प्राप्त करने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चे हेतु ` 2000/- से `5000/- तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना की शुरुआत की गई है. दिव्यांग श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को विवाह के समय `10,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है. नेत्रहीन कर्मचारियों को पकड़ कर चलने वाली छड़ी, बातचीत करने वाला सॉफ्टवेयर, ब्रेल संलग्नक आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है.

   ग्राहक : समाज में हाशिए पर रहने वाले श्रेणी की आवश्यकता को पूरा करने के अनुक्रम में, बैंक ने अन्य के साथ मूल बचत बैंक खाता योजना, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, स्व-सहाय दलों को ऋण, मगांराग्रारोगांअ (मनरेगा) वेतन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋण, महिला उद्यमियों को ऋण और सूक्ष्म व लघु ईकाइयों को समर्थन की शुरूआत की है.

सिद्धांत 5

पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बचाने के उपाय के लिए व्यापार

1. **क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी की रक्षा करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/एनजीओ/अन्य को वर्धित है ?**

   हां, बैंक को भारत के संविधान में निहित मानवाधिकार और संघ की स्वतंत्रता के संबध में जानकारी है. मानव संसाधन नीति केवल बैंकिंग परिचालन से रक्षित है. बैंक की मानव संसाधन नीति सभी कर्मचारियों के समान और स्वस्थ व्यवहार करता है और राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, दिव्यांगता, कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. अपने परिसर के सिविल निर्माण/विद्युतीय/ अनुरक्षण कार्य के लिए ठेकेदारों की सेवाएं लेते समय श्रम कानून और मानवाधिकार से संबंधित अन्य नियमों का अनुपालन बैंक करता है.

2. **गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों के कितने शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से सुलझाए गए शिकायतों का क्या प्रतिशत है ?**

   वर्ष के दौरान बैंक ने बैंक के विविध हितधारकों से 5290 शिकायत प्राप्त की हैं और निपटाई गई शिकायतों की संख्या 100% हैं.

सिद्धांत 6

पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बचाने के उपाय के लिए व्यापार

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी की रक्षा करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/एनजीओ/अन्य को वर्धित है ?**

   हां, यह नीति केवल बैंक को रक्षित है.

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता आदि के समाधान के लिए कोई रणनीति/पहल है? हां/नहीं. यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि का लिंक प्रदान करें.**

   हां,

   बैंक की ऋण नीति निर्देशन के अनुसार, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लूरोकार्बन – 11 (सीएफसी–11), सीएफसी–12, सीएफसी–11 और सीएफसी–12 का मिश्रण, सीएफसी–13, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, हालोन्स – 1211, 1301, 2402 का खपत/उत्पादन करने वाली नई कंपनियों के गठन के लिए बैंक कोई वित्त उपलब्ध नहीं कराता है.

3. **क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरण जोखिम की पहचान और आकलन करता है ? हां/नहीं**

   हां

   व्यापार की प्रकृति को देखते हुए बैंक एक महत्वपूर्ण स्तर पर पर्यावरण जोखिम के लिए भेद्य नहीं है.

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की परियोजना है ? यदि ऐसा है तो, लगभग 50 शब्दों में विवरण उपलब्ध कराएं, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाती है ?**

   हां, बिना पेपर के बैंकिंग के प्रवर्तन के लिए कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेली–बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ई–लॉबी सहित बैंक द्वारा विविध हरित पहल की जाती है.

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल किया है, यदि हां तो कृपया वेबपेज के लिए लिंक प्रदान करें.**

   बैंक ने स्वच्छ तकनीकी और ऊर्जा दक्षता के प्रवर्तन के लिए कई कदम उठाया है. बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित उत्पादों को महत्व व वरीयता देता है जो कार्बन क्रेडिट, पवन चक्की/सौर ऊर्जा परियोजनाओं का अर्जन करता है.

6. **क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दिए गए अनुमत सीमाओं के अधीन कंपनी द्वारा उत्पन्न किए गए उत्सर्जन/अपशिष्ट का रिपोर्ट किया जाता है ?**

   बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसलिए यह लागू नहीं है.

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं/कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाया गया).**

   - शून्य -

सिद्धांत 7

व्यापार जो सार्वजनिक नीति और विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो, जिम्मेदार तरीके से ऐसा करते हों

1. क्या कंपनी किसी भी व्यापार और मंडल या संघ के सदस्य है ? यदि हां तो प्रमुखता से नाम जिसके साथ कारोबार करते हैं :

   (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   (ख) बैंकिंग कोड और भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

   (ग) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्था (आईआईबीएफ)

   (घ) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था (आईबीपीएस)

2. **क्या आपने जनता की भलाई के लिए उन्नति या सुझाव के लिए उपरोक्त संस्थाओं के साथ वकालत/पैरवी की है ? हां/नहीं; यदि हां तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

   बैंक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो देश के सभी क्षेत्रों और सभी श्रेणी की जनता को बैंकिंग सेवाओं का लाभ दिलाने के लक्ष्य से कार्य करता है. इसके अतिरिक्त, देश के सतत् विकास के लिए सहयोग करते हुए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्र में समय समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी नीति निदेशों/नियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन बैंक करता है

सिद्धांत 8

बैंक को व्यापार समावेशी और समतुल्य विकास का समर्थन करना है

1. **क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुशीलन में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है ? यदि हां तो उसका विवरण दें.**

   स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह को ऋण :

   ग्रामीण एवं शहरी गरीबों का ऋण आवश्यकताओं को पूरी करने में, एक सफल ऋण वितरण प्रणाली होने के नाते, बैंक एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में एसएचजी/जेएलजी को ऋण प्रदान कर रहा है. अब तक बैंक के पास ` 841 करोड़ के ऋण संबद्ध 30395 समूह हैं.

   ऋण संबद्ध एसएचजी/जेएलजी के लिए बडे पैमाने पर सीधे तथा कारोबार संपर्कदाता मॉडल के जरिए विशेष अभियानों का आयोजन किया गया. भारत सरकार के एनआरएलएम के तहत पात्र समूहों को ब्याज सहायता वितरित की गई.

   बैंक ने माइक्रो वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) को भी `567 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जो एसएचजी/जेएलजी तथा अन्य निम्न आय समूह के लिए है.

2. **क्या आंतरिक टीम/स्व संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचना/अन्य किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम/परियोजना आयोजित की गई ?**

   नीचे कुछ अन्य पहल दी गई हैं, जिनमें लोगों और समाज की सेवा करने पर प्रभाव डालनेवाली परियोजनाएं शुरु करने के लिए बैंक शामिल है.

   i. **वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था) :** बैंक ने कर्नाटक के मंड्या और हावेरी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर में विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. संस्था ने विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयणीकरण/जागरूकता कार्यक्रम/उद्यमी विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन किया है. सभी तीनों वीआईबीएसईटीआई को ग्रामीण विकास मंत्रालय

(एमओआरडी) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए उच्चतम श्रेणीकरण श्रेणी 'एए' से पुरस्कृत किया गया है. वर्तमान वर्ष 2017-18 के दौरान 87 कार्यक्रम आयोजित किए गर हैं और 2399 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है. प्रारंभ से कुल 1624 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 63631 हिताधिकारियों को लाभ हुआ है. यथा दिनांक 31.03.2018 को लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम के साथ प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 70% है.

ii. विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीएफ)

विकास कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, सेवाएं आदि तथा अन्य ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे साक्षरता, स्व रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में वैज्ञानिक, शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार गतिविधियों का संचालन करने के लिए वर्ष 1990 में बैंक द्वारा मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन (वीआरडीएफ) स्थापित किया गया. वीआरडीएफ, विभिन्न विषयों को कवर करते हुए ग्राम विकास परिषद (वीडीसी) के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में वीआरडी के अंतर्गत ऐसे 49 वीडीसी कार्य कर रहे हैं. फाउंडेशन ने 5 वीडीसी स्थापित किया है. फाउंडेशन की गतिविधियां दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड और उत्तरा कन्नड़ जिले के निकतवर्ती भागों में और हावेरी, धारवाड़ और मंड्या जैसे अन्य जिलों में फैले हैं जहां बैंक की अग्रणी बैंक ज़िम्मेदारी है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, वीआरडीएफ हुए 283 कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा 11094 व्यक्ति लाभान्वित हुए. वीआरडीएफ स्थापना के बाद इस वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या सबसे ज्यादा है. स्थापना के बाद से 121665 लाभार्थियों को लाभान्वित 1969 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.

2017-18 के दौरान आयोजित कुछ नव कार्यक्रम निम्नलिखित थे:

- जल संरक्षण जो चौबीस घंटे की आवश्यकता है के बारे में ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु छत वर्षा जल संचयन मॉडल.
- प्रधान मंत्री मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना
- आकाशवाणी, मंगलूर के माध्यम से 10वें कक्ष के ग्रामीण स्कूल विद्यार्थियों के लिए गणित व अंग्रेजी विज्ञान में रेडियो सत्र आयोजित किया गया
- कृषि व्यवसाय में रुचि विकसित करने व इस ओर विध्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए 50 विध्यार्थी कृषिका संघों का गठम.
- सब्जी के बीजों वितरण

3. **क्या आपने अपनी पहल के किसी प्रभाव का आकलन किया है ?**

बैंक ने प्रमंजधयो के अधीन 14.59 लाख मूल बचत बैंक जमाराशि खाते खोले हैं जिसमें कुल बचत ` 203.43 करोड़ हैं और सभी खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं. मार्च 2017 में 88 % से वर्ष 2018 वृद्धि 90.01%लाख खातों में आधार संख्या जोड़े गए हैं. बैंक ने 9442 प्रमंजधयो के खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की है और जिसकी कुल राशि ` 158.00 लाख है.

4. **सामुदायिक विकास परियोजना को आपकी कंपनी का सीधा अंशदान क्या है – राशि रुपए में और किये गए परियोजना का विवरण दें.**

वर्ष 2017-18 के दौरान, समाज के विभिन्न जैसे कि सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और भौगोलिक दृष्टि से दूर रहनेवाले वर्गों, के लिए बनाए रखने योग्य विकास हेतु योगदान देने के उद्देश्य से बैंक ने कई कार्य किए है. हमारा फोकस बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ, सुरक्षित पीने का पानी, सफाई, ग्रामीण विद्यालयों को मूलभूत सुविधा, पर्यावरण सुरक्षा, हाशिए पर, उपेक्षित, परित्यक्त, जरूरतमंद लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने एवं पूरे देश के सभी भागों में फैली अपनी शाखाओं के द्वारा विशेष रूप से आवश्यकता प्राप्त व्यक्तियों को नकद और वस्तुओं के दान प्रदान करने पर है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने अपनी कंपनी सामाजिक दायित्व के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ` 3.98 लाख खर्च किया है.

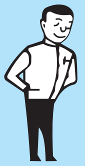

मंडल के निर्देशानुसार, बैंक ने विभिन्न सामाजिक उपयुक्त गतिविधियों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है. वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर गतिविधियों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है.

- **बालिका को गोद लेना –** हमारे बैंक में वर्ष 2011 में शुरू की गई थी, जिसमें वर्ष 2016-17 के दौरान अजा/अजजा/अपिव/आकव के परिवारों से 967 बालिकाओं को गोद लिया गया और अब तक बैंक द्वारा गोद लिए गए बालिकाओं की कुल संख्या 1311 है
- **स्कूलों के लिए शौचालय** व्यवस्था बैंक ने 66 विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण करवाया है जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और जिसके लिए मासिक अनुरक्षण खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाता है
- **ग्रामीण स्वास्थ केंद्र:** बैंक ने योग्य चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए 58 ग्रामीण स्वास्थ केंद्रों की स्थापना की है जिसमें मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और दवाएं मुफ्त दी जाती है
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बस/वाहन :**बैंक ने विशेष स्कूलों, अनाथालयों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति, जैसे कि दिव्यांग , बीमार और असहाय व्यक्तियों की सेवा में लगे हुए तथा समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों के लिए कल्याण प्रदान करनेवाले धर्मार्थ संगठनों को बस, वैन जैसे वाहन का दान किया है
- बैंक ने स्थाई मूलभूत सुविधा सृजित करने के लिए मूलभूत साधनों का दान किया है जैसे कि मनोभ्रंश प्रभावित वृद्ध व्यक्तियों के लिए अस्पताल का निर्माण, धर्मार्थ अस्पताल में बच्चों के वार्ड का निर्माण, कैंसर अस्पताल के लिए अधिक मूल्य के चिकित्सा उपकरण, डायलिसिस मशीन, आदि के लिए हेतु पूंजिगत व्यय का सृजन, ताकि अनाथालयों में बीमार, बेसहारा, दिव्यांग, असहाय लोगों की सेवा में लगे हुए धर्मार्थ अस्पताल, ट्रस्ट, एनजीओ आदि में, वृद्धाश्रमों, विशेष स्कूलों, अंधों के लिए स्कूल, अस्पताल आदि नई/अद्यतन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकें. इसके अलावा, बैंक ने विशेषत: वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर, उपकरण,स्ट्रेचर, बिस्तर, कंबल, बेडशीट, फर्नीचर, फ्रिड्ज, ट्राइसाइकिल आदि का भी दान किया है
- स्कूलों, धर्मार्थ अस्पतालों,सार्वजनिक स्थानों आदि में सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था के लिए , जल शुद्धिकारक यंत्र, वाटर प्यूरिफायर, बोरवेल की खुदाई , वाटर फिल्टर, पानी का संग्रहण टैंक आदि की स्थापना के लिए दान दिया गया है
- हरित पहल के तहत, बैंक ने सार्वजनिक पार्क के सफाई के रखरखाव की दिशा में वृक्षारोपण किया है. कचरे के संग्रह बागवानी उपकरण कचरा रिक्शा आदि दान किया है
- अन्य दान
- इन गतिविधियों के अलावा, गरीबों, जरूरतमंद व्यक्तियों तथा समाज के बेसहाय वर्ग के कल्याण के लिए स्कूलों, धर्मार्थ ट्रस्टों, तथा गैर लाभ संगठनों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए दान दिया है

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाता है ? कृपया 50 शब्दों में विवरण दें.**

हां, बैंक ने इन शुरुआतों को अपनी क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाओं के जरिए कार्यान्वित किया. जिसके लिए निरंतर अंत:क्षेप चाहिए. निकटतम शाखाओं के माध्यम से धन की निगरानी और अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है. बैंक ऐसी गतिविधियां भी चलाती हैं जो दान जैसे प्रकृति में होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन, स्कूलों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, दिव्यांग / निराश्रित घरों, धर्मार्थ अस्पतालों, आदि के लिए उनकी कठिनाई को कम करने और एक स्थायी आधार पर अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हुए उदारतापूर्वक दान किया हैं.

सिद्धांत 9

कारोबार किया जाना है तथा जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करना है

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहकों की शिकायत/उपभोक्ता मामले का कितने प्रतिशत लंबित है.**

   वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के पास 4699 प्राप्त शिकायतों में से 40 लंबित हैं, अर्थात कुल शिकायतों का केवल 0.85%.

2. **क्या कंपनी उत्पाद स्तर पर उत्पाद सूचना करती है जो स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य है ? हां/नहीं/लागू नहीं /टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचना)**

   बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना पर्चे और विवरणिका के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और यह बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध है.

3. **क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार से संबंधित कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है. यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें.**

   –शून्य–

4. **क्या कंपनी द्वारा उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान के बारे में सर्वेक्षण किया गया है?**

   हां, माह के दौरान सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय में ग्राहक सेवा समिति की बैठक आयोजित की जाती है, ग्राहक सेवा पर प्रतिक्रिया ली जाती है और ग्राहक सेवा में उजागर हुई कमियों को दूर करने के लिए सही समय पर सकारात्मक कार्रवाई की जाती है.

   इसके अलावा, बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा हासिल करने की दिशा में सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हमारी 849 चयनित शाखाओं में ग्राहक संतुष्टि पर सर्वेक्षण किया है

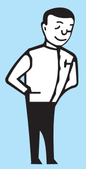

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कंपनी शासन पर विजया बैंक के निदेशक मंडल की रिपोर्ट - 2017-18

1. बैंक के कंपनी अभिशासन संबंधी सिद्धान्त

बैंक की परिभाषा में कंपनी अभिशासन से तात्पर्य है - मजबूत बुनियादी तत्वों के साथ दीर्घकालिक स्थिरता दर्शाना है. कंपनी अभिशासन का उद्देश्य बैंक के लिए मजबूत बुनियादी तत्वों का सृजन करना है. कंपनी अभिशासन पद्धतियों के बदलते आयामों के साथ बैंक के लिए भविष्य की विस्तृत दूरदृष्टि रखते हुए और अधिक क्रियाशील / गत्यात्मक तथा सशक्त संस्था के रूप में उभरने की आवश्यकता है. कंपनी अभिशासन में अनिवार्यतः कई हितधारकों जिसमें उसके शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं, वित्तीय संस्थाएं, सरकार तथा समुदाय शामिल हैं, के हित का संतुलन करना शामिल है. जबकि कंपनी अभिशासन कंपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है, वह व्यावहारिक रूप से प्रबंधन, कार्य योजना तथा आंतरिक नियंत्रण से निष्पादन मापन तथा कॉर्पोरेट प्रकटीकरण के प्रत्येक पहलू को समाहित करता है. एक अच्छा कंपनी अभिशासन का मूल तत्व बैंक तथा उसके सभी हितधारकों के बीच विश्वसनीय संबंध सुनिश्चित करना है. अतः, उत्तम अभिशासन में अनुपालन से बहुत अधिक शामिल होता है. एक उत्तम कंपनी अभिशासन स्थिरता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रभावशाली संस्कृति तथा परिवेश है जो पूरे संगठन में फैलाता है.

बैंक अपने सभी स्तरों पर निष्पादन सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों के हित की सुरक्षा रखने तथा संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल करते हुए अधिकतम लाभ के साथ उनकी अहमियत बढाने में निरंतर सक्रिय है. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है बल्कि स्वेच्छा से मजबूत कंपनी अभिशासन पद्धतियों को भी बनाता है तथा उनका अनुपालन करता है. बैंक अपने सभी क्षेत्र के गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु उन्नत स्तर के नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और अनुशासित दृष्टिकोण रखता है. बैंक अपने हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और खास तौर पर समाज शामिल है, के हित को उत्तम सेवा प्रदान करने में हर संभव प्रयास कर रहा है. बैंक एक सूचीबद्ध इकाई है; यह एक कंपनी नहीं है बल्कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन एक निगमित निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है. बैंक की कंपनी अभिशासन नीतियां मंडल की जवाबदेही तथा उसके निर्णयों की महत्ता ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों तथा विनियामक प्राधिकारियों सहित सभी घटकों के प्रति सुनिश्चित करती है और दर्शाता है कि हमारे आर्थिक गतिविधियों के कारण और अंतिम हिताधिकारी शेयरधारक हैं.

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कार्पोरेट प्रशासन में शुरु की गई हरित पहल

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर शेयरधारकों को वार्षिक वित्तीय परिणामों की प्रतियां सहित दस्तावेज़/सूचनाएँ आदि भौतिक रूप से भेजने के बदले इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इससे समाज को, कागज की खपत कम किए जाने से लाभ पहुँचेगा और बदले में इससे वृक्षों की रक्षा होगी जिससे निरंतर हरित वातावरण का निर्माण हो सकेगा. इलेक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रेषित करने से समय पर सूचना पहुँचाने तथा इनके मार्गस्थ नष्ट होने से बचने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है. हमने अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ई-मेल पता हमारे पास पंजीकृत करवाएँ ताकि हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हरित पहल का अनुपालन कर सकें.

2. निदेशक मंडल

अच्छा कार्पोरेट प्रशासन उच्च स्तर पर निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन वर्ग से शुरू होता है जो कि उचित निर्णय लेकर बैंक को उत्कृष्टता के उच्चतम मानक प्राप्त करने हेतु मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक के निदेशक मंडल और अन्य समितियों का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980; बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 और राष्टीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 एवं इस संबंध में भा.रि.बैं. के निदेश/भारत सरकार के दिशानिर्देश/आईसीएआई लेखांकन मानक के अनुसार किया गया है.

2.1 यथा दिनांक 31.03.2018 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यकारी	3
गैर-कार्यकारी	9
कुल	**12**

निदेशक, बैंक के विकास के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं.

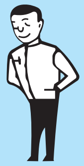

2.2 यथा दिनांक 31.03.2018 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक–पद का स्वरूप	पद संभालने की तारीख
1.	श्री जी नारायणन	गैर कार्यपालक अध्यक्ष एवं गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	14.08.2015
2.	श्री आर ए शंकर नारायणन *	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक	01.09.2017
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	22.01.2016
4.	श्री मुरली रामस्वामी *	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	19.02.2018
5.	श्री एन श्रीनिवास राव *	सरकारी नामिती	गैर – कार्यपालक	28.09.2017
6.	श्री जी पी बोरा	भा.रि.बैं. नामिती	गैर – कार्यपालक	13.01.2017
7.	श्री विवेक सोनी *	गैर अधिकारी निदेशक (सीए श्रेणी)	गैर – कार्यपालक	27.12.2017
8.	श्री एम भगवंत राव	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	28.01.2016
9.	श्री वी वी आर शास्त्री	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	28.01.2016
10.	श्री एस रघुनाथ	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	25.04.2016
11.	श्री राजन डोगरा *	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक	08.08.2017
12.	श्री राघवेंदर गुप्ता *	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक	08.08.2017

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति

* श्री आर ए शंकर नारायणन को दिनांक 01.09.2017 से प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

* श्री मुरली रामस्वामी को दिनांक 19.02.2018 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

* श्री एन श्रीनिवास राव को दिनांक 28.09.2017 से सरकारी नामिती के रूप में नियुक्त किया गया है.

* श्री राजन डोगरा को दिनांक 08.08.2017 से नामिती – शेयरधारक के रूप में नियुक्त किया गया है.

* श्री राघवेंदर गुप्ता को दिनांक 08.08.2017 से नामिती – शेयरधारक के रूप में नियुक्त किया गया है.

* श्री विवेक सोनी को दिनांक 27.12.2017 से सीए श्रेणी के तहत गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

वर्ष के दौरान निदेशकों की कार्यकाल समाप्ति

डॉ किशोर साँसी, दिनांक 31.08.2017 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं रहे.

श्रीमती भारती राव, दिनांक 07.08.2017 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर शेयरधारक निदेशक नहीं रहीं.

श्री पी वैद्यनाथन, दिनांक 07.08.2017 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर शेयरधारक निदेशक नहीं रहे.

श्री संजय कुमार, दिनांक 27.09.2017 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर सरकारी नामिती निदेशक नहीं रहे.

श्री बी एस रामाराव, दिनांक 31.01.2018 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर बैंक के कार्यकारी निदेशक नहीं रहे.

2.3 वर्ष 2017–18 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

नाम	**श्री आर ए शंकर नारायणन**
जन्म तिथि	23.01.1960
उम्र	58 वर्ष
अर्हता	एमबीए (वित्त), सीएआईआईबी, पीजीडीपीएम, पीजीडीएफएम, डीटीआईआरएम, डीसीपी, बीआरएम

निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी** श्री आर ए शंकर नारायणन को, दि. 01.09.2017 की अधिसूचना के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1), खंड (6) तथा खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री आर ए शंकर नारायणन ने दिनांक 1 सितंबर 2017 से विजया बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है. वे लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं तथा साथ ही एमबीए (वित्त), सीएआईआईबी, पीजीडीपीएम, डीटीआईआरएम, डीसीपी, बीआरएम की उपाधियाँ भी उन्होंने प्राप्त की हैं. वे वर्ष 1983 में बैंक ऑफ इंडिया में सीधी भर्ती में अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए और टोक्यो और सिंगापोर में विदेशी कार्य के साथ ट्रेजरी, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सहित कॉर्पोरेट कार्यालय में कई शाखाओं, अंचलों नेशनल, बैंकिंग समूह और कई अन्य विभागों का नेतृत्व किया. उनके पास ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, खुदरा, विपणन, वसूली, मानव संसाधन सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव और एक्सपोजर हैं. मई 2015 से बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में, वे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा, मानव संसाधन, आईटी, योजना, वित्त इत्यादि के अलावा ट्रेजरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिकवरी, जोखिम प्रबंधनव व अनुपालन के प्रभारी भी थे. उन्होंने विभिन्न बोर्डों - पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ इंडिया- तंजानिया, कॉमनवेल्थ फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएफसीएल-हांगकांग), बीओआई न्यूजीलैंड लिमिटेड, बीओआई शेयरहोल्डिंग, एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस आदि में बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है.

नाम	**श्री मुरली रामस्वामी**
जन्म तिथि	20.12.1960
उम्र	58 वर्ष
अर्हता	एमबीए (वित्त), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी एवं अर्हता प्राप्त लागत लेखाकार
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**कार्यकारी निदेशक** श्री मुरली रामस्वामी को, दि. 19.02.2018 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4/5(2)/2017-बीओ-आई के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) व खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन भारत सरकार द्वारा पद के अधिग्रहण की तारीख से दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के लिए या अग्रिम आदेशों तक बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री मुरली रामस्वामी ने दिनांक 19 फरवरी 2018 से विजया बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है. वे वाणिज्य स्नातक हैं व एमबीए (वित्त), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी उपाधिप्राप्त एवं अर्हता प्राप्त लागत लेखाकार भी हैं. श्री मुरली रामस्वामी वर्ष 1989 में विजया बैंक में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए थे और उन्होंने भारत भर में विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कई अन्य विभागों का नेतृत्व किया है. कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले, वे महाप्रबंधक ऋण (परि) के साथ-साथ बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी भी थे. बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में उनके पास समृद्ध अनुभव और एक्सपोजर है. उन्होंने आईडीआरबीटी, एनआईबीएम सहित भारत व विदेशों में अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण, संगोष्ठियों में भाग लिया है.

नाम	**श्री एन श्रीनिवास राव**
जन्म तिथि	08.02.1969
उम्र	49 वर्ष
अर्हता	पीएचडी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**सरकारी नामिती निदेशक** श्री एन श्रीनिवास राव को, दि. 28.09.2017 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 6/3/2012–बीओ.आई के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव और या अग्रिम आदेशों तक सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री एन श्रीनिवास राव अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने भारत में ऋण स्थिरता और एफआरबीएम अधिनियम में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की है. वे 1995 में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। अपने करियर में, उन्होंने विभिन्न आर्थिक मामलों के विकास, वित्तीय सेवाएं विभाग, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न निदेशकों जैसे निदेशक, वित्तीय सलाहकार और आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है। वर्तमान में उन्हें भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में तैनात किया गया है.

नाम	**श्री राघवेंदर गुप्ता**
जन्म तिथि	06.04.1955
उम्र	63 वर्ष
अर्हता	चार्टर्ड एकाउंटेंट
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**शेयरधारक निदेशक** श्री राघवेंदर गुप्ता को, दि. 08.08.2017 से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अधीन शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री राघवेंदर गुप्ता वाणिज्य स्नातक हैं तथा वर्ष 1986 से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एक साथी सदस्य हैं. वित्त, कराधान और बैंक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में श्री राघवेंदर गुप्ता को 37 वर्षों का गहन अनुभव है. वह मैसर्स आर वेंडर गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली के मुख्य भागीदार हैं, जिन्होंने 1980 में शुरुआत की थी. उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैल्यूएशन पर सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त किया है और आईसीएआई से बैंकों के समवर्ती लेखा परीक्षा पर भी पाठ्यक्रम पूरा किया है. वे समेकित लेखा परीक्षकों, स्टॉक ऑडिटर, राजस्व लेखा परीक्षक, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक के साथ-साथ केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में क्षमता में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े हुए हैं. वे वैधानिक / आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षक आदि के रूप में क्षमता में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भी जुड़े हुए हैं. उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ एक विशेषज्ञ के रूप में तथा आयकर विभाग के साथ एक विशेष लेखा परीक्षक के रूप में संबद्ध किया गया है.

नाम	**श्री राजन डोगरा**
जन्म तिथि	21.06.1964
उम्र	54 वर्ष
अर्हता	चार्टर्ड एकाउंटेंट

निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**शेयरधारक निदेशक** श्री राजन डोगरा को, दि. 08.08.2017 से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अधीन शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री राजन डोगरा वाणिज्य स्नातक हैं तथा वर्ष 1989 से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एक साथी सदस्य हैं. वे वर्ष 1995 से निरंतर अभ्यास में हैं. श्री राजन डोगरा के पास बैंकिंग और टेलीकॉम के क्षेत्र में 27 साल का एक शानदार अनुभव है. वे एस. टंडन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में पूर्णकालिक भागीदार हैं. वे विभिन्न कंपनियों में निदेशक हैं. कंपनियों में, उनकी प्रमुख कंपनी सिंकप्रू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है. कंपनी 2006 से अस्तित्व में है और मुख्य रूप से दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणालियों में संलग्न है जिसमें विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए भंडारण शामिल है. कंपनी क्रेडिट निगरानी के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी के लिए एक आउटसोर्स विक्रेता के रूप में भी कार्य करती है, जैसे क्रेडिट सत्यापन, दस्तावेज प्रसंस्करण, संग्रह इत्यादि. उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं की हैं और इससे उनके वैश्विक परिप्रेक्ष्य की झलक मिलती है।

नाम	**श्री विवेक सोनी**
जन्म तिथि	24.07.1962
उम्र	56 वर्ष
अर्हता	चार्टर्ड एकाउंटेंट
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	**सीए श्रेणी के तहत गैर अधिकारी निदेशक** श्री विवेक सोनी को, दि. 27.12.2017 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 6/1/2015-बीओ.आई के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 9 के उप-खंड (2) की मद संख्या (ख) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अधीन भारत सरकार द्वारा सीए श्रेणी के तहत गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री विवेक सोनी मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एक साथी सदस्य हैं. वे मैसर्स विवेक सोनी और कंपनी के सहभागी हैं. फर्म के पास विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की ओर से वैधानिक शाखा लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, निरीक्षण लेखा परीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा, उचित परिश्रम और इकाई निरीक्षण आयोजित करने का अनुभव है. उनके पास पूंजी और मनी मार्केट के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है, वे लेखा परीक्षा, विलय और समामेलन, कॉर्पोरेट पुनर्गठन, परियोजना वित्त पोषण, कराधान, कर योजना और कंपनी कानून मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं. वे पिछले 30 वर्षों से कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के सलाहकार रहे हैं.

2.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 17 बैठकें हुईं, जब कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत न्यूनतम 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

09.05.2017	23.06.2017	22.07.2017	30.08.2017	18.09.2017	12.10.2017	26.10.2017
02.12.2017	02.12.2017	03.12.2017	02.01.2018	24.01.2018	08.02.2018	24.02.2018
09.03.2018	09.03.2018	22.03.2018				

मंडल की उपरोक्त बैठकों में से, बैंक ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2012 के निदेशों के अनुरूप प्रमुख नीति तथा रणनीतियुक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंडल की 5 विशेष बैठकों का आयोजन किया है.

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुईं विशेष मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है :

2.5 मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति हां / नहीं/लागू नहीं
1	श्री जी नारायणन	01.04.2017-31.03.2018	17	17	**हां**
2	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2017-31.08.2017	4	4	**हां**
3.	श्री आर ए शंकर नारायणन	01.09.2017-31.03.2018	13	13	**लागू नहीं**
4.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017-31.01.2018	12	12	**हां**
5.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017-31.03.2018	17	16	**हां**
6.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018-31.03.2018	4	4	**लागू नहीं**
7.	श्री संजय कुमार	01.04.2017-27.09.2017	5	3	**हां**
8.	श्री श्रीनिवास राव	28.09.2017-31.03.2018	12	9	**लागू नहीं**
9.	श्री जी पी बोरा	01.04.2017-31.03.2018	17	15	**हां**
10.	श्रीमती भारती राव	01.04.2017-07.08.2017	3	2	**हां**
11.	श्री पी.वैद्यनाथन	01.04.2017-07.08.2017	3	3	**हां**
12.	श्री राजन डोगरा	08.08.2017-31.03.2018	14	14	**लागू नहीं**
13.	श्री राघवेंद्र गुप्ता	08.08.2017-31.03.2018	14	14	**लागू नहीं**
14.	श्री विवेक सोनी	27.12.2017-31.03.2018	7	7	**लागू नहीं**
15.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017-31.03.2018	17	17	**हां**
16.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017-31.03.2018	17	17	**हां**
17.	श्री एस रघुनाथ	25.04.2017-31.03.2018	17	13	**नहीं**

3. मंडल की समितियां :

सेबी, भा.रि.बैं. और वित्त मंत्रालय की अपेक्षाओं/निदेशों के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार विशिष्ट व सकेंद्रित शासन प्रदान करती है :

1. प्रबंधन समिति
2. लेखापरीक्षा समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. शेयर अंतरण समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति
6. उच्च मूल्य के धोखाधडी की समीक्षा हेतु समिति
7. प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति
8. निदेशकों की पदोन्नति समिति
9. अनुशासनिक मामले तथा विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति
10. ग्राहक सेवा समिति
11. पारिश्रमिक समिति
12. नामांकन समिति
13. शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति
14. सू.प्रौ. रणनीति समिति
15. वसूली की निगरानी हेतु समिति
16. अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारियों द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति
17. एपीएआर समीक्षा समिति

18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति
19. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति
20. मानव संसाधन समिति
21 डिजिटल लेनदेन की समिति

3.1 मंडल की प्रबंधन समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार नई जमा योजनाएं शुरू करना, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या गैर निधि आधरित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, निवेश, दान संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना मंडल की प्रबंधन समिति के गठन का उद्देश्य है. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जो, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिए जाते हैं.

दिनांक 31.03.2018 को सदस्य

क्रमांक	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4.	श्री जी पी बोरा	सदस्य
5.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य
6.	श्री राजन डोगरा	सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 14 बैठकें हुईं. वर्ष के दौरान हुईं, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

08.05.2017	22.06.2017	18.09.2017	27.09.2017	12.10.2017	07.11.2017	01.12.2017
27.12.2017	24.01.2018	08.02.2018	24.02.2018	09.03.2018	22.03.2018	31.03.2018

3.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन *	01.09.2017-31.03.2018	12	12
2.	डॉ. किशोर सांसी *	01.04.2017-31.08.2017	2	2
3.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017-31.01.2018	9	8
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017-31.03.2018	14	13
5.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018-31.03.2018	4	4
6.	श्री जी पी बोरा	01.04.2017-31.03.2018	14	12
7.	श्री एस रघुनाथ	08.08.2017-07.02.2018	7	5
8.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017-07.08.2017 08.02.2018-31.03.2018	7	7
9.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017-07.08.2017	2	2
10.	श्री राजन डोगरा	08.02.2018-31.03.2018	5	5
11.	श्री राघवेंद्र गुप्ता	08.08.2017-07.02.2018	7	7

* श्री किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे तथा श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहे.

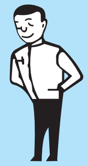

3.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखापरीक्षा से संबंधित सब प्रकार के कामकाज के संबंध में निर्देश देती है. इसमें शामिल हैं; बैंक के अंदर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन. कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना.
- प्रबंधन वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर विशेष बल देना जैसे; लेखा नीतियां और प्रथाएं, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधडी का शक हो अथवा अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मजबूत करने के लिए सुझाव देना.
- वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.
- प्रबंधन वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखापरीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है :

  क) अंतर शाखा समायोजन खाते

  ख) अंतर शाखा खातों और नोस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गईं प्रविष्टियां

  ग) विभिन्न शाखाओं में बकाया पडा बहियों का संतुलन कार्य

  घ) धोखाधडी

  ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक, भा.रि.बैंक नामिती निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक हैं.

दिनांक 31.03.2018 को सदस्य

क्रमांक	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री विवेक सोनी	अध्यक्ष
2.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
3.	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
4.	श्री जी पी बोरा	सदस्य
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य
6.	श्री राघवेंदर गुप्ता	सदस्य

भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यत: तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छः बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों में 7 बैठकें हुईं.

08.05.2017	22.07.2017	04.10.2017	26.10.2017	02.12.2017	24.01.2018	09.03.2018

3.2.1 एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती भारती राव ✻	01.04.2017 - 07.08.2017	2	1
2.	श्री पी.वैद्यनाथन	01.04.2017 - 07.08.2017	2	2
3.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	6	6
4.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
5.	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2017	2	-
6.	श्री श्रीनिवास राव	28.09.2017 - 31.03.2018	5	3
7.	श्री जी पी बोरा	01.04.2017 - 31.03.2018	7	7
8.	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017 - 07.08.2017	2	2
9.	श्री एम भगवंत राव ✻	08.08.2017 - 07.02.2018	4	4
10.	श्री वी वी आर शास्त्री	08.08.2017 - 31.03.2018	5	5
11.	श्री राजन डोगरा	08.08.2017 - 07.02.2018	4	4
12.	श्री राघवेन्दर गुप्ता	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1
13.	श्री विवेक सोनी ✻	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1

✻ श्रीमती भारती राव दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 07.02.2018 तक अध्यक्ष रहीं तथा श्री भगवंत राव दिनांक 08.08.2017 से दिनांक 07.02.2018 तक अध्यक्ष रहें और श्री विवेक सोनी दिनांक 08.02.2018 से 07.02.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.3 हितधारक संबंध समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनके हित से जुडे मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक / निवेशकर्ता समिति का गठन किया है.

यह समिति, बैंक द्वारा जारी शेयरों के अंतरण, प्रेषण, शेयरों के विभाजन और समेकन के संबंध में शेयरधारकों की शिकायत तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है.

सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015, के नियम 6(1) के अनुसार, श्रीमती के रेणु, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री राघवेन्दर गुप्ता	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य
5.	श्री राजन डोगरा	सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुईं :

09.05.2017	22.07.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.3.1 हितधारक संबंध समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री पी.वैद्यनाथन *1	01.04.2017 – 07.08.2017	2	2
2.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017 – 31.01.2018	3	3
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
4.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018 – 31.03.2018	1	1
5.	श्रीमती भारती राव	01.04.2017 – 07.08.2017	2	1
6.	श्री वी वी आर शास्त्री	08.02.2017 – 31.03.2018	1	1
7.	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017 – 26.02.2018	3	3
8.	श्री राजन डोगरा	08.02.2018 – 31.03.2018	2	1
9.	श्री राघवेन्दर गुप्ता *2	08.08.2017 – 31.03.2018	2	2

*1 श्री. पी. वैद्यनाथन 01.04.2017 से दिनांक 07.08.2017 तक अध्यक्ष रहें.

*2 श्री. राघवेंदर गुप्ता दिनांक 08.08.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.4 शेयर अंतरण समिति

शेयरधारकों/निवेशकर्ताओं की शिकायतों पर निदेशकों की उप-समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यकारी निदेशक (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुपस्थिति में) और गैर-सरकारी निदेशक हैं.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री एस रघुनाथ	सदस्य
3	श्री राजन डोगरा	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

09.05.2017	22.07.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.4.1 शेयर अंतरण समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	01.09.2017 – 31.03.2018	2	2
2.	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2017 – 31.08.2017	2	2
3.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
4.	श्री पी.वैद्यनाथन	01.04.2017 – 07.08.2017	2	2

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
5.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017 - 31.03.2018	3	3
6.	श्री एस रघुनाथ	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1
7.	श्री राजन डोगरा	08.08.2017 - 26.02.2018	1	1
8.	श्री राघवेन्दर गुप्ता	08.08.2017 - 31.03.2018	1	1

डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष रहें और श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ.गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

अन्य बातों के साथ-साथ समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोग, पद्धति, परिचालन, सीमा और नियंत्रण सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिए वित्तीय मानकों को सदृढ बनाना और इस्तेमाल की जा रहीं समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री आर ए शंकर नारायणन	सदस्य
3	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
4	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
5	श्री विवेक सोनी	सदस्य
6	श्री एम भगवंत राव	सदस्य
7	श्री राजन डोगरा	सदस्य
8	श्री राघवेन्दर गुप्ता	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

22.06.2017	12.10.2017	03.12.2017	27.12.2017	08.03.2018	22.03.2018

3.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	01.04.2017 - 31.03.2018	6	6
2.	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2017 - 31.08.2017	1	1
3.	श्री आर ए शंकर नारायणन	01.09.2017 - 31.03.2018	5	5
4.	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	4	4
5.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	6	4
6.	श्रीमती भारती राव	01.04.2017 - 07.08.2017	1	1
7.	श्री पी.वैद्यनाथन	01.04.2017 - 07.08.2017	1	1
8.	श्री एम. भगवंत राव	01.04.2017 - 31.03.2018	6	6
9.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 - 07.02.2018	4	4
10.	श्री विवेक सोनी	08.02.2018 - 31.03.2018	2	2
11.	श्री राघवेन्दर गुप्ता	08.08.2017 - 31.03.2018	5 5	
12.	श्री राजन डोगरा	08.08.2017 - 31.03.2018	5	4

3.6. उच्च मूल्य की धोखाधडी से सबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

एक करोड़ रुपए व उससे अधिक रकम की धोखाधडी के मामलों पर निगरानी रखने पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री आर ए शंकर नारायणन	सदस्य
3	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
4	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
5	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
6	श्री राजन डोगरा	सदस्य
7	श्री राघवेन्दर गुप्ता	सदस्य

अवधि के दौरान समिति की 2 बैठकें दिनांक 08.05.2017 और 27.12.2017 को हुई

3.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधडी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	01.04.2017 - 31.03.2018	2	2
2.	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2017 - 31.08.2017	1	1
3.	श्री आर ए शंकर नारायणन	01.09.2017 - 31.03.2018	1	1
4.	श्री मुरली रामास्वामी	19.02.2018 - 31.03.2018	0	0
5.	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	2	2
6.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	2	2
7.	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2017	1	0
8.	श्री श्रीनिवास राव	28.09.2017 - 31.03.2018	1	1
9.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017 - 07.02.2018	2	2
10.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 - 07.02.2018	2	2

डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे और श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.7 प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी) :

भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र सं.13/1/2006-बी.ओ.ख दिनांक 05.12.2011 के ज़रिए जारी निर्देश के अनुसार दि.28.12.2011 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया है. उक्त अधिसूचना के अनुसार, `3.00 लाख करोड़ या उससे ज्यादा कारोबारवाले वर्ग 'क' के बैंकों के मामले में `400.00 करोड़ तक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में `250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में समिति मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सहित बैंक के अधिकारियों के प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक ऋण प्रस्तावों को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. इस सीमा से अधिक ऋण प्रस्तावों को पहले की तरह निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने के अलावा (निधि व गैर-निधि आधारित) `4.00 करोड़ तक के ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों (धोखाधडी के मामलों को छोडकर जो कि पहले जैसा मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे) को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4	श्री सिवय्या के (महा प्रबंधक -ऋण व केंलेवि)	सदस्य
5	श्री सुब्रत कुमार (महा प्रबंधक-जोखिम प्रबंधन)	सदस्य

वर्ष के दौरान एचएलसीसी की 22 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित हुई :

26.04.2017	08.06.2017	27.06.2017	19.07.2017	05.09.2017	11.09.2017	20.09.2017
26.09.2017	11.10.2017	26.10.2017	07.11.2017	21.11.2017	30.11.2017	18.12.2017
28.12.2017	10.01.2018	25.01.2018	06.02.2018	21.02.2018	03.03.2018	14.03.2018
27.03.2018						

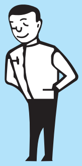

3.7.1 एचएलसीसी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017 - 31.03.2018	18	18
2.	डॉ. किशोर सांसी*	01.04.2017 - 31.08.2017	4	4
3.	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	17	16
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	22	22
5.	श्री मुरली रामस्वामी महा प्रबंधक-ऋण (प) व महा प्रबंधक (लेखा)	01.04.2017 - 31.03.2017	22	21
6.	श्री सिवय्या महा प्रबंधक - ऋण (प)	26.10.2017 - 31.03.2018	12	12
7.	श्री जगन मोहन महा प्रबंधक - जो प्र वि	01.04.2017 - 07.11.2017	11	11
8.	श्री सुब्रत कुमार महा प्रबंधक - जो प्र वि	08.11.2017 - 31.03.2018	11	10
9.	श्रीमती गायत्री देवी टी एस महा प्रबंधक-ऋण (प)	01.04.2017 - 31.07.2017	3	3

उपर्युक्त के अलावा, जब कभी आवश्यक हो ऋण (खुदरा व एमएसएमई), ऋण (प्राथमिकता) तथा ऋण (स व व) से संबंधित महा प्रबंधक उनके संबंधित प्रस्तावों के लिए उपस्थित थे.

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष रहें और
*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.8 अनुशासनिक मामले तथा विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति

इस समिति का गठन निम्नलिखितों की निगरानी हेतु किया गया :

क. सतर्कता अनुशासनिक मामले तथा विभागीय जांच

ख. गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामले

ग. अधिकारी सेवा विनियमों के विनियम 19(2) के अधीन समीक्षा

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
5	श्री जी पी बोरा	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

23.06.2017	18.09.2017	02.12.2017	09.03.2018

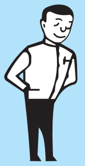

3.8.1 अनुशासनिक मामले तथा ईमानदारी पर समीक्षा समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017 - 31.03.2018	3	3
2.	डॉ.किशोर सांसी*	01.04.2017 - 31.08.2017	1	1
3.	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	3	3
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	4	4
5.	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2017	2	1
6.	श्री एन श्रीनिवास राव	28.09.2017 - 31.03.2018	2	2
7.	श्री जी पी बोरा	01.04.2017 - 31.03.2018	4	4

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष रहें और
*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.9 निदेशकों की पदोन्नति समिति

समिति का गठन उ.का.श्रे.वे. VI से उ.का.श्रे.वे. VII में पदोन्नति IV व.प्र.श्रे.वे. खत व उससे ऊपर के पदोन्नति के संबंध में अपील पर निगरानी हेतु किया गया.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री जी पी बोरा	सदस्य
3	श्री एस रघुनाथ	सदस्य

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भा.रि.बैं. नामिति निदेशक
- एक अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक

समिति की दो बैठक दिनांक 17.06.2017 एवं 18.09.2017 को हुई.

3.10 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ दिनांक 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक जमा नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोडें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढाने के लिए नवोन्मेषी उपाय करना और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री आर ए शंकर नारायणन*	अध्यक्ष
2	श्री नागेश्वर राव वाई*	सदस्य
3	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4	श्री विवेक सोनी	सदस्य
5	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य
6	श्री राजन डोगरा	सदस्य
7	श्री के जोस जेम्स (ग्राहक के प्रतिनिधि)	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई :

22.06.2017	18.09.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.10.1 ग्राहक सेवा समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017 - 31.03.2018	3	3
2.	डॉ. किशोर सांसी*	01.04.2017 - 31.08.2017	1	1
3.	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	3	3
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	4	3
5.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
6.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017 - 07.02.2018	3	3
7.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 - 31.03.2018	4	4
8.	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017 - 07.02.2018	3	3
9.	श्री राजन डोगरा	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1
10.	श्री विवेक सोनी	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष रहें और
*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष रहें.

3.11 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि.09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दि.30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात प्रबंध निदेशक एवं सीईओ व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के यथा 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
3	श्री जी पी बोरा	सदस्य
4	श्री विवेक सोनी	सदस्य

अवधि के दौरान समिति की बैठक दिनांक 30.08.2017 को हुई.

3.11.1 पारिश्रमिक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी नारायणन	01.04.2017 - 31.03.2018	1	1
2	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2018	1	1
3	श्री जी पी बोरा	01.04.2017 - 31.03.2018	1	1
4	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	08.08.2017 - 31.03.2018	1	1

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यकारी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

विवरण	डॉ. किशोर सांसी	श्री आर ए शंकर नारायणन	श्री बी.एस.रामा राव	श्री नागेश्वर राव वाई	श्री मुरली रामस्वामी
	(प्र.नि. एवं सीईओ)	(प्रनि एवं मुकाअ)	(का.नि.)	(का.नि.)	(का.नि.)
वेतन	1126120	1509690	2016588	2317248	301380.85
सेवानिवृत्ति पर सा.छु. नकदीकरण	2266160	0.00	2028600	0.00	0.00
भत्ते					
भ.नि. पर अंशदान	107060	143780	191520	220170	23362.85
अन्य - निष्पादन					
जुडा हुआ प्रोत्साहन					
अन्य - छु.कि.रि.	0	0	312096.00	0	0
अन्य - चिकित्सा	37199	216816.46	93203.30	13230.50	12349.10
अन्य अनुलाभ	8000	11200	16000	19200	0
कुल	**3544539.00**	**1881486.46**	**4658007.30**	**2569848.50**	**337092.80**
स्टॉक विकल्प	-		-	-	

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोडक़र कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है. भारत सरकार के निदेशानुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

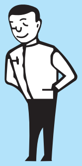

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदत्त कुल बैठक शुल्क निम्नानुसार है :

गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम	प्रदत्त बैठक शुल्क (`)
श्री जी नारायणन	540000
श्री पी वैद्यनाथन	140000
श्रीमती भारती राव	80000
श्री एम भगवंत राव	720000
श्री वी वी आर शास्त्री	760000
श्री एस रघुनाथ	530000
श्री राजन डोगरा	500000
श्री राघवेन्दर गुप्ता	470000
श्री विवेक सोनी	210000
कुल	**3950000**

3.12 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त व उचित स्थिति' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति में सदस्य के रूप में तीन निदेशक हैं.

यथा 31.03.2018 को सदस्य :

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष
2	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
3	श्री एम भगवंत राव	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 08.07.2017 और 15.07.2017 को दो बार समिति की बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार 'उपयुक्त व उचित' हैं.

3.12.1 नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	01.04.2017 - 31.03.2018	2	2
2.	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2017	2	2
3.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 - 31.03.2018	2	2

3.13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप दि.31.05.2012 को आयोजित बैठक में मंडल ने शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति के गठन का अनुमोदन दिया, जहां बैंक ने इन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	**अध्यक्ष**
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	**सदस्य**
3.	श्री मुरली रामस्वामी	**सदस्य**
4.	श्री एस रघुनाथ	**सदस्य**

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ – समिति के अध्यक्ष
2. कार्यकारी निदेशक – सदस्य
3. एक गैर-अधिकारी निदेशक – सदस्य

वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.14 सू.प्रौ. रणनीति समिति :

भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा भा.बैं.सं. की सिफारिशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने दि.18.02.2012 को अपनी बैठक में, सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया, जिसमें बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ विशेष अतिथि हैं.

अन्य बातों के साथ-साथ सू.प्रौ. कार्यनीति समिति के कार्य का ढांचा निम्नानुसार है :

1. सू.प्रौ. पर बैंक को रणनीतिक निर्देश देना तथा मंडल की ओर से सू.प्रौ. निवेशों की समीक्षा करना.
2. सू.प्रौ. रणनीति तथा नीति दस्तावेजों का अनुमोदन करना तथा कारोबार रणनीति को सू.प्रौ. रणनीति के साथ सरेखन सुनिश्चित करना.
3. यह पता लगाना कि प्रबंधन द्वारा उन प्रक्रिया तथा प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया है जो सुनिश्चित करता है कि सू.प्रौ. कारोबार में मूल्य प्रदान करता है.
4. रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सू.प्रौ. संसाधन को पहचानने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लायी गयी प्रणाली को मॉनिटर करना तथा सू.प्रौ. संसाधन उपलब्ध कराने व प्रयोग करने संबंधी उच्च स्तरीय निर्देश देना.
5. सू.प्रौ. कार्यान्वयन में सू.प्रौ. जोखिम व प्रबंधन के निष्पादन का प्रबंधन द्वारा मानिटरिंग की प्रभाविता का मूल्यांकन करना.
6. जोखिम संबंधी उच्च स्तरीय नीति मार्गनिर्देश जारी करनी- करना

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री जी नारायणन	**अध्यक्ष**
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	**सदस्य**
3.	श्री मुरली रामस्वामी	**सदस्य**
4.	श्री विवेक सोनी	**सदस्य**
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	**सदस्य**
6.	श्री एम.भगवंत राव	**सदस्य**
7.	श्री एस रघुनाथ	**सदस्य**

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई :

22.06.2017	12.10.2017	27.12.2017	23.02.2018	08.03.2018

निदेशकों के अलावा हमारे पास सू.प्रौ. विशेषज्ञ सदस्य के रूप में है तथा एक बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु एक सू.प्रौ. विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्यतः आवश्यक है.

3.14.1 सू.प्रौ. रणनीति समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी नारायणन	01.04.2017-31.03.2018	5	5
2	श्रीमती भारती राव	01.04.2017-07.08.2017	1	1
3	श्री बी एस रामा राव	01.04.2017-31.01.2018	3	3
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017-31.03.2018	5	4
5.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018-31.03.2018	2	2
6	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017-31.03.2018	5	5
7.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017-31.03.2018	5	5
8.	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017-31.03.2018	5	4
9	श्री राजन डोग्रा	08.08.2017-07.02.2018	2	1
10	श्री विवेक सोनी	08.02.2018-31.03.2018	2	2

3.15 वसूली निगरानी हेतु समिति

वित्त मंत्रालय के दि.21.11.2012 के पत्र अनुरूप मंडल द्वारा वसूली की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है, जो सामान्यतया एनपीए तथा विशेषतः `1 करोड़ या उससे अधिक उच्च मूल्य खातों की वसूली/प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा/निगरानी करेगी.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	**अध्यक्ष**
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	**सदस्य**
3.	श्री मुरली रामस्वामी	**सदस्य**
4.	श्री एन श्रीनिवास राव	**सदस्य**
5.	श्री एस रघुनाथ	**सदस्य**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति 7 बार मिली जिसका विवरण निम्नानुसार है :

08.05.2017	23.06.2017	18.09.2017	12.10.2017	03.12.2017	27.12.2017	09.03.2018

3.15.1 वसूली निगरानी हेतु समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017 - 31.03.2018	5	5
2.	डॉ. किशोर सांसी*	01.04.2017 - 31.08.2017	2	2
3.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	6	6
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	7	7

5.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
6.	श्री संजय कुमार	01.04.2017 - 27.09.2017	3	1
7.	श्री एन श्रीनिवास राव	28.09.2017 - 31.03.2018	4	3
8.	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017 - 07.02.2018	6	6
9.	श्री एस रघुनाथ	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे और

*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष हैं.

3.16 अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एंव सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारियों द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति

कर्मचारियों के हित की संरक्षा हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु दिनांक 29.03.2010 को समिति का गठन किया गया. भारत सरकार के नामिति निदेशक, भा.रि.बैं. के नामिति निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक (मंडल की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष) समिति के सदस्य हैं.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री एन श्रीनिवास राव	अध्यक्ष
2.	श्री जी.पी. बोराह	सदस्य
3.	श्री विवेक सोनी	सदस्य

वर्ष के दौरान ऐसी कोई अपील न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.17 वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन (एपीएआर) समीक्षा समिति :

उ.का.श्रे.वे.-VII के कार्यपालकों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) की समीक्षा/रेटिंग के उन्नयन के लिए दिनांक 14.09.2013 को एक समिति बनायी गयी जिसे 31.10.2014 को पुनर्गठित किया गया.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
3.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य

वर्ष के दौरान ऐसी कोई मामला न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.18 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति :

पिछले कुछ वर्षों से विजया बैंक ने समाज के अल्पसुविधाप्राप्त तथा उपेक्षित क्षेत्रों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव लाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कई सीएसआर पहल ली है. बैंक में ठोस सीएसआर नीति मौजूद है तथा राष्ट्रीय महत्व के कुछेक प्रमुख क्षेत्र जैसे बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, एंब्यूलेंस / वाहनों का दान, पिछडे क्षेत्रों में स्कूलों / कॉलेजों को आधारभूत सहायता देना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अन्य पहल पर प्रति वर्ष ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर गतिविधियों का दायित्व लेने के लिए नक्शा तैयार रखा है. बैंक ने ग्रामीण, पिछडे तथा दूरदराज क्षेत्रों में मूलभूत विकास हेतु अपरिमित योगदान दिया है. बैंक द्वारा सीएसआर पर दिए जा रहे अधिकतम महत्व पिछले वर्षों में बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों की बढती संख्या, प्रचार तथा कार्यक्षेत्र से विदित है.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य
5.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	सदस्य

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के कार्यक्षेत्र को सरकारी दिशानिदेशों के अनुरूप विस्तारित करने के लिए दिनांक 17.01.2014 को समिति का गठन किया गया.

अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुई :

08.05.2017	18.09.2017	27.12.2017	09.03.2018

3.18.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017 - 31.03.2018	3	3
2.	डॉ. किशोर सांसी*	01.04.2017 -31.08.2017	1	1
3.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017 - 31.01.2018	3	3
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017 - 31.03.2018	4	4
5.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
6.	श्रीमती भारती राव	01.04.2017- 07.08.2017	1	0
7	श्री .पी वैद्यनाथन	01.04.2017- 07.08.2017	1	1
8.	श्री एम भगवंत राव	08.08.2017 - 07.02.2018	2	2
9.	श्री एस रघुनाथ	08.02.2017 - 31.03.2018	1	1
10.	श्री. राजन डोग्रा	08.08.2017 - 07.02.2018	2	1
11.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे और
*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष हैं.

3.19 इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति :

इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं की शिकायतों की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2014-15/73 दिनांक 01.07.2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार 17.01.2015 को समिति का गठन किया गया. समिति का अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है तथा दो गैर-कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य हैं.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य
3.	श्री. राजन डोग्रा	सदस्य

अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नानुसार हुई :

09.05.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.19.1 इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री आर ए शंकर नारायणन*	01.09.2017-31.03.2018	2	2
2	डॉ. किशोर सांसी*	01.04.2017-31.08.2017	1	1
3	श्री एम भगवंत राव	08.02.2018-31.03.2018	1	1
4	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017-07.02.2018	2	2
5	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017-07.02.2018	2	2
6	श्री.राजन डोग्रा	08.02.2018-31.03.2018	1	1

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे और
*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष हैं.

3.20 मानव संसाधन समिति :

प्रमुख मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 14.02.2015 को समिति का गठन किया गया.

समिति के कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :

1) बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ श्रमशक्ति योजना का विश्लेषण करना
2) प्रशिक्षण सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित/सिफारिश किए गए अनुसार कार्यकारी / क्षमता विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण, समीक्षा तथा निगरानी करना
3) संगठन की सफलता हेतु कर्मचारी कार्य की पहल की समीक्षा तथा आकर्षित करना
4) स्टाफ संसाधन प्रवृत्तियों और मानव संसाधन मेट्रिक्स की समीक्षा करना
5) विभिन्न मानव संसाधन नीतियों एवं उत्तराधिकार योजना पर बैंक को मागदर्शन देना
6) समय समय पर पहचानित अन्य कोई संबंधित मामले अथवा मंडल द्वारा परामर्शानुसार

समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशक तथा अन्य गैर अधिकारी निदेशक है.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री आर.ए शंकर नारायणन	सदस्य
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
4.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
5.	श्री. विवेक सोनी	सदस्य
6.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य
7.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	सदस्य

अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुई :

08.05.2017	18.09.2017	24.11.2017	09.03.2018

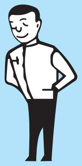

3.20.1 **मानव संसाधन समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :**

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी नारायणन*	01.04.2017-31.03.2018	4	4
2.	श्री आर.ए शंकर नारायणन*	01.09.2017-31.03.2018	3	3
3.	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2017-31.08.2017	1	1
4.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2017-31.01.2018	3	3
5.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2017-31.01.2018	4	4
6.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018- 31.03.2018	1	1
7.	श्रीमती भारती राव	01.04.2017-07.02.2018	1	0
8.	श्री एम भगवंत राव	01.04.2017-31.03.2018	2	2
9.	श्री एस रघुनाथ	01.04.2017-07.02.2018	3	3
10	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2017-07.02.2018	3	3
11.	श्री.राजन डोग्रा	08.08.2017-07.02.2018	2	1
12.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	08.02.2018-31.03.2018	1	1
13.	श्री. विवेक सोनी	08.02.2018-31.03.2018	1	1

*डॉ. किशोर सांसी दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक अध्यक्ष थे और

*श्री आर ए शंकर नारायणन दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष हैं.

3.21 डिजिटल लेनदेन पर समिति

वित्तीय सेवाओं विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2017 प्राप्त संदर्भ एफ सं 8/08/2015-बीओए के जरिए समिति का गठन 18.09.2014 किया गया. समिति का गठन बैंक में डिजिटल लेनदेन की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था.

दिनांक 31.03.2018 के सदस्य

क्रम सं	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य / अध्यक्ष
1.	श्री आर.ए शंकर नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य
3.	श्री मुरली रामस्वामी	सदस्य
4.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य
6.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता	सदस्य

समिति ने दिनांक 08.03.2018 अवधि के दौरान 1 बार बैंठक की.

3.21.1 **डिजिटल लेनदेन पर समिति की उपस्थिति का विवरण**

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री आर.ए शंकर नारायणन	18.09.2017-31.03.2018	1	1
2.	श्री नागेश्वर राव वाई	18.09.2017-31.03.2018	1	0
3.	श्री मुरली रामस्वामी	19.02.2018-31.03.2018	1	1
4.	श्री एम भगवंत राव	18.09.2017-31.03.2018	1	1
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	18.09.2017-31.03.2018	1	1
6.	श्री एस रघुनाथ	18.09.2017-31.03.2018	1	1

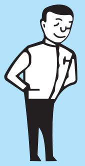

4. **यथा 31.03.2018 को गैर कार्यकारी/शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण**

क्रम सं	निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1.	श्री जी नारायणन, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	कुछ नहीं
2.	श्री एम भगवंत राव, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं
3.	श्री वी वी आर शास्त्री, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं
4.	श्री एस रघुनाथ, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं
5.	श्री.राजन डोग्रा शेयर धारक निदेशक	500
6.	श्री राघवेन्द्र गुप्ता शेयर धारक निदेशक	500
7.	श्री. विवेक सोनी गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं

5. **आचार संहिता**

बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तदनुसार, सभी निदेशकों/उच्च प्रबंधन कार्यपालकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है. आचार संहिता बैंक की वेबसाइट में दी गयी है.

6. **सामान्य बैठक**

पिछली तीन वार्षिक / असाधारण सामन्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

	विशेष संकल्प	दिनांक	समय	स्थान
				मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
15वीं वा.सा.बै.	हां	22.06.2015	सुबह 10.30 बजे	
16वीं वा.सा.बै.	हां	24.06.2016	सुबह 10.00 बजे	
17वीं वा.सा.बै.	हां	23.06.2017	सुबह 10.00 बजे	

सत्रहवी वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे. इस बैठक में पूंजी जुटाने की योजना पर एक विशेष संकल्प पारित किया गया.

1.	श्री जी नारायणन	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. किशोर सांसी	-	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3.	श्री बी.एस.रामा राव	-	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री. नागेश्वरराव वाई	-	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री. संजय कुमार	-	सरकारी नामिती निदेशक
6.	श्री जी.पी.बोराह	-	भा.रि.बै. नामिती निदेशक
7.	श्री एम भगवंत राव	-	गैर - अधिकारी निदेशक
8.	श्री वी वी आर शास्त्री	-	गैर - अधिकारी निदेशक
9.	श्रीमती भारती राव	-	शेयरधारक निदेशक तथा मंडल के लेखापरीक्षा
10.	श्री पी.वैद्यनाथन	-	शेयर धारक निदेशक

श्री अरुण कुमार, अवर सचिव(कल्याण), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी प्रेक्षक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में उपस्थित थे.

7. **शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण**

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है और उनका संसाधन किया जाता है. बैंक, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने, शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण तथा शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक संबंध समिति और शेयर अंतरण के लिए आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में मिलती हैं और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरख्वास्त दर्ज करना तथा शेयरों को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरख्वास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते है

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम
मुंबई - 400 083
टेलिफोन: (022) 49186000
फैक्स: (022) 49186060
ईमेल : mumbai@linkintime.com.in
वेबसाइट : www.linkintime.co.in

निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरख्वास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती है :

महा प्रबंधक
मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु
कर्नाटक- 560 001
टेलीफोन : 080 25584066 विस्तार 514
फैक्स : 080 25594737
ई-मेल : sdigc@vijayabank.co.in
वेबसाईट : www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे पूर्णतः सुनिश्चित भी करता है.

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुन: मूर्तिकरण/विभाजन/पुन: स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध आंतरिक शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण, अमूर्तिकरण आदि करके शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उसे विधिवत रूप से अंतरित किया जाता है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार आर एंड टी एजेंट द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

प्राप्त, निपटायी गयीं और लंबित शिकायतों की संख्या

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा शेयरधारक की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2017-2018 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2018 को लंबित दरख्वास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	01.04.2017 को लंबित	प्राप्त	निपटाई गई	31.03.2018 को लंबित
क) दरख्वास्तों की संख्या	कुछ नहीं	5290	5290	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	316	316	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. यथा 31.03.2018 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरख्वास्त लंबित नहीं थी.

8. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/या उनके रिश्तेदारों के साथ बैंक का, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.

बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की है. बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया.

हमारे स्वतंत्र निदेशक द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है.

Investors Corner-----> Disclosures under SEBI (LODR)-à <https://www.vijayabank.com/Investors-Corner/Disclosure-Under-SEBI-LODR>

बैंक ने भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार विसिल ब्लोअर नीति तैयार की है तथा विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गयी है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी निर्दिष्ट मार्गनिर्देश दिया है तथा बैंक उनका अनुपालन कर रहा है. भा.रि.बैं. के अनुसार, बैंक के लिए संबंधित पार्टी में उनके मूल / अनुषंगी / सहायिकी / संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) तथा केएमपी के रिश्तेदार शामिल है. भारतीय बैंक के लिए केएमपी में पूर्णकालिक निदेशक आते हैं.

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के ज़रिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है. शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् www.vijayabank.com तथा निवेशकों या विश्लेषकों के लिए उपलब्ध करा दी गयी पीपीटी द्वारा भी दी गयी.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अनुसार शेयर बाजारों को वित्तीय परिणाम तथा अन्य मूल्य संवेदात्मक सूचना प्रस्तुत की गयी है. वित्तीय वर्ष के दौरान, तिमाही परिणाम निम्नलिखित तालिकानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए. परिणाम, बैंक की वेबसाइट www.vijayabank.com में भी प्रदर्शित किए गए.

को समाप्त तिमाही	प्रकाशन दिनांक	समाचार पत्र	
		स्थानीय भाषा	राष्ट्रीय
30.06.2017	23.07.2017	विजया कर्नाटक (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)
30.09.2017	27.10.2016	उदयवाणी (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी)बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)
31.12.2017	24.01.2018	विजया कर्नाटक (कन्नड)	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी व हिन्दी)
31.03.2018	08.05.2018	विजया कर्नाटक (कन्नड)	इक्नॉमिक टाईम्स (अंग्रेजी) नव भारत टाईम्स (हिंदी)

9. अधिदेशात्मक और गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

9.1 बैंक ने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में उपलब्ध समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

9.2 **गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नीचे प्रस्तुत है :**

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	**मंडल** एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय बनाए रखने के लिए हकदार होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमत है.	हां
9.2.2	**शेयरधारक के अधिकार** पिछले छह महीने के महत्वपूर्ण घटनाओं का सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जानी चाहिए.	बैंक सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान घटित महत्वपूर्ण प्रगति का सार के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम भेजता है. बैंक के तिमाही वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद समाचार पत्रों, स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक के वेबसाइट में प्रकाशित भी किए जाते हैं.
9.2.3	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय** कंपनी अनर्ह वित्तीय विवरणों का एक शासन की ओर स्थानांतरित कर सकती है.	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है.
9.2.4	**अध्यक्ष एवं सीईओ का अलग पद** कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक / सीईओ के पद हेतु अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है.	भारत सरकार ने अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पद के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है.
9.2.5	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है.	आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य / संदर्भ की अपनी शर्तें तथा मंडल के लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा संदर्भ की अपनी शर्तें विनियामक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों/परिपत्रों द्वारा शासित है जिनका बैंक अनुपालन करता है.

10. **शेयरधारकों की जानकारी के लिए :**

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में है. यथा 31.03.2017 को देशभर में फैली हुई 2031 शाखाओं के जरिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है. बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है :

1) **बीएसई लिमिटेड**
कंपनी संबंध विभाग
पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग
फिरोज जीजीबॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट
मुंबई - 400 001
बीएसई कूट : 532401

2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
एक्सचेंज प्लाजा, 5वां तल
प्लाट सं.सी/1, जी ब्लॉक
बांद्रा - कुर्ला कॉम्पलेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
एनएसई कूट : VIJAYA BANK

शेयर बाज़ारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2018–19 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख के अंदर अदा किया गया.

10.1 **प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण**

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के

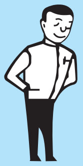

पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए ईक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं.INE705A01016 आबंटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार दो शेयर बाज़ारों में किया जाता है इसलिए चल-निधि सामान्य है. बैंक ने, दोनों निक्षेपागारों अर्थात; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा के संबंध में तथा अर्ह कंपनी सचिव द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

31.03.2018 को ईक्विटी शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की सं.	**शेयरों की सं.**	**शेधर धारण का %**
अमूर्त			
भारत के राष्ट्रपति *	1	896811702	68.7661
एनएसडीएल में अन्य	125899	330956667	25.3772
सीडीएसएल में अन्य (* भारत सरकार द्वारा धारित शेयर सीडीएसएल के पास है)	63568	757159078 194279628*	58.05 14.8971*
कुल – क	**189467**	**1282395373**	**98.3320**
मूर्त			
	67253	21752592	1.6680
कुल – ख	**67253**	**21752592**	**1.6680**
सकल योग (क+ख)	**256720**	**1304147965**	**100**

* दिनांक 02.04.2018 को 194279628 अधिमान्य आबंटन शेयर कॉर्पोरेट कार्रवाई की गयी

10.2 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश :

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में 15% लाभांश की घोषणा की है.

10.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार, भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है, बढा अथवा घटा सकती है, और ऐसी बढोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड़ रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड़ रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹1,500 करोड़ से ₹3,000 करोड़ वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी ₹3,000 करोड़ है जिसे ₹10/- के 300 करोड़ पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

संप्रति, भारत सरकार के पास बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 68.77% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

	(₹ करोड़)
प्राधिकृत पूंजी :	
₹10/- के 300 करोड़ शेयर	₹ 3,000.00
कुल प्रदत्त पूंजी :	
₹ 10/- के 130,41,47,965 ईक्विटी शेयर	₹ 1304.14
कुल प्रदत्त पूंजी	**₹ 1304.14**

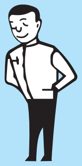

सारणी 1 : यथा 31.03.2018 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता
ए	**प्रवर्तक का धारण**		
1.	प्रवर्तक - भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार) - विदेशी प्रवर्तक	 896811702 -	 68.77 -
2.	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति	-	-
	उप-कुल	896811702	68.77
बी	**गैर-प्रवर्तक का धारण**		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई व एएलटी निवेश निधि ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/राज्य संस्थाएं/गैर-सरकारी संस्थाएं) ग) एफआईआई/एफएमएफ/एफपीआई	47725568 124288727 65877478	3.66 9.53 5.04
	उप-कुल	237891773	18.23
सी	**अन्य**		
	क) कॉर्पोरेट निकाय	24796778	1.90
	ख) भारतीय जनता ग) एनआरआई/ओसीबी घ) अन्य कोई (समाशोधन सदस्य व मार्केट मेकर) ड.) विदेशी नागरिक	136075494 6909143 1649000 14075	10.45 0.52 0.12 0.001
	उप-कुल	169444490	13.00
	सकल योग	1304147965	100.00

सारणी 2 : यथा 31.03.2018 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	- शून्य -	- शून्य -
2	विदेशी प्रवर्तक	- शून्य -	- शून्य -
3	विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी संविभाग निवेशक	65877478	5.04
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	-	-
5	एनआरआई	6909143	0.52
6	विदेशी बैंक	- शून्य -	- शून्य -
7	विदेशी राष्ट्रीय	14075	0.001
	कुल	72800696	5.56

सारणी 3 : यथा 31.03.2018 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयर धारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशतता	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	896811702	68.77	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	106299217	8.15	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	14228000	1.09	म्यूचुअल फंड
4	ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ईक्विटी ओपन लिमिटेड	13560120	1.03	विदेशी संविभाग निवेशक

10.4 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े

अप्रैल, 2017 से मार्च 2018 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है:

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड

माह	उच्च (`)	निम्न (`)	बंद (`)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2017	82.90	67.20	**81.90**	28.04.2017	24671082	9304.05
मई 2017	97.40	74.20	**75.15**	31.05.2017	59103744	9621.25
जून 2017	84.80	69.35	**72.35**	30.06.2017	22915555	9520.90
जुलाई 2017	78.25	69.30	**70.00**	31.07.2017	29817274	10077.10
अगस्त 2017	71.45	62.70	**68.15**	31.08.2017	20772169	9917.90
सितंबर 2017	69.30	53.00	**54.75**	29.09.2017	34065500	9788.60
अक्तूबर 2017	70.90	53.85	**65.95**	31.10.2017	124177296	10335.30
नवंबर 2017	76.60	66.65	**70.70**	30.11.2017	103138698	10226.55
दिसंबर 2017	73.40	68.30	**68.35**	29.12.2017	35205714	10530.70
जनवरी 2018	74.00	63.15	**63.85**	31.01.2018	53925846	11027.70
फरवरी 2018	64.90	55.25	**59.90**	28.02.2018	25380411	10492.85
मार्च 2018	59.70	50.50	**52.05**	28.03.2018	22275648	10113.70

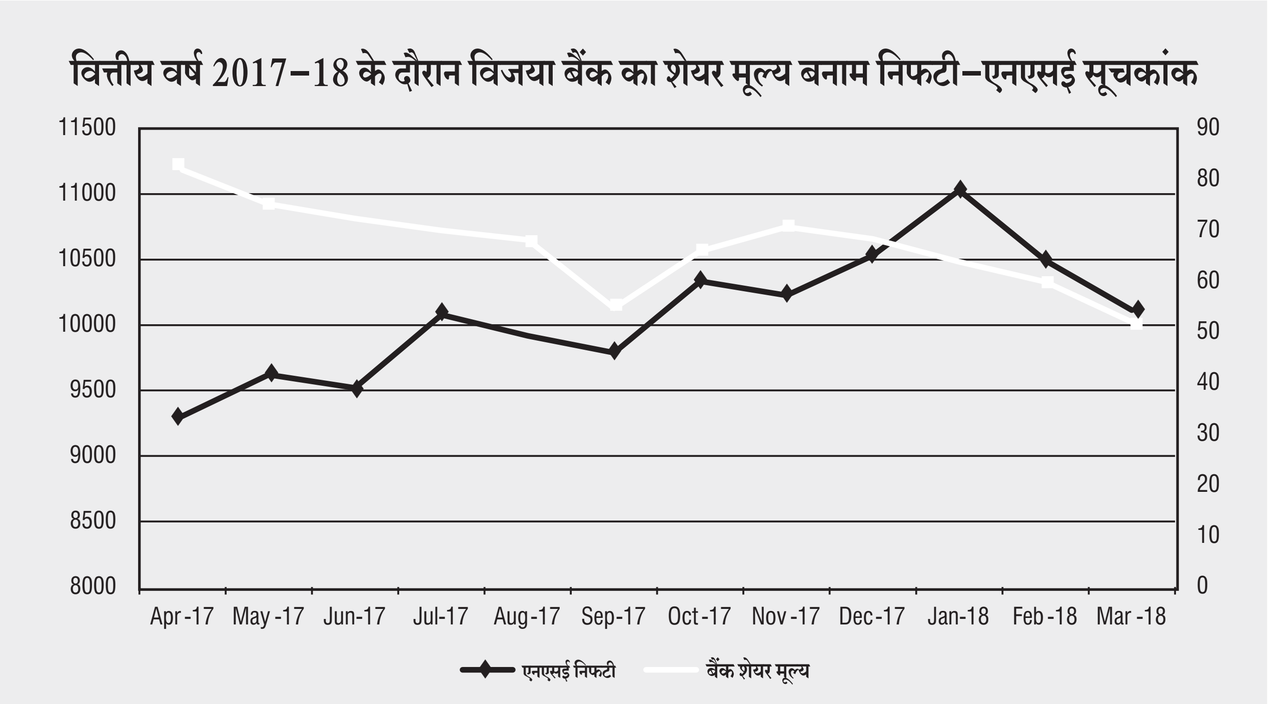

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड

माह	उच्च (`)	निम्न (`)	बंद (`)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल 2017	82.95	67.10	**81.90**	28.04.2017	302752324	29918.40
मई 2017	97.40	74.00	**75.25**	31.05.2017	926227981	31145.80
जून 2017	84.70	69.00	**72.30**	30.06.2017	297025967	30921.61
जुलाई 2017	78.15	68.40	**70.10**	31.07.2017	291976009	32514.94
अगस्त 2017	71.50	62.85	**68.25**	31.08.2017	173048494	31730.49
सितंबर 2017	69.15	53.20	**54.90**	29.09.2017	210114424	31283.72
अक्तूबर 2017	70.90	53.85	**65.95**	31.10.2017	751827545	33213.13
नवंबर 2017	76.50	66.80	**70.65**	30.11.2017	872745281	33149.35
दिसंबर 2017	73.50	66.50	**68.35**	29.12.2017	260419833	34056.83
जनवरी 2018	73.85	63.20	**63.95**	31.01.2018	429913592	35965.02
फरवरी 2018	64.85	55.30	**59.80**	28.02.2018	283835853	34184.04
मार्च 2018	60.00	50.50	**51.90**	28.03.2018	234018297	32968.68

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान विजया बैंक का शेयर मूल्य बनाम सेंसेक्स –बीएसई सूचकांक

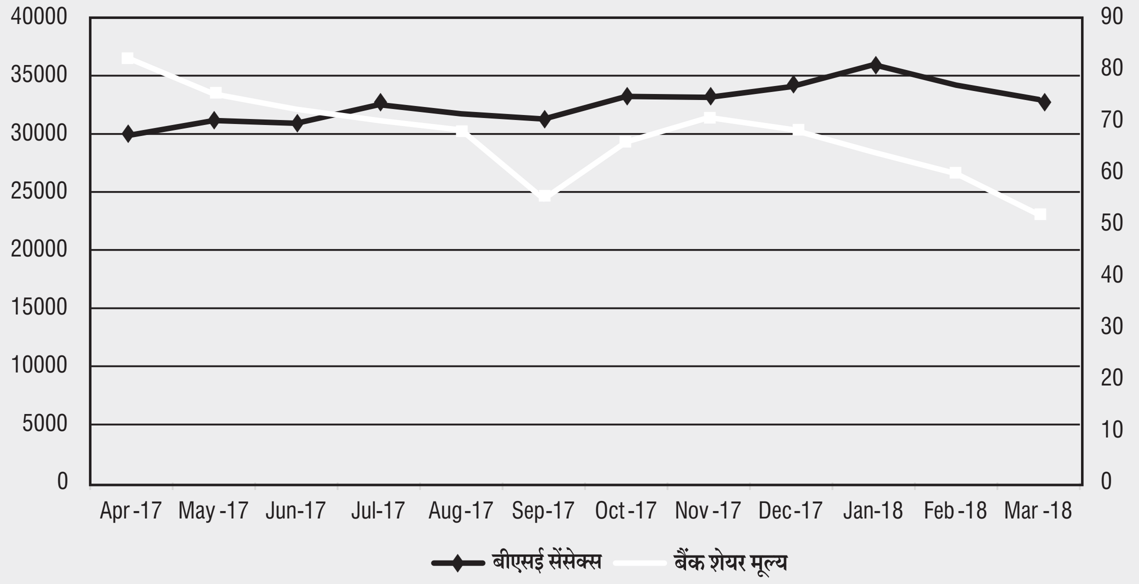

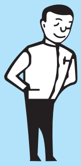

10.5 यथा 31.03.2018 को विजया बैंक के शेयरधारण का मूल्य–वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर – `	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशतता	राशि ` में	प्रतिशतता
1 से 5000	218140	84.972	345190830	2.6469
5001 से 10000	21614	8.4193	187367010	1.4367
10001 से 20000	8749	3.4080	135620640	1.0399
20001 से 30000	2481	0.9664	63808370	0.4893
30001 से 40000	1433	0.5582	51680800	0.3963
40001 से 50000	1030	0.4012	48313410	0.3705
50001 से 100000	1677	0.6532	123561840	0.9475
100001 व उससे अधिक	1596	0.6217	12085936750	92.6730
कुल	**256720**	**100.00**	**13041479650**	**100.00**

जी नारायणन अध्यक्ष	**आर ए शंकर नारायणन** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	**नागेश्वर राव वाई** कार्यकारी निदेशक
मुरली रामस्वामी कार्यकारी निदेशक	**श्रीनिवास राव** निदेशक	**जी पी बोरा** निदेशक
विवेक सोनी निदेशक	**एम भगवंत राव** निदेशक	**वी वी आर शास्त्री** निदेशक
एस रघुनाथ निदेशक	**रंजन डोग्रा** निदेशक	**राघवेंद्र गुप्ता** निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2018

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बैंक की आचार संहिता का अनुपालन करने की अभिपुष्टि दी है.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :
विजया बैंक के सदस्य,

हमने, संबद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (एलओडीआर) 2015 यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखापरीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हम सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों के पारिश्रमिक, मंडल क्रियाविधि / संबंधित पार्टी लेनदेन / विसिल ब्लोअर / प्रबंधन और अनुपालनों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (एलओडीआर) 2015 के संबंधित विनियमों के अधीन बैंक, जब कभी लागू हो, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई-लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित प्रावधानों द्वारा शामिल होगा. अतः बैंक ऊपर उल्लिखित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (एलओडीआर) 2015 के संबंधित विनियमों में यथा निर्दिष्ट कंपनी अभिशासन की शर्तों का उस हद तक पालन किया है कि ये उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है.

हम यह उल्लेख करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के प्रति, एक महीने से अधिक समय के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है.

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक का कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

एन रंगन
(साझेदार)
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
(साझेदार)
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एएएम-4855

राकेश कुमार
(साझेदार)
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज़ पैट्टि एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.072783एस

एम नागनाथन
(साझेदार)
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

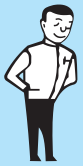

यथा 31 मार्च, 2018 का तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची संख्या	(` 000 छोड दिया गया है) यथा 31.03.2018 को	यथा 31.03.2017 को
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	1304 14 80	998 84 54
शेयर आवेदन राशि	1ए	0	0
आरक्षितियां और अधिशेष	2	9323 05 01	7152 64 25
जमाराशियां	3	157287 53 58	133011 95 21
उधार	4	7299 79 41	11061 79 67
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान	5	2417 51 92	2656 33 92
जोड		177632 04 72	154881 57 59
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6	4303 69 75	5770 42 12
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	666 54 40	160 28 89
विनिधान	8	39511 66 14	44424 55 13
अग्रिम	9	116165 44 23	94548 88 80
अचल आस्तियां	10	1301 47 52	1318 75 97
अन्य आस्तियां	11	15683 22 68	8658 66 68
जोड		177632 04 72	154881 57 59
आकस्मिक देयताएं	12	15001 05 62	15920 14 45
वसूली के लिए बिल		9166 75 34	2281 21 22
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक

एन.श्रीनिवासा राव
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

विवेक सोनी
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

राजन डोग्रा
निदेशक

राघवेंद्र गुप्ता
निदेशक

रमेश कुमार मिगलानी
महाप्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज पैट्ट एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस

एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

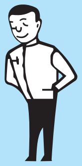

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	12589 84 30	12379 45 85
अन्य आय	14	1600 60 89	1651 26 27
जोड		14190 45 19	14030 72 12
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	8286 95 47	8873 01 79
प्रचालन व्यय	16	2805 69 56	2736 54 95
उपबंध और आकस्मिक व्यय		2370 77 87	1670 66 87
जोड		13463 42 90	13280 23 61
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ		727 02 29	750 48 51
जोडे : आगे लाया गया लाभ		1274 85 24	1337 24 27
घटाएं : धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षण पर डीटीएल का सृजन		–	–
जोडे : सामान्य आरक्षिति से अंतरण		–	–
जोड		2001 87 53	2087 72 78
IV. विनियोजन			
सांविधि आरक्षिति में अंतरण		181 75 57	187 62 13
आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षण में अंतरण		80 00 00	80 00 00
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		88 29 50	3 64 92 56
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		–	–
अंतरिम लाभांश (कर सहित)		–	–
प्रस्तावित लाभांश - ईक्विटी शेयर पूंजी (कर सहित)		188 35 69	180 32 85
प्रस्तावित लाभांश अधिमान्य शेयर पूंजी (कर सहित)		–	–
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		1463 46 77	1274 85 24
जोड		2001 87 53	2087 72 78
प्रति शेयर अर्जन - बेसिक (` में)		6.83	7.57
- डाइल्यूटेड (` में)		6.83	7.57
लेखा नीतियां	17		
लेखें पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक

एन.श्रीनिवासा राव
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

विवेक सोनी
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

राजन डोग्रा
निदेशक

राघवेंद्र गुप्ता
निदेशक

रमेश कुमार मिगलानी
महाप्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस
एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन
विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए
राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज.पैट्टु एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस
एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	यथा 31.03.2018 को	यथा 31.03.2017 को
अनुसूची – 1 :		
पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	**3000 00 00**	3000 00 00
प्रति ₹10/- के 300,00,00,000 शेयर		
जारी, अभिदत्त और मांगी गयी पूंजी		
प्रति ₹10/- के 130,41,47,965 ईक्विटी शेयर	**1304 14 80**	998 84 54
(पिछले वर्ष प्रति ₹10/- के 99,88,45,340 ईक्विटी शेयर)		
प्रदत्त पूंजी		
(क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹10/- के 89,68,11,702 ईक्विटी शेयर	**896 81 17**	702 53 21
(पिछले वर्ष प्रति ₹10/- के 70,25,32,074 ईक्विटी शेयर)		
(ख) सार्वजनिक और अन्य द्वारा धारित प्रति ₹10/- के 40,73,36,263 ईक्विटी शेयर	**407 33 63**	296 31 33
(पिछले वर्ष 29,63,13,266)		
जोड	**1304 14 80**	998 84 54
दिनांक 05.09.2017 को क्यूआईबी को ₹63.05 की दर पर 11,10,22,997 शेयर अधिमानी आधार पर आबंटित किया गया (अंकित मूल्य ₹10/- ₹53.05 के प्रीमियम पर)		
दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार को ₹65.73 की दर पर 19,42,79,628 शेयर अधिमानी आधार पर आबंटित किया गया (अंकित मूल्य ₹10/- ₹55.73 के प्रीमियम पर)		
अनुसूची – 1ए :		
शेयर आवेदन राशि	0	0
जोड	0	0
अनुसूची – 2 :		
आरक्षितियां और अधिशेष		
I. सांविधिक आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1730 64 20**	1543 02 07
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**181 75 57**	187 62 13
जोड	**1912 39 77**	1730 64 20
II. पूंजी आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**774 65 36**	409 72 80
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**88 29 50**	364 92 56
जोड	**862 94 86**	774 65 36

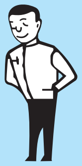

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	**यथा 31.03.2018 को**	**यथा 31.03.2017 को**
अनुसूची – 2 (जारी...)		
III. शेयर प्रीमियम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1985 50 36	1831 78 86
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	1671 69 73	153 71 50
जोड	3657 20 09	1985 50 36
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	830 46 73	873 85 98
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
घटाएं : लाभ व हानि खाते से समायोजित मूल्यह्रास के प्रति कटौती	39 95 58	43 39 25
जोड	790 51 15	830 46 73
V. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
(क) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	543 72 74	463 72 74
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	80 00 00	80 00 00
जोड	623 72 74	543 72 74
(ख) सामान्य आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	12 79 62	12 79 62
जोड/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान अंतरण	–	–
जोड	12 79 62	12 79 62
(ग) लाभ व हानि लेखा में शेष राशि	1463 46 77	1274 85 24
जोड	1463 46 77	1274 85 24
जोड (क+ख+ग)	2099 99 13	1831 37 60
जोड {I+II+III+IV+V}	9323 05 01	7152 64 25
अनुसूची – 3 :		
जमाराशि		
भारत में जमाराशि		
I. मांग जमा		
i) बैंकों से	7 54 51	16 35 14
ii) अन्य से	9196 45 69	8547 42 49
II. बचत बैंक जमाराशियां	30668 82 53	28834 56 99
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंकों से	50 00 00	30 85
ii) अन्य से	117364 70 85	95613 29 74
जोड	157287 53 58	133011 95 21

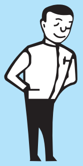

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण	यथा 31.03.2018 को	यथा 31.03.2017 को
अनुसूची – 4 :		
उधार		
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
ii) अन्य बैंक	165 18 00	0
iii) अन्य संस्था और अभिकरण	3909 61 41	7336 79 67
iv) गौण ऋण – बांड		
1) 9.25% की दर से 10 वर्षीय बांड 2016	0	0
2) 10.10% की दर से 15 वर्षीय बांड 2022	0	0
3) 9.50% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2017	0	200 00 00
4) 9.35% की दर से 10 वर्षीय व 4 महीने के बांड 2018	200 00 00	200 00 00
5) 9.45% की दर से 15 वर्षीय बांड 2023	0	300 00 00
6) 9.73% की दर से 10 वर्षीय बांड 2023	250 00 00	250 00 00
7) 9.15% की दर से 10 वर्षीय बांड 2024	500 00 00	500 00 00
8) 9.54% की दर से निरंतर अतिरिक्त टियर I बांड	100 00 00	100 00 00
9) 8.62% की दर से 10 वर्षीय बांड 2025	500 00 00	500 00 00
10) 10.40% की दर से निरंतर अतिरिक्त टियर I बांड	400 00 00	400 00 00
11) 11.25% की दर से निरंतर अतिरिक्त टियर I बांड	500 00 00	500 00 00
12) 8.64% की दर से 10 वर्षीय बांड	450 00 00	450 00 00
13) 10.49% की दर से अतिरिक्त टियर I बेसिल III आज्ञाकारी श्रृंखला IV	325 00 00	325 00 00
II. भारत से बाहर उधार	0	0
जोड	7299 79 41	11061 79 67
अनुसूची – 5 :		
अन्य देनदारियां व प्रावधान		
(i) देय बिल	618 74 92	578 90 55
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	398 18 84	389 46 43
(iii) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	459 92 53	516 63 53
(iv) अन्य (प्रावधानों सहित)	940 65 63	1171 33 41
(v) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
(vi) आस्थगित कर देयता (निवल)	0	0
जोड	2417 51 92	2656 33 92

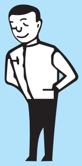

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण	यथा 31.03.2018 को	यथा 31.03.2017 को
अनुसूची – 6 :		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोटों सहित)	598 26 03	506 85 55
II. चालू खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	3705 39 54	5263 52 38
III. अन्य खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	4 18	4 19
जोड	4303 69 75	5770 42 12
अनुसूची – 7 :		
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
I. **भारत में**		
(i) बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	27 15 99	23 50 62
(ख) अन्य जमा खातों में	20	23
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(क) बैंकों के साथ	0	0
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	0	61 66 01
जोड	27 16 19	85 16 86
II. **भारत के बाहर ***		
(क) चालू खातों में	20 17 21	4 36 94
(ख) अन्य जमा खातों में	619 21 00	70 75 09
जोड	639 38 21	75 12 03
जोड I+II	666 54 40	160 28 89
* नॉस्ट्रो प्रतिरूप शेष में असमायोजित मदें तथा विचाराधीन राशि शामिल है		
अनुसूची – 8 :		
विनिधान		
भारत में विनिधान (सकल)	40281 85 78	44786 97 37
घटाएं : अवमूल्यन एवं अनिष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	770 19 64	362 42 24
भारत में निवल विनिधान	39511 66 14	44424 55 13
विश्लेषण		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	34887 29 63	40042 60 57
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	2 79 26	2 79 09
iii) शेयर	430 10 25	257 12 04
iv) डिबेंचर और बांड	3988 94 73	3564 11 79
v) सह संस्थाओं में निवेश (ईक्विटी पद्धति पर)	0	0
vi) अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्यूचुअल फंड के यूनिट, उद्यम पूंजी निधि, आदि)	202 52 27	557 91 64
जोड	39511 66 14	44424 55 13

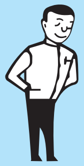

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण	यथा 31.03.2018 को	यथा 31.03.2017 को
अनुसूची – 9 :		
अग्रिम		
(क) i) खरीदे गए व भुनाए गए बिल	1171 50 50	1109 42 45
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर दिए ऋण	39582 41 57	35246 26 45
iii) सावधि ऋण	75411 28 43	58192 94 93
iv) कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	23 73	24 97
जोड	116165 44 23	94548 88 80
(ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं)	100381 37 30	84839 96 44
ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा रक्षित	208 99 31	298 45 27
iii) अप्रतिभूत	15574 83 89	9410 22 12
iv) कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	23 73	24 97
जोड	116165 44 23	94548 88 80
(ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	43474 98 33	36319 34 56
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	31732 86 93	2335 26 77
iii) बैंक	280 73 34	46 17 26
iv) अन्य	40676 61 90	55847 85 24
v) कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	23 73	24 97
जोड	116165 44 23	94548 88 80

अनुसूची – 10 :	31.03.2018	31.03.2017		
अचल आस्तियां				
I. परिसर				
सकल ब्लाक (लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1321 28 47	1320 21 52		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	64 66	1 06 95		
वर्ष के दौरान कटौतियां	–	–		
	1321 93 13	1321 28 47		
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	395 62 66	347 98 64		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	44 00 70	47 64 02		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	–	-		
अद्यतन मूल्यह्रास- पुनर्मूल्यांकन के निमित्त `3,99,558 हज़ार रकम सहित(पिछले वर्ष : 4,33,925 हज़ार)	439 63 36	395 62 66		
अवलिखित मूल्य			882 29 77	925 65 81

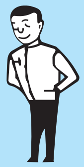

(` 000 छोड दिया गया है)

	विवरण			31.03.2018 की स्थिति	31.03.2017 की स्थिति
II.	**अन्य अचल आस्तियां**	31.03.2018	31.03.2017		
	(फर्नीचर तथा जुडनार सहित)				
	सकल ब्लॉक (लागत पर)				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**935 04 09**	794 60 16		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**128 88 42**	162 94 58		
		1063 92 51	957 54 74		
	वर्ष के दौरान कटौतियां	**11 16 17**	22 50 65		
		1052 76 34	935 04 09		
	मूल्यह्रास				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**543 31 70**	479 92 39		
	जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**98 32 90**	78 56 52		
		641 64 60	558 48 91		
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**7 07 49**	15 17 21		
	अद्यतन मूल्यह्रास	**634 57 11**	543 31 70		
	अवलिखित मूल्य			**418 19 23**	391 72 39
III.	**पूंजी चालू कार्य**			**98 52**	1 37 77
	जोड			**1301 47 52**	1318 75 97
	अनुसूची 11 :				
	अन्य आस्तियां				
i.	प्रोद्भूत ब्याज			**770 66 44**	868 53 93
ii.	अग्रिम रूप से प्रदत्त / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)			**1602 12 70**	2589 98 55
iii.	आस्थगित कर आस्ति (निवल)			**612 67 17**	344 12 40
iv.	लेखन सामग्री और स्टैम्प			**1 26 83**	1 32 94
v.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां			**7 62**	7 62
vi.	अन्य (प्रावधान का निवल)			**9037 74 91**	5310 24 29
vii.	अपरिशोधन-ग्रेच्युटि व पेंशन			**–**	-
viii.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)			**3658 67 00**	-455 63 05
	जोड			**15683 22 68**	8658 66 68

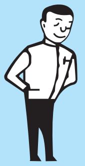

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2018 की स्थिति	31.03.2017 की स्थिति
अनुसूची 12 :		
आकस्मिक देयताएं		
i. बैंक के खिलाफ़ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	**424 17 71**	251 79 69
ii. अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयताएं	**–**	–
iii. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं	**4273 05 70**	3959 84 81
iv. भारत में घटकों की ओर से दी गयी गारंटियां	**6574 21 47**	7104 97 73
v. प्रति-ग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	**1213 56 28**	1342 93 84
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	**2479 85 42**	3254 65 48
vii. निष्पादित किए जाने के लिए बाकी पूंजीगत करार	**36 19 04**	5 92 90
जोड	**15001 05 62**	15920 14 45
अनुसूची – 13 :		
अर्जित ब्याज		
i. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**9027 60 87**	8734 80 06
ii. विनिधानों पर आय	**3083 81 80**	3359 09 41
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**2 82 71**	44 05
iv. अन्य	**475 58 92**	285 12 33
जोड	**12589 84 30**	12379 45 85
अनुसूची – 14 :		
अन्य आय		
i. कमीशन, विनिमय और दलाली	**147 79 64**	147 23 99
ii. विनिधानों के विक्रय पर लाभ	**585 85 18**	920 08 27
घटाएं : विनिधानों के विक्रय से हानि	**41 59 30**	151 09 58
	544 25 88	768 98 69
iii. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ /(हानि)	**–**	–
घटाएं : एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	**–**	–
	–	–
iv. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	**11 22**	15 82
घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	**1 43 77**	2 52 75
	–1 32 55	–2 36 93
v. विनिमय लेनदेन पर लाभ	**55 54 44**	52 66 90
घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	**35 87**	0
	55 18 57	52 66 90
vi. विविध आय	**854 69 34**	684 73 62
जोड (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1600 60 89**	1651 26 27
अनुसूची – 15 :		
व्यय किया गया ब्याज		
i. जमाराशियों पर ब्याज	**7615 36 07**	8039 25 47
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**42 72 74**	14 20 09
iii. अन्य	**628 86 66**	819 56 23
जोड	**8286 95 47**	8873 01 79

(` 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2018 की स्थिति	31.03.2017 की स्थिति
अनुसूची – 16 :				
परिचालन व्यय				
i. कर्मचारियें को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था			**1607 36 49**	1747 88 58
ii. किराया, कर और रोशनी			**227 25 52**	198 88 89
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री			**15 62 60**	12 29 83
iv. विज्ञापन और प्रचार			**8 21 48**	7 02 67
	31.03.2018	31.03.2017		
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**142 33 60**	126 20 54		
घटाएं : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से				
समायोजित मूल्यह्रास	**39 95 58**	43 39 25	**102 38 02**	82 81 29
vi. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय			**90 88**	60 92
vii. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)			**19 79 22**	13 19 45
viii. विधि प्रभार			**71 11**	65 36
ix. डाक, तार, टेलिफोन आदि			**44 02 88**	33 08 96
x. मरम्मत और अनुरक्षण			**7 31 18**	5 74 53
xi. बीमा			**124 82 85**	121 88 10
xii. अन्य व्यय			**647 27 33**	512 46 37
जोड			**2805 69 56**	2736 54 95

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक

एन.श्रीनिवासा राव
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

विवेक सोनी
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

राजन डोग्रा
निदेशक

राघवेंद्र गुप्ता
निदेशक

रमेश कुमार मिगलानी
महाप्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस
एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन
विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए
राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज पैट्ट एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस
एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

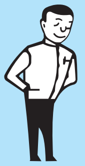

अनुसूची–17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2017–18

क. तैयारी का आधार :

ऐतिहासिक लागत के अधीन, सतत आधार पर लेखांकन के उपार्जन आधार पर, अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर बैंक का वित्तीय विवरणी तैयार किया जाता है और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) से संबंध सभी पहुलओं जो कानूनी प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुरूप है.

ख. अनुमान के उपयोग :

वित्तीय विवरणी की तैयारी वित्तीय विवरणी के यथा दिनांक और रिपोर्ट किए गए अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए आय और व्यय को आस्ति और देयताओं (आकस्मिक देयता सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में विचार किए गए अनुमान और मान्यता को प्रबंधन करने की आवश्यकता है. प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणी को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान मितव्ययी और उचित हैं. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. अनुमान में कोई भी संशोधन, वर्ष में प्रगतिशील रूप से मान्यता प्राप्त है जिसमें वे ज्ञात / भौतिक हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो.

1) **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

I. एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खाते के अलावा लेनदेन

(क) विदेशी मुद्रा आस्तियों या देयताओं तथा बकाया वायदा विनिमय संविदाओं तथा स्वैप का मूल्यांकन वर्षांत दरों से भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा निर्दिष्टानुसार किया गया है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते में दर्शाया गया है.

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन-देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है.

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयतओं का, जिन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत फेडाई द्वारा उल्लिखित में विद्यमान विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है.

II. एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन-देन :

उपचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों को तथा तदनुरूपी आस्तियों को बाज़ार से जुडी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. वर्षांत में आस्ति व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है. परिणामी लाभ/ हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

2) **निवेश**

क) सामान्य

सभी निवेश लेनदेन व्यापार दिनांक को दर्ज किया जाता है और भुगतान दिनांक को लेखांकन किया जाता है.

निवेश वर्गीकरण पर वर्तमान भारिबैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश का लेखांकन किया जाता है तथा निम्नलिखित छः समूहों के अधीन तुलनपत्र में दिखाया जाता है.

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) डिबेंचर और बांड

ङ) अनुषंगी संस्था/संयुक्त उद्यम में निवेश

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, नाबार्ड-आरआईडीएफ, उद्यम पूंजी निधि आदि)

ख) निवेश का वर्गीकरण:

बैंक का निवेश संविभाग निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

वर्गीकरण का आधार:

क) परिपक्वता तक धारित – निवेश जो कि बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, तथा अनुषंगियों वेंचर तथा सहायक संरचनों में निवेश यदि कोई हो परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत है.

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध – निवेश जो कि क्रय के दिनांक से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए मूल रूप से रखा गया है व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

ग) व्यापार के लिए धारित – निवेश जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं है, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत है.

अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और सहभागी में निवेश एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

निवेश को उसके अधिग्रहण के समय एचटीएम, एचएफ़टी और एएफ़एस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसके बाद श्रेणियों के बीच अंतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

एएफ़एस/एचएफटी श्रेणी से निवेशों का अंतरण और इसका व्युत्क्रम बही मूल्य या बाजार मूल्य के नीचे किया जाता है. उन मामलों में जहां अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है वहां वृद्धि को नकारा जाता है और प्रतिभूति बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है. उन मामलों में जहां बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है वहां इस प्रतिभूति के प्रति धारित मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधान सहित यदि कोई हो तो, अंतरण दिनांक पर मूल्यांकन करने के आधार पर आवश्यकतानुसार) बाजार मूल्य से बही मूल्य को कम करके समायोजित किया जाता है और प्रतिभूति बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है.

एचटीएम से एएफ़एस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, यदि प्रतिभूति छूट पर एचटीएम श्रेणी के अधीन मूल रूप से खरीदा गया था तो यह अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर एएफ़एस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है. अंतरण के बाद इसका तुरन्त पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसके एवज में मूल्य ह्रास यदि कोई हो तो उपलब्ध कराया जाता है. यदि प्रतिभूति एचटीएम में मूल रूप से प्रीमियम पर खरीदा जाता है तो अमूर्त लागत पर एएफ़एस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है. अंतरण के बाद, इसका तुरन्त पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसके एवज में मूल्य ह्रास यदि कोई हो तो उपलब्ध कराया जाता है.

एएफ़एस से एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूति का अंतरण या इसके व्युत्क्रम के मामले में, अंतरण के दिनांक को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है.

ग) मूल्यांकन का आधार

ख. सामान्य :

निवेश के अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में :

(क) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को अग्रिम खर्च में रखा जाता है और इसे लागत से अलग किया जाता है.

(ख) ऋण लिखत पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि का ब्याज, ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाता है और इसे लागत/बिक्री से अलग रखा जाता है.

(ग) एएफ़एस और एचएफटी तथा एचटीएम के अधीन निवेश के लिए भारित औसल लागत विधि पर लागत निर्धारित किया जाता है.

क) परिपक्वता तक धारित

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन वर्षांत में अधिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है.

(ii) जोखिम पूंजी निधि में विनिवेश अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ-हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर 'पूंजीगत आरक्षिति खाते' में विनियोजित किया गया है. बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन निवेशों का मूलांकन:

एएफ़एस और एचएफटी श्रेणी के अधीन धारित निवेश नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूति (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति (iii) शेयर (iv) बांड्स और डिबेंचर (v) अनुषंगी और संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य निवेश) का प्रत्येक समूह का केवल निवल मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जाए और निवल मूल्यह्रास छोड़ दिया जाए. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर अलग-अलग प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार को चिन्हित करने के बाद अपरिवर्तित रहता है.

एएफ़एस तथा एचएफटी श्रेणी के आधीन धारित विभिन्न निवेशों के लिए मूल्यांकन मानदंड निम्नलिखित सारणी में दी गई है.

क) **एएफएस तथा एचएफटी के आधीन निवेशों के मूल्यांकन के लिए मानदंड**

	निवेश	मूल्यांकन प्रक्रिया
क	सरकारी प्रतिभूति i) केंद्र सरकार प्रतिभूति	आवधिक आधार पर भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/ वाईटीएम पर
	ii) राज्य सरकार प्रतिभूति	आवधिक आधार पर भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/ वाईटीएम पर
ख	केंद्र/राज्य सरकार पीएसयू बांड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां (अग्रिम के स्वरुप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
ग	खजाना बिल	ढुलाई लागत पर
घ	ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि भाव दिया जाता है, अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा 1` प्रति कंपनी की दर से.
ङ	अधिमान्य शेयर	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिदेय मूल्य से अधिक न होते हुए परिपक्वता आधार पर उचित आय पर. अधिमान्य शेयरों के मामले में जहां अधिमान्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो वाईटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है. उपरोक्तानुसार गैर-निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यह्रास/प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों के वर्धन के प्रति समंजन नहीं किया जाता है.
च	बांड एवं डिबेंचर (अग्रिम के स्वरूप का नहीं)	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार के प्रति उचित आय पर
छ	म्यूचुअल फंड की यूनिटें	यदि भाव दिया जाता है तो शेयर बाजार भाव दर पर, यदि भाव नहीं दिया जाता है तो पुनःखरीद मूल्य/एनएवी पर.
ज	वाणिज्यिक कागज़ात	ढुलाई लागत पर.
झ	प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूति रसीद (एसआर) जारी करने के प्रति प्रतिभूति कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (i) वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधान के बाद बही मूल्य) और (ii) एसआर का मोचन मूल्य के निचले मूल्य पर मान्यता प्राप्त है. एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर लिखत को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण है. तदनुसार, उन मामलों में जहां, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबद्ध योजना में लिखत, निर्धारित वित्तीय आस्तियों के मूल प्राप्ति तक सीमित है, तो निवल आस्ति मूल्य एससी/एआरसी से प्राप्त किया जाता है, ऐसे निवेश का मूल्यांकन के लिए गणना किया गया है.
ञ	उद्यम पूँजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर.
ट	अन्य विनिवेश	ह्रास मूल्य घटाकर ढुलाई लागत पर.

रुपांतरण के जरिए अर्चित लिखतों का मूल्यह्रास चाहे वह मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, एएफएस श्रेणी के अधीन धारित किसी अन्य प्रतिभूति में मूल्यह्रास को समायोजित नहीं किया जाए.

एएफएस/एचएफटी में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ व हानि खाता में लिया जाता है.

ख) **विवेकपूर्ण मानदंड**

(क) i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं. तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा.

ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते

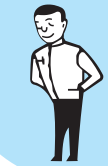

हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है. आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है.

(ख) प्रतिभूतियां जो केद्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : मूलधन/ब्याज/निर्धारित देय है परन्तु वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

(ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जहां मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है.

(घ) गैर-निष्पादक निवेश के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य निष्पादक निवेशों के संबंध में मूल्यवृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है.

3) **व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन**

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. **प्रतिरक्षा विनिमय:** बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोडकर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है.

समाप्त की गई विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार माना गया है.

ख. **प्रतिरक्षा मदों को पुनर्नामित करना:** यदि प्रतिरक्षा मदों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा. पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाज़ार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है. बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा.

ग. **व्यापारी विनिमय :** व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है. विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है.

4) **अचल आस्तियां/मूल्यह्रास तथा परिशोधन**

(ख) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में पूर्ण स्वामित्ववाली संपत्ति और पट्टा-धृति संपत्ति शामिल है. खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पंजीकरण किया गया है. अन्य अचल आस्तियें को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है. मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोडकर परिसर और दूसरे अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है. ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है.

(ख) पट्टे पर /किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है.

ख) मूल्यह्रास /परिशोधन

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथक्करण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का 'आय कर नियम 1961' के अंतर्गत ह्रासमान संतुलन पद्धति के आधार पर निर्धारित दर से मूल्यह्रास किया गया है. कंप्यूटरों का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है. खरीद के वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफ्टवेयर खर्चों को जिसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है, 100% पर परिशोधित किया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड पर

मूल्यह्रास, निर्धारित मूल्यह्रास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यह्रास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो. बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है तथा लाभ व हानि खाते में जमा किया गया है.

5) **पट्टे पर दी गई आस्तियां :**

लेखाकरण मानक 19 के अनुसार पट्टागत आस्तियों का लेखाकरण किया गया है. गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं.

6) **गैर-बैंकिंग आस्तियाँ**

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है.

7) **अग्रिम**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया जाता है. गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है.

(क) भारतीय रिजव बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का 'निष्पादक', 'गैर-निष्पादक' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को अपचारिता संबंधी भा.रि.बैं द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 'गैर-निष्पादक आस्तियों' के रूप में वर्गीकरण किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक कर दिया गया है. गैरनिष्पादक आस्तियों को प्रावधान की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए अग्रिम (अस्थायी प्रावधानों सहित) गैर-निष्पादक आस्तियों, उचंत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है.

(ख) अग्रिमों में प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है.

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है.

(घ) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(ड.) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. **मानक आस्तियाँ :** वर्तमान भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है.
2. **अवमानक आस्तियाँ :** बकाया अग्रिम का 15%. तथापि, अवमानक आस्तियों के मामले में जिसकी पहचान शुरू से 'प्रतिभूति रहित निवेश' के रूप में की गई है बकाया शेष का 25% का प्रावधान किया गया है.
3. **संदिग्ध आस्तियाँ :** जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 25% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी/सीजीएसटीआई योजना के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर-जमानती अंश का 100%.
4. **हानिपरक आस्तियाँ :** बकाया अग्रिम का 100%.

च) पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खाते :

पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिम की पुनर्संरचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संरचित मूल्य के उचित मूल्य में ह्रास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.

उचित मूल्य में ह्रास का प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर पुन:परिकलन किया जाता है जबकि सभी चुकौती बाध्यताएं संतोषजनक तरीके से पूरी की जाती है तथा बकाया राशि की पूरी चुकौती की जाती है ताकि आधार दर, सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता के ऋण संवर्ग में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य पर हुए परिवर्तन को शामिल किया जा सके.

पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार किया गया है.

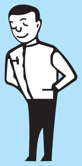

8) **राजस्व निर्धारण**

नीचे उल्लिखित मामलों को छोडकर आय को उपचित आधार पर लेखा बद्ध किया गया है :

(क) गैर-निष्पादक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है. जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि /बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है. गैर-निष्पादक विनिवेश के संबंध में उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है.

(ख) म्यूचुअल फंड यूनिटों, बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा करोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर किराया, सरकारी करोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

(ग) गैर-निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है.

(घ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

(ड) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है.

(च) लाभांश को वर्ष में आय के रूप में पहचाना जाता है ताकि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो.

9) **निवल लाभ**

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान

(ख) अग्रिम/विनिवेश के लिए प्रावधान

(ग) विनिवेश के मूल्य में समायोजन

(घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण

(ड) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छः माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

10) **कर्मचारी संबंधी लाभ**

(क) कर्मचारियों के संबंध में विवाद/समझौते से उत्पन्न होनेवाले दावों का अंतिम निपटान/निर्धारण वर्ष में लेखा किया जाता है.

(ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में लेखाकरण मानक 15 के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.

(ग) उपदान निधि में अंशदान, लेखाकरण मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

(घ) छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता, लेखा मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार साधिकार छुट्टी प्रदान किया जाता है.

विवरण निम्नानुसार है

दीर्घावधि कर्मचारी लाभः

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (कर्मचारी की सेवाकाल की अवधि के समापन से बारह माह के अंत में देय लाभ) तथा पद नियोजन लाभ (सेवाकाल के समापन के बाद देय लाभ), परियोजित इकाई ऋण प्रणाली द्वारा वार्षिक तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, बट्टागत आधार पर दिया जाता है. बैंक वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निम्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ प्रदान करता है

1. **छुट्टी भुनानाः** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उस वर्ष में छुट्टी भुनाने के प्रति आस्थगित पात्रता के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

2. **बीमारी छुट्टी :** बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है.

3. **पेंशनः** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन के लिए जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है, के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

4. **उपदानः** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित उपदान देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

पेंशन तथा उपदान अंशदान स्व-व्यवस्थित न्यासों में अंतरित है.

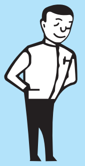

11) **कर निर्धारण के लिए प्रावधानः**

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

12) **हानिः**

प्रत्येक तुलन पत्र में बाह्य/आंतरिक तत्व पर आधारित हानि की कोई सूचना के लिए आस्तियों की ढुलाई गई राशि की समीक्षा की जाती है. जब भी किसी आस्ति की ढुलाई गई राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो अनर्जक हानि होती है.

13) **खंड रिपोर्टिंग :**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

1. **खजाना :** जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यह्रास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.
2. **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.
3. **खुदरा बैंकिंग** में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.
4. **अन्य बैंकिंग परिचालन** में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है.

14) **प्रतिशेयर आयः**

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (अधिमान्य लाभांश तथा उस पर योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है. प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है.

15) **आकस्मिक देयताएं व प्रावधान :**

1. पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है. यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है. प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान परिलक्षित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है.
2. तुलन पत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य में निपटान हेतु लंबित लेनदेनों को तुलन-पत्र के बाह्य मदों के रूप में आकस्मिक आस्तियों तथा देयताएं शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है.

16) **नकदी प्रवाह विवरणी**

नकदी प्रवाह विवरणी में नकदी तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी शेषराशि तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है.

17) बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है.

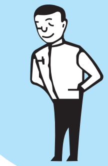

अनुसूची – 18 : लेखों पर टिप्पणियां

1. अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2018 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों, समाशोधन लेन-देन, निधि अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेषराशियों, आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य 31.03.2018 तक समाप्त हो चुका है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा.

2. बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत `3.56 करोड़ है (पिछले वर्ष रु 3.96 करोड़) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.

3. उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबंधित शाखाएं जहां लेखा परीक्षा हुई है, वहां समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.

4. ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित ` 79.60 करोड़ के दावे भी (पिछले वर्ष ` 98.80 करोड़), प्रावधान के परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.

5. बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.

6. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के पत्र सं.लीगल/सीआईआर दिनांक 03 मार्च, 2015 के अनुसार, कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने परामर्श दिया है कि जहां तक बैंक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व लागू नहीं होते, क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है.

7. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी टियर 1 पूंजी को सुदृढ बनाने तथा बैंक की वृद्धी के समर्थन तथा अन्य सामान्य उदेश्यों के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत नियुक्ति (क्यूआईपी) के जरिए रु 10 अंकित मूल्य तथा रु 53.05 प्रीमियम के 11,10,22,997 ईक्विटी शेयर जारी करते हुए कुल ` 699,99,99 लाख जुटाया. इसके आलावा बैंक ने वर्ष के दौराना भारत सरकारा को रु 10 अंकित मूल्य तथा रु 55.73 प्रीमियम सहित अजिमान्य शेयरा के तहत 19,42,79,628 ईक्विटी शेयर जारी करते हुए कुल `1277.00 करोड़ जुटाया. बैंक ने मांगा विकल्प के तहत कुल 300.00 करोड़ के उच्चतर टियर II श्रृंखला बांड को रिडीम किया.

8. वर्ष के दौरान माल तथा सेवा कर (जीएसटी) का कार्यांवयन किया गया तथा आय को जीएसटी के साथ जोडकर सेवा कर के लेखांकन प्रकिया के अनुरूप दर्शाया गया है.

9. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 अप्रैल 2016 के परिपत्र भारतीय रिजरवा बैंक /2015-16/ 366 एफआईडीडी.सीओ/योजना बीसी 23/04.09.01/2015-16 के अनुसारा बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) को जारी करने तथा इन प्रमाण पत्रों के क्रय / विक्रय करते हुए अपने प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग को व्यापार करने की अनुमति है. वर्ष के दौरान बैंक में ` 981 करोड मूल्य के पीएसएलसी की खरीद की किसी भी प्रकार की पीसीएलसी का विक्रय नहीं किया गया.

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं:

i) पूंजी (`करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	**13.32**	12.95
	बेसल III*	**13.90**	12.73
2.	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%) साधारण ईक्विटी टियर I पूंजी (%)		
	बेसल III*	**10.36**	8.44
3.	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)		
	बेसल II	**10.75**	9.56
	बेसल III	**11.71**	9.96
4.	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)		
	बेसल II	**2.57**	3.39
	बेसल III	**2.19**	2.77

*बेसल III टायर I और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित सीआरएआर अनुपात यथा दिनांक 31.03.2017 को 1.25% एवं यथा दिनांक 31.03.2018 को 1.875% है

बेसल III (`करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.36	8.44
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	11.71	9.96
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.19	2.77
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.90	12.73
v)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	68.77	70.33
vi)	जुटाए गए ईक्विटी पूंजी की राशि (` करोड़ों में) (मद सं.12 (iv) के संदर्भ लें)	1977.00	-
vii)	जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिनमें से		
	पीएनसीपीएस :	0.00	0.00
	पीडीआई :	00.00	325.00
	जुटाए गए टियर 2 पूंजी की राशि जिनमें से		
	ऋण पूंजी लिखत (` करोड़ों में) :	0.00	0.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस))	0.00	0.00

*शेयर प्रीमियम सहित

ii) निवेश

(i) निवेशों के विवरण

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	निवेश का मूल्य**		
	निवेश का सकल मूल्य	40281.86	44786.97
	भारत में	40281.86	44786.97
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	मूल्यह्रास तथा एनपीआई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (गैर-निष्पादक निवेश)*	770.20	362.42
	भारत में	770.20	362.42
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	निवेश का निवल मूल्य	39511.66	44424.55
	भारत में	39511.66	44424.55
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रतिधारित प्रावधानों का उतार-चढाव		
	अथशेष	272.29	265.04
	जोड : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	384.75	7.25
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	-	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखित करना	61.09	-
	इति शेष	595.95	272.29

यथा 31.03.2018 को निवेश के सकल मूल्य में ` 3435 करोड़ (पिछला वर्ष `300 करोड़) का बकाया एलएएफ रिपो तथा बकाया एमएसएफ ` शून्य (पिछला वर्ष ` शून्य `6857.39 करोड़ का अमानक रेपो (पिछले वर्ष `6857करोड़) तथा बकाया सीबीएलओ ` शून्य (पिछला वर्ष ` 29.81 करोड़) है.

* एनपीआई के ` 174.25 करोड़ (पिछला वर्ष ` 90.13 करोड़) के प्रावधान सहित

** आरआईडीएफ निवेशों को छोडकर.

ii) रिपो लेनदन के विवरण (एलएएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	**वर्ष के दौरान बकाया**			**यथा 31.03.2018 को**
	न्यूनतम	**अधिकतम**	**दैनिक औसत**	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	400.20	7157.39	3479.68	3532.67
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	3000.00	228.47	3000.00
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
				(₹ करोड़ों में)
ब्यौरे	**वर्ष के दौरान बकाया**			**यथा 31.03.2018 को**
	न्यूनतम	**अधिकतम**	**दैनिक औसत**	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	1033.84	10235.75	5676.00	7157.39
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	2150.00	235.08	961.66
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii) गैर–एसएलआर निवेश संविभाग

गैर–एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना – 31.03.2018 (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	**जारीकर्ता**	**राशि**	**निजी नियोजन की सीमा**	**निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा**	**'श्रेणी रहित' प्रतिभूतियों की सीमा**	**'सूची रहित' प्रतिभूतियों की सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	2896.79	1411.99	97.23	2630.81	236.01
(ii)	वित्तीय संस्थाएं**	654.63	393.96	10.00	170.08	0.00
(iii)	बैंक	143.86	119.08	13.80	57.06	0.00
(iv)	निजी कंपनी	987.70	860.75	74.03	414.27	14.13
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	346.88	346.88	0.00	346.88	0.00
(vii)	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	408.29	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल *	**4621.57**	**3132.66**	**195.06**	**3619.10**	**250.14**

नोट :

(1) * कॉलम 3 के तहत कुल, तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत शामिल कुल निवेशों से मेल खाना चाहिए.

क) शेयर
ख) डिबेंचर और बांड
ग) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम
घ) अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

(3) कालम (6) श्रेणीरहित प्रतिभूति में बकाया राशि के संपरिवर्तन में आवंटित `833.34 करोड़ के विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति, `1277 करोड़ के ईक्विटी शेयर, ` 618.46 करोड़ की उद्यम पूंजी, `17.70 करोड़ का म्यूचुअल फंड, `5.00 करोड़ की प्रतिभूति रसीद ` 329.11 तथा `447.73 करोड़ का डिस्कॉम बांड शामिल हैं.

** यथा दिनांक 31 मार्च 2018 आरआईडीएफ के अधीन ` 3907.88 करोड़ का निवेश शामिल नहीं है.

क) गैर निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश (` करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2018	31.03.2017
अथशेष	**118.50**	123.39
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**95.19**	25.89
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**0.23**	30.78
इतिशेष	**213.46**	118.50
कुल धारित प्रावधान	**174.25**	90.13

ख) गैर–निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान में उतार–चढाव (` करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2018	31.03.2017
अथशेष	**90.13**	70.59
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**84.35**	48.06
घटाएं : अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखन करना	**0.23**	28.52
इतिशेष	**174.25**	90.13

iv एचटीएम श्रेणी को / से बिक्री और अंतरण –

वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी के अधीन बेची गई प्रतिभूति का बही मूल्य वर्ष की शुरूआत में एचटीएम श्रेणी पर धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक है. यथा दिनांक 31.03.2018 को एचटीएम श्रेणी के विवरण यहां नीचे प्रस्तुत है:

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	राशि
1.	बाजार मूल्य	22,236.74
2.	बही मूल्य	22,783.06
3.	बाजार मूल्य पर बही मूल्य अधिक होने पर जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	546.32

एचटीएम के अधीन धारित सभी एसएलआर प्रतिभूतियां एफआईएमएमडीए दरों के अनुसार मूल्य निर्धारित किया गया है.

(V) व्युत्पन्न :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (` करोड़ों में)

	ब्यौरे	**31.03.2018**	31.03.2017
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	**115.00**	शून्य
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होनेवाली हानि	**शून्य**	शून्य
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	**प्रति पार्टियां बैंक हैं क्योंकि कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है**	शून्य
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	**किए गए स्वैप बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतर बैंक सीमा में हैं, वर्ष के दौरान किए गए आईआरएस से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई एकाग्रता नहीं है**	शून्य
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	**-0.28**	शून्य

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न (` करोड़ों में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**31.03.2018**	31.03.2017
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
(ii)	31 मार्च 2018 को बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
(iii)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार) व 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
(iv)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर का बाज़ार मूल्य व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य

vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अपने परिपत्र सं डीबीआरएन.सं बीपी.बीसी.102 / 21.04.048 / 2017-18 के जरिए ये बैंकों को ये विकल्प दिया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 व 31 मार्च, 2018, समाप्त तिमाही में निवेशों पर हुई बाजार हानियों को, जिस तिमाही में हुई है, उस तिमाहियों में बराबर प्रावधानीकरण करते हुए उसे चिह्नांकित करें. तथापि बैंक ने इस विकल्प को अमल ना करते हुए जिस तिमाही में हानि हुई है उसी तिमाही में निवेशों पर बाजार हानी होनि चिह्नांकित किया है.

vii) व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा अनुमोदित, भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (` करोड़ों में)

क्रम सं.	ब्यौरे		मुद्रा व्युत्पन्न		ब्याज दर व्युत्पन्न	
			31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
i)	**व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)**		**शून्य**	शून्य	**115.00**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा के लिए		**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	ख) व्यापार के लिए		**शून्य**	शून्य	**115.00**	शून्य
ii)	**बाजार स्थिति में अंकित (1)**		**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	क) आस्ति (+)		**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	ख) देयता (-)		**शून्य**	शून्य	**0.28**	शून्य
iii)	**ऋण जोखिम (2)**		**शून्य**	शून्य	**1.05**	शून्य
iv)	**ब्याज दर में 1% परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)**		**शून्य**	शून्य	**3.86**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर		**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर		**शून्य**	शून्य	**3.86**	शून्य
v)	**वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100* पीवी 01**		**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा पर –	अधिकतम	**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
		न्यूनतम	**शून्य**	शून्य	**0.00**	शून्य
	ख) व्यापार पर –	अधिकतम	**शून्य**	शून्य	**4.92**	शून्य
		न्यूनतम	**शून्य**	शून्य	**0.41**	शून्य

iii) आस्ति गुणवत्ता

क) गैर निष्पादक आस्ति (` करोड़ों में)

	ब्यौरे	**31.03.2018**	31.03.2017
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	**4.32**	4.36
(ii)	गै.नि.आ. का आवाजाही (सकल)		
	अथशेष	**6381.78**	6027.07
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4388.20**	2893.44
	वर्ष के दौरान हुई कमी	**3243.89**	2538.73
	इतिशेष	**7526.09**	6381.78
(iii)	निवल गै.नि.आ. में आवाजाही		
	अथशेष	**4118.16**	4276.82
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कमी	**903.08**	(158.66)
	इतिशेष	**5021.24**	4118.16
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का आवाजाही*		
	अथशेष	**2227.33**	1730.40
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1746.62**	1558.29
	बट्टा खाता डालना	**1531.31**	1061.36
	इतिशेष	**2442.64**	2227.33

(* मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोडकर व अस्थिर प्रावधान को जोड कर)

ख) आस्ति वर्गीकरण में विचलन और गैर–निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान (` 000 में)

क्रम सं.	ब्यौरे	राशि
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को सकल एनपीए	63817736
2.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को सकल एनपीए	71195736
3.	सकल एनपीए में विचलन (2–1)	7378000
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को निवल एनपीए	41181600
5.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को निवल एनपीए	455440506
6.	निवल एनपीए में विचलन (5–4)	4358906
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को एनपीए के लिए प्रावधान	22273230
8.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2017 को एनपीए के लिए प्रावधान	25655230
9.	प्रावधान में विचलन (8–7)	3382000
10.	वर्षांत 31.03.2017 के लिए रिपोर्ट किए गए कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	7504851
11.	वर्षांत 31.03.2017 के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित (अनुमानिक) कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	5293023

ग) पुनर्संरचना हेतु ऋण आस्तियों के विवरण (` करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2018	31.03.2017
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु ऋण आस्तियों की कुल राशि	**944.26**	1523.78
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**21.40**	425.93
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु मानक आस्तियों की राशि	**547.59**	1115.35
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**21.40**	298.06
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु अवमानक आस्तियों की राशि	**175.33**	105.26
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**0.00**	80.95
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु संदिग्ध आस्तियों की राशि	**221.34**	303.18
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**0.00**	46.92
	नोट: (क = ख + ग + घ)		

एमएसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना

	ब्यौरे	31.03.2018	31.03.2017
क	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	**18.83**	**22.30**
ख	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की मानक आस्तियों की राशि	**5.05**	**6.58**
ग	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	**1.89**	**1.24**
घ	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि	**11.89**	**14.48**

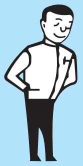

घ) **दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के सतत् पुनर्संरचना के लिए योजना का प्रकटन** (` करोड़ों मे)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	बकाया कुल राशि		बकाया राशि		धारित प्रावधान
	वित्त आधारित	गैर-वित्त आधारित	भाग – क में	भाग – ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत (1 खाते)	34.66	72.85	107.51	45.48	21.25 करोड़ (निवेश ` 14.32 करोड़ आवश्यकता मानक आस्तियों का प्रावधान ` 6.93 करोड़
एनपीए के रूप मे वर्गीकृत (2 खाते)	46.24	130.21	176.45	28.61	31.17 करोड़ (निवेश रु7.37 करोड़ एनपीए का प्रावधान रु 23.80 करोड़)

* गैर-निधि आधारित को सम्मिलित करते हुए.

ङ) **वर्तमान ऋणों के नम्य पुनर्संरचना पर प्रकटन** (` करोड़ों मे)

अवधि	नम्य पुनर्संरचना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नम्य पुनर्संरचना के लिए ली गई राशि		नम्य पुनर्संरचना के लिए लिए गए ऋण का एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	नम्य पुनर्संरचना लागू करने के पूर्व	नम्य पुनर्संरचना लागू करने के बाद
31.03.2017	7	898.79	-	10.50 वर्ष	18.66 वर्ष
31.03.2018	1	215.13	-	10.07 वर्ष	19.96 वर्ष

च) **सामरिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)** (` करोड़ों मे)

एसडीआर लागू किए गए खातों की संख्या	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खाते जहां ईक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन लंबित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खाते जहां ईक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन किया गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य						

छ) **एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)** (` करोड़ों मे)

उन खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खाते जहां ईक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन/ ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना लंबित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खाते जहां ईक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन किया गया है / ईक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खाते, जहां नए शेयर जारी करने या प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य								

झ) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)

(` करोड़ों मे)

परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य			

मानक पुनर्संरचित खातों के विवरण, जिनके के लिए उच्चतर पुनर्संरचना प्रावधान किया जाना है :

यथा मार्च 2018 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	पुनर्संरचना का स्वरूप →		सीडीआर तंत्र के तहत (भाग ग)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के तहत					अन्य (भाग क व ख)					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	ब्यौरे ↓																					
1	यथा 1 अप्रैल 2017 को पुनर्संरचित खाते*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	4	5	2	11	1	8	793	305	1107	587	295	1807	615	3304	588	307	2605	922	4422
		बकायाराशि	0	80.95	35.64	11.28	127.87	0.02	1.24	11.87	2.61	15.74	28.58	23.07	237.45	4.33	293.43	28.60	105.26	284.96	18.22	437.04
		उस पर प्रावधान (आर्थिकहानि)	0	7.16	0	0	7.16	0	0.01	0.02	0	0.03	0.52	0.11	2.93	0	3.56	0.52	7.28	2.95	0	10.75
2	वित्तीय वर्ग 2017-18 के दौरान नए सिरे से पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	5	1	59	53	0	5	1	59
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.27	0	33.37	0.14	35.78	2.27	0	33.37	0.14	35.78
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.46	0	5.46	0	0	5.46	0	5.46
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के लिए उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	5	-1	-4	0	0	34	-14	-16	-4	0	39	-15	-20	-4	0.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0.64	-0.04	-0.60	0	0	9.19	-8.50	-0.64	-0.05	0	9.83	-8.54	-1.24	-0.05	0.00
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0.03	-0.03	0	0	0	0.871	-0.84	-0.03	-0.001	0	0.901	-0.87	-0.03	-0.001	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिमों जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक अधिक प्रावधान तथा /या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित न करता है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है (31 मार्च 2016 से पहले पुनर्संरचित खाते)	उधारकर्ताओं की संख्या	2				2	29				29	1281				1281	1312				1312
		बकाया राशि	21.4				21.4	5.05				5.05	506.33				506.33	532.78				532.78
		उस पर प्रावधान	0.44				0.44	0.06				0.06	6.37				6.37	6.87				6.87
5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्संचित खाते का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-5	2	3	0	0	-304	155	149	0	0.00	-309	157	152	0	0.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	-0.68	0.67	0.01	0	0.00	-208.93	173.42	35.51	0	0.00	-209.61	174.09	35.52	0	0.00
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.87	2.46	5.41	0	0.00	-7.87	2.46	5.41	0	0.00
6	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	2	608	382	992	0	148	1642	682	2472	0	150	2250	1064	3464
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0	0.68	8.66	3.23	12.57	-0.01	173.3	171.57	4.36	349.22	-0.01	173.98	180.23	7.59	361.79
7	वित्तीय वर्ष 2018 के यथा 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते *	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	327	9	7	1	344	327	11	7	1	346
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0	1.21	0	0	1.21	14.81	0.14	33.39	0.14	48.48	14.81	1.35	33.39	0.14	49.69
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0.003	0	0	0.003	0.24	0	5.45	0	5.69	0.24	0.003	5.45	0	5.69

* पुनर्संरचना की तारीख या दो साल प्लस अधिस्थगन अवधि से दो साल पूरे किए गए मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकडों को छोडकर, यदि कोई हो तो

ट) **आस्तियां पुनर्निमाण के लिए प्रतिभूतीकरण कंपनी (एस सी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री की गई आस्तियों का विवरण**

(` करोड़ में)

क्रम. सं	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
2	एससी / आरसी को बेचे गए खातों की कुल मूल्य (निवल प्रावधान)	**शून्य**	शून्य
3	कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य
4	पिछले वर्षों की अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	**शून्य**	शून्य
5	निवल बही मूल्य की कुल लाभ/ हानि	**शून्य**	शून्य

ठ) **प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुननिर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री :**

तालिका (i) (` करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एस आर	पिछले 8 वर्षों के भीतर परन्तु 5 साल से अधिक जारी की गई एसआर	8 साल से अधिक जारी की गई एसआर
1	अंतर्निहित रूप में बैंकों द्वारा बिक्री की गई एनपीए समर्थित एसआर बही मूल्य	146.39	20.06	शून्य
	(1)* के प्रति धारित प्रावधान	115.40	16.01	शून्य
2	अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्था/ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिक्री की गई एनपीए समर्थित एसआर की बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(2) के प्रति धारित प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1+2)	**146.39**	**20.06**	**शून्य**

तालिका (ii) (` करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एस आर	पिछले 8 वर्षों में 5 साल से अधिक जारी की गई एस	8 साल से पहले जारी की गई एस आर
1	अंतर्निहित रूप में बैंकों द्वारा बिक्री की गई मानक आस्तियां समर्थित एसआर बही मूल्य	162.66	शून्य	शून्य
	(1)* के प्रति धारित प्रावधान	16.26	शून्य	शून्य
2	अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों /वित्तीय संस्था/ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिक्री की गई मानक आस्तियां समर्थित एसआर की बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(2) के प्रति धारित प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1+2)	**162.66**	**शून्य**	**शून्य**

*तालिका (i) और (ii) के कॉलम (1) के प्रावधान के अतिरिक्त, बैंक 103.93 करोड़ रुपये का प्रावधान धारित करता है.

ठ) **ऋण चूक स्वैप : शून्य**

ड) **गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के क्रय/ बिक्री का विवरण**

i) **गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के क्रय का विवरण** (` करोड़ों में)

विवरण		**31.03.2018**	31.03.2017
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2	(क) वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

ii) **बिक्री किए गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण** (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
1. बिक्री किए गए खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां बैंक ने दो साल से कमी पाई है.

ढ) **मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान** (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**459.92**	516.64
कुल	**459.92**	516.64

ण) **कारोबार अनुपात** (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	**7.69%**	8.14%
गैर–ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	**0.98%**	1.09%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	**1.89%**	1.59%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	**0.44%**	0.49%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)(रु करोड़ में)	**18.10**	14.17
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	**0.05**	0.05

त. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संदर्भ में डीबीआर सं बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016–17 दिनांक.23.06.2017 और डीबीआर सं. बीपी.1926 / 21.04.048 / 2017–18 दिनांक.28.08.2017 दिवालियापन और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत कुछ अनर्जक संपत्ति खातों के संबंध में, बैंक ने 31 मार्च 2018 तक प्रदान किए जाने वाले ` 14979 लाखों के अतिरिक्त प्रावधान को पूरी तरह से प्रदान किया है. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02.04. 2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं.बीपी 8756 / 21.04.048 / 2017–18 के अनुसार 50% से 40% तक प्रावधान आवश्यकता को कम कर दिया है। हालांकि, बैंक ने उपरोक्त प्रावधान को कम नहीं किया है और बनाए रखा है.

द. आईबीसी के तहत अग्रिम के संबंध में, उचित मूल्य में शामिल अनिश्चितता के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सुरक्षा के मूल्य पर प्रावधान किया गया है, जिसे एनसीएलटी में मामले के समाधान पर फैसला किया जाएगा.

ध. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02 2018 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एन.बी.बी.सी.0101 / 21.04.048 / 2017-18 के माध्यम से दबाववग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर संशोधित ढांचा जारी किया है. संशोधित ढांचे के अनुसरण में बैंक ने विशिष्ट पुनर्गठित खातों को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया है और तदनुसार ` 116.45 करोड़ के ऐसे दबावग्रस्त खातों की ओर प्रावधान किया है.

घ. कुछ बैंकों में वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के मद्देनजर देखा गया, रत्न और आभूषण उधारकर्ता समूह के संबंध में बैंक ने कुछ खातों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया है और प्रचुर मात्रा में सावधानी के माध्यम से ` 3 27.38 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

iv) आस्ति देयता प्रबंधन : आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरुप : (` करोड़ों में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिनों से 2 महीने तक	2 महीनों से अधिक व 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 12 महीनों तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	490.13	3513.07	2856.29	3351.94	9176.34	15413.84	20880.40	44190.30	20480.37	35467.91	1466.94	**157287.53**
अग्रिम *	1294.32	135.15	159.64	1278.72	2203.66	2971.56	4196.47	8285.12	59198.90	14215.21	22226.70	**116165.44**
निवेश *	36.91	290.62	0.00	50.14	20.50	40.34	10.00	1396.89	4114.43	5070.66	28481.18	**39511.67**
उधार **	0.00	3205.67	427.00	200.00	86.18	71.31	1.56	9.10	1012.42	338.90	1947.65	**7299.79**
विदेशी मुद्रा अस्तियां	47.54	10.82	13.52	477.44	217.11	48.80	101.93	12.25	70.23	9.31	48.04	**1056.99**
विदेशी मुद्रा देयताएं	595.23	10.37	1.37	2.08	76.80	19.28	33.33	138.29	152.55	35.03	0.00	**1056.99**

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार वर्गीकृत किया जाता है और प्रबंधन द्वारा पालन किया जाता है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है.

* आंकडे स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

** भारत में उधार

v) संवेदनशील क्षेत्र को उधार

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार (` करोड़ों में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1)	प्रत्यक्ष उधार		
	क. आवासी बंधक		
	(i) आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	**15584.36**	11771.19
	(ii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	**7105.46**	5889.23
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर,बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटेल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होंगे.	**1256.89**	1925.24
	ग. अन्य उत्पन्न करनेवाली स्थावर संपदा	**2347.24**	2208.07
	घ. बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
	(i) आवासीय	**--**	500.46
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**--**	--

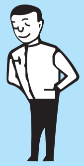

क्र.सं	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
2)	अप्रत्यक्ष उधार		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधारित उधार	**688.12***	100.88
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम		**19878.27**	16005.38

***** एनएचबी और एचएफसी को 561.87 करोड़ के अप्रत्यक्ष निवेश एक्सपोजर सहित.

ख) पूंजी बाज़ार को उधार (` करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	**352.71**	183.45
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	**0.00**	0.00
(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	**0.00**	0.00
(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बाँड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपार्श्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बाँड/परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	**0.00**	0.00
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	**25.00**	25.30
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	**0.00**	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	**0.00**	0.00
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	**0.00**	0.00
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	**0.00**	0.00
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किए गए सब प्रकार के निवेश	**17.70**	20.05
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	**395.41**	**228.80**

vi) एसडीआर केतहत निवेश के लिए प्रकटीकरण

सामरिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर मास्टर परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.101/21.04.132/2014-15 दिनांकित 8 जून 2015 के मद सं. 7 के अनुसरण में एसडीआर तंत्र के तहत शेयरों के अधिग्रहण, पूंजी बाजार एक्सपोजर, पारा बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर समूह एक्सपोजर पर नियामक सीमा / प्रतिबंध से छूट दी गई है.

एसडीआर तंत्र के अधीन धारित शेयर तथा उनके विवरण और यथा 31 मार्च 2018 को विवरण निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	**आवंटित शेयर**	**आवंटन मूल्य/ शेयर रुपयों में**	**बही मूल्य ` करोड़ों में**
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	4,00,00,000	10.00	40.00
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	20,00,000	34.20	6.84
बेल्लोना एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	36,140	10.00	0.04
एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	5,86,57,727	10.00	58.66
ईटीसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड	79,23,749	10.00	7.92
जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1,57,86,048	10.00	15.79
कुल			**129.25**

vii) जोखिम वर्ग–वार देशी उधार

जोखिम का वर्ग	**31.03.2018 को उधार (निवल)**	**31.03.2018 को धारित प्रावधान**	**31.03.2017 को उधार (निवल)**	**31.03.2017 को धारित प्रावधान**
नगण्य	380.94	शून्य	336.71	शून्य
कम	318.30	शून्य	292.72	शून्य
मध्यम	8.05	शून्य	6.60	शून्य
अधिक	8.05	शून्य	6.60	शून्य
अत्यधिक	0.00	शून्य	1.25	शून्य
सीमित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऋण से पृथक	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**714.51**	**शून्य**	**657.20**	**शून्य**

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर होने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.96/21.04.103/2003-04 दिनांकित 17.06.2004 के साथ पढे दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

(VIII) वर्ष के दौरान बैंक के विवेकपूर्ण एक्सपोजर से ऋण एक्सपोजर का अधिक होना.

(` करोड़ में)

क्रम.सं	**उधारकर्ता का नाम**	**एक्सपोजर सीमा**	**स्वीकृत सीमा**	**अवधि के दौरान सीमा की अधिकता**	**अवधि के दौरान सीमा बकाया की अधिकता**	**बोर्ड स्वीकृति विवरण**	**31.03.2018 की स्थिति**
2017-18	मेसर्स कलेश्वर सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड	2210.30 (इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लागू 31.03.2017 को 11051.49 रुपये के पूंजीगत निधि का व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमा 20%)	2750.00	ड्रॉडाउन के तहत लागू नहीं है	ड्रॉडाउन के तहत लागू नहीं - समझदार एक्सपोजर सीमा के भीतर बकाया	एमसीबी कार्यवाही सं. सीडी के माध्यम से स्वीकृत: एमसी: 04.01.2018 दिनांकित एसआर -01 / 2018 एजेंडा सं. ए -09 / 18 दिनांकित बोर्ड द्वारा अनुमोदित 02.01.2018	1961.83
2016-17	शून्य	लागू नहीं है.					

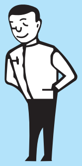

(IX) जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए का केंद्रीकरण

क) जमाराशियों का संकेंद्रण

(` करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	**38196.29**	26490.55
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	**24.28%**	19.92%

ख) अग्रिमों का का संकेंद्रण

(` करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
20 बडे उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	**24574.01**	13156.81
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	**20.71%**	13.59%

ग) जोखिमों का संकेंद्रण

(` करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल जोखिम	**26822.39**	16987.56
उधारकर्ताओं/गाहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	**20.16%**	15.06%

घ) जोखिमों का का संकेंद्रण

(` करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल जोखिम	**17516.93**	16931.01
उधारकर्ताओं/गाहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	13.17%	15.01%

ड.) एनपीए का संकेंद्रण

(` करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	**1653.90**	1317.46

X) क्षेत्रवार अग्रिम (सकल)

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2018			31.03.2017		
		बकाया कुल अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता**	**बकाया कुल अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता**
क	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**15897.00**	**578.64**	**3.64**	12752.54	544.89	4.27
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	**5005.03**	**506.93**	**10.13**	4554.50	305.89	6.72
3	सेवाएं	**12916.34**	**464.74**	**3.60**	11453.06	85.13	0.74

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2018			31.03.2017		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता
4	वैयक्तिक ऋण	9656.63	79.63	0.82	7973.53	480.46	6.03
	उप–कुल (क)	43475.00	1629.94	3.75	36733.63	1416.37	3.86
ख	**गैर–प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य	शून्य	शून्य
2	उद्योग	70381.90	5378.70	7.64	27545.59	4316.43	15.67
3	सेवाएं	3363.28	428.21	12.73	3329.60	51.82	1.56
4	वैयक्तिक ऋण	**1457.22**	**89.24**	**6.12**	29212.63	597.16	2.04
	उप–कुल (ख)	75202.40	5896.15	7.84	60087.82	4965.41	8.26
	कुल (क + ख)	118677.40	7526.09	6.34	96821.45	6381.78	6.59

XI) एनपीए का चलन (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)	**6381.78**	6027.07
वर्ष के दौरान जोड (नए एनपीए)	**4388.20**	2893.44
उप–कुल (क)	**10769.98**	**8920.51**
घटाएं :		
(i) उन्नयन	**876.57**	895.44
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोडकर)	**827.33**	575.00
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना	**1531.32**	1061.36
(iv) बट्टे खाते डालना उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा	**8.67**	6.93
उप–कुल (ख)	**3243.89**	**2538.73**
31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए (क – ख)	**7526.09**	6381.78

XII) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उस पर की गयी वसूलियां : (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खातों का अथशेष	**3459.51**	2540.48
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खाते	**1531.31**	1061.36
उप कुल	**4990.82**	3601.84
घटाएं : पहले ही तकनीकी/विववेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खातों से की गयी वसूलियां	**151.27**	142.33
इतिशेष	**4839.55**	3459.51

xiii) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य

xiv) प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित (जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**समुद्रपारीय**
शून्य	शून्य

xv) अप्रतिभूत अग्रिम : बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

xvi) 2017–18 के दौरान बीमा कारोबार से शुल्क/ पारिश्रमिक (` करोड़ों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2017–18	2016 –17
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**2.15**	2.17
2	गैर–जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**6.13**	4.64
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	**शून्य**	शून्य
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	**शून्य**	शून्य

11. **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी(अधिनियम) नियम2014 के नियम 7 पढे जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए हैं:**

i) पिछली अवधि की आय/व्यय से संबंधित ऐसी कोई भी मदें नहीं है जिसे एएस–5 के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.

ii) पिछली प्रथा के अनुसार, बैंक एएस–6 के तहत अपेक्षित, मूल्यह्रास संपत्ति के प्रत्येक वर्ग और संबंधित संचित मूल्यह्रास की सकल राशि के विवरण प्रदान नहीं करता है.

iii) बैंक की लेखा नीति सं.08 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण एएस–9 के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.

iv) बैंक द्वारा एएस 11 के अनुसार लेनदेन की तारीख की दर पर नहीं बल्कि एफईडीएआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय है कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

v) एएस–15 के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है :

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.18	पेंशन 31.03.17	पेंशन 31.03.16	पेंशन 31.03.15	पेंशन 31.03.14
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**					
	बट्टागत दर	**7.64%**	7.50%	8.00%	8.00%	8.50%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	**8.17%**	9.16%	9.02%	8.95%	9.50%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	**3282.09**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	ब्याज की लागत	**239.45**	184.70	180.28	161.87	161.48
	चालू सेवा लागत	**95.38**	341.24	208.27	268.84	268.90
	प्रदत्त लाभ	**295.95**	278.49	(307.37)	(218.99)	(219.72)
	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (समतुलन आंकडे)	**355.34**	432.60	113.71	62.58	(87.47)
	अवधि के अंत में पीवीओ	**3676.31**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84

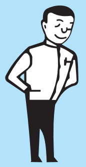

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.18	पेंशन 31.03.17	पेंशन 31.03.16	पेंशन 31.03.15	पेंशन 31.03.14
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**250.87**	232.91	211.74	201.02	186.58
	अंशदान	**811.43**	560.58	299.64	89.00	271.58
	प्रदत्त लाभ	**295.95**	278.50	(307.37)	(218.99)	(219.72)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	**3860.19**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**250.87**	232.91	211.74	201.02	186.58
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**274.05**	245.88	202.93	231.43	230.22
V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**355.34**	432.60	(113.71)	(62.58)	87.47
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	**23.18**	12.97	(8.81)	30.41	43.64
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	**332.16**	419.63	(122.52)	(32.17)	131.11
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	**332.16**	419.63	(122.52)	(32.17)	131.11
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3676.30**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3860.20**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी)	**183.89**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	**183.89**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	**95.38**	341.24	208.27	268.84	268.90
	ब्याज लागत	**239.45**	184.70	180.28	161.87	161.48
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**250.87**	232.91	(211.74)	(201.02)	(186.58)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**332.16**	419.63	122.52	32.17	(131.11)
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	**416.11**	712.68	299.33	261.86	112.69
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	**211.43**	59.33	59.64	(113.22)	45.66
	उपर्युक्तानुसार व्यय	**416.11**	712.68	299.33	261.86	112.70
	प्रदत्त अंशदान	**811.43**	560.58	(299.64)	(89.00)	(271.58)
	अंतिम निवल देयता	**(183.89)**	211.42	59.33	59.64	(113.22)

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.18	पेंशन 31.03.17	पेंशन 31.03.16	पेंशन 31.03.15	पेंशन 31.03.14
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3676.30**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84
	योजना आस्तियाँ	**3860.20**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
	अधिक/(कमी)	**(183.89)**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	**(355.34)**	(432.60)	(113.71)	(62.58)	87.47
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी 31.03.18	ग्रेच्यूटी 31.03.17	ग्रेच्यूटी 31.03.16	ग्रेच्यूटी 31.03.15	ग्रेच्यूटी 31.03.14
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**					
	बट्टागत दर	**7.71%**	7.50%	8.00%	8.00%	8.50%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	**8.42%**	10.79%	9.00%	8.81%	8.50%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	**332.16**	298.88	298.16	315.93	343.85
	ब्याज की लागत	**23.76**	20.64	21.39	22.77	26.49
	चालू सेवा लागत	**101.80**	24.77	22.06	18.63	17.45
	प्रदत्त लाभ	**47.93**	47.29	(61.68)	(62.70)	(64.50)
	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (समतुलन आंकडे)	**6.86**	35.16	18.95	3.54	(7.36)
	अवधि के अंत में पीवीओ	**416.65**	332.16	298.88	298.17	315.93
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**339.71**	308.99	326.30	354.14	368.24
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	अंशदान	**36.00**	44.89	16.00	0.00	21.00
	प्रदत्त लाभ	**47.93**	47.29	(61.68)	(62.70)	(64.50)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	**351.15**	339.71	308.99	326.31	354.14
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**23.37**	33.12	28.37	34.87	29.40

						(` करोड़ों में)
क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी 31.03.18	ग्रेच्यूटी 31.03.17	ग्रेच्यूटी 31.03.16	ग्रेच्यूटी 31.03.15	ग्रेच्यूटी 31.03.14
V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**(6.86)**	(35.16)	(18.95)	(3.54)	7.36
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	**(12.09)**	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(6.86)**	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**416.65**	332.16	298.88	298.17	315.93
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**351.15**	339.72	308.99	326.31	354.14
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	**23.13**	24.77	22.06	18.63	17.45
	ब्याज लागत	**23.76**	20.64	21.39	22.77	26.49
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**12.09**	35.38	19.95	(0.13)	(5.46)
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	**101.50**	47.46	34.02	10.06	7.18
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार– चढाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	**(7.54)**	(10.12)	(28.14)	(38.21)	(24.39)
	उपर्युक्तानुसार व्यय	**101.50**	47.46	34.02	10.06	7.18
	प्रदत्त अंशदान	**(36.00)**	(44.89)	(16.00)	–	(21.00)
	अंतिम निवल देयता	**65.50**	(7.54)	(10.12)	28.15	(38.21)
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**416.65**	332.16	298.88	298.16	315.93
	योजना आस्तियाँ	**351.15**	339.72	308.99	326.30	354.14
	अधिक/(कमी)	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	**(6.86)**	(35.16)	(18.95)	(3.54)	7.36
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)

* रु 78.68 करोड़ की भाग सेवा लागत शामिल है.

विवरण न मिलने के कारण, बीमांकित मान्यताओं से संबंधित प्रावधान नीचे दिया गया है :

ब्याज दर : 7.71% प्र.व.

वेतन मुद्रास्फीति : 5.50% प्र.व.

मृत्यु दर : एलआईसीआई 1994-96

ह्रास दर : प्रति हजार 10 प्र.व.

सूत्र : प्रत्याशित इकाई ऋण विधी

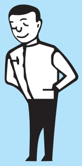

vi) वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एएस–15 के अनुसार किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं (` करोड़ों में)

क्रम सं.	अन्य दीर्घावधि लाभ	31.03.2018	31.03.2017
1	पेंशन (विपर्यय का निवल)	**416.11**	712.68
2	ग्राच्युटी	**101.50**	37.35
3	छुट्टी नकदीकरण (प्रावधान के भुगतान का निवल)	**4.29**	(14.28)
4	बीमारी छुट्टी	**0.51**	3.41

*नोट: वेतन एवं भत्ता खाते में नामे डालकर लाभ व हानि खाते में ` 45.00 करोड़ (पिछले वर्ष `41.00करोड़) का वास्तविक व्यय अभिज्ञप्त लिया गया है.

vii) खंड रिपोर्टिंग (एएस–17) (` करोड़ों में)

कारोबार खंड	खज़ाना		कंपनी/समग्र बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17
राजस्व	**3705.80**	4182.90	**5550.06**	5560.09	**3866.58**	3540.34	**1068.02**	747.39	**14190.45**	14030.72
परिणाम	**1471.79**	1067.80	**471.16**	298.06	**680.79**	857.12	**576.45**	280.98	**3200.18**	2503.96
अनाबंटित व्यय									**2216.97**	1589.48
कर पूर्व लाभ									**983.22**	914.48
कर के लिए प्रावधान									**256.19**	164.00
असाधारण लाभ/हानि									**शून्य**	शून्य
निवल लाभ									**727.02**	750.48
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	**43576.93**	47466.52	**71707.52**	57498.55	**53591.62**	41358.83	**5239.70**	4304.81	**174115.80**	150628.71
अनाबंटित आस्तियां									**3516.27**	4252.86
कुल आस्तियां									**177632.05**	154881.57
खंड देयताएं	**42058.51**	45666.57	**69148.43**	56279.23	**51781.89**	40730.61	**4016.02**	3873.35	**167004.85**	146549.76
अनाबंटित देयताएं									**10627.20**	8331.81
कुल देयताएं									**177632.05**	154881.57

एएस–17 की शर्तों के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए तथा भारिबैं मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार बैंक के कारोबार को चार वर्गों में विखंडन किया गया है – (क) खज़ाना परिचालन एवं (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन

चूंकि बैंक की कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.

जहाँ कहीं, व्यय का खंड से, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटन किया गया है.

जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व/खंड आस्ति अनुपात के आधार पर आबंटन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

ix) सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन पर एएस–18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञप्त किया है.

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

- क) डॉ किशोर सांसी (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)
- ख) श्री बी.एस.रामा राव (कार्यकारी निदेशक)
- ग) श्री आर.ए शंकरनारायणन (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)
- घ) श्री वाई नागेश्वर राव (कार्यकारी निदेशक)
- ड.) श्री. मुरली रामास्वामी (कार्यकारी निदेशक)

वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं :

क) i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार है :

श्री. आर.ए. शंकर नारायण,प्र.नि.एवं सीईओ (01.09.2017 से 31.03.2018)	` 18,81,486.46
डॉ किशोर सांसी पूर्व प्र.नि. एवं सीईओ (01.04.2017 से 31.08.2017 तक)	35,44,539.00
श्री वाई नागेश्वर राव, का.नि (01.04.2017 से 31.03.2018 तक)	` 25,69,848.50
श्री. मुरली रामास्वामी, का.नि (20.02.2017 से 31.03.2018)	3,37,092.80
श्री बी.एस.रामा राव,पूर्व का.नि. (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	` 46,58,007.30

ii) पिछले वर्ष के आंकडे (2016-17)

डॉ किशोर सांसी, प्र.नि. एवं सीईओ (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	` 30,15,624
श्री बी.एस.रामा राव, का.नि. (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	` 27,36,526
श्री वाई नागेश्वर राव, का.नि (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	` 25,30,938

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है.

ग) अनुषंगी : शून्य

x) पट्टे (एएस-19)

क) परिचालन पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टे किराए को संबंधित वर्ष के लाभ व हानि खाते के व्यय के रूप में पहचाना जाता है.

ख) परिचालन पट्टे के लिए देय भावी किराया :

(` करोड़ों मे)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
एक वर्ष के पहले	**200.59**	153.06
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष के पहले	**961.32**	696.66
5 वर्षों के बाद	**944.05**	765.75
कुल	**2105.96**	1615.40
लाभ व हानि खाते को प्रभारित राशि	**191.98**	151.29

ग) भावी पट्टे किराए तथा किराए की वृद्धि सहमति शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

घ) प्रारंभिक पट्टे की अवधि की समाप्ति पर सामान्यत: बैंक को भावी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए पट्टे का विस्तारण करने का विकल्प है.

ङ) बैंक में कोई वित्तीय पट्टा नहीं है.

xi) प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

बैंक, 'प्रति शेयर अर्जन' पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है. इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है.

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन/डाइल्यूटीव		**31.03.2018**	31.03.2017
क.	ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (` करोड़ों में)	**727.02**	750.48
ख.	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ों में) शुरुआत में शेयरों की संख्या: 998845340 ✲ 365/365 05/09/2017 को जोड़ा गया: 111022 997 ✲ 208/365 27/03/2018 को जोड़ा गया: 1 9 4279628 ✲ 5/365	**106.48**	99.10
ग.	मूल प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)	**6.83**	7.57
घ.	प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	**10.00**	10.00

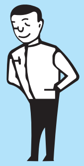

xii) आय पर कर के लिए लेखाकरण (एएस–22)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 'आय पर कर के लिए लेखा' के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है.

क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(` करोड़ों में)

समय में अंतर	आस्थगित कर आस्ति		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1. छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	53.57	52.09	शून्य	शून्य
2. स्थाई आस्तियाँ	0.55	0.55	शून्य	शून्य
3. अपरिशोधित पेंशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. अपरिशोधित ग्राच्युटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.45	3.98	1.74	शून्य
6. आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	शून्य	शून्य	215.85	188.17
7. एनपीए के लिए प्रावधान	773.68	475.67	शून्य	शून्य
कुल	830.25	532.29	217.59	188.17

वर्ष 2017-18 से आईसीडीएस (आय की गणना और घोषणा मानक) के आवेदन को ध्यान में रखते हुए, एचटीएम वर्ग के तहत निवेश पर डीटीएल के संबंध में एएस 22 के प्रावधान लागू नहीं है.

ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(vii)(क) के अधीन प्रयोज्य कटौती में अतिरिक्त के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में बैंक ने डीटीए को पहचानित की है.

घ) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान :

(` करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आयकर के लिए प्रावधान	524.74	307.76
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	(268.55)	(143.76)

xiii) प्रबंधन की राय में, लेखाकरण मानक-28, क्षतिग्रस्त आस्ति के अनुसार बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है.

12 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(i) प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विश्लेषण (` करोड़ों में)

लाभ और हानि खाता में शीर्ष व्यय के तहत दिखाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का विश्लेषण	31.03.2018	31.03.2017
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	457.06	44.97
एनपीए की ओर प्रावधान	1746.81	1347.34
मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित एसडी सहित)	(68.32)	58.27
आयकर (नेट) की ओर किए गए प्रावधान:		
i) वर्तमान कर	524.74	307.76
ii) स्थगित कर	(268.55)	(143.76)

लाभ और हानि खाता में शीर्ष व्यय के तहत दिखाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का विश्लेषण	31.03.2018	31.03.2017
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं:		
i) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**15.42**	10.94
ii) अन्य	**15.79**	47.29
iii) अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	**(52.18)**	(2.14)
कुल	**2370.78**	1670.67

(ii) अस्थायी प्रावधान (` करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क) प्रारंभिक शेष	**71.35**	71.35
(ख) वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधान	**Nil**	Nil
(ग) वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	**Nil**	Nil
(घ) जमा शेष	**71.35**	71.35

क) ग्राहकों की शिकायतें : (` करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	**39**	37
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**4660**	5850
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	**4659**	5848
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**40***	39

*निपटान के दिनांक से

ख) एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायत के विवरण :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	**53**	98
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**10297**	32148
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	**10273**	32193
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**77**	53

ग) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क.	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	शून्य	शून्य
ख.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	1	12
ग.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	1	12
घ.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	शून्य	शून्य

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. ने `93.61(पिछले वर्ष 18.31 लाख) लाख का जुर्माना लगाया है.

(iv) वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने भारत में माल के आयात को कवर करने वाले 139107187.37 अमरीकी डालर की 453 वचन पत्र (एलओयू) जारी किए थे। वचन पत्र को बैंक पर वित्तीय प्रभाव के सक्षम मूल्यांकन और सक्षम प्राधिकरणों की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। तुलन पत्र की तारीख के अनुसार 150 वचन पत्र 55495216.68 अमरीकी डालर (लगभग ` 361.6 9 करोड़ यूएसडी 1 = `65.175) बकाया हैं, जो प्रबंधन की राय में बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(v) **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) :** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक 31.03.2018 तक प्रावधान कवरेज अनुपात 59.39% (पिछले वर्ष 58.15%) है. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.87-21.048 / 2010-11 डीटी.21.04.2011 के जरिए बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात को हासिल किया है.

13. **अंत: समूह एक्सपोजर :**

क) अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ख) उच्च-20 अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ग) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक का कुल एक्सपोजर के प्रति अंत: समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता : शून्य

घ) अंत: समूह एक्सपोजर पर सीमा तोडने के विवरण तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो : शून्य

14. **जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ) :** (` करोड़ों में)

विवरण	**31.03.2018**	31.03.2017
डीईएएफ को अंतरित राशि का अथशेष	**117.05**	87.53
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**79.85**	30.54
घटाएं : दावे के प्रति डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	**1.53**	1.02
डीईएएफ को अंतरित राशि का इतिशेष	**195.37**	117.05

15. **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर** :

(जहां तक बैंक ने उधारकर्ताओं से सुनिश्चित कर पाया है तथा बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया तथा लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

यथा 31.03.2017 को वृद्धिशील प्रावधानीकरण : `3.70 करोड़

वृद्धिशील पूंजी आवश्यकता ` 5.90 करोड़

16. **(क) चलनिधि प्रावरण अनुपात** : (` करोड़ों में)

एलसीआर प्रकटन टेंप्लेट			
		कुल अभारित मूल्य (औसतन)	**कुल भारित मूल्य (औसतन)**
उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		20083.78
नकद बहिर्गमन			
2	खुदरा जमा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों से जमा, जिसमें से	90259.21	6669.31
	(i) स्थिर जमा	47132.14	2356.61
	(ii) कम स्थिर जमा	43127.07	4312.71
3	अप्रत्याभूत थोक निधीयन, जिसमें से	15871.66	10547.29
	(i) परिचालनात्मक जमा (सभी काउंटरपार्टी)	0.00	0.00
	(ii) गैर-परिचालनात्मक जमा (सभी काउंटरपार्टी)	18651.95	10547.29
	(iii) अप्रत्याभूत ऋण	0.00	0.00

एलसीआर प्रकटन टेंप्लेट			
		कुल अभारित मूल्य (औसतन)	कुल भारित मूल्य (औसतन)
4	प्रत्याभूत थोक निधीयन	3348.93	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	16594.45	1957.30
	(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
	(iii) ऋण तथा चलनिधि सुविधा	7992.86	1010.54
6	अन्य करारबद्ध निधीयन दायित्व	679.74	679.74
7	अन्य आकस्मिकताओं के निधीयन दायित्व	7921.86	267.02
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**		**19173.90**
नकद आगमन			
9	प्रत्याभूत उधार (उदा. प्रति पुनर्खरीद)	213.67	0.00
10	पूर्णत: निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	5663.05	2831.52
11	अन्य नकद आगमन	1263.09	885.70
12	**कुल नकद आगमन**	**7139.81**	**3717.23**
कुल समायोजित मूल्य			
13	**कुल एचक्यूएलए**		20083.78
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		15456.67
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात** (%)		**129.94%**

16. (ख) **एलसीआर से संबंधित गुणात्मक प्रकटन :**

क. एलसीआर परिणाम के प्रमुख चालक और समय के साथ एलसीआर के गणना की निविष्टियों के योगदान का विकास ;

एलसीआर के प्रमुख चालक एचक्यूएलए है, स्वस्थ एचक्यूएलए से एलसीआर की प्रतिशतता में सुधार नहीं होगी साथ ही 30 दिनों तक तरलता आवश्यकता को पूरी करने हेतु बैंक की क्षमता में वृद्धि भी होगी.

ख. अंतर-अवधि परिवर्तन तथा समय के साथ परिवर्तन

लागू नहीं

ग. एचक्यूएलए की संरचना

एचक्यूएलए की संरचना को स्तर 1 आस्ति और स्तर 2ए स्तर 2बी में विभाजित किया गया है.

स्तर 1 आस्ति में निम्न शामिल हैं:

i. नकद जिसमें आवश्यक सीआरआर से अधिक नकद आरक्षिति शामिल है.

ii. न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां.

iii. अनिवार्य सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता के अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा अनुमत सरकारी प्रतिभूतियां iv विदेशी राज्यों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां जो निम्न शर्तों को पूरा करती है:-

क. ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 0% जोखिम भार दिया जाता है.

ख. कम स्तर के केंद्रीकरण युक्त आस्तियां जिसे बडे, गहरे और सक्रिय रिपो और नकद बाजार में व्यापार किया जाता है; तथा तनावग्रस्त बाजार परिस्थितियों में भी बाजार (रिपो या बिक्री) में तरलता का विश्वसनीय स्रोत है.

ग. बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.

स्तर 2 आस्तियों (स्तर 2ए आस्तियां व स्तर 2बी आस्तियां शामिल है) को तरल आस्तियों के स्टॉक में शामिल की जा सकती है, बशर्ते कि हेयरकट लागू करने के बाद एचक्यूएलए के समग्र स्टॉक के 40% से अधिक न हो.

स्तर 2ए और स्तर 2बी आस्तियां निम्न उल्लिखित का संकलन होगा.

स्तर 2ए आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2ए आस्ति का वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 15% हेयरकट लागू करना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

1. विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेशी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां (पीएई) या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनको ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 20 % जोखिम भार समनुदेशित किया गया हो और जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.
2. कार्पोरेट बांड जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो, जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा ए ए – या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो.
3. वाणिज्यिक पत्र जिसे बैंक/प्राथमिक डीलर (पीडी) / वित्तीय संस्था या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा ए ए – या उससे अधिक बडी अवधि रेटिंग के समनुरूप लघु अवधि रेटिंग दिया गया हो.

स्तर 2बी आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2बी आस्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 50 % हेयरकट लागू करना है. और, स्तर 2बी आस्तियों में एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 15 % से अधिक नहीं होना है. इन्हें समग्र स्तर 2बी आस्तियों में भी शामिल किया जाना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

i. विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेश, द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनका जोखिम भार 20% से अधिक हो परंतु 50 % से अधिक न हो अर्थात ‘‘बेसल III – पूंजी विनियमन’’ पर भा.रि.बैं का मास्टर परिपत्र के अनुसार बीबीबी से कम ऋण रेटिंग न हो.

ii. सामान्य ईक्विटी शेयर जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो:

   क. जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो;

   ख. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किया गया हो.

ग. **निधीकरण स्रोतों का सकेंद्रण:**

भा.रि.बैं /केंद्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त की जानेवाली राशि

घ. **डेरिवेटीव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल ;**

लागू नहीं

ङ. **एलसीआर में मुद्रा बेमेल**

लागू नहीं

च. तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण के स्तर तथा समूह की इकाइयों के बीच बातचीत का विवरण; और

खजाना प्रबंधन विभाग (टीएमडी) के निधि प्रबंधन डेस्क केंद्रीकृत तरलता प्रबंधन डेस्क है जो दो इकाइयों के बीच निधियों के प्रवाह का प्रबंधन करता है.

छ **एलसीआर संगणना में अन्य आवा–जाही जिसे एलसीआर सामान्य टेंपलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया गया है परंतु संस्था जिसे उनके तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक समझता है.**

लागू नहीं

17. भा.रि.बैं. परिपत्र संख्या डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16, दिनांक अप्रैल 18, 2016 के अनुसार धोखाधड़ी के प्रावधानों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है: -

क्र.स.	विवरण	राशि रु. में
1	रिपोर्ट की गई धोखाधडियों की संख्या	19
2	ऐसी धोखाधडियों में शामिल राशि	31.02
3	वर्ष के दौरान प्रावधानों की संख्या (वसूली का निवल)	28.44
4	अन्य प्रारक्षित निधि में नामे डाली गई अपरिशोधित प्रावधानों की संख्या	कुछ नहीं

18. बैंक ने व्यपगत मांग ड्राफ्ट के भुगतान के लिए सामान्य आरक्षिति से ` शून्य आहरण किया है (पिछले वर्ष ` शून्य) जिसे भा.रि.बैं. के अनुमोदनानुसार पूर्व में सामान्य आरक्षिति में रखा गया था.

19. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.

20. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुन: समूहन/पुन:वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित किया गया है.

21. परोक्ष पद्धति के उपयोग करते हुए नकद प्रवाह तैयार किया गया है.

जी नारायणन
अध्यक्ष

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक

एन. श्रीनिवासा राव
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

विवेक सोनी
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

रंजन डोग्रा
निदेशक

राघवेंदर गुप्ता
निदेशक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस
एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन
विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए
राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज पैट्ट एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस
एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)

(रुपए 000 को छोड दिया गया)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर के बाद निवल लाभ	727 02 29	750 48 51
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	102 38 02	82 81 29
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	−1 32 55	-2 36 93
चालू आस्थगित कर	−268 54 77	-143 76 27
आयकर के लिए प्रावधान	524 74 00	307 76 00
एमएटी ऋण हकदारी	0	0
गैनिआ / पुनर्संरचित अग्रिम के संबंध में प्रावधान	1735 44 85	1328 77 13
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	−56 96 00	76 84 00
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	457 06 45	44 97 14
गौण बांड पर ब्याज का भुगतान / प्रावधान	350 51 01	369 96 54
अन्य मदों के लिए प्रावधान	−20 96 67	56 08 88
उप कुल :–	3549 36 63	2871 56 29
परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन में समायोजन		
निवेश में गिरावट / (वृद्धि)	4455 82 54	-2627 03 32
अग्रिमों में गिरावट / (वृद्धि)	−23352 00 28	-6890 69 80
जमाराशियों में वृद्धि / (गिरावट)	24275 58 37	7571 22 93
उधार में वृद्धि / (गिरावट)	−3262 00 25	986 22 49
अन्य आस्तियों में गिरावट / (वृद्धि)	−7743 87 08	-1346 45 60
अन्य देयताओं / प्रावधानों में वृद्धि / (गिरावट)	−168 92 17	300 35 95
कर (प्रदत्त) / वापसी	463 11 85	-804 76 37
परिचालात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (क)	−1782 90 39	60 42 57
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियां (निवल)	−123 72 60	-154 30 10
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ख)	−123 72 60	−154 30 10
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	305 30 26	66 28 50
शेयर आवेदन राशि	0	-220 00 00
शेयर प्रीमियम	1671 69 74	153 71 50
जारी गौण बांड	0	325 00 00
अमोचित गौण बांड	−500 00 00	-550 00 00
गौण बांड पर ब्याज	−350 51 01	-369 96 54
प्रदत्त अधिमानी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	0	0
ईकिवटी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	−180 32 85	0

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रदत्त अंतरिम लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	0	0
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ग)	**946 16 14**	**-594 96 54**
निवल नकदी और नकदी समतुल्य राशि (क + ख + ग)	**-960 46 85**	**-688 84 07**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**5930 71 01**	**6619 55 08**
हाथ में नकदी	506 85 55	554 59 71
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	5263 56 57	5713 75 28
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	160 28 89	351 20 09
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**4970 24 16**	**5930 71 01**
हाथ में नकदी	598 26 03	506 85 55
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	3705 43 73	5263 56 57
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	666 54 40	160 28 89

बैंक के निदेशक मंडल ने दि.07.05.2018 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

जी नारायणन
अध्यक्ष

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

मुरली रामस्वामी
कार्यकारी निदेशक

एन. श्रीनिवासा राव
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

विवेक सोनी
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

रंजन डोग्रा
निदेशक

राघवेंदर गुप्ता
निदेशक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस
एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन
विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए
राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स प्राइज पैट्टू एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस
एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2018 को विजया बैंक के संलग्न वित्तीय विवरणों का निरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है. इसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1023 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं. बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा में उन 1098 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है. ये गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 10.83% अग्रिम का, 19.49% जमाराशियों का, 7.19% ब्याज पर आय और 18.91% ब्याज पर व्यय के बनते हैं.

   वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. इस उत्तरदायित्व में, वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा, उसका कार्यान्वयन तथा विवरणियों को त्रुटिरहित, चाहे त्रुटि धोखाधडी से या गलती से हो, तैयार करने से संबंधी आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है.

   लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन विवरणियों पर राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना तैयार करके लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरणियों के बारे में समुचित आश्वासन पर्याप्त हो कि इसकी सामग्रि में गलत विवरण नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में लिखित राशि तथा प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को शामिल करना है. चयन की गयी प्रक्रिया, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणियों की त्रुटियों के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधडी के कारण हो या गलती से हो. ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणियों की तैयारी व उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं ताकि उस संदर्भ के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किया गया लेखा प्राक्कलन की समुचितता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत को दर्शाने हेतु पर्याप्त तथा उचित आधार है.

राय

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

   i) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियें के अनुपालन करते हुए,टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2018 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके;

   ii) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा

   iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरण की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है.

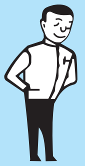

अन्य विधि तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है.

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 तक में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, हम रिपोर्ट करते है कि :

   क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है.

   ख) सरकारी विभाग तथा कार्पोरेट निकायों द्वारा खोले गए बचत बैंक खातों के सिवाय बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.

   ग) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं.

9. आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि

   क) तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता , खाता बहियों तथा विवरणी के अनुसार हैं.

   ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 29 के अधीन बैंक के अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई हैं तथा इस रिपोर्ट की तैयारी में इसको उचित रूप से लिया गया है.

   ग) हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा संशोधित एएस 4 के तहत प्रस्तावित लाभांश और उस पर कर के लेखांकन से संबंधित खंड, जो भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण हेतु लंबित है, को छोड़कर तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखा मानक के अनुसार हैं.

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

एन रंगन
साझेदार
सदस्यता सं.012190

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. एलएलपी
(पहले मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.)
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन/एनवाईए

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स प्राइज पैट्ट एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.02783एस

एम नागनाथन
साझेदार
सदस्यता सं.07547

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.05.2018

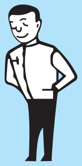

31 मार्च 2018 को बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1 जो बैंक समूह इकाइयां प्रकटन पर है, बैंक के लिए लागू नहीं.

तालिका डीएफ – 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण				
(क)	वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए बैंक की अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	भारिबैं के निदेशानुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए? 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक तैयार की गई आईसीएएपी नीति को अपनाता है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी की अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है		
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(रुपए करोड़ों में)		
(ख)	बेसल-II व बेसल-III के अधीन ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ			
	● मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभाग (10.25% के न्यूनतम सीआरएआर पर पूंजी की आवश्यकता)	**9003.44** (अन्य आस्तियाँ सहित तथा प्रतिरूप पार्टी आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम)		
	● प्रतिभूतिकरण जोखिम	कुछ नहीं - चूंकि प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत बैंक का कोई जोखिम नहीं है.		
(ग)	बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण			
	बेसल-II के अधीन	**651.09**		
	● ब्याज दर जोखिम	559.40		
	● विदेशी विनिमय जोखिम	4.50		
	● ईक्विटी जोखिम	87.19		
	बेसल-III* के अधीन			
	● ब्याज दर जोखिम	**642.59**		
	● विदेशी विनिमय जोखिम	558.75		
	● ईक्विटी जोखिम	4.50		
	* ` 6.81 करोड़ प्रतिधारिता समायोजन के बाद	79.34		
		576.17		
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ- मूल सूचक दृष्टिकोण बेसल-II व बेसल-III			
			बेसल-II	**बेसल-III**
	आवश्यक पूंजी	न्यूनतम पूंजी आवश्यकता :	10230.70	10222.20
	रखी गयी पूंजी	पूंजी निधि (यथा 31.03.2017 को) :	13068.38	13624.43
(ङ)	कुल तथा टियर 1 पूंजी अनुपात			
			बेसल-II	**बेसल-III**
	● शीर्ष समेकित समूह के लिए	सीआरएआर (यथा 31.03.2017 को) :	13.32%	13.90%
		सामान्य ईक्विटी टियर 1	-	10.36%
		टियर 1 पूंजी	10.75%	11.71%
		टियर 2 पूंजी	2.57%	2.19%
		1.875% का पूंजी संरक्षण बफर शामिल है		
	● महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.		

(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी 83 / 21.06.201 / 2015-16 दिनांक 01.03.2016 के जरिए नियामक पूंजी गणना में मान्यता प्राप्त समय अंतर से संबंधित ` 612.67 करोड़ रुपये निवल डीटीए हैं)

तालिका डीएफ – 3
ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है ● पिछला अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए) ● बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ मंडल के निदेशक व जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित ऋण जोखिम प्रबंधन समिति उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसकी माप प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल ।। मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, एएलएम तथा एफटीपी के छ: समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. आईआरएसी मानदंड पर बैंक की नीति (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है. **अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए)** कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त अतिदेय? बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. ● 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. # 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल ।। कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात, आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें समूह, दर निर्धारण और संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**सकल ऋण जोखिम**				
(ख) सकल ऋण जोखिम – – निधि आधारित व गैर निधि आधारित	निधि आधारित	सकल ऋण	: ₹	118677.40	करोड़
		निवेश	: ₹	26691.09	करोड़
		अन्य आस्तियां	: ₹	11190.32	करोड़
	गैर निधि आधारित	बीजी/एलसी	: ₹	7787.78	करोड़
		व्युत्पन्न तथा सीसीआइएल/एमसीएक्स	: ₹	3825.13	करोड़
		अनाहरित	: ₹	6364.83	करोड़
		कुल	: ₹	**174536.55**	**करोड़**

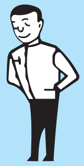

(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण- निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग ● समुद्रपारीय ● देशी	समुद्रपारीय :	**निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं**			
	देशी :				
	निधि आधारित	सकल ऋण	: `	118677.40	करोड़
		निवेश	: `	26691.09	करोड़
		अन्य आस्तियां	: `	11190.32	करोड़
	गैर निधि आधारित	बीजी/एलसी	: `	7787.78	करोड़
		व्युत्पन्न तथा सीसीआइएल/ एमसीएक्स	: `	3825.13	करोड़
		अनाहरित	: `	6364.83	करोड़
	कुल		: `	**174536.55**	**करोड़**

सकल ऋण, एनएफबी तथा एचटीएम निवेशों का भौगोलिक-वार संवितरण निम्नानुसार है :

(` करोड़ों में)

राज्य	**सकल ऋण**	**गैर-निधि आधारित**	**एचटीएम निवेश**	**कुल**
अंडमान व निकोबार	53.00	7.16	0.00	60.22
आंध्र प्रदेश	9353.90	149.35	80.01	9583.26
अरुणाचल प्रदेश	214.31	84.36	0.00	298.68
असम	422.07	36.92	25.24	484.22
बिहार	551.77	21.37	0.00	573.13
चंडीगढ	210.01	17.22	0.00	227.24
छत्तीसगढ	998.82	22.56	0.00	1021.38
दादरा तथा नगर हवेली	22.76	0.11	0.00	22.87
दमन एवं दीव	3.28	0.00	0.00	3.28
दिल्ली	13363.39	1210.72	18424.50	32998.61
गोवा	283.56	2.75	0.00	286.30
गुजरात	3896.44	304.70	471.42	4672.56
हरियाणा	2697.22	48.25	131.49	2876.96
हिमाचल प्रदेश	112.06	0.69	0.00	112.75
जम्मु व कश्मीर	25.14	0.92	0.00	26.06
झारखंड	220.22	10.69	0.00	230.91
कर्नाटक	27607.97	1181.21	1053.71	29842.89
केरल	5029.79	142.49	103.51	5275.78
मध्य प्रदेश	1138.15	32.54	97.25	1267.94
महाराष्ट्र	24541.89	2668.50	704.22	27914.61
मणिपुर	88.77	2.46	0.00	91.23
मेघालय	76.73	33.53	0.00	110.26
मिजोरम	78.58	1.66	0.00	80.24
नागालैंड	116.20	1.33	0.00	117.53
उडीसा	584.45	12.77	63.04	660.26
पांडिचेरी	95.66	2.83	0.00	98.49
पंजाब	2057.79	25.85	109.44	2193.08
राजस्थान	1286.22	46.29	646.93	1979.43
सिक्किम	21.96	1.00	0.00	22.96
तमिलनाडु	7941.91	450.01	664.41	9056.33
तेलंगाणा	8247.78	658.06	0.00	8905.84
त्रिपुरा	45.59	6.86	0.00	52.45
उत्तर प्रदेश	2873.63	230.07	143.74	3247.44
उत्तरांचल	208.26	3.58	0.00	211.84
पश्चिम बंगाल	4208.08	369.00	64.15	4641.22
कुल	**118677.40**	**7787.78**	**22783.06**	**149248.24**

(घ) ऋण (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित) का उद्योगवार संवितरण निम्नानुसार है :

राशि (`) करोड़ों में

उद्योग	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित
ए. खनन और उत्खनन (ए.1 + ए.2)	**210.79**	**18.48**
ए.1 कोयला	27.59	0.41
ए.2 अन्य	183.20	18.07
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 का कुल)	**196.42**	**30.16**
बी.1 चीनी	5.36	0.00
बी.2 खाद्य तेल और वनस्पति	23.82	23.11
बी.3 चाय	5.65	1.16
बी.4 कॉफी	0.00	0.00
बी.5 अन्य	161.59	5.89
सी. पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोडकर) तथा तंबाकू (सी.1 और सी.2 का कुल)	**180.52**	**0.14**
सी.1 तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	144.13	0.05
सी.2 अन्य	36.39	0.09
डी. वस्त्र (डी.1 से डी.6 का कुल)	**987.50**	**32.45**
डी.1 कपास	566.06	11.05
डी.2 जूट	0.52	0.00
डी.3 हस्तशिल्प / खादी (गैर–प्राथमिकता)	51.05	1.47
डी.4 अन्य	369.87	19.93
घ (अर्थात कुल वस्त्र) में से कताई कारखाने को	0.00	0.00
ई. चमडा और चमडा उत्पाद	**45.92**	**1.14**
एफ. काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	**129.30**	**7.76**
जी. कागज और कागज उत्पाद	**195.91**	**18.84**
एच. पेट्रोलियम (गैर–इंफ्रा), कोयला उत्पाद (गैर–खनन) तथा परमाणु ईंधन	**22.60**	**0.15**
आई. रासायनिक और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि) (आई.1.1 से आई.1.4 का कुल)	**1569.27**	**82.87**
आई.1 उर्वरक	92.21	0.11
आई.2 औषधि और दवा	82.24	2.10
आई.3 पेट्रा–केमिकल्स (इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन को छोडकर)	1248.24	41.82
आई.4 अन्य	146.58	38.84
जे. रबड, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद	**23.93**	**4.75**
के. कांच और कांच के उत्पाद	**22.38**	**0.07**

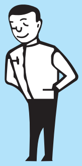

उद्योग	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित
एल. सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	76.35	81.95
एम. मूल धातु और धातु उत्पाद (एम.1 + एम.2)	**4183.67**	**296.63**
एम.1 लोहा और इस्पात	3701.26	220.03
एम.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	482.41	76.60
एन. सभी इंजिनीयरिंग (एन.1 + एन.2)	**3049.63**	**518.89**
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	800.57	159.38
एन.2 अन्य	2249.06	359.51
ओ. वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन उपकरण	**501.21**	**33.66**
पी. रत्न और आभूषण	**662.80**	**24.15**
क्यू. निर्माण	**1321**	**1084.49**
आर. संरचना (आर.1 से आर.4 का कुल)	**27772.94**	**911.51**
आर.1 पहरवहन (आर.1.1 से आर1.5 का कुल)	5324.04	207.14
आर.1.1 रेल	4592.92	172.37
आर.1.2 सडकमार्ग	60.34	0.00
आर.1.3 हवाई अड्डा	0.00	0.00
आर.1.4 जलमार्ग	521.15	0.48
आर.1.5 अन्य	149.63	34.29
आर.2 ऊर्जा (आर.2.1 से आर.2.4 का कुल)	**10643.28**	**650.42**
आर.2.1 विद्युत (सृजन–परिवहन और संवितरण)	10268.66	650.40
आर.2.2 तेल (भंडारण तथा पाइपलाइन)	343.46	0.00
आर.2.3 गैस/एलएनजी (भंडारण तथा पाइपलाइन)	31.16	0.02
आर.2.4 अन्य	0.00	0.00
आर.3 दूरसंचार	419.43	28.92
आर.4 अन्य (आर.4.1 से आर.4.3 का कुल)	11386.19	25.03
आर.4.1 पानी व स्वच्छता	6341.59	2.83
आर.4.2 सामाजिक तथा वाणिज्यिक संरचना	5044.60	22.20
आर.4.3 अन्य	0.00	0.00
एस. अन्य उद्योग	**1029.21**	**2680.77**
सभी उद्योग(ए से एस का कुल)	**42182.04**	**5828.86**
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों के साथ मेल होना) (क+ख+ग)	**76495.36**	**1958.92**
सकल कुल ऋण व अग्रिम	**118677.40**	**7787.78**

(ङ) यथा 31.03.2018 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(` करोड़ों में)

अवधि	1 दिन	2–7 दिन	8–14 दिन	15–30 दिन	31 दिन–2 महीने	2 महीनों से 3 महीने तक	3 महीनों से 6 महीने तक	6 महीनों से 12 महीने तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
एफ.सी. आस्तियाँ	47.54	10.82	13.52	477.74	217.11	48.80	101.93	12.25	70.23	9.31	48.04	**1056.99**
निवल अग्रिम	1294.32	135.15	159.64	1278.72	2203.66	2971.56	4196.47	8285.12	59198.90	14215.21	22226.70	**116165.45**
निवल निवेश	36.91	290.62	0.00	50.14	20.50	40.34	10.00	1396.89	4114.43	5070.66	28481.18	**39511.67**

31.03.2018 की स्थिति

(` करोड़ों में)

(च) एनपीए की राशि (सकल)	7526.09
• अवमानक	2311.75
• संदिग्ध 1	2496.93
• संदिग्ध 2	2687.88
• संदिग्ध 3	20.81
• हानि	8.72
(छ) निवल एनपीए	5021.24
(ज) एनपीए अनुपात	
• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	6.34
• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	4.32
(झ) एनपीए का उतार–चढ़ाव (सकल)	
• अथशेष	6381.78
• परिवर्धन	4388.20
• कटौतियाँ	3243.89
• इतिशेष	7526.09
एनपीए का उतार–चढ़ाव (निवल)	
• अथशेष	4118.16
• परिवर्धन/	903.08
• कटौतियां	–
• इतिशेष	5021.24
(ञ) एनपीए हेतु प्रावधान का उतर–चढाव	
• अथशेष	2227.33
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1746.63
• बट्टे खाता डालना	1531.31
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2442.65
• इतिशेष	
(निपटाएं और भुगतान के लिए लंबित डीआईईसीजीसी / ईसीजीसी दावें `63.18 करोड़)	
(ट) गैर–निष्पादन निवेशों की राशि **(एचटीएम श्रेणी के अधीन)**	9.08
(ठ) गैर–निष्पादक निवेशों (एनपीआई) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों की राशि	165.17
(ड) गैर–निष्पादक निवेशों (एनपीआई) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का उतार–चढ़ाव	174.25
• अथशेष	90.13
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	84.35
• बटे खाता डालना	0.23
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	174.25
• इतिशेष	

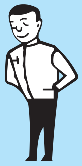

तालिका डीएफ – 4
ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए ● प्रयुक्त ऋण का दर्जा निर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण ● ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का प्रयोग किया जाता है. ● सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/एफआईटीसीएच/एससीएआरई/एसएमईआरए/ब्रिकवर्क के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है. ` 5 करोड़ से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम. बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम **(रुपए करोड़ों में)**
● 100% जोखिम भार से नीचे	118536.56
● 100% जोखिम भार	33743.00
● 100% से अधिक जोखिम भार	10438.46
● कटौती की गयी – वित्तीय संपार्श्विक	11818.53
कुल	**174536.55**
** में निम्नलिखित तुलन पत्र के बाह्य जोखिम भी शामिल है	
एनएफबी जोखिम ` 7787.78 करोड़	
अनाहरित अंश ` 6364.83 करोड़	
सीसीआईएल व एमसीएक्स ` 350.00 करोड़	
एनएफबी निवेश अन्य आस्तियां ` 3475.13 करोड़	
` **11190.32** करोड़	

तालिका डीएफ – 5
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं : • तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए • संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ • बैंक द्वारा ली गयी मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण • प्रतिपक्षी गारंटीकर्ता का मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण पात्रता • जोखिम न्यूनीकरण मदों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल ।। अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकार रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है. सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना शामिल है. गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी बैंक और सीजीएसटीएमई द्वारा गारंटी शामिल है. सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार–चढाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विविधकृत हैं.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण (` करोड़ों में)

(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित (अन्य आस्तियों के जोखिम को छोडकर: `11190.32 करोड़)

ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम **	गैर–निधि आधारित	निवेश *	कुल
जोखिम	125042.23	7787.78	30513.22	**163343.23**
सीआरएम (वित्तीय संपार्श्विक)	9093.89	1162.27	0.00	**10256.16**
निवल ऋण जोखिम	**115948.34**	**6625.51**	**30513.22**	**153087.07**

(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत) (अन्य आस्तियों के जोखम को छोडकर: `11190.32 करोड़)

(` करोड़ों में)

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम**	गैर–निधि आधारित	निवेश	कुल
जोखिम	125042.23	7787.78	30513.22	163343.23
केंद्र/राज्य सरकार	14229.17	0.00	22740.95	36970.12
ईसीजीसी/बैंक/सीजीटीएसआई	1190.01	0.00	0.00	1190.01
कुल गारंटी	**15419.18**	0.00	**22740.95**	**38160.13**
निवल जोखिम	**109623.05**	**7787.78**	**7772.27**	**125183.10**

इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.

* तुलन पत्र के बाह्य जोखिम सहित

** अनाहरित सहित

मानकीकृत पद्धति (निधि व गैर–निधि आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.

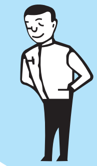

तालिका डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण
मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ – 7 व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल-II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धतियों का प्रस्ताव है यथा मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया. संप्रति बैंक ने ''मानकीकृत अवधि प्रक्रिया'' लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं. 1. मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है: 31.03.2017 को बेसल-II के अधीन बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मूल्य
(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा • ब्याज दर जोखिम • ईक्विटी स्थिति जोखिम • विदेशी विनिमय जोखिम	(` करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी	**पूंजी प्रभार**
(क) एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार	0.74
ब्याज दर (क +ख)	0.74
क. सामान्य बाजार जोखिम	0.74
(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	0.74
(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
ख. विशिष्ट जोखिम	–
(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार	558.66
ब्याज दर (क +ख)	558.66
क. सामान्य बाजार जोखिम	499.02
i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	498.29
ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.22
iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.51
ख. विशिष्ट जोखिम	59.64
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	68.04
I. ब्याज दर संबंधी लिखत [क+(ख या ग जो भी अधिक हो)]	559.40
II. ईक्विटी (क+ख)	87.19
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	38.75
ख. विशिष्ट जोखिम	48.44
III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	4.50
IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	651.09
कुल जोखिम भारित आस्तियां	8138.63

यथा 31.03.2018 को बेसल–III के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल

(` करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क) एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार	**0.74**
ब्याज दर (क+ख)	0.74
क. सामान्य बाजार जोखिम	0.74
(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	0.74
(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार	**560.35**
ब्याज दर (क +ख)	560.35
क. सामान्य बाजार जोखिम	499.02
i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	498.29
ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.22
iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.51
ख. विशिष्ट जोखिम	61.33
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	**70.04**
I. ब्याज दर संबंधी लिखत [क+(ख या ग जो भी अधिक हो)]	**561.09**
II. ईक्विटी (क+ख)	**87.19**
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	38.75
ख. विशिष्ट जोखिम	48.44
III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	**4.50**
IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	**652.78**
कुल जोखिम भारित आस्तियां	**8159.75**
प्रतिधारित प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (पूंजी से बट्टे खाते डालना)	127.37
समायोजन के बाद कुल जोखिम भारित आस्तियां	**8032.38**

तालिका डीएफ – 8

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल II से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में निर्धारित अनुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है जो सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), लॉस डाटा, जोखिम व नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम सूचक (केआरआई), परिदृश्य विश्लेषण (एसए), कारोबार स्थिति प्रस्तुतीकरण (बीएलएम) नीति, कारोबार निरंतरता नीति (बीसीजी), कारोबार निरंतरता व आपदा से उभरने की योजना, आउटसोर्सड गतिविधियां, नया उत्पाद व गतिविधियों की समीक्षा, केवाईसी मानदंड और धन शोधन निवारण आदि संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी.

आगे, बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है :

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतन करने के अलावा नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर परिचालनात्मक जोखिम हानि (धोखाधडी सहित व रहित डाटा) की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- विभिन्न धोखाधड़ी पर प्रणालीगत अध्ययन किया जाता है और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्यालयों को उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केद्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, वेब फ़िल्टरिंग समाधान, मजबूर पासवर्ड परिवर्तन, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक अपने नेटवर्क, डाटा केद्र, डिसासटर रिकवरी साइट, कारोबार सुविधा ईकाइयों के लिए सूचना सुरक्षा व नेटवर्क लेखापरीक्षा का आयोजन कर रहा है. बैंक महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए भेद्यता मूल्यांकन तथा भेदन परीक्षण कर रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. बैंक, तीसरी पार्टी के साफ्टवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा कर रहा है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार सुधार ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा से उभरने एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है, विशेषतया संवेदनशील अप्लिकेशन जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, के लिए.
- ई– जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) समाधान सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- बैंक ने प्रमुख 15 परिचालनात्मक क्षेत्रों जैसे खुदरा बैंकिंग, शाखा परिचालन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम परिचालन, फारेक्स, करेन्सी चेस्ट, लॉकर, विप्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड परिचालन, खजाना परिचालन, लेनदेन तथा बिक्री (एएफएस/एचएफटी), वित्तीय समावेशन, भुगतान तथा समझौता और वाणिज्यिक बैंकिंग के अधीन अपनी कारोबार ईकाईयों को आरसीएसए प्रक्रिया के अधीन डाला है.

भारतीय रिजर्व बैंक को मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के अधीन परिचालनात्मक जोखिम पूंजी को आकलित करने की अनुमति दी है –(पैरललरन मार्च 2015 से प्रभावी)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन
पिछले 3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(` करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31–03–2015	31–03–2016	31–03–2017
1	निवल लाभ	439.41	381.80	750.49
	जोडें	0.00	0.00	0.00
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	819.62	1167.07	1670.67
3	परिचालन व्यय	1912.21	2085.82	2736.55
4	**उप–कुल**	**3171.24**	**3634.69**	**5157.70**
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	6.54	51.29	364.93
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावें से प्राप्त आय	6.44	7.47	6.81
7	आय व व्यय की असाधारण/अनियमित मद	0.00	0.00	0.00
8	पिछले वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का इस वर्ष में प्रत्यावर्तन	0.00	0.00	0.00
9	चल व अचल संपत्ति मदों के निपटान से प्राप्त आय	-0.50	-0.39	-2.37
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	उपकुल	**12.48**	**58.37**	**369.37**
12	सकल आय (क्रम सं.4 – क्रम सं.11)	**3158.77**	**3576.33**	**4788.33**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन	=	` 3841.14 करोड़
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार	=	**सकल आय का औसतन * आल्फा** (15%)
	=	` 576.17 करोड़
समान जोखिम भारित आस्तियाँ	:	` 7202.14 करोड़

तालिका डीएफ – 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिसमें बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है :

1) पहला दृष्टिकोण पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम). इसमें ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना).

2) बचाव व्यवस्था के जरिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्नी उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श के अलावा बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी मासिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: संतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

वर्ष 1999 के आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की मासिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

i) बचत जमा के अस्थिर एवं कोर भाग

ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता

iii) निवेश सूची में अंत:स्थापन के विकल्प

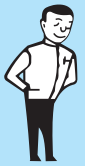

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की मासिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक गैप प्रोफाइल तथा बैंक की ब्याज दर के आधार पर, तुलन पत्र में या बाह्य बचाव सहित रणनीतियों के अनुसार आनेवाले जोखिम पर आय पर पाक्षिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ईएआर के विवेकपूर्ण सीमा को ₹ 150 करोड़ रुपये, निर्धारित किया है, सहिष्णुता सीमा 15% जो, ₹ 172 करोड़ रुपये तक 100 आधार बिंदु के लिए जो 1 साल के अंतराल पर निर्धारित किया है.

जोखिम पर आमदनी (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव	₹ 137.72 **करोड़**

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, भा.रि.बैंक मार्गनिर्देशों के आधार पर संशोधित अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा भा.रि.बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आधार पर नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

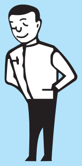

तालिका डीएफ – 10
काउंटर पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित निवेशों के लिए सामान्य प्रकटन

<table>
<tr><td>गुणात्मक प्रकटीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td>(क) व्युत्पन्न तथा सीसीआर से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल है :
• आर्थिक पूंजी के समनुदेशन के लिए प्रयुक्त पद्धति तथा काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए ऋण सीमाएं संबंधी चर्चा
• संपार्श्विक प्राप्त करने तथा ऋण की आरक्षितियां स्थापित करने के लिए नीतियों पर चर्चा
• गलत तरीके के ऋणों के जोखिमों के संबंध में नीतियों पर चर्चा
• ऋण के दर्जा निर्धारण कम हो जाने से बैंक द्वारा प्रावधान की जानेवाली संपार्श्विक राशि से पडनेवाले नुकसान के संबंध में चर्चा</td><td>बैंकिंग काउंटर पार्टियों के लिए काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमाएं आंतरिक मॉडल पर आंकी जाती है जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर पर विचार किया जाता है जो काउंटर पार्टियों का ऋण दर्जा निर्धारण तथा उनका निवल मूल्य, बैंक का निवल मूल्य तथा कारोबार की आवश्यकताएं. अन्य सभी मामलों में, काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमा को बैंक द्वारा ऋण नीति व अनुदेश पुस्तिका में दी गयी नीति के अनुसार ऋण आकलन प्रक्रिया अपनायी जाती है. प्रत्येक ऋण के लिए सीसीआर की सीमाएं राशि तथा समय के आधार पर निर्धारित की जाती है.

सीसीआर ऋण के लिए पूंजी मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर आकलित किया जाता है.

संप्रति बैंक के कोई ऋण व्युत्पन्न जोखिम नहीं है.</td></tr>
<tr><td>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td>(ख) संविदा के सकल सकारात्मक उचित मूल्य नेट्टिंग के लाभ, नेट चालू ऋण जोखिम, धारित संपार्श्विक (प्रकार को शामिल करते हुए जैसे नकद, सरकारी प्रतिभूतियां, आदि) तथा निवल व्युत्पन्न ऋण निवेश. सीईएम के अधीन चूक पर जोखिम या जोखिम राशि के लिए रिपोर्ट उपाय. ऋण व्युत्पन्न प्रतिरक्षा के काल्पनिक मूल्य तथा ऋण जोखिम के प्रकारों में चालू ऋण जोखिम का संवितरण.</td><td>बैंक द्विपक्षीय नेट्टिंग की पहचान नहीं करता है. व्युत्पन्न जोखिम मौजूदा जोखिम प्रणाली के आधार पर परिकलित किया जाता है तथा यथा 31.03.2018 को बकाया शेष नीचे प्रस्तुत है :

(राशि ` करोड़ों में)
<table><tr><th>विवरण</th><th>काल्पनिक राशि</th><th>चालू निवेश</th></tr><tr><td>विदेशी विनिमय संविदाएं (अंतर बैंक)</td><td>3475.13</td><td>10.89</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ग) सीसीआर को जोखिम सृजित करनेवाले ऋण व्युत्पन्न लेनदेन (काल्पनिक मूल्य), जिसे संगठन के अपने ऋण संविभाग तथा उसकी तत्काल गतिविधियों के लिए पृथक किया गया है जिसमें प्रयुक्त ऋण व्युत्पन्न उत्पाद के संवितरण शामिल है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के अंतर्गत प्रतिरक्षा द्वारा विखंडित कर खरीदा व बेचा गया है.</td><td></td></tr>
</table>

तालिका डीएफ–11 – सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

(` मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		यथा 31.03.2018	प्री–बेसल III अनकूल के अधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षितियां				
1	सीधे जारी किए गए अर्हक सामान्य शेयर पूंजी प्लस संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	49613.49		ए=बी+सी+ सी
2	प्रतिधारित आय	14634.68		डी
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	37676.00		ई=एफ+जी+ (एच**45%) +आई+जे
4	सीधे निर्गमित पूंजी बशर्ते कि सीईटी1 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है (केवल गैर–संयुक्त स्टाक कंपनियों पर लागू)	-		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए सामान्य शेयर पूंजी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित (सीईटी 1 समूह में राशि अनुमत है)	-		
6	नियामक समायोजन के पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	101924.17		
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : नियामक समायोजनाएं				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-		
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
10	आस्थगित कर संपत्ति	-		टिप्पणियाँ
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षिति	-		
12	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	-		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-		
14	उचित मूल्य के देनदारियों पर खुद के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानि	-		
15	निर्धारित–लाभ पेंशन निधि निवल संपत्तियां	-		=(एक्स+वाई)
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि पहले ही, रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के प्रदत्त पूंजी का निवल नहीं किया गया तो)	-		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारण	-387.35		
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-		
20	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-		
21	अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्ति (10% सीमा से ऊपर की राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	-		
22	15% सीमा से अधिक की राशि	-		
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश	-		

(` मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		यथा 31.03.2018	प्री–बेसल III अनकूल के अधीन राशि	संदर्भ सं.
24	जिनमें से : बंधक सहायक अधिकार	-		
25	जिनमें से : अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्तियां	-		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	-		
26ए	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26बी	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26सी	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी ईक्विटी पूंजी में कमी	-		
26डी	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 के कुल विनियामक समायोजन**	**-387.35**		
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**101536.82**		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत				
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक अतिरिक्त टियर 1 लिखत + संबंधित शेयर अधिशेष (31+32)	13250.00		एल =एम1+ एम2+ एम3
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर)	-		
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	13250.00		एल=एम1+ एम2+ एम3
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध तरीके के तहत प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	-		
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए) सीईटी 1 प्रपत्र (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	-		
35	जिसमें से : चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-		
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**13250.00**		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	-		
39	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में तथा पात्र शार्ट पोजिशन के निवल, में निवेश, जहां बैंक संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से अधिक की राशि)	-		
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-		
41ए	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-		

(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		यथा 31.03.2018	प्री–बेसल III अनकूल के अधीन राशि	संदर्भ सं.
41बी	बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी है, उनकी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	–		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	–		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**–**		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**13250.00**		
44ए.	**पूंजी पर्याप्तता के लिए अतिरिक्त टायर 1 पूंजी**	**13250.00**		
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**114786.82**		
टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान				
46	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक टियर 2 लिखत + संबंधित स्टाक अधिशेष	17000.00		एन=ओ1+ओ2 +ओ3+ओ4
47	अतिरिक्त टियर 2 से चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	–		पी=क्यू1+ क्यू2+ क्यू3 – बट्टाकरण व चरणबद्ध तरीके से हटाना
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 तथा एटी1 लिखत) (समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	–		
49	जिसमें से : सहायक कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन जारी लिखत	–		
50	प्रावधान	4636.27		आर=एस+टी
51	**विनियामक समायोजन के पूर्व टियर 2 पूंजी**	**21636.27**		
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन				
52	खुद के टियर 2 लिखतों में निवेश	-		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	-178.78		
54	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-		
55	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	-		
56ए	जिनमें से : असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	-		
56 बी	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी टियर 2 पूंजी में कमी.	-		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**-178.78**		
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	**21457.48**		
58(ए)	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**21457.48**		
58(बी)	**अतिरिक्त टायर 1 पूंजी टायर 2 पूंजी के रूप में गिना जाता है**	**0**		

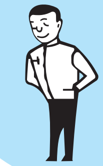

(` मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		यथा 31.03.2018	प्री–बेसल III अनकूल के अधीन राशि	संदर्भ सं.
58(सी)	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल श्रेणी 2 पूंजी (58 ए + 58 बी)**	21457.48		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) (45 + 58 सी)**	136244.30		
	प्री–बेसल III उपचार के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	-		
	जिनमें से: समायोजन के प्रकार	-		
	जिनमें से	-		
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	980248.03		यू
60ए	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	827902.83		
60बी	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	80323.80		
60सी	जिसमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	72021.40		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	10.36%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	11.71%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	13.90%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 की आवश्यकता + पूंजी संरक्षण तथा प्रति चक्रीय आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गयी)	7.375%		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%		
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से : जी–एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%		
68	बफर को पूरे करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	2.985%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बेसल III से अलग है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	5.50%		सीसीबी को छोडकर
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.00%		सीसीबी को छोडकर
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)			सीसीबी को छोडकर
कटौती के लिए सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारित से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में नगण्य निवेश	2765.06		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में उल्लेखनीय निवेश	-		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	6126.72		
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने के पूर्व)	4636.27		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	10348.79		यू*1.25%

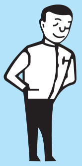

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		यथा 31.03.2018	प्री–बेसल III अनकूल के अधीन राशि	(` मिलियन में) संदर्भ सं.
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच केवल लागू)				
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन समाप्ति के शर्त पर सीईटी1 पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं		
81	उच्चतर सीमा के कारण सीईटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अधिक)	लागू नहीं		
82	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन समाप्ति की शर्त पर एटी1 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं		
83	उच्चतर सीमा के कारण एटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं		
84	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा			
85	उच्चतर सीमा के कारण टी2 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)			

टेम्पलेट के लिए नोट

पंक्ति	**विवरण**	(` मिलियन में)
10	संचित हानि के साथ संबद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं के आस्थगित कर परिसंपत्ति (संचित हानि के साथ संबद्ध को छोड़कर)	6126.72
	भा.रि.बैंक के परिपत्र सं. के अनुसार अधिकतम पात्रता सीमा आरबीआई / 2015-16 / 331 आरबीआई / 2015-16 / 331 दिनांक 1 मार्च, 2016	9541.01
	पात्रता सीमा से अधिक में निवल डीटीए की कटौती	0.00
	पंक्ति 10 में निर्दिष्ट के अनुसार कुल	0.00
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश के लिए पूंजी से पूर्ण कटौती नहीं की जाती है और बदले में कटौती के लिए 10% की सीमा मानी जाती है, परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि होती है	-
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	-
26बी	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश की कटौती नहीं की जा रही है और इस प्रकार, तब जोखिम भारित:	-
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	-
50	टियर 2 पूंजी में सम्मिलित वांछनीय प्रावधान	4636.27
	सीईटी 1 पूंजी में सम्मिलित वांछनीय पुनर्मूल्यांकन भंडार (बेसल III पूंजी विनियमों में संशोधन के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16, दिनांक 1 मार्च 2016 के अनुसार)	3557.30

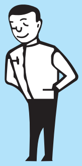

तालिका डीएफ–12 – पूंजी की संरचना

देयताएं	यथा 31.03.2018 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
पूंजी		
ईक्विटी शेयर पूंजी	13041.48	बी
	0.00	
आरक्षितियां और अधिशेष		
I सांविधिक आरक्षिति	19123.98	एफ
II पूंजी आरक्षिति	8629.49	जी
III शेयर प्रीमियम	36572.01	सी
IV पुनर्मूलयांकन आरक्षिति	7905.12	एच
V सामान्य आरक्षिति	127.96	आई
VI राजस्व और अन्य आक्षितियां		
क विशेष आरक्षण अधिनियम 36(1)(viii)	6237.27	जे
ख लाभ व हानि लेखा	14634.68	डी
कुल पूंजी, आरक्षितियां और अधिशेष	**106271.99**	
कुल जमा	**1572875.36**	
उधार		
(i) भा.रि.बैं. से	0.00	
(ii) अन्य बैंकों से	1000.00	
(iii) अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	3769.41	
(iv) रेपो खाता	35326.73	
(v) भारिबैंक रेपो खाता	651.80	
(vi) टियर II बांड कुल		
124 महीने बांड 2018 - 9.35%	2000.00	क्यू1
120 महीने बांड 2023 - 9.73%	2500.00	ओ1
120 महीने बांड 2024 - 9.15%	5000.00	ओ2
120 महीने बांड 2025 - 8.62%	5000.00	ओ3
120 महीने बांड 2026 - 9.15%	4500.00	ओ4
(vi) अतिरिक्त टियर I बांड		
पीडीआई 2024 -9.54%	1000.00	एम1
पीडीआई 2024 -10.40%	4000.00	एम2
पीडीआई 2024 -11.25%	5000.00	एम3
पीडीआई 2024 -10.49%	3250.00	एम 4
कुल उधार	**72997.94**	

देयता	यथा 31.03.2018 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
अन्य देयताएं और प्रावधान		
I देय बिल	6187.49	
II प्रोद्भूत ब्याज	3981.88	
III वीआरएस बांड	0.00	
IV मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	4599.25	एस
V यूएफसीई के लिए प्रावधान	37.02	टी
VI अन्य (प्रावधान सहित)	9369.55	
कुल अन्य देयताएं	**24175.19**	
देयताओं का सकल कुल	**1776320.47**	
आस्तियां	**यथा 31.03.2018 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र**	**संदर्भ सं.**
भा.रि.बैं. में कुल नकद व बैंक शेष	**43036.98**	
बैंकों में कुल शेष और प्रतिदेय राशि	**6665.44**	
कुल विनिधान	**395116.61**	
कुल निवल अग्रिम	**1161654.42**	
कुल अचल आस्तियां	**13014.75**	
अन्य आस्तियां		
I अंतर कार्यालय समायोजन (नामे)	36586.70	
II प्रोद्भूत ब्याज	7706.64	
III अग्रिम रूप से प्रदत्त कर	16021.27	
IV निवल आस्थगित कर आस्तियां	6126.72	के
V लेखन सामग्री और स्टैम्प	12.68	
VI गैर बैंकिंग आस्तियां	0.76	
VII ग्रेच्युटी परिशोधन	0.00	एक्स
पेंशन परिशोधन	0.00	वाई
VIII अन्य	90377.50	
कुल अन्य आस्तियां (अनुसूची 11)	**156832.27**	
आस्तियों का सकल कुल	**1776320.47**	

भा.रि.बैंक परिपत्र आरबीआई / 2015-16 / 331 आरबीआई / 2015-16 / 331 दिनांक 01.03.2016 के जरिए बैंक की सामान्य इक्विटी टायर ख पूंजी में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित स्थगित कर देयता की निवल परिसंपत्तियों (संचित हानी से जुड़े को छोड़कर) को मान्यता दी जाती है.

तालिका डीएफ – 13 – यथा 31–03– 2018 को विनियामक पूंजी लिखत की प्रमुख विशिष्टताएं

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	एटी 1 बांड बेसल III एस1	एटी 1 बांड बेसल III एस2	एटी 1 बांड बेसल III एस3	एटी 1 बांड बेसल III एस4	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III	टियर II एस11 बेसल III
1	जारीकर्ता	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक
2	विशेष पहचानकर्ता	आईएनई 705ए01016	आईएनई 705ए08045	आईएनई 705ए08060	आईएनई 705ए08086	आईएनई 705ए08094	आईएनई 705ए09092	आईएनई 705ए08029	आईएनई 705ए08037	आईएनई 705ए08052	आईएनई 705ए08052
3	लिखतों पर नियमन करनेवाली विधि	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं
विनियामक उपचार											
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रमणकालीनोत्तर बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अनर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
6	एकल/समूह में अर्ह	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में पहचानित राशि (यथा 31.03.2018 को ` मिलियन में)	49613.49 (प्रीमियम सहित)	1000	4000	5000	3250	0	2500	5000	5000	4500
9	लिखत का सम मूल्य (` करोड़ों में)	13041.48	1000	4000	5000	3250	2000	2500	5000	5000	4500
10	लेखाकरण वर्गीकरण	ईक्विटी पूंजी	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने का मूल दिनांक	विभिन्न	02-02-2015	27-03-2015	30-03-2016	17-01-2017	31-12-2007	23-12-2013	30-10-2014	18-02-2015	22-01-2016
12	बेमियादी अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता दिनांक	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	30-04-2018	23-12-2023	30-10-2024	18-02-2025	22-01-2016
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता की मांग	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, अनुषंगी मांग दिनांक तथा मोचन राशि	लागू नहीं	02-02-2020	27-03-2020	30-03-2021	17-01-2022	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो तो	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन / लाभांश											
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन
18	कूपन दर तथा कोई संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	9.54%	10.40%	11.25%	10.49%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%	8.64%
19	लाभांश रोककर्ता की मौजूदगी	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार
21	मोचन के लिए स्टेप-अप अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	बट्टे खाते डालना अथवा परिवर्तनीय (भा.रि.बैं. के विवेकाधिकार)	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	भा.रि.बैं. के विवेकाधिकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	भा.रि.बैं. के विवेकाधिकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनयोग्य लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ईक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन किए जानेवाले लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	विजया बैंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

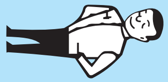

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	एटी 1 बांड बेसल III एस1	एटी 1 बांड बेसल III एस2	एटी 1 बांड बेसल III एस3	एटी 1 बांड बेसल III एस4	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III	टियर II एस11 बेसल III
30	अवलेखन विशिष्टता	ईक्विटी	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि अवलेखन हो तो, पूर्णत: अथवा आंशिक	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक
33	यदि अवलेखन हो तो, स्थायी अथवा अस्थाई	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी
34	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	बेसल खखख के अनुसार	लागू नहीं	बेसल खखख के अनुसार	बेसल खखख के अनुसार	बेसल खखख के अनुसार	बेसल खखख के अनुसार
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के उच्च आसन्न लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	बेमियादी ऋण लिखत	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता
36	गैर-अनुपालन संक्रमणकालीन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो, गैर-अनुपालन विशिष्टताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ –14

विनियामक पूंजी लिखत के सभी निबंधन एवं शर्तें

हमारी वेबसाईट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत अलग से प्रदर्शित

तालिका डीएफ –15

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मंडल और उच्च कार्यपालकों की पारिश्रामिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. रिजर्व बैंक ने बेसल III दिशानिर्देश के संदर्भ में भारत में परिचालनरत सभी निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों को संबोधित दिनांक 13.01.2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी72/29.67.001/2011-12 द्वारा जारी पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/अन्य जोखिम लेने वालों की क्षतीपूर्ति पर दिशा-निर्देश जारी किए है. चूंकि ये दिशा-निर्देश निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों पर लागू है, अत: यह प्रकटीकरण हमारे बैंक पर लागू नहीं है.

तालिका –16

ईक्विटी-बैंकिंग बही स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

निवेशों को परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जो बैंको द्वारा निवेश फोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडो पर रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार है. पूंजी पर्याप्तता उदेश्यों के लिए रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित ईक्विटी प्रतिभूतियों को बैंकिंगा बही के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

यथा दिनांक 31.03.2018 को बैंक ने अपने एचटीएम पोर्टफोलियों में अनुषंगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी धारित नहीं की है. अत: यह प्रकटन हमारे बैंक के लिए लागू नहीं है.

तालिका –17

लेखांकन आस्तियों के प्रति लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की 4 सारांश तुलना

क्र. सं	यथा दिनांक 31.03.2018 को मद विवरणी	(` मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	1711569.17
2	बैंकिंग, वित्त, बीमा या वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों के लिए समायोजन जो लेखांकन उदेश्यों से समेकित की गई है लेकिन विनियामक समेकना की व्याप्तियों से बाहर है	0.00
3	तुलनपत्र पर पहचान की गई न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन परिचालनगत लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार लेकिन लिवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से अलग किए गए	0.00
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	34751.30
5	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और उसके समान प्रतिभूति उधार)	30000.00
6	तुलन पत्रोतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलना पत्रोतर एक्सपोजर के ऋण समान राशियों का रूपांतरण)	58444.74
7	अन्य समायोजन - पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग्स	-387.30
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	**1834377.91**

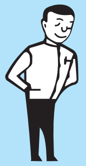

तालिका –18

लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

यथा दिनांक 31.03.2018 को विवरण (` मिलियन में)

	तुलन पत्र एक्सपोजर	
		Gross Value
1)	तुलन पत्र के मदें (डेरिवेटीव और एसएफटी के अलावा लेकिन संपाशिर्वक सहित)	17,11,569.17
2)	(बेसल III टायर I पूजी के निरधार्ण में काटी गई आस्ति राशियां)	-387.30
3)	कुल तुलन पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोडकर) **(क्रम.सं 1 और 2 का योग)**	**17,11,181.87**
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4)	सभी डेरिवेटीव लेनदेनों से संबद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन का निवल)	34,751.30
5)	सभी डेरिवेटीव लेनदेनों से संबद्ध के लिए वर्धित राशियां	-
6)	परिचालन लेखांकन ढांचा के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से जहं कहीं कटौती की गई हो, वहां डेरिवेटीव संपाशिवर्क की सकल वृद्धि	-
7)	(डेरिवेटीव लेनदेनों में प्रदान किए गए नकदी परिवर्तन मार्जिन के लिए प्राप्ति योग्य आस्तियों की कटौती)	-
8)	(ग्राहक - समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9)	लिखित ऋण डेरिवेटीव के लए समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	-
10)	(लिखित ऋण डेरिवेटीव के लिए प्रभावी आनुमानिक ऑफसेट और वर्धित कटौतियां समायोजित)	-
11)	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (क्रम.सं 4 से 10 का कुल योग)**	**34,751.30**
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनेदेन एक्सपोजर	
12)	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात करने की पहचान के बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन के पश्चात	30,000.00
13)	(सकल एसएफटी आस्तियों की भुगतान योग्य नकदी और प्राप्ति योग्य नकदी की निवल ज्ञात की गई राशि)	-
14)	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	-
15)	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	-
16)	कुल प्रतिभूति वित्तीय लेनेदेन एक्सपोजर **(क्रम.सं 12 से 15 का कुल योग)**	30,000.00
	अन्य– तुलन पत्रोत्तर एक्सपोजर	
17)	सकल आनुमानिक राशि पर तुलन पत्रोत्तर एक्सपोजर	77,877.77
18)	(ऋण समान राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन)	-19,433.03
19)	तुलनपत्रोतर मदें **(क्रम.सं 17 से 18 का कुल)**	**58444.74**
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20)	टियर 1 पूंजी	114786.82
21)	कुल एक्सपोजर (क्रम.सं, 3, 11, 16 और 19 का कुल)	**1834377.91**
	लीवरेज अनुपात	
22)	बेसल III लीवरेज अनुपात	**6.26%**

यथा 30.06.2017			
एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
			(` करोड़ों में)
		कुल गैरभारित मूल्य (औसत)	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		27458.73
नकद बहिर्गमन			
2	छोटे कारोबार, ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशियां, जिनमें से	82025.94	6089.76
(i)	स्थिर जमाराशियां	42256.63	2112.83
(ii)	घटाएं - स्थिर जमाराशियां	39769.31	3976.93
3	बेजमानती थोक निधीयन, जिसमें से	15427.30	8965.99
(i)	परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	15427.30	8965.99
(iii)	बेजमानती ऋण	0.00	0.00
4	जमानती थोक निधीयन	3474.72	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	8711.87	1164.25
(i)	डिरेवटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	8711.87	1164.25
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	938.51	938.51
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7758.54	258.94
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		17417.45
नकद आगमन			
9	जमानती उधार (उदा. प्रतिवर्ती रेपो)	391.01	0.00
10	पूर्णतः निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	3506.11	2143.92
11	अन्य नकद आगमन	1023.05	511.52
12	**कुल नकद आगमन**	4920.17	2655.44
			कुल समायोजित मूल्य
	कुल एचक्यूएलए		27458.73
	कुल निवल नकद बहिर्गमन		14762.01
	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**186.01%**

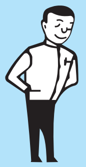

यथा 30.09.2017

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट

(` करोड़ों में)

		कुल गैरभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		26800.83
नकद बहिर्गमन			
2	छोटे कारोबार, ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशियां, जिनमें से	83490.85	6205.91
(i)	स्थिर जमाराशियां	42863.41	2143.17
(ii)	घटाएं - स्थिर जमाराशियां	40627.44	4062.74
3	बेजमानती थोक निधीयन, जिसमें से	15782.12	9172.20
(i)	परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	15782.12	9172.20
(iii)	बेजमानती ऋण	0.00	0.00
4	जमानती थोक निधीयन	3474.72	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	9942.84	1326.35
(i)	डिरेवटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	9942.84	1326.35
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	543.90	543.90
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7868.61	266.16
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		17514.52
नकद आगमन			
9	जमानती उधार (उदा. प्रतिवर्ती रेपो)	395.92	0.00
10	पूर्णतः निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	3060.85	1530.42
11	अन्य नकद आगमन	2574.29	2331.15
12	**कुल नकद आगमन**	6031.06	3861.57
			कुल समायोजित मूल्य
	कुल एचक्यूएलए		26800.83
	कुल निवल नकद बहिर्गमन		13652.95
	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**196.30%**

यथा 31.12.2017			
एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
			(` करोड़ों में)
		कुल गैरभारित मूल्य (औसत)	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		27597.47
नकद बहिर्गमन			
2	छोटे कारोबार, ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशियां, जिनमें से	84331.54	6279.72
(i)	स्थिर जमाराशियां	43068.66	2153.43
(ii)	घटाएं – स्थिर जमाराशियां	41262.88	4126.29
3	बेजमानती थोक निधीयन, जिसमें से	15871.66	9205.56
(i)	परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	15871.66	9205.56
(iii)	बेजमानती ऋण	0.00	0.00
4	जमानती थोक निधीयन	2784.62	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	0.00	3061.84
(i)	डिरेवटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	9905.30	3061.84
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	763.22	763.22
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7921.86	269.34
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		19579.69
नकद आगमन			
9	जमानती उधार (उदा. प्रतिवर्ती रेपो)	281.99	0.00
10	पूर्णतः निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	3975.22	1987.61
11	अन्य नकद आगमन	2330.14	1898.50
12	**कुल नकद आगमन**	6587.35	3886.11
			कुल समायोजित मूल्य
	कुल एचक्यूएलए		27597.47
	कुल निवल नकद बहिर्गमन		15693.57
	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**175.85%**

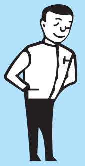

यथा 31.03.2018			
एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
			(` करोड़ों में)
		कुल गैरभारित मूल्य (औसत)	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		20083.78
नकद बहिर्गमन			
2	छोटे कारोबार, ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशियां, जिनमें से	90259.21	6669.31
(i)	स्थिर जमाराशियां	47132.14	2356.61
(ii)	घटाएं – स्थिर जमाराशियां	43127.07	4312.71
3	बेजमानती थोक निधीयन, जिसमें से	15871.66	10547.29
(i)	परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	18651.95	10547.29
(iii)	बेजमानती ऋण	0.00	0.00
4	जमानती थोक निधीयन	3348.93	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	16594.45	1957.30
(i)	डिरेवटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	7992.86	1010.54
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	679.74	679.74
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7921.86	267.02
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		19173.90
नकद आगमन			
9	जमानती उधार (उदा. प्रतिवर्ती रेपो)	213.67	0.00
10	पूर्णतः निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	5663.05	2831.52
11	अन्य नकद आगमन	1263.09	885.70
12	**कुल नकद आगमन**	7139.81	3717.23
			कुल समायोजित मूल्य
	कुल एचक्यूएलए		20083.78
	कुल निवल नकद बहिर्गमन		15456.67
	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**129.94%**

Glimpses of Memorable Events

धर्मस्थला, कर्नाटक में डिजिटल बैंकिंग के प्रचार के लिए स्थापित विजया बैंक के स्टाल का दौरा करते हुए भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

Shri. Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India visiting Vijaya Bank's Stall set up for the promotion of Digital Banking at Dharmasthala, Karnataka.

श्री प्रणब मोहांति, डीडीजी, यूआईडीएआई, बेंगलूरु हमारी इंदिरा नगर शाखा में बैंक के आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए, साथ में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री आर ए शंकर नारायणन व कार्यकारी निदेशक श्री वाई नागेश्वर राव

Shri Pronob Mohantry, DDG, UID-I, Bengaluru inaugurating Bank's Aadhar Seva Kendra at our Indiranagar Branch, Bengaluru along with Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO, Shri Y Nageswara Rao Executive Director.

भारत के माननीय राष्ट्रशपति श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा कीर्ति पुरस्कीार प्राप्तण करते हुए श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

Shri R A Sankaranarayanan, MD&CEO receiving Rajbhasha Kirthipuraskar Award from Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind

श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ, श्री वाई नागेश्वरर राव, कार्यकारी निदेशक और श्री श्रीनिवास रेड्डी पोलुरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, विजयवाडा, श्री एन. चन्द्रोबाबु नायडु, माननीय मुख्यी मंत्री, आंध्र प्रदेश से भेंट कर रहे हैं.

Shri R A Sankaranarayanan, MD&CEO, Shri Y Nageswara Rao, Executive Director and Shri Srinivasa Reddy Poluri, Regional Manager Vijayawada are visiting Shri N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister, Andhra Pradhesh.

कर्नाटक राज्य द्वारा प्रतिष्ठित एकलव्याश पुरस्काशर प्राप्तळ करने के लिए बैंक के खेल अधिकारी श्री राजेश उप्पाळर एवं श्री सुकेश हेग्डे को श्री जी नारायणन, अध्यकक्ष और श्री आर ए शंकरनारायणन, प्र.नि एवं मु.का.अ. बधाई दे रहे हैं.

Shri G Narayanan, Chairman and Sri. R A Sankaranarayanan, MD&CEO are congratulating Shri Rajesh Uppar and Shri Sukesh Hegde the sports Officers of the bank for receiving prestigious Ekalavya award by Karnataka State.

Glimpses of Memorable Events

केन्द्री य वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, बैंक के अध्यक्ष श्री जी नारायणन, बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. श्री किशोर सांसी, पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री बी एस रामा राव और बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री वाई नागेश्वअर राव से लाभांश वारंट (2016-2017) प्राप् कर रहे हैं.

Union Finance Minister Shri Arun Jaitley is receiving dividend cheque (FY 2016-2017) from Shri G Narayanan, Chairman of the Bank, Shri Kishore Sansi, then MD&CEO of the Bank, Shri. B S Rama Rao, then Executive Director and Shri Y Nageswara Rao, Executive Director of the Bank.

श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ बैंक के अंतराष्ट्रीकय महिला दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका बाजपाई, आईएफएस, वन के उप संरक्षक, कर्नाटक का स्वाोगत बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री वाई नागेश्व र राव और श्री मुरली रामस्वाषमी के साथ किया.

Shri R A Sankaranarayanan, MD&CEO welcoming Smt. Deepika Bajapai, IFS, Deputy Conservator of Forests, Karnataka, the Chief Guest of the Bank's International Womens Day Celebration along with Shri Y Nageswara Rao and Shri Murali Ramaswami, Executive Directors of the Bank.

धर्मस्थला, कर्नाटक के दौरे के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बैंक के रुपे कार्ड का वितरण करते हुए

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India distributing Bank's Rupay Card during his visit to Dharmasthala, Karnataka.

बैंक के सतर्कता जागरूकता अभियान के भाग के रूप में बेंगलूरु शहर में कार्यकारी निदेशक, सतर्कता के नेतृत्व में वाकथॉन का संचालन करते हुए बैंक के शीर्ष कार्यपालक और स्टाफ सदस्य

Bank's Top Executives and Staff members conducting Walkathon in Bengaluru City as part of the Vigilance Awareness Week.

श्रीमती निर्मला श्रीधर, महा प्रबंधक बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृ ष्टयता के लिए आईडीबीआरटी बैंकिंग टेक्नोलाजी बेस्टश बैंक एवार्ड प्राप्तं कर रही है.

Smt. Nirmala Sridhar, General Manager receiving IDBRT Banking Technology Best Bank Award for excellence in Information Technology of the Bank.

Glimpses of Memorable Events

प्रतिष्ठित 32वीं राज्य स्त.रीय अंतर हाई स्कू ल वी जेनयूथ क्विज़ प्रतियोगिता के विजेता मास्टलर दिर्व्यांश शर्मा और मास्टवर शौरिन चक्रबर्ती, एचएएल पब्लिक स्कूील,बेंगलूर के छात्रों के साथ श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ, श्री वाई नागेश्वेर राव, कार्यकारी निदेशक और कार्यक्रम के क्विज़ मास्ट र श्री गिरि बालसुब्रमणियम

Master Divyansh Sharma and Master Shourin Chakraborty, students of HAL Public School, Bengaluru, the winners of the prestigious 32nd State Level Inter-High School V-GenUth Quiz Competition with Shri R A Sankaranarayanan, MD&CEO, Shri Y Nageswara Rao, Executive Director and Shri Giri Balasubramaniam, the Quiz Master of the event.

बैंक के कन्नड़ राज्योत्सव के दौरान मुख्य अतिथि व कन्नड़ भाषा के भारतीय कवि व लेखक श्री के एस निसार अहमद, श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई नागेश्वर राव, कार्यकारी निदेशक, श्री बी एस रामाराव, पूर्व-कार्यकारी निदेशक के साथ बैंक का उच्च प्रबंधन व स्टाफ सदस्य

Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO, Shri Y Nageswara Rao Executive Director, Shri B S Rama Rao, then Executive Director of the Bank with Shri. K. S. Nissar Ahmed, Indian Poet & Writer in Kannada language, the Chief Guest of Bank's Kannada Rajyotsav along with the Bank's Top Management and Staff.

केन्द्री य वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने विजया बैंक के 100 शाखाएं, 100 एटीएम और 100 डिजिटल गावों का उद्घाटन किया. बैंक के अध्यतक्ष श्री जी नारायणन और बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं पूर्व मु.का.अ श्री किशोर सांसी मंच पर उपस्थित थे.

Union Finance Minister Shri Arun Jaitley inaugurating 100 branches, 100 ATMs and 100 Digital Villages of Vijaya Bank. Shri G Narayanan, Chairman of the Bank and Shri Kishore Sansi, then MD&CEO of the Bank are seen on dias.

हमारे विशाखापट्टणम क्षेत्र की स्वच्छ भारत गतिविधि के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बैंक द्वारा कूड़ादान तथा अन्य स्वच्छता वस्तुओं का वितरण किया गया

The Bank is distributing Dust Bins and other Sanitary items to Andhra Pradhesh State Road Transport Corporation as part of Swachh Bharat activity of our Visakhapatnam Region.

बैंक द्वारा कनकदुर्गम्मा मंदिर, विजयवाड़ा को बस प्रदान की गई। श्री आर ए शंकर नारायणन प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मुरली रामस्वामी, कार्यकारी निदेशक तथा बैंक के अन्य शीर्ष कार्यपालक देखते हुए

The Bank is donating Bus to Kanakadurgamma Temple, Vijayawada. Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO, Shri Murali Ramaswami, Executive Director and other Top Executives of the Bank are seen.

Glimpses of Memorable Events

बैंक की अनूठी सीएसआर गतिविधि के तहत स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के लिए गोद ली गई बालिका के साथ श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व श्री रमेश कुमार मिगलानी, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षे.का. मुंबई

Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO and Shri Ramesh Kumar Migilani, Regional Manager Mumbai are with the girl who was adopted by the Bank for supporting their education up to post graduation level, a unique CSR activity of the Bank.

बैंक के 87वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान हमारे सम्मानीय ग्राहक श्री कल्याणसुंदरम, यूएनओ को 20 वीं शताब्दी के उत्कृष्ट लोगों के रूप में श्री अजय कुमार खोसला, क्षेत्रीय प्रबंधक, चेन्नई द्वारा सम्मानित किया गया

Our Customer Shri Kalyanasundram adjudged by UNO as outstanding people of 20th Century, being honored by Dr. Rabi Mishra, Chief General Manager, RBI Chennai, Shri Ajay K Khosla, Regional Manager Chennai, and Shri M Bhagavantha Rao, Director, Vijaya Bank, during the 87th Foundation Day celebrations of the Bank.

बैंक के 87 वां संस्थापिना दिवस के समारोह में दीप प्रज्ञावलन करते हुए श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्या, पूर्व अध्यक्ष , एसबीआई. जी नारायणन, अध्य क्ष, श्री आर ए शंकर नारायणन, प्र.पि. एवं मु.का.अ. और श्री बी एस रामा राव, पूर्व कार्यकारी निदेशक तथा श्री वाई नागेश्वरर राव , कार्यकारी निदेशक भी उपस्थित हैं.

Smt. Arundhati Bhattacharya SBI ex-Chairman lighting the lamp marking celebration of 87th Foundation Day of the Bank. Shri G Narayanan, Chairman, Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO and Shri B S Rama Rao, then Executive Director and Shri Y Nageswara Rao Executive Director are also seen.

बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लाभार्थियों को विभिन्न वस्तुएं वितरित करते हुए श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई नागेश्वर राव, कार्यकारी निदेशक तथा श्री श्रीधर मूर्ति ए, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंगलूरु क्षेत्र

Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO, Shri Y Nageswara Rao Executive Director and Shri Sridhara Murthy, Regional Manager, Mangalore Region donating fish freezer box to a woman beneficiary of the Bank's CSR activities.

श्री आर ए शंकर नारायणन प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुप्रसिद्ध कथक नर्तक श्री बृज मोहन का सम्मान करते हुए

Shri R A Sankara Narayanan MD&CEO honoring Shri Brij Mohan, renowned Kathak Dancer.

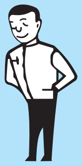

VIJAYA BANK

Head Office: Bengaluru-560001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings Amendment) Regulations 2008 that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of VIJAYA BANK will be held on **Friday, the 29th June 2018 at 10 A.M.** at the Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bengaluru-560001, to transact the following :

ORDINARY BUSINESS

Item No.1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2:

To declare dividend on the shares of the Bank for the Financial Year 2017-18

By order of the Board of Directors
For VIJAYA BANK

Sd/-

Place: Bengaluru — **R. A. SANKARA NARAYANAN**
Date: 08.05.2018 — **MANAGING DIRECTOR & CEO**

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such proxy need not be a shareholder of the bank. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Vijaya Bank.

   The proxy form in order to be effective, must be deposited/ lodged at the head office of the bank with the company secretary, vijaya bank, board secretariat, 41/2, M. G. road, Bengaluru 560 001, on or before the closing hours i.e. **05.00 pm of Friday, the 22nd June, 2018.**

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/ her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, H.O., Bengaluru – 560 001 on or before the closing hours i.e. **05.00 PM of Friday, the 22nd JUNE, 2018.**

3. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS:**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "**Proxy**" or "**Authorized Representative**" as the case may be.

4. **CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS:**

   Pursuant to Clause 12 of Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 23rd June 2018 to Friday the 29th June 2018 (both days inclusive) in connection with the Eighteenth Annual General Meeting.

5. **VOTING RIGHTS**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut – off Date i.e. Friday, 22nd June 2018, shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

6. **REMOTE E-VOTING:**

Voting Through Electronic Means:

In Compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by National Securities Depository Limited (NDSL).

The remote E-Voting period begins from 26.06.2018 (Tuesday) at 10.00 AM and ends on 28.06.2018 (Thursday) 5.00 PM. The E-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 22nd June 2018 (Friday), being the cut off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut off date, may cast their vote electronically.

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
    a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
    b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
    c) How to retrieve your 'initial password'?
        (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
        (ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.
6. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
7. Now, you will have to click on "Login" button.
8. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

4. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 22nd June, 2018.

5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd June, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA.

   However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

6. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

7. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Tab Voting.

8. M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & CO has been appointed for as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

9. The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "TAB Voting" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

10. The Results alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the www.vijayabank.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

7. PAYMENT OF DIVIDEND:

The dividend, as recommended by the Board, and declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members:

a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 22nd June 2018 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

b) As Shareholders whose names are registered in the Register of Members of the Bank as on Friday 22nd June 2018.

   The dividend warrants to such shareholders would be mailed or credited through ECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., Link Intime India Pvt Limited, Mumbai, within 30 days from the date of declaration, i.e., within 29th July 2018.

8. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (NECS):

As per RBI notification w.e.f. October 1, 2009, the remittance of money through ECS is replaced by National Electronic Clearing Service (NECS). NECS operates on the new and unique Bank account number allotted by Banks post implementation of Core Banking Solution (CBS). This facility is offered to shareholders holding shares in physical and demat forms. Shareholders holding shares in physical form can furnish the account number provided by their Banks along with the photo copy of the cheque pertaining to their accounts to the R & T Agent M/s Link Intime

India Pvt Ltd, Mumbai. Shareholders holding shares in electronic forms shall update the details of their Bank accounts with their Depository Participants.

Shareholders having Bank Accounts in non CBS Bank Branches are not covered by NECS and will be paid dividend by way of physical dividend warrants. These shareholders are requested to furnish their Bank account, name of the Bank and the branch, where they would like to deposit dividend warrants for encashment. The above mentioned details are to be furnished by the Joint/ Sole shareholder. A Performa of NECS mandate is enclosed in this notice.

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for the same

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of the declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled “Unpaid Dividend Account of Vijaya Bank for the year….”

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank.

(The Unpaid/Unclaimed Dividend for the year 2010-11 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 02.09.2018 as per Govt of India Guidelines. Reminder letters have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 30-07-2018. If not claimed the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect thereof shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions).

10. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

10.1 COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

10.2 DEMATERIALISATION OF SHARES:

Shareholders who are still holding their share certificates in physical form are requested to get their shares dematerialized as SEBI has included the name of the Bank for the purpose of compulsory dematerialized trading of shares.

10.3 NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify immediately of any change in address/ change in Bank Account numbers to:

a) Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialized form.

b) The Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt Limited, Unit: Vijaya Bank, C101, 247 Park L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083 in respect of shares held in physical form.

c) Shareholders holding shares in physical form are also requested to register/ update their e-mail address with the Bank / R&T Agent to enable the Bank to send all communications/ notices/ Annual Reports etc through e-mail. Those shareholders holding shares in demat form are requested to update their e-mail address with their Depository Participants. This is as per Bank’s plan to implement the Green initiative in Corporate Governance initiated by Ministry of Corporate Affairs (MCA).

10.4 CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai for consolidation into a single folio.

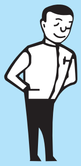

10.5 RECORDING OF CHANGE OF STATUS:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Limited, Mumbai immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, and account type, account number, IFSC Code, MICR Code and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10.6 INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

11. OTHER INFORMATION:

11.1 In support of the green initiative, the Bank has decided to send the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their depository participant/ Bank's registrar & share transfer agent.

11.2 Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors

For VIJAYA BANK

Sd/-

Place: Bengaluru **R. A. SANKA RANARAYANAN**

Date: 08.05.2018 **MANAGING DIRECTOR & CEO**

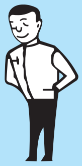

PERFORMANCE HIGHLIGHTS: 2017-18

Business Growth

- Total Business of the Bank recorded a robust growth of 20.07% to reach an all-time high of ` 2,75,965 crore.
- The Gross Advances increased from ` 96,821 crore as on 31.03.2017 to ` 1,18,677 crore as on 31.03.2018, recording a splendid growth of 22.57%.
- Total Deposits increased from ` 1,33,012 crore as on 31.03.2017 to ` 1,57,288 crore as on 31.03.2018, marking a growth of 18.25%
- The CASA Deposits of the Bank grew by 5.33% to ` 39,390 Crores. Savings Bank deposits grew by 6.36% to ` 30,669 Crore and Current Account deposits stood at ` 8721 Crore, up by 1.84%.
- Retail Advances increased from ` 29,157 crore as on 31.03.2017 to ` 36,439 crore as on 31.03.2018, marking a robust growth of 24.98%.
- The percentage of Retail Advances to Total Advances increased to 30.70%.
- The Mortgage Loan portfolio of the Bank recording splendid growth of 128.01%.
- Housing Loan, Jewel Loan, Vehicle Loan and Educational Loan segments of the Bank grew by 30.50%, 21.76%, 21.38% and 15.15% respectively.
- The Credit Deposit Ratio improved from 72.79% to 75.45% as on 31.03.2018.

Income and Profitability

- The Bank reported a Net Profit of ` 727 Cr.
- The Operating profit of the Bank increased from ` 2,421 Cr to ` 3,098 Cr by marking a growth of 27.95%.
- Net Interest Margin improved from 2.77% to 3.10%.

Asset Quality

- Bank's Gross NPA ratio improved from 6.59% as at March 2017 to 6.34% as at March 2018.
- Net NPA ratio improved from 4.36% as at March 2017 to 4.32% as at March 2018.
- Provision coverage ratio increased to 59.39%.

Priority Sector Operations

- Priority Sector portfolio increased from ` 40590 crore as on 31.03.2017 to ` 48364 crore as on 31.03.2018 with a Y-o-Y growth of 19.15%. The Bank has achieved Priority Sector Target by taking the portfolio to 47.70% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as at 31.03.2018.
- During the Financial Year, the Agriculture lending of the Bank has increased by 24.88% from ` 15632 crore as on 31.03.2017 to ` 19521 crore as on 31.03.2018 (19.25% of ANBC).
- Advances to Weaker Section stood at ` 16089 crore which constitutes 15.87% of the ANBC against the norm of 10%.
- Advances to Women beneficiaries stood at ` 11690 crore as at March 2018 as against ` 9501 Cr as at March 2017, registering a growth of 23.04. Against the stipulated target of 5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), the Bank's achievement stood at 11.53% of ANBC.

Financial Inclusion

- PMJDY Aadhaar seeding percentage has improved to 90.01% in March 2018 from 88% in March-2017.
- Aadhaar seeding in operative accounts improved to 82% in March 2018 from 62% in March 2017.
- Our Bank has adopted 105 villages across India under 'Vijaya Digital Villages' project. Out of this 101 villages are adopted during the current financial year ending March 2018.
- Vijaya Financial Literacy Trust (VFLT) has conducted 6923 awareness programmes involving 3,12,977 participants and extended counseling to 45,786 persons.
- Special Drive for Financial Inclusion Initiatives was organized in the month of February 2018 with focus on opening Jan-Dhan accounts for any

uncovered individuals and activating any inactive accounts that were opened, for issuing RuPay Card & their activation and Aadhaar seeding & authentication of all operative accounts.

- Bank has sponsored a research project through National Institute of Advanced studies, Bangalore regarding "Study on boundaries of formal and informal finance as well as nature of Financial Instruments in Karnataka".
- E-KYC has been enabled in all the branches and also in Hand Held Machines/Micro ATMs.

Digital Banking

- Our Bank adopted 105 villages across India under 'Vijaya Digital Villages' project. Out of this 101 villages have been adopted during the current financial year. Shri Arun Jaitley, Hon'ble Minister of Finance, Govt. of India launched this Digital Village project.
- Bank launched BHIM Aadhaar Vijaya Pay in the Month of April 2017, a digital payment acceptance solution which enables merchants to accept payments for goods/services using his Android smartphone and fingerprint reader, from customers having Aadhaar seeded bank accounts, by authenticating the customer's biometrics.
- Revamped V-ePassbook+, an electronic version of passbook which enables the account holders to maintain their pass book on their mobile devices, was released with enhanced security features.
- In V-Payqwik, chatbot based transaction facility has been introduced with features of booking cab, hotels etc.
- Bharat Bill Pay [BBPS] have been introduced through V-Mobile banking where in customer can pay bills anytime. Bank has been approved by RBI to act as Biller Operating Unit[BOU] and Customer Operating Unit [COU]. Bank has started onboarding billers and Agents.
- Bharat QR 4.0 has been incorporated in BHIM Vijaya UPI which provides option for customers to pay using UPI or through card.
- BHIM Vijaya QR solution has been launched, Bank has tied up with various merchants. Bank has rolled out this solution in tie-up with HPCL at all their outlets across various states.
- Toggle Debit Card, card control solution has been enabled in V-econnect+, which provides control of card, switch off a card temporarily and switch it back on when needed, hot listing of Debit card etc.
- The Bank's presence in social media banking through facebook, twitter, linked-in, Youtube and Instagram have been become huge success with increasing number of followers /subscribers.
- IBA has awarded the bank with "Technology Bank of the year 2017" amongst mid-size banks.

Capital Adequacy

- Bank complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31st March'18 at 13.90% (Tier I – 11.71%, Tier II – 2.19%) against minimum regulatory capital of 10.875%.
- Bank has also complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2018 stood at 13.32%, which is above the minimum stipulated norm of 9%.
- During the financial year 2017-18, Bank has augmented its capital position by raising Common Equity Tier I Capital of Rs 700 crore through Qualified Institutional Placement route, Govt of India infusion of CET 1 Capital of Rs. 1277 crore and through retained earnings (reckoned for regulatory capital) to the tune of Rs 538.67 Crs.
- Bank's Liquidity Coverage Ratio (LCR) stood at 129.94% as on 31.03.2018 against the minimum LCR of 90% as on 31.03.2018 and Bank's Leverage Ratio stood at 6.26% as on 31.03.2018 against the RBI's indicative ratio of 4.50%.

*****

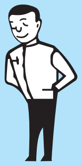

PERFORMANCE AT A GLANCE 2017-18

			(` in Crore)
KEY PARAMETERS	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
Number of Branches	1863	**2031**	**2136**
Number of ATMs	1651	**2001**	**2155**
Reserves & Surplus	6472	**7153**	**9323**
Gross Profit	1549	**2421**	**3098**
Net Profit	382	**750**	**727**
Total Deposits	125441	**133012**	**157288**
Growth %	3.50	**6.04**	**18.25**
CASA Deposits	29125	**37398**	**39390**
Growth %	13.23	**28.12**	**5.33**
% to Total Deposit	23.22	**28.10**	**25.04**
Gross Credit	90765	**96821**	**118677**
% Growth	3.50	**6.67**	**22.57**
Total Business	216206	**229833**	**275965**
% growth	1.01	**6.30**	**20.07**
Gross NPA	6027	**6382**	**7526**
(%)	6.64	**6.59**	**6.34**
Net NPA	4277	**4118**	**5021**
(%)	4.81	**4.36**	**4.32**
Advances to Priority Sector	38003	**40590**	**48364**
% to ANBC	41.54	**41.35**	**47.70**
Total Staff	14544	**15679**	**16079**
Business per Employee	14.58	**15.51**	**18.10**
KEY RATIOS (%)			
Cost of Deposits	7.34	**6.50**	**5.65**
Yield on Advances	10.52	**9.89**	**9.14**
Net Interest Margin	2.27	**2.77**	**3.10**
Return on Assets	0.28	**0.49**	**0.44**
Capital Adequacy Ratio % (Basel III)	12.58	**12.73**	**13.90**

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN TO SHAREHOLDERS

On behalf of the Board of Directors and the Management of Vijaya Bank, it is my pleasure to share with you the progress and performance of the Bank during the financial year 2017-18.

The financial year 2017-18 was the year of economic revival across the globe, as compared to the previous year. During the year, the global market picked up and gained traction. The economic indicators of most of the countries across the globe have shown improvement with strengthening of the fundamentals . According to World Bank, labour market indicators continue to improve across the countries, and roughly two-thirds of countries worldwide experienced stronger growth in 2017, than in the year 2016. The capital flows to emerging markets rose including a rise in cross-border lending and stronger credit growth in both developed and developing economies.

Economic activity in the euro area continued to expand at a solid pace in second half, marking 2017 as one of the best years over a decade, although consumer spending and factory activity slowed down, possibly weighed down by political uncertainty and the strengthening of the currency.

Economic activity continued to expand also in major EMEs. China's economy grew by 6.9 per cent in 2017, against the rate of 6.7 per cent recorded in 2016. In Brazil, economic activity is gaining momentum, driven by higher commodity prices and improved fiscal outlook.

Indian Economy showed mixed response to the policy reforms initiated by the Government during the financial years 2016-17 and 2017-18. During the year, the country witnessed significant policy reform with introduction of GST (Goods and Services Tax) with effect from July 1, 2017. The GST replaced existing multiple cascading taxes levied by the central and state governments. Though the roll out of GST faced certain operational issues initially, things have improved substantially later.

Manufacturing and trade activities have slowed down following the implementation of GST, which has improved gradually as a result of the Government's initiative to simplify the system with suitable modifications. The disruptions caused by the demonetization scheme that was implemented during FY 2016-17 had spill over effect in FY 2017-18 as well.

The GDP of the country continued to grow from quarter to quarter. The GDP during first quarter of the financial year was at 5.7%, improved to 6.5% during second quarter and further improved to 7.2% during the third quarter of the financial year 2017-18. The Central Statistics Office (CSO) released its second advance estimates for 2017-18, revising India's real Gross Domestic Product (GDP) growth marginally upward to 6.6 per cent from 6.5 per cent in the first advance estimates.

For the banking industry the year 2017-18 was not a year of progression in terms of profitability and overall growth especially for Public Sector Banks. The Macro Economic conditions of the country was not favorable for a strong credit growth. The sector witnessed a steep fall in asset quality with diminishing profitability. During Q3 of FY 2017-18, out of 21 Public Sector Banks, 16 Banks reported Net Losses. This was mainly due to mounting bad loans requiring additional provisioning.

The continuous deterioration in asset quality of the Banks and its profitability compelled the regulatory bodies to take stringent measures to curb the issue. The RBI has put many banks under its PCA frame work based on the poor performance of the Banks on the key parameters. The Government of India has taken key policy measures to improve the health of the Banks. The overall demand for the Bank credit was almost static compared to the previous year.

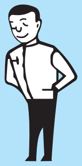

The performance of Vijaya Bank should be assessed for the financial year 2017-18 in this background. I am happy to share that in the given scenario, your Bank has performed exceedingly well in all the key financial parameters. A well conceived business strategy to grow in safer areas of business and certain proactive measures and greater diligence while dispensing credit could help to keep the bank less affected and remain resilient.

The Bank kept its focus on quality of assets and to increase the business levels in retail business segments. The Bank has taken special care to tap Government Business and private corporate customers with clean financial profile.

The Bank declared a Net Profit of ` 727 Crores during the financial year 2017-18. The Operating profit of the Bank increased to ` 3098 Crores by registering a growth of 27.95%. The Total Business of the Bank increased to all time high of ` 2,75,965 Crores by marking a robust growth of 20.07% on a Y-o-Y basis. The Total Deposits and Advances of the Bank have also witnessed a double digit growth of 18.25% and 22.57% on a Y-o-Y basis which is well above the industry average.

The retail asset book of the bank showed an excellent performance during the year. The mortgage loan of the Bank grew from Rs 357 Crores in March 2017 to Rs 814 Crore in March 2018 by registering a growth of 128.01% on a Y-o-Y basis. Housing Loan segment of the Bank grew by 30.50% on a Y-o-Y basis. The overall Retail Loan Portfolio of the Bank grew by 24.98% on a Y-o-Y basis.

The performance of Bank is highly appreciable considering the turbulence that prevailed in the banking sector during the financial year 2017-18. The Bank has strengthened its recovery process. Due to this, the Banks Gross NPA has improved from 6.59% in March 2017 to 6.34% in March 2018. The Net NPA of the Bank also improved from 4.36% in March 2017 to 4.32% in March 2018. The provisional coverage ratio increased from 58.15% March 2017 to 59.39% in March 2018.

During the year, the Bank has increased its number of branches to 2136 from 2031 branches in the previous year. The Bank has taken efforts to make each of its branches as a profit centre. The ATM strength of the Bank has increased to 2155 from the previous level of 2001 ATMs.

On Digital Banking front, the Bank is always in the forefront to offer latest technology driven banking to its customers. During the year, the Bank has taken many initiatives to capitalize the opportunities in digital banking and to reduce the cost of operation. The Bank has upgraded all its digital channels with latest available version, for which bank has got a very good response from the customers. This has resulted in increased number of active customers in our all digital banking channels. We also simplified all our digital banking applications to make it convenient for customers across all age groups.

The compliance and high standard of corporate governance is the culture of our Bank, which helps us to get quality business.

Considering the overall business growth and profit that bank has made during the Financial Year 2017-18, I am happy to inform you that the Board of Directors of the Bank has recommended for dividend of ` 1.20 per share (12%) which has to be approved in the ensuing Annual General Meeting of the Bank.

Looking ahead, the Bank is well equipped to face any challenges in the industry. The domestic and global economy are expected to improve during the year 2018-19 as predicted by IMF. In its Regional Economic Outlook, IMF had mentioned that, Indian economy is expected to grow at 7.4 per cent in the current fiscal and is expected to accelerate further to 7.8 per cent, as it recovers from the impact of demonetisation and

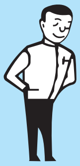

GST roll out. After implementation of various reforms initiated by the Government of India, the Indian economy is set for a higher growth trajectory on the back of a slew of structural reforms. The economy will start getting benefits of Demonetisation and GST initiatives. The Economic Survey predicts that the Indian economy would rebound to grow in the range of 7-7.5% in 2018-19.

The demand for Bank credit will grow significantly targeting a double digit growth which was at 8.4% during FY 2017-18. The Governments initiative to infuse 2.11 trillion to public sector banks will help to strengthen the capital structure of the Banks.

Vijaya Bank has been adopting suitable business strategies to cope up with the challenges that may arise .The Bank is now flexible to adapt to change and respond quickly to the changing macroeconomic conditions. The Bank has fine-tuned its operational capability and increased the delivery capacity. Human resource of the Bank is geared to its optimum level to face the challenges coming from increasing level of competition from different types of Banks. The Bank provides excellent customer service, which is one of the core strength and a critical factor that differentiates the Bank from others. The major business goals and objectives of the Bank are focused on creating a sustainable and profitable business model with greater customer friendly approach adopting latest technological innovations to increase the brand name of the Bank. Going forward, the Bank will continue to service the society, support various Government initiative for the progress of the Nation and maximize our productivity and profitability to enhance the satisfaction of the various Stake holders.

I am confident that Vijaya Bank will be able to achieve its plans and business goals with concerted efforts being innovative in its approach.

On behalf of the Board of Directors and myself, I would like to expresses our sincere gratitude and appreciation to the Bank’s esteemed shareholders, valued clients and other stakeholders for their continued support and patronage. I would like to take this opportunity to compliment the Management team and the entire staff of the bank for the brilliant performance, hard work with dedication. This would be my last general body meeting as I will be relinquishing my office by August 2018. I carry along with me happy thoughts of my memorable Association with Vijaya Bank. I am confident, Employees of the bank will remain victorious and pray almighty to be with the bank for glorious years ahead.

Last but not the least is to place on record my thanks and appreciation for the enlightened board which added value in every issue with critical inputs and valuable guidince. Every board deliberation was a learning curve and exhibition of highest standarad of good governance.

Thank You all .

G. Narayanan
Chairman

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR & CEO TO SHAREHOLDERS

I am delighted to share an overall review on the Global Economy, Indian Economy & Banking Sector and a snap shot of our Bank's performance during the Financial Year 2017-18.

The Financial Year 2017-18 was a positive year with progression in the global trade and strengthening of economies of many countries across the globe. After a long period of stagnation and sluggish growth, it is heartening to note that the world economy has been strengthened compared to the previous year. The notable aspect of last year is that the global trade continued to expand, supported by strong investment and manufacturing activities in the countries. The growth momentum is visible across Euro zone supported by increased consumption and investment demand. Economic optimism alongside falling unemployment and low interest rates have supported recovery. The countries in the Euro zone experienced strong employment growth and also marked growth in GDP.

The United States of America also registered a healthy growth in GDP and the fundamentals of the country have become stronger. The healthy state of inflation levels, improvements in job market and revival in investments gave confidence to the country to increase its rates. The US Fed raised interest rates by 0.25 per cent, the third rate hike in December 2017 and sixth time since December 2015. The decision was based on economic growth in the country, including solid gains in the job market, revival in business investment and an inflation rate that close to the target of 2 per cent.

Japanese economy continued to grow, as manufacturing activity gathered pace in January 2018 on strong external demand, providing fillip to the already bullish business confidence.

Some of the larger emerging market economies, such as Argentina, Brazil, and Russia, exited their recessions. The Chinese economy also grew, driven by strong domestic consumption and robust exports. However, some downside risks to growth remain, especially from surging debt levels.

As far as Indian Economy is concerned, the year 2017-18 witnessed rebounding of the economy back to the track of growth. There were challenges and opportunities in the Financial Year 2017-18. The implementation of GST was one of the major reforms that country witnessed during the year. The first half of the year remained with a sluggish growth mainly due to liquidity issues in the system and the issues related to the implementation of GST. Economy improved in second half with positive liquidity and normalization of GST.

The GDP growth of the country has been increasing quarter on quarter from 5.7% in Q1 to 6.5% in Q2 to 7.2% in Q3 of 2017-18. With this impressive growth rate India regained its tag of the fastest growing major economy in the world. The GDP for the full year 2017-18 is expected to be on the higher side considering the trend of growth and improvements in manufacturing and economic activity of the country.

The growth in agriculture sector was supported with a normal monsoon. India's food grain production is

expected to grow to a record level of 277.49 million tonnes in the crop year ending June 2018, as per the second estimate of major crops released by the Agriculture Ministry.

India's trade deficit widened to $156.8 billion in 2017-18 compared with $108.5 billion in FY 2016-17. For the full FY18, exports rose 9.8% to $302.8 billion while imports were up 19.6% at $459.7 billion. The trade deficit has expanded mainly on account of a significant rise in the value of oil imports. This can be attributed to the rise in international crude prices relative to those prevailing last year. Crude and petrol products form a major component of India's import basket and thus weigh heavily on the final trade deficit figures. While the absolute volume of imports may not have increased significantly, the value has risen owing to a recent rise in oil prices worldwide.

As far as banking sector is concerned, the year witnessed the deterioration of Asset Quality and fall in profitability of the Banks as compared to the previous financial year. The Banking sector also witnessed increased number of frauds. This compelled regulatory bodies to take strict measures to control the Banking operations. During the year, the Reserve Bank has classified few banks under its PCA frame work. The recent progress in the implementation of the Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) is a positive move in improving the health of banking system. The Government's decision to infuse capital of ` 2.11 trillion as part of its PSB's recapitalization plan, is a very positive move for the Public Sector Banks.

During the year, Reserve Bank of India took a cautious approach by keeping status quo on its policy rates, after its last reduction in repo rate to 6.00 per cent from 6.25 per cent in the month of August 2017. RBI has concerns on inflation risks from the staggered impact of HRA increases by various state governments; policy for arriving at the minimum support prices for Kharif crops; rise in oil prices and fiscal slippages. The demand for Bank credit remained sluggish especially during the first half of the year. The overall Non-Food Bank Credit growth for the Financial Year 2017-18 stood at 8.4 per cent.

Vijaya Bank recorded excellent performance during the Financial Year 2017-18. The Bank adopted various short-term and medium term business strategies in line with the changes in Economic and Banking scenarios. The Bank has made significant improvements in profitability and Quality Asset growth with positive trend in major financial parameters. The Bank has reported a Net Profit of ` 727 Cr for the Financial Year 2017-18. The Operating Profit of the Bank for March'18 is at ` 3,098 Cr against ` 2,421 Cr as on 31.03.2017, marking a growth of 27.95%.

The Bank is in its expansion stage in terms of its overall business and presence in geographical areas across the country. The Total Business of the Bank has grown to ` 2,75,965 Crores at a growth rate of 20.07% on a Y-o-Y basis. The Advances portfolio of the Bank has increased to ` 1,18,677 Crores at a growth rate of 22.57%. The Total Deposit portfolio of the Bank increased to `1,57,288 Cr with a growth of

18.25% on a Y-o-Y basis. The Bank has increased its branch network to 2136 branches as on 31.03.2018 from 2031 branches as on 31.03.2017. Bank has increased ATMs to 2155, which was at 2001 during March 2017.

The Bank has a well-defined and robust Risk Management system. The Risk Management Department ensures that the capital is used efficiently with appropriate controls on risk and returns.

The Bank is well capitalized with a CRAR of 13.90% under Basel III against a minimum regulatory capital of 10.875%. During the financial year 2017-18, the Bank raised Common Equity Tier- I Capital of ` 700 Cr (including premium) through Qualified Institutional Placement (QIP) of Equity Shares and received fresh infusion of equity share capital from Government of India amounting to ` 1277 Cr (including premium) and improved retained earnings (reckoned for regulatory capital) by internal accruals to the tune of ` 538.67 Cr. The capital adequacy under Basel III has improved to 13.90% as on 31.03.2018 from 12.73% as on 31.03.2017.

The Bank focused on quality of the assets with proper credit monitoring and NPA reduction. During the financial year 2017-18, the Gross NPA ratio of the Bank has improved to 6.34% from 6.59% and Net NPA ratio of the Bank also improved to 4.32% from 4.36%.

The Bank has taken many initiatives to improve the profitability of the bank. Our Net Interest Margin (NIM) has improved to 3.10% from 2.77%. The Net Interest Income of the Bank grew by 22.73% to reach to ` 4,303 Cr as on 31.03.2018. There is a reduction of 6.61% in Interest Expenses and 4.45% in its Total Expenses during the year.

The Retail Loan portfolio of the bank has performed very well during the year. The Bank conducted various business campaigns at different parts of the country. The Bank also customized its approach to various geographical areas in the country, by extending various offers during the festival season. Our Retail Loan business grew by 24.98% to the level of ` 36,439 Cr. The Mortgage Loan segment of the Bank registered a robust growth of 128% to reach ` 814 Cr. The Housing Loan segment increased to ` 14,700 Cr with growth rate of 30.50%. The Jewel Loan portfolio grew by 21.76% to reach ` 6,115 Cr. The Vehicle Loan segment grew by 21.39% to ` 3,269 Cr.

The Priority Sector Advances is at ` 48,364 Cr with a growth of 19.15%. The Priority Sector Advances constituted 47.70% of Adjusted Net Banking Credit (ANBC) as against the regulatory norm of 40%. The Agriculture Advance of the Bank increased to ` 19,521 Cr with a growth rate of 24.88%.

The Bank delivered excellent service to the public during the demonetization period during the previous year. The Bank continues to offer positive / proactive customer services at all times. The Bank has upgraded its branch ambience and ATMs with focus on all customers including women, Senior Citizen, Differently abled persons etc.

The Bank is known for advancements made in Digital Banking and getting positive response for the services covering Internet Banking, Mobile Banking and Social Media. There is an increase in

users of all digital channels. The Bank also extends its wholehearted support, for the initiatives of the Government of India in the area of Financial Inclusion and Digital India. Bank has been allotted with 1151 Sub Service Areas comprising of 3410 villages and 20 wards on a pan India basis to provide banking facilities. We have provided Banking Facilities to these villages through 289 branches and also through Bank Mitras (Business Correspondent Agents). Our Bank adopted 105 villages across India under ‘Vijaya Digital Villages’ project. Out of this, 101 villages have been adopted during the financial year. Shri Arun Jaitley, Hon’ble Minister of Finance, Govt. of India launched this Digital Village project on the 26th of August, 2017. The Bank introduced Green Pin facility for its Debit and Credit Cards wherein customers can re-generate pin for debit & credit cards instantly through this facility.

The Bank has a positive outlook for the Financial Year 2018-19. There is positive improvements in global economy and demand. The Indian Economy is set for a healthy growth after the implementation of reforms like demonetization and GST. The tax net of the government has been widened and systemized. The Government has come up with many initiatives for spending on infrastructure projects and other investments to augment growth in the economy. This will increase the demand for Bank credit and would result in overall revival in the economy.

The Bank has a sustainable business plan to ensure a healthy growth in all segments of banking. The Bank will focus on low cost deposits with special thrust on Savings and Current Account portfolios. The Bank has comfortable capital, positive business growth, higher employee productivity etc. Vijaya Bank is well positioned to face the challenges very effectively with positive growth in overall business.

Our Bank has excellent and professional Board of Directors. I would like to express my sincere gratitude to the Board of Directors, for their timely guidance and valuable contributions, which has resulted in excellent performance of the Bank during the Financial Year 2017-18. I also express my sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulators for their support and guidance.

I sincerely thank all the valued shareholders for their continued support and trust in our Bank.

I assure all the stake holders of the Bank that we will remain committed to achieve our business goals and I am confident that our Bank will record better results in 2018-19 also.

With Warm Regards,

Yours Sincerely,

R A Sankara Narayanan
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT 2017-18

The Board of Directors have pleasure in presenting the 38th Annual Report of the Bank along with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and other relevant information for the financial year ended March 31, 2018.

Macro-Economic Scenario 2017-18

Global Economy

The year 2017-18 was comparatively a better year than the previous year considering the overall economic revival visible across the globe. The rebound in commodity prices, improvements in global trade, healthy inflation levels etc., supported the recovery of economy in many countries across the world. During the year, the capital flows from advanced economies to emerging economies strengthened to a significant level.

According to IMF, the Global growth is expected to increase from 3.8% in 2017 to 3.9% 2018. As mentioned by IMF, the last decade has been punctuated by a series of broad based economic crises and negative shocks, starting with global financial crisis of 2008-2009, followed by European sovereign debt crisis of 2010-2012 and the global commodity price realignments of 2014-2016. As the crisis and headwinds that accompanied them subsided, the world economy has strengthened, offering greater scope to reorient policy towards longer-term issues that held back progress along the economic, social and environmental dimensions of sustainable development.

Amongst Advanced Economy, the US showed a healthy growth rate in its Gross Domestic Product supported by revival in fixed business investments and robust growth in consumer spending. The Fed increased its policy rate frequently based on the data indicating improvements in fundamentals of the economy. The Fed raised its growth forecasts for 2018 and 2019 and projections pointed to an extra rate hike in 2019. In Euro area, the growth momentum was visible due to increasing economic optimism alongside falling unemployment and low interest rates. Japanese economy also grew as manufacturing activity gathered pace on strong external demand.

The economic activity in emerging market economies (EMEs) accelerated in 2017. The Chinese economy expanded at faster pace compared to the previous year, marking the first acceleration in growth since 2010. The stronger than expected growth was in part attributed to the implementation of policy stimulus measures, including higher infrastructure spending. However, some downside risks to growth remain, especially from easing fixed asset investment and surging debt levels.

Brazil has made a fast recovery with a robust growth in GDP. However, recovery remains vulnerable to political uncertainty, which has dampened consumer confidence. The Economic condition in South Africa was not promising in 2017 and continues to face challenges on both domestic and external fronts, including high unemployment and declining factory activity.

Indian Economy

The year 2017-18 was an eventful year as far as Indian Economy is concerned. After a year of passive growth due to various short term disturbances to the economy, the country has regained its tag as the fastest growing economy in the world with a GDP growth rate of 7.2% during the 3rd quarter of FY 2017-18. The year witnessed many reforms and initiatives by the Government of India and Reserve Bank of India. It was in the year 2017-18, India implemented its biggest indirect tax reform Goods and Services Tax (GST). Merging of railway budget with union budget, doing away with plan and non-plan expenditure, advancement of the presentation of Union Budget by a month in advance to help the entire budgetary exercise and the legislative approval for annual spending plans and tax proposals to be completed before the beginning of the new financial year on 1 April, etc., were the other major reforms that Government has implemented during the Financial Year 2017-18.

The economy experienced some disruptions and slowness during the first half of the financial year, may be the effect of demonetization and the complications resulting from the implementation of GST. However, the economy has steadily grown in a stronger and faster manner during second half of the financial year 2017-18.

During the second half of the financial year, the liquidity in the system was re-established through re-monetization process and GST system was improvised by taking feedback from the industry. The complications in the GST system was mitigated and tax rates were rationalized on a review basis to support the growth. This helped the economy to regain its growth momentum during the second half of the year.

Inflation in the country continued at lower levels during 2017-18. The Wholesale Price Index (WPI) stood at 2.9% in April - March 2018, as compared to 1.7% in April-March 2017. The primary articles inflation lowered to 1.3% in April - March 2018, from 3.4% in April-March 2017. However, during the year, fuel products inflation increased to 8.1% from -0.3% during the previous year. The inflation for manufactured products jumped to 2.7% in April-March FY2018 from 1.3% in April March FY2017. WPI inflation may start increasing gradually in line with improvements in the efficiency of the industrial sector and increase in overall demand.

Retail inflation, measured by Consumer Price Index (CPI) has declined to 3.59% on a cumulative basis from April – March 2018 as compared to 4.52% in April –March 2017. The CPI inflation level remained within the band fixed by RBI for FY 2017-18. RBI has a mandate of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 4% within a band of +/- 2 percentage points, while supporting growth. The retail inflation rate has been moderating since it hit a 17-month high of 5.2 per cent in December 2017 due to unseasonal spike in vegetables and full impact of implementation of Central Government's 7th Central Pay Commission's (CPC's) HRA Award. The RBI took care to maintain inflation levels under control by tightening its monetary policy which was supported by fiscal measures by Government. Considering the possible HRA impact of central Government employees and hike in the general price levels, RBI set CPI inflation projection for 2018-19 to 4.7-5.1% in the first half of the financial year and 4.4% in the second half.

The manufacturing activity improved for the eight consecutive in March 2018, but at a slower pace since October 2017. The combined index of eight core industries, part of India's Index of Industrial Production, with a weightage of 40.27%, increased by 4.2% in on a cumulative basis April - March 2018 compared with 4.8% growth in April-March FY2017.

The Indian rupee depreciated by 0.48% in the financial year 2017-18 as compared with 2.1% appreciation in previous financial year. The rupee had appreciated during the year, on buoyant capital inflows and weakening of US dollar. But it could not sustain the momentum throughout the year. The increase in oil prices, widening Current Account Deficit, fiscal slippage, monetary policy normalization in the US together had led to depreciation of the rupee.

Exports during 2017-18 have been at US $ 302.84 Billion registering a growth of 9.78 per cent in dollar terms vis-à-vis 2016-17. Cumulative value of exports for the period April-March 2017-18 was US $ 302.84 Billion (` 1952168.79 crore) as against US $ 275.85 Billion (` 1849428.76 crore) registering a positive growth of 9.78 per cent in Dollar terms and 5.56 per cent in Rupee terms over the same period last year. Non-petroleum and Non Gems and Jewellery exports during April-March 2017-18 were valued at US $ 222.45 Billion as compared to US $ 200.89 Billion for the corresponding period in 2016-17, an increase of 10.73%.

Cumulative value of imports for the period April-March 2017-18 was US $ 459.67 Billion (` 2962897.70 crore) as against US $ 384.36 Billion (` 2577665.59 crore) registering a positive growth of 19.59 per cent in Dollar terms and 14.94 per cent in Rupee terms over the same period last year. Oil imports during April- March 2017-18 were valued at US $ 109.11 Billion which was 25.47 per cent higher than the oil imports of US $ 86.96 Billion in the corresponding period last year. Non-oil imports during April-March 2017-18 were valued at US $ 350.56 Billion which was 17.88 per cent higher than the level of such imports valued at US $ 297.39 Billion in April-March, 2016-17. In this connection it is mentioned that the global Brent prices ($/bbl) have increased by 27.86 % in March 2018 vis-à-vis March 2017 as per World Bank commodity price data.

India's trade deficit expanded to USD 156.81 Bn in FY18, higher than USD 105.96 Bn in FY17. The trade deficit has expanded mainly on account of a significant rise in the value of oil imports. On an annual basis, the import of 'Gold' and 'Pulses' have declined significantly by -40.31% and -83.50% respectively. Taking merchandise and services together, the trade deficit in April-Mar 2018 stands 47% higher than the previous year. The continued rise in oil prices could have potential to push Current Account Deficit for FY19 higher by 20-30 bps from the current estimate of 2.1%

The GDP of the country continued to grow quarter on quarter. The GDP during first quarter of the financial year was at 5.7% which improved to 6.5% during second quarter and further to 7.2% during third quarter of the financial year 2017-18. The Central Statistics Office (CSO) released its second advance estimates for 2017-18, revising India's real gross domestic product (GDP) growth marginally upward to 6.6 per cent from 6.5 per cent in the first advance estimates.

Banking Sector

The Indian banking sector continued to battle with falling asset quality issues and diminishing profitability in the light of mounting bad loans. The banking sector continued to report high slippages on account of default in loan portfolio mainly in corporate segments. A high and rising proportion of banks stressed loans and a consequent increase in provisioning for non-performing assets (NPAs) led to lower profitability of the Banks. The year also experienced the increased number of banking frauds involving huge quantum of amount.

Reserve Bank of India took a cautious approach by keeping a status quo on its policy rates after its latest reduction in repo rate to 6.00 per cent from 6.25 per cent in the month of August 2017. The RBI was concerned about upside risks to inflation, especially from the staggered impact of HRA increases by various state governments; policy for arriving at the minimum support prices for Kharif crops; rise in oil prices and fiscal slippages.

The implementation of demonetization scheme during the previous year helped to increase the digital banking awareness among public and the number of digital transactions has been increased to a significant level during the year 2017-18.

Growth in non-food bank credit stood at 8.4% year on year (YoY) in March 2018 compared with 8.4% of growth during FY2017. Credit to agriculture and allied activities rose 3.8% for the year ended March 2018 as compared with a 12.4% in the previous year. The farm sector was in distress in several parts of the country with many State governments announcing loan waivers to farmers in the last few years. Retail credit such as home and auto loans grew by 17.8% for the year to March 2018 compared with a 16.4% rise. The credit to industry rebounded 0.7% in March 2018 compared with a decline of 1.9% in March 2017. The Credit growth is expected to pick up in an accelerated mode in the new Financial Year 2018-19.

The Government's decision to infuse capital amounting ` 2.11 lakh crore to Public Sector Banks over the two years is a positive move as far as Public Sector Banks are concerned. The funds will help in managing risk and credit capital-related requirements of the banks. The Regulatory bodies RBI and Ministry of Finance, have taken many initiatives to curtail increasing level of deterioration in asset quality and number of frauds being reported by Banks.

During the year the RBI has taken strong measures to improve quality of assets, strengthen operational system, quality of customer services of the Banks. The RBI has revised the PCA framework for banks, effective from April 1, 2017, based on financials of the lenders for the year ended March 31, 2017. This compelled many banks to raise additional capital, restrict dividend payments, branch expansion etc. RBI has brought down the net NPA levels required to include the bank under PCA framework to a level of 6 per cent as against 10 per cent earlier. This made mandatory for the banks to increase the provision coverage on the NPAs for remaining outside the PCA framework. During the Financial Year 2017-18, as per the revised rule, RBI has put many public sector Banks under its PCA framework.

Apart from this, RBI has come up with new initiatives like Banking facility for Senior Cuitizen and differently abled Persons, Introduction of Legal Entity Identifier (LEI) for larger Corporate Borrowers, High Level Task Force on Public Registry for India, introduction of new notes in denomination of 200 and 50 notes in Mahatma Gandhi (new) series, amendments in Banking Ombudsman Scheme, Action plan to implement the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017, revised framework for Resolution of Stressed Assets, Early Identification and Reporting of Stress Loans, Constitution of an Expert Committee on Banking Supervision, Discontinuance of Letters of Undertaking (LoUs) and Letter of Comfort (LoCs) for

Trade Credits etc. The measures will help the banking industry to strengthen further and to equip with to face new challenges which may arise in the banking and economic scenario.

Outlook

The global growth outlook is positive for the year 2018-19. The World Bank forecasts potential growth of emerging and developing economies at an average of 4.3 per cent between 2018 and 2027. However, emerging and developing countries have greater need for fast growth than high-income countries. The rising trade war between the countries with protectionism and inward looking trade policies will hit the prospective for global growth. The world leaders should rise to the occasion with a positive attitude to bring out with mutually agreeable trade policies by sacrificing some potential gains to overcome the situation and to open the gate for a global growth where economies of the all countries shall be benefited.

Indian economy is undergoing structural transformations for the last couple of years. The benefit of such policy initiative will help the country in coming years to cope up with increased competition in the international market. The IMF in its World Economic Outlook, kept GDP growth forecast for India at 7.4% and 7.9% for FY 2020. The report says that the economic activity in India will be lifted up by strong private consumption as well as fading transitory effects of demonetization of high value currencies and implementation national GST.

Now the economy is set for a growth in a faster and healthy manner as the disruptions and complications created with the implementation of demonetization and GST are almost over. The demonetization helped to strengthen formal economy and broaden digital economy in a faster manner. GST is expected to benefit economic activity and fiscal sustainability by reducing the cost of complying with multiple state tax systems, drawing informal activity into the formal sector, and expanding the tax base. Considering the developments like stabilization in GST implementation, credit growth, revival in investment activity and recapitalization of PSU banks, the growth prospects for Indian Economy including Banking Sector is very much positive for the Financial Year 2018-19.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE YEAR 2017-18

1. CAPITAL, RESERVES & NET WORTH

(i) CAPITAL

The Authorized Capital of the Bank at present is ` 3000 Crore divided into ` 300 Crore shares of ` 10 each. At present, Government of India holds 68.77% Equity Share Capital of the Bank. The total paid up (equity share) capital of the Bank is ` 1304.15 Crore. During financial year 2017-2018, the Bank has allotted 11,10,22,997 shares of ` 10 each at premium of ` 53.05 on preferential basis to Qualified Institutional Buyers on 05.09.2017 with total inflow of ` 700 crore and 19,42,79,628 shares of ` 10 each at premium of ` 55.73 on preferential basis to GOI on 27.03.2018 with a total inflow of ` 1277 crore.

(ii) Reserves & Net worth

For the financial year ended 31.03.2018, the total Reserves and Surplus is ` 9323.05 Crore The Net Worth of the Bank increased from ` 6976.90 Crore to ` 9224.01 Crore this year.

(iii) Dividend

Taking into consideration the overall profitability, the Board of Directors has recommended a final dividend of ` 1.20 per share (12%), for the year 2017-18. The total amount of equity dividend including dividend tax for 2017-18 is ` 188.36 Crore.

2. WORKING RESULTS

The Bank has reported a Net profit ` 727 Crore as on 31.03.2018 compared to ` 750 Crore as on 31.03.2017. The Operating Profit of the Bank has increased from ` 2,421 Crore as on 31.03.2017 to ` 3,098 Crore as on 31.03.2018, thereby recording a growth rate of 27.95%. The Total Deposits of the Bank registered a growth rate of 18.25% from ` 1,33,012 Crore as on 31.03.2017 to ` 1,57,288 Crore as on 31.03.2018. The Gross Advances of the Bank increased from ` 96,821 Crore as on 31.03.2017 to ` 1,18,677 Crore as on 31.03.2018

marked a growth rate of 22.57%. The cost of deposits decreased from 6.50% in 2016-17 to 5.65% in 2017-18. The Net Interest Margin of the Bank improved from 2.77% as on 31.03.2017 to 3.10% as on 31.03.2018.

The trend in financial results of the Bank is as under

(` in Crore)

Sl. No.	Items	2016-17	2017-18	Annual Increase (%)
1	Interest Income	12379.46	12589.84	1.70%
2	Interest Expenditure	8873.02	8286.95	-6.61%
3	Net Interest Income (1-2)	3506.44	4302.89	22.71%
4	Non-interest income	1651.26	1600.61	-3.07%
	i. Profit on sale of investments	768.99	544.26	-29.22%
	ii. Other non-interest income	882.27	1056.35	19.73%
5	Net Total Income (3+4)	5157.70	5903.50	14.46%
6	Operating expense	2736.55	2805.70	2.53%
	i. Staff Expenses	1747.89	1607.36	-8.04%
	ii. Other operating expenses	988.66	1198.34	21.21%
7	Operating profit	2421.15	3097.80	27.95%
8	Operating profit (excl. Treasury profit)	1652.16	2553.54	54.56%
9	Provisions and Contingencies	1670.67	2370.78	41.91%
10	Net Profit	750.49	727.02	-3.13%

Important Profitability Ratios

Sl. No.	Item	2016-17 (%)	2017-18 (%)
1	Yield on funds	8.14	7.69
2	Cost of funds	5.83	5.06
3	Interest spread (1-2)	2.31	2.63
4	Yield on advances	9.89	9.14
5	Cost of deposits	6.50	5.65
6	Yield on investments (excluding RIDF) excluding Trading Profit including Trading Profit	7.65 9.32	7.28 8.48
7	Other operating expenses to Average Working Funds	0.65	0.73
8	Cost-Income Ratio	53.06	47.53
9	Establishment cost to average working funds	1.15	0.98

3. BUSINESS EXPANSION AND BRANCH NETWORK

(i) Total Business

The Total Business of the Bank registered a robust growth rate of 20.07 % grew from ` 2,29,833 Crore as on 31.03.2017 to ` 2,75,965 Crore as on 31.03.2018.

(ii) Deposits

The Total Deposits of the Bank grew from ` 1,33,012 Crore to ` 1,57,288 Crore as on 31.03.2018 and the Retail Term Deposit increased from ` 47,517 Crore to ` 49,020 Crore as on 31.03.2018, grew by 18.25% and 3.16% respectively.

(iii) CASA Deposit

During the financial year 2017-18, CASA deposits of the Bank grew from ` 37,398 Crore as at 31.03.2017 to ` 39,390 Crore as at 31.03.2018, recording a growth rate of 5.33%, Y-o-Y. Out of CASA, Saving Bank deposits increased to ` 30,669 Crore and Current Account Deposits increased to ` 8,721 Crore, marking growth rates of 6.36% and 1.84% respectively. The percentage of CASA Deposits to Total Deposits stood at 25.04% as at 31.03.2018.

(iv) Branch Network

During the financial year 2017-18, the Bank has increased the number of branches from 2031 to 2136 and number of extension counters increased from 13 to15. All the branches and offices are well managed by the Head Office at Bengaluru and its 32 Regional Offices situated across different geographical areas of the country.

4. CREDIT EXPANSION

(i) Gross Credit

For the first time the Bank has crossed a milestone of One Lakh crore advances during the Financial Year ending 31.03.2018. During the year, the Gross Credit of the Bank has registered a growth of 22.57%

from ` 96,821 Crore as at 31.03.2017 to ` 1,18,677 Crore as at 31.03.2018, despite slowdown in the credit growth as a whole. Considering the challenging economic environment, the Bank had been very selective in the approval of big ticket credit proposals and conscious efforts have been made to reduce high risk assets. During the year, the Bank has lent ` 17290 Crore to Government Undertakings, out of which State Government Guarantee is available to the extent of ` 9237 Crore. The Bank has put in place a perfect due diligence mechanism for screening of credit proposals and implementing the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India. In terms of extant guidelines from Ministry of Finance, the Bank is following Committee Approach for disposing credit approvals at Regional Office and Head Office levels. The Committees meet, as frequently as possible to reduce turnaround time for credit decision.

The Bank has continued with its strategy to recruit professionals from CA/ICWA/CS/MBA streams during 2017-18 for ensuring qualitative credit processing.

Bank's Credit Department is accredited with ISO/ IEC 27001:2013 certification for Information Security Management system by British Standard Institute (BSI).

In tune with market trends, Bank has come up with various new loan products and have also fine-tuned existing ones to suit the needs of customers.

(ii) Large & Mid Corporate

The Bank's 14 Corporate Banking Branches (CBBs) at different geographical locations have facilitated in exercising better control and supervision over large advances besides reducing turnaround time in the delivery of Corporate Credit. In addition, the Bank has SME branches spread across the country, catering to the needs of mid-corporate and SME clients by offering services including cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking etc.

Bank's Corporate/SME Banking Division offers an array of loan products and services such as, Term Loans, Demand Loans, Corporate Loan, Short-Term Loans, Working Capital Facilities (FB+NFB), Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables etc., to its corporate clients depending upon their needs.

The Bank has set up MSME cells at all important centres to improve the flow of credit to MSME sector.

The Bank has evolved a strategy to focus on well rated Corporates, Government Undertakings etc.

Accordingly, a database of Government Undertakings has been created and provided to the field functionaries to establish a liaison and explore for a banking relationship with these entities.

(iii) Infrastructure Finance

In view of the various challanges faced by the Infrastructure sector, Bank has adopted a cautious approach for financing to this sector. However, good and viable projects are extended with necessary financial support. Total outstanding infrastructure advances sector stood at 23.40% of aggregate credit and total exposure under infrastructure is well within the prescribed sectoral exposure cap of 32%.

(iv) Retail Credit

Retail lending continues to be the thrust area for credit expansion in view of its inherent advantages such as, risk spread, better yield and scope for cross selling of our Bank products.

The Retail Advance of the Bank grew from ` 29,157 Crore as on 31.03.2017 to ` 36,439 Crore as on 31.03.2018, registered a robust growth rate of 24.98 %. The retail credit portfolio accounted for 30.70% of the Bank's Gross Credit.

Housing Loan and Vehicle Loan portfolio recorded robust growth rates of 30.50% and 21.38% respectively with outstanding level of Housing Loan reaching ` 14,700 Crores and Vehicle Loan reaching ` 3,269 Crores as on 31.03.2018.

Fresh sanctions during the year under housing loan amounted to ` 5020 Crores comprising of 27306 borrowers and ` 1525 Crores under Vehicle Loans comprising 36243 borrowers.

Special Campaign were conducted for various products during the year to create competitive spirit amongst the field functionaries and to garner more business.

Under PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojna)-CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) – “Housing for All” Scheme for Economically Weaker Sections / Low Income Group / Middle Income Group – I / Middle Income Group – II /, the Bank has disbursed ` 318.40 Crores to 2748 beneficiaries.

(v) Education Loan

Utmost importance is given to extend Education Loans to deserving meritorious students. The Education Loan portfolio grew by ` 199 Crores to reach a level of ` 1513 Crores as on 31.03.2018, recording a growth rate of 15.15%.

(vi) Performance under Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector

despite the impact of demonetization, MSME advances recorded a growth rate of 11.06% with outstanding level reaching ` 22002 Crore as at the end of March 2018. Outstanding advances under Micro and Small Enterprise (MSE) sector reached a level of ` 18288 Crore as on March 2018, recording a growth of 13.40%. The performance under Prime Minister’s Task Force as at the end of March 2018 is as under.

Sl. No.	Particulars	Achievement as at March 2018
Target 1	60% of total lending to MSE sector as on preceding March 31st to Micro enterprises	60.25%
Target 2	10% y-o-y growth in number of Micro enterprises	10.61%
Target 3	20% y-o-y growth in credit to MSE Sector	13.41%

The Bank has successfully implemented the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) Scheme with a disbursement of ` 2290 Crore in FY 2017-18 covering 1.69 lac entrepreneurs as against the target of ` 2850 Crore, thus achieving 80.35 % of the target. The Bank showed remarkable performance Under Stand-Up India scheme also with disbursement of ` 422 Crore to 2225 entrepreneurs during the financial year which include 1938 women entrepreneurs.

(vii) Training in Credit Matters

With the retirement and elevation of earlier credit officers, the requirement for well-trained credit officers has been felt by the Bank. In the above direction, in order to build a pool of trained credit officers Bank has initiated credit training programme to the Officers selected from different branches and controlling offices spread across the country.

(viii) Cancellation of Undrawn Exposure

In its efforts to enhance conservation of capital under the Basel-III Capital Adequacy Framework, the Bank is focussing on cancellation of large value undrawn exposures. Such an approach will have a two-pronged effect, i.e., reduced capital allocation and availability of resources for investment in profitable ventures.

5. PRIORITY SECTOR

Total Priority Sector advances of the Bank stood at ` 48364 Crore as at the end of March 2018, constituting 47.70% of the Adjusted Net Bank Credit against the RBI norm of 40%. Total Priority Sector Advances has increased by ` 7774 Crore (19.15%) over March-2017. Average Priority sector credit achievement for FY: 2017-18 was 44.15% of avg. ANBC.

(i) Agricultural Finance

Agricultural advances of the Bank as at March 2018 stood at ` 19521 Crore, constituting 19.25% of the Adjusted Net Bank Credit. Agriculture credit has shown y-o-y growth of 24.88%, with an absolute increase of ` 3889 Crore. Average agricultural credit achievement for FY: 2017-18 was 17.15% of avg. ANBC.

(ii) Kisan Credit Card Scheme

The outstanding level of advances under Vijaya Kisan Card (VKCs) stood at ` 3329 Crore through 175742 accounts as at 31.03.2018. The Bank's Kisan Cards are ATM enabled under RuPay platform.

(iii) Advances to Weaker Sections

As at March 2018, the outstanding weaker section advances of the Bank stood at ` 16089 Crore, which constitutes 15.87% of the ANBC against the norm of 10%.

(iv) Self Help Groups (SHGs)

Bank has accorded top priority to lending to SHGs. Outstanding level under lending to SHGs has increased from ` 698 Crore as at 31.03.2017 to ` 841 Crore as at 31.03.2018.

Bank is actively participating in implementation of Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) in coordination with various State Rural Livelihood Missions. Bank's advance under DAY-NRLM stood at ` 808 Crore benefitting 28963 Women SHGs.

(v) Credit to Women Beneficiaries

Advances to Women beneficiaries stood at ` 11690 Crore as at March 2018 as against ` 9501 Crore as at March 2017, registering a growth rate of 23%. Against the stipulated target of 5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), the Bank's achievement stood at 11.53% of ANBC.

(vi) Lending under Govt. Sponsored Schemes

The credit flow under various Govt. sponsored schemes as at 31.03.2018 was as under:

Sl. No.	Schemes	No of beneficiaries	Loan amount outstanding (` in Crore)
1	DAY-NRLM	28963	808.19
2	DAY-NULM	1090	12.17
3	PMEGP	3971	175.60

(vii) Advances to SC / STs

Total advances to SC / STs stood at ` 2045 Crore as at March 2018.

(viii) Credit to Minority Communities

Advances to Minority Communities stood at ` 6539 Crore as at March 2018, constituting 15.04% of total Priority Sector advances against the stipulated norm of 15%.

(ix) Lead Bank Scheme

Bank is having Lead Bank responsibility in three districts i.e. in Mandya, Dharwad and Haveri districts of Karnataka State. All the Lead District Managers have been effectively coordinating with all Bank branches/Govt. agencies/NABARD in their respective Districts to ensure achievement of targets under Annual Credit Plan, Govt sponsored schemes, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Financial Inclusion, Social Security Schemes, Digital Banking, Aadhaar Seeding, Direct Benefit Transfer Scheme etc.

(x) Crop Insurance

Government of India has introduced Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

by replacing existing Crop Insurance schemes with reduced insurance premium. The Bank has actively participated in the Scheme during Kharif and Rabi Seasons of 2017-18 and covered 104343 farmers under PMFBY.

(xi) VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes)

The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes (VIBSETIs) at Mandya and Haveri in Karnataka state and at Indore in Madhya Pradesh. These Institutes have been conducting various vocational training / skill upgradation / awareness programmes / Entrepreneur Development Programmes etc. All the three VIBSETIs have been graded 'AA', the highest grading by Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, for the Financial Year 2016-17.

During the financial year 2017-18, VIBSETIs have conducted 87 programmes and trained 2399 beneficiaries. Since inception, totally 1624 programmes have been conducted benefitting 63631 beneficiaries. Settlement of trained candidates with gainful self-employment ventures was around 70% as at 31.03.2018.

(xii) Vijaya Rural Development Foundation (VRDF)

Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by the Bank in the year 1990 at Mangalore to provide a platform for developmental programmes and conducting extension activities in rural areas promoting and fostering scientific, educational and extension activities in the field of agriculture, animal husbandry, Rural industries, services etc and also other rural development fields like literacy, self-employment, health & hygiene. VRDF has been conducting various awareness programmes covering a wide range of subjects through the Village Development Councils (VDC). At present, 49 such VDCs are functioning including 5 VDCs formed during FY 2017-18. The activities of the Foundation are spread over Dakshina Kannada, Udupi, Kasargod and adjacent parts of Uttara Kannada district and Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank responsibility.

During the financial year 2017-18, VRDF has conducted 283 programmes benefiting 11094 persons. This is the highest number of programs conducted in a year by VRDF since its inception. Since inception, totally 1969 programmes have been conducted benefitting 121665 beneficiaries.

The following were a few novel programmes conducted during 2017-18:

- Roof rain water harvesting models to give awareness about water conservation among villagers which is the need of the day.
- Popularizing Prime Minister Soil Health Card Scheme.
- Radio classes to 10th Class Kannada medium rural school students in Mathematics, English and Science through Akashavani Mangalore.
- Formation of 50 Vidyarthi Krishika Sanghas to motivate students to develop interest in agricultural profession.
- Distribution of Vegetable seeds.

6. FINANCIAL INCLUSION

(i) Key Achievements

- Bank has been allotted with 1151 Sub Service Areas comprising of 3410 villages and 20 wards on a pan India basis to provide banking facilities. Bank has provided Banking Facilities to these villages through 289 branches and the remaining through Bank Mitras (Business Correspondent Agents).
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with the objective of bringing all unbanked households/ families of the country into

banking fold by providing them with Basic Bank Accounts, RuPay cards with accidental insurance coverage of ` 1.00 Lakh, life insurance coverage of ` 30,000/- and overdraft facility up to ` 5000/- based on the satisfactory transactions in the account.

- As on 31st March 2018, the Bank was having 14.59 Lakh Basic Savings Bank Deposit accounts with total savings of ` 203.43 Crore .
- All active accounts have been provided with RuPay debit cards.
- Aadhaar seeding percentage in PMJDY accounts improved to 90.01% in March 2018 from 88% in March-2017.
- Aadhaar seeding in operative accounts improved to 82% in March 2018 from 62% in March 2017.
- Bank has sanctioned Overdraft facility to 9442 PMJDY account holders amounting to ` 158.00 Lakhs.

(ii) Highlights of the Financial Inclusion activities:

- E-KYC has been enabled in all the branches and also in Hand Held Machines/Micro ATMs.
- RuPay card Off Us transaction has been implemented at all BCA Locations.
- All Micro ATMs are interoperable.
- Cash receipt to SB accounts from third parties without biometric authentication has been enabled in all the HHMs/Kiosks.
- New MIS has been developed to enable the field functionaries and the controlling offices to monitor the performance of the Business Correspondents.
- Control room set up in Head Office to monitor Business Correspondents on daily basis by using MIS reports relating to Day Begin / Day End status, number of transactions carried out etc, through a portal.

(iii) Special Initiatives during the Financial Year:

- Special Drive for Financial Inclusion Initiatives was organized in the month of February 2018 with focus on opening Jan-Dhan accounts for any uncovered individuals and activating any inactive accounts that were opened, for issuing RuPay Card & their activation and Aadhaar seeding & authentication of all operative accounts.
- Bank has sponsored a research project through National Institute of Advanced Studies, Bangalore regarding “Study on boundaries of formal and informal finance as well as nature of Financial Instruments in Karnataka”.

(iv) Vijaya Digital villages

Our Bank adopted 105 villages across India under ‘Vijaya Digital Villages’ project. Out of this 101 villages have been adopted during the current financial year. Shri Arun Jaitley, Hon’ble Minister of Finance, Govt. of India launched this Digital Village project on the 26th of August, 2017. Under the project:

- All the villagers have been covered with Jan Dhan accounts.
- Account holders have been issued RuPay Debit cum ATM cards.
- Digital banking products viz., Mobile banking, net banking and SMS alert facility have been encouraged.
- Account holders are covered under PMSBY and PMJJBY.
- Wi-Fi facility provided in the villages at Bank’s cost.
- Digital banking transactions improved in these villages.

(v) Financial Literacy:

- The Bank has set up "Vijaya Financial Literacy Trust" (VFLT) on 20-11-2015 with the objective of imparting literacy to all the Urban & Rural masses regarding financial matters. The Trust has 18 Financial Literacy Centres (FLCs) which are managed by the Counselors who are retired experienced Bankers.
- The Trust through FLCs conducts various Financial Literacy programmes and credit counseling activities.
- To create awareness on 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' in Rural and Urban areas, Bank has prepared an Audio Film in regional languages for screening at account opening camps and other literacy programmes.
- Financial literacy materials in regional languages are also provided to branches to impart financial literacy to PMJDY account holders and other rural and urban masses.
- Trust is actively participating in promoting social security schemes, such as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Atal Pension Yojana (APY).
- During the year, the Trust has conducted 6923 awareness programmes involving 3,12,977/- participants and extended counseling to 45,786 persons. Out of this, 18,951 persons have opened their bank accounts and 6223 members have enrolled under various social security schemes like PMSBY/PMJJBY and APY.

(vi) Direct Benefit Transfer:

Bank is actively implementing the modified DBTL programme of Govt. of India, by seeding Aadhaar number of LPG consumers into their accounts. SMS alerts are also sent to all the customers regularly for seeding Aadhaar numbers into their accounts through various modes.

(vii) Electronic Benefit Transfer:

Bank is disbursing Social Security Pensions / MNREGA amounting to more than ` 8.00 Crore per month to more than 2.00 Lakh beneficiaries through Bank Mitrs. Our Bank has a separate Financial Inclusion Cell in Mandya District of Karnataka where large number of beneficiaries of various social security pension/MNREGA are having account with our Bank under the then "One District One Bank Model" scheme.

7. TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

Treasury Department performs the crucial function of interacting with dynamic market forces, understanding them and transforming such understanding into profits for the Bank. Treasury provides crucial market inputs and insights to enable Bank to manage its market risk, liquidity risk and asset and liability mismatch.

The Department ensures the maintenance of the statutory reserves of CRR and SLR prescribed by RBI, meets short term liquidity requirements of the Bank in domestic and foreign currencies effectively, manages the SLR and Non - SLR investment book of the Bank, trades in interest rate, equity and forex instruments, utilizes arbitrage opportunities available across markets and also provides crucial market related inputs to asset liability management of the Bank.

Treasury is functionally separated into Front Office, Back-Office and Mid-Office. Front office carries the dealing and borrowing / lending activities, while Back office carries out the function of accounting, valuation and reconciliation of front office transactions. Mid- Office monitors the dealing activities of Treasury to ensure that they are conducted as per laid down Investment policy and regulatory guidelines. To ensure independence in monitoring, Mid-Office reports to Head of Risk Management Department.

A brief of the treasury operations during 2017-18 is given below:

(i) Market Scenario

Interest rates were range-bound during the first half of 2017-18 with the 10 year bench mark bond trading in the yield range of 6.42% to 6.99%. The second half of the year witnessed considerable hardening of yields from 6.65% on October, 03, 2017 to a high of 7.78% on Mar 06, 2018, due to a combination of factors, like hardening outlook on inflation, rising oil prices, worries about Government overshooting its fiscal deficit target and the worries of trade war between US and China. The 10 year bench mark ended the year at 7.40% helped by the Government's rationalizing its bond programme for 2018-19.

Indian stock markets touched all-time high in Jan 2018, fuelled by the domestic investor sentiment, Net FII flows and positive business sentiments, before corrections set in due to the uncertainties on US Fed hike and the trade war fears. NSE Nifty 50 started the year at 9238 levels, touching an all-time high of 11171 points on Jan 29, 2018 and closed the year at 10114.

Rupee opened the year at around 64.86 levels and traded a range of 63.25 to 65.90 during FY 2017-18 before ending the year at 65.14 more or less at the opening levels. While stock market inflows aided the rupee, it was affected by the Fed rate hike worries, the US spats with North Korea as well as the looming threat of trade wars between US and China.

(ii) Investment Book

A sizeable chunk of Bank's resources are managed by Treasury, which is evident from the average investment deposit ratio of 32.01 during FY 2017-18. The Investment book size decreased from ` 44,786.97 Crore as on 31.03.2017 to ` 40,281.86 Crore as on 31.03.2018. SLR investments decreased from ` 40,057.39 Crore to ` 35,251.99 Crore, while Non- SLR investments increased from ` 4,729.58 Crore to ` 5,029.86 Crore during the period. During FY 2017-18, Bank has invested ` 1,277 Crore in the Recapitalisation Bonds issued by Government of India as part of GOI's program of capital infusion.

Average investment was ` 42,768.26 Crore in 2017-18 compared to ` 44,275.16 Crore in 2016-17. Yield on investments during FY 2017-18 was 7.28%, compared to the yield of 7.65% in FY 2016-17.

(iii) Interest Income from the Treasury Operations

Interest income from the Treasury operations was ` 3083.58 Crore in FY 2017-18 compared to ` 3,359.09 Crore in FY 2016-17 commensurate with the decrease in the investment portfolio.

(iv) Profit from the Treasury Operations

During 2017-18, Treasury of the Bank achieved profit of ` 574.80 Crore from its trading activities in G-Sec, equity and forex desks compared to a profit of ` 794.71 Crore during FY 2016 - 2017. The profits were impacted by the volatility in the benchmark 10 year yields caused by hardening inflation outlook and the fiscal worries.

(v) Dividend Income from Equity

The Bank has earned dividend of ` 7.84 Crore during the FY 2017-18 from its equity investments vis-à-vis ` 3.13 Crore in FY 2016-17.

(vi) Funding Activities

The average net borrowing during FY 2017-18 was ` 4,449.22 Crore at the rate of 5.89% compared to ` 6,962 Crore at the rate of 6.27% during FY 2016-17. The borrowing cost has come down by 38 bps compared to last year mainly due to the reduction in policy rates by 25 bps in FY 2017-18 and also through a judicious mix of various borrowing avenues.

(vii) CRR / SLR Maintenance

Bank has complied with the CRR / SLR requirements including the incremental CRR requirements imposed by RBI during the financial year 2017-18.

(viii) Market Risk

The capital charge for market risk stood at ` 642.59 Crore as on 31st March 2018 with RWA at ` 8032.38 Crore, vis- à-vis ` 692.38 Crore as on 31st March 2017 with RWA at ` 8654.75 Crore. The decrease in RWA is due to the decrease in the investment portfolio.

(ix) International Banking

Bank has 36 branches designated to deal in foreign exchange. In addition, Bank has a state of the art Integrated Dealing Room, at HO, Bangalore, equipped to quote rates in 9 major currencies for our customers.

Bank's export credit registered a Y-o-Y growth of 2.86% and stood at ` 1696.46 Crore as at 31.03.2018. Out of the above, quantum of export credit extended by the Bank in foreign currency was USD 43.83 million. For the financial year 2017-18, foreign exchange business turnover of the Bank stood at ` 18350 Crore. Bank's total NRI deposits as at 31.03.2018 stood at ` 4331.61 Crore as against ` 4019.13 Crore as at the end of previous financial year, thereby recording a growth of 7.77%.

During the financial year 2017- 18, the Bank has continued to extend 'Speed/Flash Remittance' facility to Al Ansari Exchange UAE and Al Bader Exchange, UAE and 'Speed Remittance' facility to Wall Street Exchange, UAE to enable the NRIs from Gulf Countries to electronically remit funds to their account with our branches anywhere in India.

NRI Customer Cell set up at Head Office, Bangalore is exclusively catering to the requirements of our NRI customers.

Bank has successfully upgraded various technological support systems by way of integration of process flow of forex transactions into CBS through DMS Software, enhancement in EDPMS Portal of RBI, implementation of IDPMS for capturing and monitoring import related transactions etc. Further, cyber security related issues in SWIFT operations have been addressed and made foolproof.

Besides catering to the entire forex business requirements of Pan-India based customers through Centralized Forex Processing Cell at Head Office with prompt and efficient delivery of transactions, International Banking Division is also ensuring optimum compliance check in executing such complex and diverse nature of transactions.

8. RISK MANAGEMENT

Vijaya Bank has in place a well-defined and robust Risk Management framework. The Risk Management function partners with the Business functions to ensure that capital is used efficiently while driving value, with an appropriate tradeoff between risk and returns. The Risk Management function is divided on the basis of principle risks defined under Basel II Guidelines i.e Credit Risk, Market Risk, Operational risk and Liquidity risk.

The Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the timelines prescribed by RBI. While the Bank, to start with, has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational risk, the initiatives so far undertaken/ envisaged are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel guidelines. The Risk Management Department of the Bank has been bestowed with prestigious ISO 27001:2013 for best ISMS practices in Banking Industry.

As part of further strengthening of Risk Management, the Bank has introduced the following new initiatives during the financial year 2017-18.

- Bank leverages capital optimization techniques to align with the goals and risk profile of the Bank with a focus on Retail portfolios.
- Continuous Improvement in Coverage of Eligible Externally Rated accounts.
- Churning of low quality loan portfolio for better quality loan portfolio.
- Measures such as enforcing individual exposure ceilings for single and group borrowers, maintaining sectorial caps.

- Limiting exposures to stressed sectors.
- Risk Based pricing for loan accounts.
- External and Internal Validation of Rating Models for strengthening of rating models
- Sensitisation of field functionaries on Risk Management by means of Training and e- learning programme.
- Safeguard Banks assets by recommending for appropriate Risk Mitigation measures such as Insurance cover, new safety measures.
- Improvement of systems and procedures by deployment of corrective action plans.
- The risk measurement system is also put in place for all treasury related products i.e derivatives, equity, G-Sec, forex etc approved in treasury policy.
- The stress testing is regularly conducted for trading book as per stress testing framework of RBI and the bank has also created its own scenarios for stress testing as part of IMA guidelines of RBI.
- The back testing is regularly conducted for all VaR models such as Historical Simulation Approach, Variance covariance approach and Monte Carlo Simulation Approach.
- Bank is in the continuous process of implementing Information Security and Cyber security practices by enforcing regulatory guidelines & international best practices to create more secure environment for customers.

(i) Credit Risk

Bank has put in place a Comprehensive lending Policy as well as Credit Risk Management Policy which encompass various aspects such as risk appetite, risk based pricing, risk diversification / mitigation strategy, prudential limit, substantial exposure ceiling, group exposure ceiling, Rating wise exposure ceiling, preferred sector growth strategies, credit approval process, documentation and security standards, security valuation etc. These policies are revised periodically based on corporate goal and business plans of the Bank.

The stress tests for Credit Risk are carried out on a half yearly basis which covers scenarios such as credit portfolio to stress like increase in NPAs, slippage of restructured standard accounts, downgrade in Counter-party rating, depletion in collateral, etc.

Further, Bank has put in place a comprehensive risk rating/ scoring system which serves as a single point indicator of diverse risk factors on the counterparty and to facilitate execution of proper and consistent credit decisions. Bank has evolved separate risk scoring models for Housing /other Retail lending sectors and endeavors higher coverage in risk rating exercise. Rating migration analysis in respect of credit exposures of ` 1.00 Crore and above is conducted on half yearly basis. Bank is conducting risk rating of all retail and non-retail loans by using CRISIL RAM software which is Basel II compliant. The software facilitates Bank to maintain the credit quality and also to support efforts of the Bank in translation towards advanced approach of Basel II by ensuring that prior to sanction of loans, all type of exposures is covered under risk rating process. In addition to this, Bank has also implemented the interface between CRISIL RAM and CBS(Finacle). Hence, unless the rating is being carried out, branches cannot open the loan accounts in finacle system. Bank has taken the required initiatives to move towards FIRB (Foundation Internal Rating Based) approach in credit risk. In this regard, validation of the rating models has been done for credit risk and the Bank is in the process of calibrating the parameters for various risk grades.

(ii) Asset Liability Management (ALM) and Market Risk

ALM and Market Risk of the Bank is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and Market Risk Management Committee

(MRMC) respectively. Appropriate tolerance limits have been stipulated for mismatches in different time buckets, both for managing liquidity and interest rate risks. These are being monitored at fortnightly intervals and also appraised to the Board of Directors.

The market risk exposure is measured by tools like VaR (Value at Risk), AGL (Aggregate Gap Limit), and Duration gap analysis. Exposure limits for all countries have been put in place to manage and monitor the country risk. Mid-office closely monitors the treasury transactions on regular basis to monitor compliance and advises for taking corrective actions.

The Bank has applied to RBI, seeking their approval to implement Internal Model Approach (Advanced Approach) for Market Risk.

The Duration Gap Analysis is implemented for assessing the possible impact on market value of equity (net worth) using 200 basis points shock on interest rate curve.

Interest Rate Risk on entire portfolio is identified and measured through Earnings at Risk (EAR). Sensitivity analysis is also conducted and reviewed by the top management. Contingency Funding Plans, Prudential Ratios / Limits have been set and actual position is monitored as part of Liquidity Risk Management. Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex risk, etc on different scenarios are carried out on quarterly basis and appraised to Asset Liability Committee (ALCO). To monitor short term liquidity, the Bank is preparing the ALM statement of Structural Liquidity on daily basis.

Bank is calculating Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Leverage ratio at prescribed intervals. Bank's Liquidity Coverage Ratio (LCR) stood at 129.94% as on 31.03.2018 against the minimum LCR of 90% as on 31.03.2018 and Bank's Leverage Ratio stood at 6.26% as on 31.03.2018 against the RBI's indicative ratio of 4.50%.

(iii) Operational Risk

Bank has put in place a well-defined Operational Risk Management Framework to effectively identify, measure, manage and address Operational risks. The Bank has also put in place a framework required for implementation of The Standardized Approach (TSA). The governance of Operational Risk Management is monitored by Operational Risk Management Committee (ORMC), which reviews the operational risk loss event data, new products, processes and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/ preventive measures to strengthen the internal system and procedures. In order to mitigate Operational risks, several thematic studies have been conducted for frauds committed in loan and deposit portfolios, so as to identify systemic deficiencies from Risk Management angle. Further, in order to move towards advanced approaches, Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing the same and improving the coverage area for management of Operational risk. The risk drivers and the root cause for operational risk loss events are identified and appropriate risk mitigation plans are devised and informed to stakeholders for compliance.

The Bank is one of the founding members of M/s Cordex India Pvt Ltd, a loss data consortium formed under the aegis of IBA with the sole aim to enrich Bank's loss database.

The Bank has been permitted by RBI to assess Operational risk capital under The Standardized Approach (TSA) - (Parallel run w.e.f March 2015).

(IV) Basel-II & Basel III Compliance

In compliance with the RBI guidelines, Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Gap for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Bank has complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2018 stood at 13.90% (including CCB), which is above the minimum stipulated norm of 10.875% including Capital Conservation Buffer (CCB). Further, Bank has also complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2018 stood at 13.32%, which is above the minimum stipulated norm of 9%.

The Bank has formulated its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy which is revised from time to time based on the modification in RBI guidelines, industry best practices and external validation of the ICAAP documents. The ICAAP Document is compiled and submitted to RBI on half yearly basis. The external validation for ICAAP framework is conducted and recommendation of the external agency is incorporated as part of the Bank's endeavor to leverage best practices in the Industry.

(v) Integrated Risk Management System (IRMS) Project

In order to facilitate smooth and effective compliance of Basel-II norms, the Bank has taken up implementation of Integrated Risk Management System (IRMS).

The unique IRMS Project consists of six solutions, viz. Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution.

As part of the implementation and ongoing awareness drive for risk management, Bank has identified nodal officers for 32 Regions who are instrumental in implementation of risk management initiatives. The nodal officers have been sensitized on various dimensions of risk management through train the trainer concept.

(vi) Basel III and Capital Adequacy

The Bank is well capitalized with a CRAR ratio of 13.90% under Basel III against a minimum regulatory capital of 10.875%. During the financial year 2017-18, the Bank has augmented its capital position by raising Common Equity Tier- I Capital amounting to ` 700 Crore (including premium) through Qualified Institutional Placement (QIP) of Equity Shares, fresh infusion of equity share capital from Government of India amounting to ` 1277 Crore (including premium) and by internal accruals has retained earnings (reckoned for regulatory capital) to the tune of ` 538.67 Crore. The Capital Adequacy Ratio improved to 13.32% (as on 31.03.2018) as compared to 12.95% (as on 31.03.2017) under Basel II norms. Further, the capital adequacy under Basel III has improved to 13.90% as on 31.03.2018 from 12.73% as on 31.03.2017. The relative components of the capital are furnished as under:

(` in Crore)

Basel III	31.03.2017		31.03.2018	
	Amount	**Ratio**	**Amount**	**Ratio**
Common Equity Tier I Capital*	7327.49	8.44%	10153.68	10.36%
Additional Tier I Capital	1319.89	1.52%	1325.00	1.35%
Tier I Capital*	8647.38	9.96%	11478.68	11.71%
Tier II Capital	2404.11	2.77%	2145.75	2.19%
Total Capital*	11051.49	12.73%	13624.43	13.90%
Risk Weighted Assets	86798.93		98024.80	

* includes Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.25% as on 31.03.2017 & 1.875% as on 31.03.2018

9. ASSET QUALITY

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. It initiated and continued to emphasize various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress / likely default in dues are identified and treated as Special Mention accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured on merits, with additional need-based credit limits considered in deserving cases. Viability study are conducted in respect of SME accounts slipped to NPA and are brought under nursing wherever feasible within a time frame.
- Special Recovery Cells are formed at RO's for systematic follow up of NPA accounts. Centres wherever DRT's are functioning, Nodal Officers are designated, who keeps regular liaison with the presiding officer and the bank's advocate for speedy disposal of the cases.
- Declaration of willful defaulters and taking stringent recovery measures, including legal actions like Securitization and submitting the names to RBI are done.
- Services of Lok Adalats are resorted for speedy recoveries of impaired assets and 725 number of accounts was settled in Lok Adalats for amount of ` 9.41 Crores.
- Business Correspondents were engaged for recovery of NPA accounts under agriculture and priority sector in rural areas and recovery was made in 1688 number of accounts amounting to ` 19.40 Crores .
- Four Recovery Centres were established at Hassan, Hubli, Kalaburgi and Mysore with 1 Centre in Charge and 3 Recovery officers in each centre.
- All ` 10.00 lakhs and above NPA accounts are reviewed by the Top management through video conference with the Regional Heads and guiding them for the speedy recovery.
- As per the Recovery policy of the bank, 'Vijaya Adalats' are regularly conducted at various centres for speedy recovery involving a cluster of branches having large number of NPA accounts and accounts are settled in the Adalats on the spot. During the year, Bank could settle ` 121.30 crores in 8562 accounts by way of settlements till 31.03.2018. A separate portal is used for recording the details of Adalat conducted at Regional office and Branch and for effective monitoring of the performance under Adalat.
- The services of retired officials of our Bank/ PSU banks are also engaged for recovery of the dues of the bank as per the latest policy of the Bank.
- To have focused attention on recovery in NPA accounts under Agriculture and MSE sectors, bank has introduced Special OTS for Agriculture loan accounts and Special OTS for plantation of coffee & pomegranate and special OTS for MSME loan accounts which was in force till 31.03.2018.
- Bank has a special OTS named "Vijaya Runa Mukti Yojana" scheme for the Priority sector loans upto ` 10.00 lakh.
- Appointment of Recovery Agents in respect of NPA accounts other than those covered under SARFAESI Act**.**
- Action initiated under SARFAESI was taken to the logical end either by recovery or upgradation of the account. During the year, Bank could recover ` 1118.42 crores in 6917 accounts till 31.03.2018.
- Bank has formed exclusive wings named 'NPA war room 1' and 'NPA war room 2'. Fresh NPA accounts/sub standard/other retail NPA accounts are being followed vigorously with branches/borrowers for recovery by staff at war room 1' and doubtful in loan accounts are being followed vigorously with branches/borrowers for recovery by staff at 'war room 2'.

- Department started new initiative of 'SKIP TRACING' for obtaining additional details of NPA borrowers so as to locate the borrowers at the new addresses for follow up and recovery.
- Separate recovery portal is used for contacting and recording the details so that all NPA accounts are followed up.
- Recovery agents are engaged to recover Doubtful and Loss assets.
- Conducting Video conference with Regional Managers by the Top Management on fortnightly basis on NPA recovery.
- Junior advocates are engaged for speedy execution of EP in decreed cases.
- In all centres wherever DRTs are functioning, Nodal Officers are designated and instructed to keep regular liaison with PO/ ROs for speedy disposal of the cases.
- All the compromised accounts approved under OTS scheme as per Recovery Policy of the Bank are followed up for immediate recovery as per terms of approval.
- Eligible accounts are referred to NCLT under Insolvency and Bankruptcy (IBC) act.
- Conducting Video conference daily with Regional Managers of two regions by the Top Management on performance of seizure agents and portal for monitoring the same is under process.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2018 stood at 6.34% of total advances, while net NPA ratio was 4.32% to net advances. During the year 2017-18, Bank could effect total cash recovery of ` 1252.73 (including interest) and upgraded NPAs amounting to ` 876.57 crores. Further, the Bank also made provision of ` 2,442.65 crores for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of ` 71.35 crores as on March 31, 2018. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2018 worked out to 59.39%.

10. DIGITAL BANKING

The Bank is always in forefront to offer its products and services to the customers based on latest technology. This helps the Bank to increase the customer experience and satisfaction. During the financial year 2017-18, the Bank has introduced / upgraded its product and services as per the latest available technology. The Bank's instinct to adopt technology and to offer latest products and facilities to customers helps the Bank to stay competitive in the industry. The following are some of the IT based main initiatives taken by the Bank during the year.

(i) Internet Banking

The Bank has upgraded its internet banking i.e., V-Net Banking and it is now responsive i.e. it can be seamlessly used on laptop, mobile or any hand-held device. V-Net Banking is providing services like balance enquiry, account statement, intra-bank and inter-bank fund transfers through RTGS/NEFT/IMPS, transactions related SMS alerts, payment of Indirect / Direct taxes, State commercial Taxes, utility bill payments, online temple donations & online donations to Prime Ministers Relief Fund (PMRF) and others. The add-on features of V-net banking are :

- Online FD/RD account opening.
- Password can be reset online.
- Creation of User-id and Password credentials online.
- Customers can view their PPF account and transfer funds to PPF Account from their linked operative accounts using V-Net Banking facility.
- Customer can view their Vijaya Bank Credit Card statement.
- Customer can pay Import & Export custom duties.
- Customer can prefer the language i.e., Hindi/ English.
- Online Trading in Co-ordination with IDBI Capital.
- Corporate V-Net Banking users have the facility of Bulk / Salary upload.

- Customer can choose Software / Hardware Token to secure the V-Net Banking transactions.
- Customer can perform e-filling of the income tax returns filed.
- Customer can block and unblock V-Net banking by sending SMS to NETB / NETU.

(ii) Mobile Banking

Mobile Banking services were introduced by the Bank in the year 2009. V-Mobile Banking, the channel of the Bank for performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra and interbank funds transfer using NEFT, Mobile Recharge, DTH recharge etc., with their mobile handset using GPRS mode of communication. "Immediate Payment Service" - IMPS (P2P-Person to Person), an initiative from NPCI (National Payment Corporation of India) has been implemented for the benefit of the customers using Mobile Banking services to perform the transactions 24x7 within and across the banks using beneficiary's mobile number and MMID (Mobile Money Identifier). IMPS (P2A - Person to Account) is implemented in Bank's existing Mobile Banking services, wherein the customers can do funds transfer using beneficiary's A/c No. and IFSC.

The Bank has launched new version of Mobile Banking with enhanced look and feel, and additional features like facility for customers to receive notifications from the Bank, add remarks to fund transfer transactions, to generate application password by themselves, and a host of other customer friendly options. The mobile banking is made available in bilingual (Hindi & English).

The Bank has also enabled both the options of IMPS merchant payment i.e PUSH and PULL. Bank's Mobile Banking offers the facility to do online merchant payment on any biller site under IMPS options using their MMID, Mobile Number and OTP.

(iii) Missed Call Services (FreeBuzz)

Bank is providing missed call services to the customers and enable them to know the account balance and mini statement. The ease of giving missed calls with zero charges provides a huge advantage to the customers.

(iv) V-FeeHive

Bank's in-house software development team has developed a unique application for collection of fees for Educational Institutions, collection of monthly maintenance fee by Apartments and collection of fees by Clubs, etc. It is equipped with unique features like integration of other payment channels like debit card, credit card and internet banking. Prestigious institutions like IIM-Kozhikode, Army Public School-Delhi, Yenepoya College- Mangalore and Mount Carmel College - Bangalore are availing this service. The application was implemented for various new institutions in the year including Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, MSRIT Bangalore, Motilal Nehru National Institute of Technology and Vasavi Pearl Apartment.

(v) V-ePassbook+

The Bank's in-house software development team has developed mobile application for accessing account details / to view transaction details. The application is loaded with additional customer friendly features like facility to add notes to each transaction, facility to maintain various personal account heads and to add pass book transactions to these accounts on a single click, etc. A Page with latest offerings and information like interest rate of the Bank with links to reach the website of the Bank and facility to refer us to a friend is also available in this application. New version of the software V-ePassbook+2.0 with attractive features like reset of password online, maintain financial calendar, locate our branch/ATMs, display details in Hindi/Kannada languages etc. released during the current year.

V-ePassbook+ - an electronic version of passbook which enables the account holders to maintain their pass book on their mobile devices

The salient features are

- Maintain passbook of multiple accounts
- Avail the facility without any request or visit to the Branch and to update with account Information at any time wherever you are.
- Sync with Bank data whenever you like over mobile network and use in offline mode also
- Make personal notes on each passbook entries.
- Maintain personal accounts and to tag transactions of passbook to it.
- Record transactions occurring outside the Bank also in these personal accounts.

(vi) BHIM Aadhaar Vijaya

The features of the BHIM Aadhaar Vijaya product are:

- Accept real time payments directly to your account. No need to spend time to deposit cash into your account.
- Escape from hassles of receiving payments in cash. No risk of forged notes
- Get transaction reports and keep track of your business
- Card-less transactions: All that the consumer needs is his Aadhaar number.
- Safe and Secure

(vii) BHIM VIJAYA UPI

BHIM Vijaya Unified Payments Interface (UPI) is an instant payment system built over the IMPS infrastructure and allows for instant transfer money between any two parties' bank accounts.

The following are the features of the BHIM VIJAYA UPI

- One single App for Multiple Bank Accounts.
- Vijaya Bank or Non Vijaya Bank customers can send money or ask for money using the Vijaya Bank UPI app, without knowing their bank account details.
- Transfer funds to a Virtual Payment Address (VPA).
- Option to send money using Account No/ IFSC or Mobile Number/ MMID (Mobile Money Identifier)
- Add beneficiary instantly by just using Virtual Payment Address (VPA). No need to remember or enter the bank account number and IFSC
- Request money from anyone using the sender's Virtual ID
- Fund transfers are instant, 24*7, 365 days and take place in a completely safe and secure way.
- Customer can freely share the UPI financial address with others without fear of misuse.
- Customer can choose to create multiple virtual addresses for multiple accounts across banks.
- PAY and collect using IMPS.

(viii) V-eConnect+

V-eConnect+ is a single app which aggregates various e-products of the bank with the following features

- Quick Links to all Mobile Apps
- Quick Links to all Websites
- Missed Call Services
- Net Banking

- Debit Card
- Rates
- Social Banking
- Locate Us
- Loan and Deposit Calculators
- Holidays
- About us & Contact Us

(ix) Toggle Debit Card:

Debit card protection has become an utmost need and the easiest way to achieve debit card protection is providing control of the card to the customer. By empowering cardholders to control their cards from a smartphone, Cardholders can lock or unlock their cards with a single touch. They can control personal and dependent card usage by location, regions on a map, individual merchant, merchant type, transaction categories, and spend limits; act instantly on real-time transaction alerts and respond to fraud alerts; manage transactions by tagging, memo, merchant receipt capture, and dispute fraudulent transactions.

Using the Toggle Solution offered through V-eConnect+ Users can:

- Manage and control multiple cards using a single app.
- Switch off a card temporarily and switch it back on when needed.
- Customize transaction types and spending limits.
- Turn on safe mode to allow a single transaction at a time.
- Configure transaction alerts.
- Control cards based on location by using geo fencing.
- Block and unblock Internet Banking at their convenience.

(x) ToggleV-NetBanking

The Bank always trying to add security features to its digital banking products for the protection of the customer without compromising on the simplicity of its usage. Toggle V-Net banking introduced to provide the facility of disabling and enabling of Internet banking (V-Net banking) from customer end point. This facilitate the customer to lock his internet banking facility from its V-Connect+ app available on the mobile of the customer.

(xi) Social Media Banking

Customers using social media like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn can also avail Banking Services.

Social Media Banking offers the following features through Facebook and Twitter:

- Customer registration
- Account Balance
- Mini statement
- Fund Transfers
- Bill payment

(xii) SMS alerts/e-mail

The Bank also offers SMS alert service. Messages are sent for all transactions of ` 1 and above and on return of cheques. Monthly statement of account through e-mail to account holders who have registered the e-mail ID has been implemented. Transaction alert mails are also now being sent to the registered email ID of the customer with a copy to branch and corresponding regional office while opening or closing deposits of ` 1 Crore and above.

- Adding beneficiaries in V-Net Banking through SMS – OTP (One Time Password).
- Online Resetting of Password in V-Net Banking through SMS - OTP.

- Self-User Creations for Retail Customers using SMS - OTP along with other security features.
- Advisory SMS/mails to customers
- SMS to deposit holders about closures

(xiii) V-GyanSagar

V-Gyansagar is a unique initiative by the Bank to impart financial information to the public as part of financial literacy. V-Gyansagar is an Android mobile application which provides the subscriber a facility for getting daily updates on Financial, Economic and Banking news and also explanation of Financial and Banking terms.

(xiv) V-Abacus

A facility to open account by giving a missed call and opening of account through Tab Banking was implemented. This will be useful for the customers who could not come to branch and open an account.

(xv) V-QuickPay

V-QuickPay is a unique initiative of the Bank and is the next generation bill payment service where the Bill payment is made by scanning of QR code. Customer has to scan the QR code on the Bill generated by the merchant who has availed this facility from us, and proceed with the payment of the bill without having to swipe the Credit/Debit card on the POS machines. It facilitates Payment by way of Credit and Debit Cards and also net banking of any Bank.

(xvi) V-OnlineSB a/c

An option to open online SB account was introduced through the Bank's website 'www.vijayabank.com' Customer has to choose account opening at his/her place of choice and at his/her convenience. Branch receives an automated mail with regard to the customer's request; branch will call the customer and inform the required documents and procedures. Customer will visit the branch on his/her chosen date and submits the necessary documents and opens the account.

(xvii) Internal Control

The Bank has well documented IT and IS Security policies, Internet Banking Policy, IT Procurement Policy, Internet usage Policy, e-mail policy, Business Continuity Policy, Disaster Recovery Policy, Outsourcing Policy etc., covering wide range of functions at the field and administrative levels. Adequate controls are also built in to mitigate the risks associated with each of the activities. IT policy and IS policy was revised during 2017-18. Separate policies have been brought out for Incident management, Vulnerability and penetration test as part of IS Security policy.

(xviii) Security Operation Center

The bank has established Security Operation Center with Security Information and Event Management Solution (SIEM) and Correlation tool, to help the Bank in blocking/ mitigating the attacks procedurally. As part of the Common procurement process for implementation of SOC, Bank has procured the below solutions to strengthen the Security Infrastructure.

1. Web Application Firewall
2. Database Activity Monitoring Solution
3. Network Behavior Analysis Solution
4. Privileged Identity Management Solution
5. Anti- Advanced Persistent Threat Solution
6. IT Governance, Risk & Compliance

(xix) NACH(National Automated Clearing House)

National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented "National Automated Clearing House (NACH)" for Banks, Financial Institutions, Corporates and Government a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive

and periodic in nature. The Bank has implemented Automated Process for generation of Aadhaar-Mapper and OMC DBTL (Option-2) files for NACH Project.

(xx) Disaster Recovery

The Bank has implemented Integrated Human Resources Management System, Integrated Treasury Management System and Integrated Risk Management System and are integrated with the Core Banking System. ITMS project has met all the objectives with the setting up a DR in Mumbai. HRMS has also met most of the objectives with setting up a DR set up in Mumbai.

(xxi) Software Token

The Bank has introduced Software token as an additional mode of two factor authentication [2FA]. Soft token is a mobile application which generates one time password (OTP) in lieu of SMS OTP, for authenticating transactions in Vijaya Bank Internet Banking. It generates OTP instantaneously and eliminates the need for SMS OTP. The mobile application is PIN protected to prevent its misuse by unauthorized person possessing your mobile.

(xxii) Hardware Token

Bank is providing Hardware Token to high valued corporate customers, who can generate the OTP on the Hardware Token by just a click on the button. The OTP can be used for beneficiary addition, fund transfer etc.

(xxiii) BBPS (Bharat Bill Payment System)

BBPS is being offered through V-Mobile banking and following features are available as part of BBPS

- The system is accessible anytime from anywhere, making it convenient for the customers.
- The system provides on the spot payment confirmation making it easily verifiable.
- The customers will enjoy the facility of payment of bills anywhere and at any time just by connecting to the BBPS network, online or through agents.
- The bank branches, ATMs, Customer Service centres, etc., could be the outlet of BBPS. A customer could make payment from any BBPS outlet.
- Security and reliability could be entrusted in the customers with the use of this system.

(xxiv) BHARAT QR – VPAYQWIK MERCHANT APP

The User process flow for Bharat QR is as below:

- Customer will open VPayQwik App and select Bharat QR Pay option.
- The feature allows customer to scan the QR code of merchant.
- Scanning the QR Code will show merchant information such as merchant name & ID.
- Customer can fill in the Amount and submit the transaction.
- The amount will be debited from customer VPayQwik wallet and request will be routed to respective merchant acquirer.
- Merchants could be of Visa/Master/Rupay/VPayQwik.
- If transaction is ONUS transaction, then it will be settled with in our ecosystem and success response will be sent to customer & merchant.
- If transaction is OFFUS transaction, then it will follow the similar procedure of settlement which is being used in POS transactions.

(xxv) BHIM Vijaya UPI QR Solution

- Customer uses BHIM Vijaya UPI to make payments to nearby grocery store or any petrol bunk [HPCL].
- After the purchase, grocery store owner can seek customer to pay through static QR code or can

generate a dynamic QR code using PoS application with the payment details for accepting payment through UPI.

- Customer opens the UPI application on mobile and scans the QR code on the PoS device or on the bill printed by the PoS or the static QR displayed at the merchant outlet.
- UPI application takes customer straight to pay screen with all values pre-populated from the QR.
- Customer verifies the info on screen and clicks pay to complete the payment.
- Both merchant and customer gets confirmation instantly.

(xxvi) ATMs

To reach out its vast expanding customer base and geographical area, the Bank has opened 154 new ATMs during the year 2017 -18 at various parts of the country, recorded a Y-o-Y growth rate of 44% compared to the last financial year. With this the total number of ATMs increased to 2155 as at the end of March 2018. As per RBI guidelines all the existing ATMs and newly installed ATMs of the Bank have to be calibrated for new ` 200 currency denomination and the calibration process is going on. Post demonetization, Bank procured mobile ATM Van and made it operational which is successfully catering to customer's cash requirements at public places, like exhibitions, Melas (e.g. Digital Dan Mela) etc. in and around Bangalore city and nearby towns. This service is offering high level of flexibility to serve the customers.

Bank took one step ahead of its peer banks in helping for a social cause by sharing ` 0.50 for every successful financial transaction towards the CSR activities of the bank which added one more fine reason to choose our bank ATMs by public. This helped to increase bank's brand name and image in the public. To increase the efficiency of ATMs by reducing cost and operational time of ATMs per customer, all Onsite ATMs have been brought back from CRA (Cash Replenishment Agency) to the base branch making the corresponding ATMs as profit centre. The bank also takes care to maintain good ambience at all its ATMs by keeping it clean & neat with all necessary guidance for customers and with necessary security measures which helps to increase the customer experience.

(xxvii) RTGS & NEFT Services

RTGS and NEFT services are available to the Bank's customers from all its branches. The customers can enjoy the benefit of immediate inter-bank and intra bank fund transfer facility. The centralized payment systems, viz. Real Time Gross Settlement System (RTGS) and National Electronic Funds transfer (NEFT), provides for only direct membership. However, RBI has expanded the sub-membership route to enable all licensed banks to participate in NEFT and RTGS systems. The sub-member/s would participate in the centralized payment systems through their sponsor bank which is a direct member of the centralised payment system. As per the directives of the RBI, the Bank has entered into an agreement with Shimsha Sahakara Bank Niyamitha, Maddur and Lokapavani Mahila Sahakari Bank, Mandya for using our RTGS/NEFT services as sub-members.

(xxviii) IMPS

IMPS is an emphatic tool to transfer money instantly within banks across India through mobile, internet etc which is not only safe but also economical both in financial and non-financial perspectives. This service is available 24x7, throughout the year including Sundays and any bank holiday. IMPS system allows customers to carry out transactions through mobile and internet banking, the same is being offered through V-Mobile and V-Net Banking to all customers.

(xxix) Merchant Enrolment:

In line with the move for digitization, the Bank has enrolled large number of merchants and installed 4224 PoS machines during the year. The total number of PoS Machines installed at the end of the financial year 2017-2018 stood at 9359 as against 5135 machines in 31.03.2017. The Bank is also providing cordless card swiping machines and the terminals are EMV/UKPT/TLE compliant. All PoS machines of the Bank are Aadhaar enabled.

(xxx) Credit Card

At the end of the financial year, the total cards issued by the bank stood at 61246. The Credit Card turnover for 31.03.2018 is 1564.70 Crore as against the turnover of 993.49 Crore in the previous year, registering 58% growth. To provide better & value added services to card holders the credit card systems were migrated to a new system to provide more facilitates like Credit Card Customer Portal, EMI option for card transactions etc. The Customer portal can be used to view transactions, generate statements, generate pin etc.

A new generation Vijaya Bank Credit Card mobile application has been developed for both android and IOS mobile operating systems. The app can be used to manage card, blocking/unblocking international transaction usage, view transactions of main & add on cards, generate statement, Service requests, etc.

The bank has started issuing higher end Rupay Platinum & Select Credit Cards. The Rupay Credit Cards have free airport lounge facility, various discount offers & personal accident coverage of upto ` 10 lakh.

The credit card application procedure is made online for our branches and this would facilitate faster issue of Credit Cards.

(xxxi) Debit Card

The Bank is issuing Debit Cards in association with both VISA & RuPay. Inorder to express our support to the Make in India campaign of Govt. of India, the Bank has taken a conscious decision to promote RuPay Debit Cards, a brand of National Payments Corporation of India (NPCI) amongst the Bank's customers. Bank is also issuing RuPay Platinum Debit Cards both Domestic and International Debit Cards to all its customers.

The Bank's Debit Card & Prepaid Card Business has increased by 33.79% in FY2017-18 as against the previous financial year FY2016-17.

There has been considerable increase in the number of Debit Cards during FY2017-18. The details of debit cards issued in the financial year 2016-17 and 2017-18 are as furnished below.

Debit Cards Issued	FY2017-18	FY2016-17
Total Debit Cards Issued during the financial year	9,51,518	14,46,281
Debit Cards issued to PMJDY accounts	46,024	57,556
Total number of debit cards excluding those issued to PMJDY accounts	9,05,494	13,88,725

(xxxii) Green Pin for Debit and Credit Cards

In order to promote paperless banking, the Bank has introduced Green PIN facility for Debit Cards & Credit Cards. Customers can re-generate pin for debit & credit cards instantly through this facility.

(xxxiii) Remittance and Collection for GST:

The Bank has implemented the facility for GST challan collection for the customers and facility for GST charges collection for the services provided by Bank. The Bank has also implemented the State Tax Collection for Tamil Nadu Inspector General of Registration (TNIGRS), Assam State Tax collection and Rajasthan Online Payment.

11. INTERNAL AUDIT & SUPERVISION SYSTEM

The Bank has a well-defined Internal Audit Policy covering Risk Based Internal Audit (RBIA),

Concurrent Audit, Information System Audit, AML/ KYC Compliance, etc. The Audit Committee of Executives and the Audit Committee of the Board oversee the internal audit and control functions and guide the Bank in developing and implementing effective systems with positive and timely interventions.

10 Regional Inspectorates situated at different places of the country examine adherence to the laid down Systems, Internal Controls, Policy and Procedures by branches and offices in accordance with statutory and regulatory requirements. During 2017-18, RBIA was conducted in 1443 branches / units and 88% of the audited branches have secured “Low Risk”. The 10th Regional Inspectorate at Lucknow was inaugurated during the current year.

RBIA is supplemented with Concurrent Audit of special branches and high risk areas on a continuous basis. During the year, 437 branches / offices, encompassing 80% of Bank’s business, were covered under Concurrent Audit against 50% stipulated by RBI.

Information Security Audit of all service branches and Retail Asset Central Processing Centres (RACPC) was conducted by CISA qualified officials. Performance evaluation of 27 outsourced service providers was carried out by the staff of the Bank. Besides, audit of 9 outsourced financial activities is being carried out by our Bank’s staff and soon it will be completed. Bank has also introduced a system of Sustenance Audit to strengthen oversight and improve checks and balances. During the year, Sustenance audit was conducted in 150 branches. Further, surprise inspection was conducted in 111 branches.

(i) Web Based Audit (eRBIA):

The Bank has implemented web based audit (eRBIA) with effect from 1st October 2016. Under e-RBIA, the entire audit process such as audit planning, allotment of branches to Internal Auditors, fixing of mandays, actual conduct of the audit, scoring matrix under Business, Control & Composite Risks, Risk Rating of branches, preparation of detailed RBIA Report, identification of account-wise deviations & deviation-wise accounts, preparation of synoptic report, rectification of comments, submission of Final Rectification Certificates (FRC) are made system-driven. This ensures very high data / audit integrity and significant reduction in mandays. Since the Web Based Audit is an on-line audit, the audit observations can be viewed by all concerned on a real-time basis for immediate spot rectification of comments. Hands on training for all the Regional Inspectorate Officials, Branch Heads, ABMs and officers handling inspection department at RO level is imparted yearly and all new developments(if any) are covered in the programme.

For the year 2017-2018, the Bank hired our ex officials/Executives up to Scale IV as internal auditors on contract basis for conducting the RBIA as per the guidelines of RBI. Our Regular Internal Inspectors will accompany these Internal auditors for audit of the Branch/Offices. Performance evaluation is being done for all the internal inspectors including retired officials as per the evaluation matrix in terms of HOC 17079.

(ii) Web Based Audit (Concurrent):

The Bank has implemented web based audit (Concurrent) with effect from 1st of July 2017. The branches are selected on yearly basis as per Business parameters like Deposits and Advances covering more than 80 % of the Bank’s total business against the stipulated 50% by the Reserve Bank of India. The selection of Concurrent auditors is done on a yearly basis as per the extant guidelines laid down by the RBI. The selection process of CISA/DISA qualified Concurrent auditors starts in the month of May every year and concludes before 15th of June and auditors will been selected for the period of 1 year commencing from 1st of

July till 30th of June. Performance evaluation of the Concurrent auditors is being carried out on yearly basis by ROs & RIs. Under this, the branches undergo the process of Concurrent audit every month. All the 'High Risk' branches, Service Branches, all CBBs, RACPCs and selected HO departments are also subjected to Concurrent Audit.

(iii) Control Unit

The Control Unit at Head Office and all Regional Offices monitor customer transactions under 87 major alert indicators. Workshops on Control and Review Mechanism were conducted during the year at all Regional Offices to sensitize the officials at branches and for Nodal Officers of Control Units of all Regional Offices.

(iv) Control Unit Reports Portal

Bank developed 87 various reports for the Offsite Surveillance Cell of Internal Audit & Supervision Department where the Cell can generate the required reports depending on the periodicity specified to identify the frauds at early stage and income leakage.

12. FRAUD MONITORING & VIGILANCE

(i) Fraud Monitoring Cell

Bank has an independent Fraud Monitoring Cell, which is functioning as per the RBI guidelines on Frauds Classification and Reporting. During the financial year, 19 frauds amounting to ` 31.02 crores were reported to RBI. All frauds involving ` 1.00 lakh and above are systematically analysed in terms of modus operandi and system lacuna, if any, and reports are submitted to the RBI in time. Police / CBI cases are filed in respect of all such fraud cases. Fraud cases involving ` 1.00 lakh and above are placed before the Board and Board instructions / guidelines are implemented. Quarterly review of fraud cases is made by the Audit Committee of the Board. A review of large value frauds of ` 1.00 crore and above is placed before the Special Committee of the Board at periodical intervals. Latest position / progress in all the fraud cases are reported to RBI on quarterly basis. Periodical guidelines / instructions are issued on fraud prevention measures and system improvements.

A Study visit of the Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha was held on 19.04.2017 at Mumbai on Frauds classification and reporting by Commercial Banks and Select FIs and bank has attended the said Committee meeting.

(ii) Vigilance

The Vigilance Department at Head Office is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Executive Director who is presently on deputation from Punjab &Sind Bank. The Vigilance Department oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines given by Central Vigilance Commission. In addition, Vigilance Department carries out random vigilance inspection of branches and Controlling Offices, concentrating on preventive vigilance through Field Vigilance Officers (FVOs) stationed at Regional Offices. The preventive vigilance inspection is being conducted through in house software "Vigilance One". In order to adopt better preventive vigilance mechanism, we have

- Customized the questions templates of the portal in the area of Loans and advances, Office Accounts, Staff related matters, Expenses head and cash related matters etc.,
- Customized the prioritizing of the Branch visits based on Branch's Risk parameters.

The live testing of in - house software developed at the initiative of Vigilance Department to automate the total process of investigation right from ordering the investigation till passing of final orders has been completed by Internal Audit & Supervision and Vigilance Departments.

We have also customized the Standard Public Grievance Redressal System (SPGRS) portal of

our Bank to receive vigilance related complaints from general public. A Job Card on how to lodge complaints has also been provided at the website so as to facilitate general public in lodging of vigilance complaints. The portal is made available in the corporate website of the Bank.

As part of Preventive Vigilance, SMS are being sent to all staff members on vigilance matters at periodical intervals.

As per the directions of CVC, Vigilance Awareness Week was observed by the Bank from 30th October 2017 to 04th November 2017. Bank has conducted 2152 Awareness Gram Sabhas and 104242 E-pledge/Mass pledges were taken by staff members and various customers of the Bank. One such Awareness Gram Sabha was arranged at Manchanayakanahalli village, Ramanagar District, on 3rd November 2017 with the participation of officials from CVC, top executives of the Bank, Chief Vigilance Officer and President, Gram Panchayat, Manchanayakanahalli , Stalls for Integrity Pledge, Financial Literacy Centre and Financial Inclusion for creating awareness among the villagers were opened. Activities were held in 41 colleges with 6892 students and 90 schools with 11850 students participating in competitions like essay writing, elocution, drawing, debate and quiz. A walkathon was arranged on 03rd November 2017 at Bangalore with active participation of Executives from Central Vigilance Commission and Top Management of the Bank.

13. COMPLIANCE & RTI ACT

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank has adopted Compliance Policy and functions as directed in the Policy. The Compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is in the Rank of a Dy. General Manager. Compliance Officers have been identified at all the Departments at HO, Regional Offices and Branches.

Apart from a session allotted in all the in-house Training Programs to educate the participants on the importance of Compliance, a workshop on compliance was conducted for second line Executives/Regional Compliance Officers of all Regional Offices. Compliance Department at HO, ensures compliance with various guidelines issued by the Government of India, Reserve bank of India, IBA and other Regulators. Compliance Tests are conducted every quarter on the guidelines issued from time to time. Quarterly and Annual review on compliance aspects are placed before the Board. Identified 354 Compliance Risk Parameter to assess Compliance Risk. Compliance Department HO, also monitors timely submission of Returns to the Regulators through compliance e-Governance portal and places report to the Chief Compliance Officer.

(i) Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating of Financial Terrorism (CFT)

Bank has formulated a comprehensive policy on KYC, AML and CFT with an objective of preventing the Bank from being used by unscrupulous elements for money laundering or terrorist financing activities. Procedures and systems have been put in place to ensure that no account is opened in anonymous / fictitious names or by persons with a criminal background and/ or having connections with terrorist organisations. A ‘Quick Reference Guide to Know Your Customer Norms’ is put in place to serve as a ready reckoner and a single point of reference.

The bank has launched e-learning portal wherein detailed interactive session on KYC/AML is also included with FAQs to enhance the knowledge levels of the staff. Implementation of KYC norms and AML guidelines is being checked by internal inspectors and concurrent auditors. System generated reports are submitted to Financial Intelligence Unit- India (FIU-IND), as per the prescribed periodicity.

(ii) Central KYC Records Registry (CKYCR)

The Bank has taken steps to implement Central KYC Records Registry (CKYCR), wherein KYC details of all individual customers are captured and uploaded to CERSAI along with the scanned copies of address proof, id proof, photograph and specimen signature and 14 digit unique CKYC identifier number will be given to the customer.

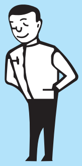

(iii) Risk Based Supervision (RBS)

Reserve Bank of India rolled out compliance-based Risk Based Supervision (RBS) replacing the transaction-testing approach (CAMELS) in select Banks during 2013-14. In RBS, focus is on the processes and policies that a bank adopts to achieve growth. Our Bank joined the RBS framework from March 2015. Focus is mainly on the compliance level and adherence to systems and policies. The requirements are expected to change dynamically based on emerging risks in the banking industry. Data collected by the supervisor covers both qualitative and quantitative data and is broadly expected to cover all the risk aspects.

The risk based supervision process focuses heavily on offsite surveillance and is therefore extremely data intensive.

The assessment is made based on the offsite analysis of data and information furnished by the Bank as well as the findings of the onsite Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) was carried out by RBI U/s 35 of Banking Regulations Act 1949. Bank is being supervised under Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC).

(iv) Right to Information Act 2005

Government of India enacted RTI Act, 2005 which came into force on October 12,2005. The Act provides right to every citizen to secure/access to information under the control of Public authorities. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matter connected therewith or incidental thereto.

Bank has designated all the Branch Managers as Assistant Public Information Officers, Second line Executives of all the 32 Regional Offices as Public Information Officers and Regional Head as Appellate Authorities under the Right to Information Act, 2005. At Head Office, a Deputy General Manager is designated as Public Information Officer and a General Manager of the Bank as Appellate authority. Bank as a whole, 33 offices are provided with Public Information Officer and Appellate Authority respectively under the Right to Information Act 2005. At Head Office level, one Alternate Public Information Officer and one Alternate Appellate Authority have also been instituted in the absence of present Public Information officer and Appellate Authority in case of exigency/emergency for discharging the duties as per the RTI Act, 2005.

Information sought under the RTI Act 2005 is being provide within the prescribed time frame. During 2017-18, Bank as a whole has received and disposed of 725 Applications and 161 Appeals under the RTI Act 2005.

14. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

(i) Manpower

The total staff strength of the Bank stood at 16079 in March 2018 as compared to 15679 in March 2017. Of the total staff, 8410 are Officers, 5172 Clerical Staff and 2497 are employees in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2018 stood at 4479 consisting of 2403 Officers and 2076 Award Staff. As at the end of March 2018, there were 342 employees belonging to Persons with Different Abilities (PwD) category and 976 employees belonging to Ex-Servicemen Category.

(ii) Recruitment

During the financial year 2017-18, the Bank has recruited a total number of 1154 employees comprising of 548 Officers, 597 Clerks and 9 subordinate staff.

(iii) Promotions

The promotions effected during the year 2017-18 are furnished hereunder:

Sl. No.	Promotion from	Promotion to	Total promoted
1	TEGS-VI	TEGS-VII	**2**
2	SMGS-V	TEGS-VI	**9**
3	SMGS-IV	SMGS-V	**34**
4	MMGS-III	SMGS-IV	**84**
5	MMGS-II	MMGS-III	**106**
6	JMGS-I	MMGS-II	**218**
7	Clerical	JMGS-I	**310**
8	Sub staff	Clerk	**113**

In terms of DOPT, Ministry Of Personnel, “Three percent of the vacancies in case of Promotion to Group D and Group C is reserved for persons with disabilities of which one per cent each is reserved for persons suffering from (i) blindness or low vision (ii) hearing impairment and (iii) locomotor disability or cerebral palsy in the post identified for each disability”.

In addition to the above, as a responsible employer, to promote equal employment opportunity and fulfil the legitimate career aspirations of the PWD employees, thereby providing built in motivation, Bank has a promotion policy, a first of its kind in the Banking industry exclusively for PWD employees. The eligibility norms for PWD employees are relaxed in the newly formulated promotion policy, which enable the PWD employees to go up in the career ladder. 06 PWD employees have been promoted from Clerical cadre to Officer cadre in JMGS-I year 2017-18.

(iv) Employees & Branch Productivity

Business per employee (Quartly Average) increased from ₹ 15.51 Crore as on 31.03.2017 to ₹ 18.10 Crore as on 31.03.2018. Business per Branch increased from ₹ 113.22 Crore as on 31.03.2017 to ₹ 129.20 Crore as on 31.03.2018.

(v) Training

The Bank has an effective training system that has been further enhanced with the addition of competent manpower and necessary infrastructure. The courses have been improved to equip employees to effectively handle their roles and responsibilities and stay motivated to perform well and remain consistent in a highly competitive, technology-oriented, customer centric banking environment. The Bank has also collaborated with premier institutes to impart specialized training to employees in areas such as Credit, FOREX, Treasury Management, Risk Management, HR, Marketing, etc.

During the financial year, the Bank has imparted training to different cadres of employees totaling to 14710. Out of this, 13228 employees had undergone training in the Bank’s own establishments and 1482 were trained at the reputed external training institutions including some well-regarded overseas institutions.

(vi) SC/ST/OBC Employees

Out of the total manpower of 16079 as at the end of March-2018, 3252 employees belong to SC category, 1236 to ST category and 4042 to OBC category.

(vii) SC/ST/OBC/PwD CELL

SC/ST cell has been functioning at all the 32 Regional Offices and a Senior Officer belonging to SC/ST is designated as Liaison Officer. At Head Office, the Cell is functioning under the control of Chief Liaison Officer.

The grievances of SC/ST employees are looked into and prompt remedial action is taken. The Chief Liaison Officer meets the SC/ST Employees Welfare Association and their representatives to hear their grievances at Head office and refers the matters if any, to the concerned department at Head office for redressal. Similarly Regional Heads/ Liaison Officers are attending to their grievances at Regional Office Level.

Further, Quarterly meeting of SC/ST representatives with the Managing Director & CEO of the Bank are held regularly in terms of Govt. guidelines. In these meetings, the grievances, if any, pertaining to SC/ST employees are discussed with the representatives of the SC/ST Welfare Association and sorted out. All the representations received are entered in a Register showing therein the action taken on each representation. The Register is inspected by the Chief liaison Officer periodically.

In the similar manner, OBC Cell is also functioning separately at all the 32 Regional Offices & at Head Office under the control of Chief Liaison Officer appointed separately for OBCs.

Bank is arranging pre-promotion training for SCs/STs & OBCs regularly (i.e for sub-staffs, clerks and officers up to scale-III).

For the welfare of the PwD employees, Bank has also formed Grievance Redressal Committee for Persons with Disabilities at HO Level as well as at Regional Level. Regular quarterly meetings of the committee are held to address various grievances of PwD employees and to seek their suggestions and ideas to better the working conditions make the workplace more accessible.

Bank is complying with all the Policy Guidelines laid down by the Govt. of India pertaining to reservation of posts for SC/ST employees, OBC & Minority employees including Persons with Disability.

(viii) Staff Relation

The pro-active and humanistic approach undertaken by the Bank has yielded positive results and the Bank is showing progressive growth consistently with the collective efforts of the management and employees of the Bank. The climate is positive and the same is echoed in the form of continuous growth of the Bank during the financial year ending March 2018. The industrial relations in the Bank have been cordial and harmonious. There was no agitation or unrest during the year by the employees relating to issues pertaining to our Bank. The consultative committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and settle the disputes, if any, amicably and the said meetings are attended by the top executives of the Bank.

(ix) Sports Activities

(a) Basket Ball Team

The Basketball team has done well during the year. They were Runners up in the Association Cup and 3rd place in 4th Mulki Sunder Ram Shetty All India Basketball Tournament and A Division State League. Shri Rajesh Uppar who represented India is also a recipient of the prestigious Eklavya Award. Shri Anil Kumar, recipient of the KOA (Karnataka Olympic Association) Award and Shri Arvind represented India in various tournaments in India and abroad. Shri Anil Kumar, Shri Karthikeyan and Shri Arvind represented the Karnataka state team at the 68th Nationals at Chennai. Shri Srinivas Gowda, Shri Stalin and Shri Sanjay have been called by the State association as selectors and coaches.

(b) Cricket Team

The Cricket team has done very well winning the Alleppey Cup T20. They were Runners in the prestigious G2 – 1st Division Tournament 2017 and T10 BASH Tournament Bangalore.

Shri R. Vinay Kumar, Shri C.M.Gautam and Shri K. Gowtham represented Karnataka and are under regular training as probables for the Indian Team. Shri K.C.Cariappa Shri Zeeshan Ali and Shri Rohan Kadam have played in the Ranji Tournaments representing Karnataka and Niyas N representing Trivandrum.

Shri K Gowtham will be representing the Rajasthan Royals at the IPL 2018.

Shri Rajashekar Shanbal, Shri Raghavendra C, Shri Mahesh, Shri Santosh Kumar and Shri Aiyappa K M have been called by the State association as selectors and coaches.

(c) Kabaddi Team

The Kabaddi team has been in exemplary form and has displayed consistency. They were Winners in the All India 'Mayors Cup' Tournament at Mysore, State level Kabaddi Tournament at Chennarayapatna and State Leval Kabaddi Tournament at Belthangadi. Runners in All India Karwar Tournament and All India Kabaddi Tournament at Jamakhandi, Bagalkot Dist.

Shri Prashanth Rai, Shri Sukesh Hegde a recipient of the prestigious Eklavya award and Shri Sachin.V, were selected for the Federation Cup (Runners).

Shri Divesh, Shri Md. Issac, Shri Rohit Marla and Shri Sunil represented Karnataka at the 10th Beach Kabaddi Championship. Shri Prashanth Rai, Shri Sukesh Hegde have been the star performers of the team are now selected for the Indian training camp for the 18th Asian Games. They also represented Gujarat Fortune Giants (Captain) and Haryana Steelers in PRO Kabaddi 2017 respectively.

(x) Staff Welfare Measures

As per the directions of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Government of India, 3% of net profit with the maximum ceiling of ` 15 crores is to be earmarked for the welfare of its employees.

The Bank is having various staff welfare schemes such as:

1. Canteen Subsidy
2. Newspaper reimbursement
3. Annual Health Checkup
4. Health Clinic at HO , Bangalore.
5. Annual Medical Aid to the employees retired on superannuation & VRS optees who have completed 60 years of age.
6. Grant of Silver Jubilee awards
7. Grant of Milestone Award
8. Novel scheme for providing laptops to wards of sub-staff members
9. Cash incentive to meritorious wards of staff
10. Awarding scholarship for the girl children under V-Shakti, V-Subodhini, V- Pragati.
11. Reimbursement of diagnostic tests exclusively for women employees.
12. Reimbursement of crèche allowance for women employees with children up to 3 years.
13. Reimbursement of expenses for purchase of Saree/Salwar Kameez to female substaff of the Bank.

In addition to the above welfare measures undertaken from the earmarked corpus of 3% of the net profit, the Bank is also bearing the premium of IBA's medical insurance scheme for all retired FTS/PTS.

(xi) The Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust

Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust has been formed since 21.09.2002:

Various welfare schemes implemented under the Trust are:

1. Awarding scholarships to the wards of the employees
2. Reimbursement of residual claim of hospitalization expenses
3. Reimbursement of cost of spectacles
4. Funeral expenses to the family members on death of the employees

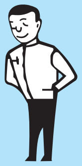

5. Cash incentives to retirees on superannuation

6. Scheme for providing assistance / scholarships to the parent employees of mentally challenged /spastic children

7. Scheme for providing artificial limbs /hearing aid /crutches to physically challenged staff members/their children

8. Holiday Homes at Shimla, Tirupathi, Jaipur, Goa, Puri, Delhi, Shirdi & Bangalore is being extended to staff members.

9. Scheme for providing scholarship for the wards of PWD employees

10. Scheme for providing annual financial aid to the non-school going disabled children of PWD employees

11. Scheme for providing financial assistance to PWD employees at the time of marriage

The Bank is also administering Family Welfare Scheme under which amounts collected from the members of the scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

In addition to the above, some of the welfare measures undertaken by the Bank for PWD employees include:

1. Aids like Smart walking canes, talking software, Braille attachments, etc. to visually impaired employees.

2. Conveyance facility (pickup & drop) has been provided to visually impaired and orthopedically challenged employees.

3. Braille watches provided to Visually Impaired (VI) employees.

4. Hearing Aid facility to Hearing Impaired (HI) employees.

(xii) Internal Complaints Committee

The sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 (hereinafter called the Act) has come into force with effect from 09.12.2013.

This Act is to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

In compliance with Section 4 of the Act, Bank has constituted the Internal Complaints Committee (ICC) at the Head Office and at all the Regional Offices of the Bank to deal with the complaints received from staff members pertaining to gender discrimination and sexual harassment at workplace.

The ICC constituted at Head Office consists of the following members:-

1. Smt Manimekhalai A, GM - Chairperson
2. Smt. Mini TM– DGM - Member
3. Shri Senthil Nathan- AGM-Member
4. Smt. Mini CG SM– Member
5. Smt. Roshni CR, SM – Convener
6. Smt. Geeta Menon – NGO – Member.

Section 22 of the said Act stipulates the employer to include in its annual report the number of cases filed, if any and the disposal of cases under the Act. The Central Govt. in exercise of its powers conferred under the Act has also formulated "Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Rules, 2013" Rule 14 of which provide the employer to include the information on the complaints received by the committee during the year in the Annual Report. Accordingly, the details of the complaints received by the Committee for the year April 2017 to March 2018 is furnished below.

Sl No.	No. of Complaints of sexual harassment received in the year	No. of complaints disposed of during the year	No. of cases pending for more than 90 days	No. of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out	Nature of action taken by the employer or District Officer
1	7	5	1 (Disciplinary proceedings is in progress)	2	The nature of action taken in respect of 7 cases is as under:

No of Cases	Nature of action taken
3 cases	Outside the purview of sexual harassment and accordingly disposed
1	The respondent has been transferred.
1	Matter was settled through reconciliation.
1	The disciplinary proceedings is in progress
1	The complaint was lodged in Feb '18 and review by the ICC is in progress.

15. SECURITY ARRANGEMENTS

Bank is constantly reviewing the security arrangements at all branches, offices, currency chests and ATMs to provide effective, efficient, unobtrusive and progressively modern security solutions based on threat perceptions, emerging challenges and guidelines of regulatory, government and law enforcement authorities. The Bank is continuously striving to develop and improve the safety and security management in terms of stipulated policies and requirements. The following pro-active and preventive measures to strengthen security measures were initiated during the year:

- Digital CCTV systems with high resolution IP cameras are being provided to new branches/ currency chests.
- Hybrid Alarm System with wired and wireless detectors are being provided at all branches.
- Strong rooms conforming to RBI specification and BB Class Safes are being provided to all branches.
- Branches categorized as vulnerable from security point of view are provided with armed security guards during working hours.
- E-Surveillance on OPEX basis has been implemented at all ATM sites of the Bank.
- E-surveillance to link CCTV systems at branches to bank's Wide Area Network, to alert security authorities of any suspicious or anomalous behavior on real time is under implementation.
- Security Committees have been formed at HO and Regional Offices to assess vulnerabilities, take proactive measures to further strengthen security arrangements and conduct periodical reviews.

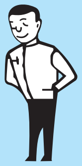

- Bank maintains close liaison with the law enforcement agencies and is fully geared to meet the prevailing security needs.

16. CUSTOMER SERVICES

(i) Customer Service and Redressal of Complaints

Providing excellent customer service is the only effective way of making the Bank distinctly more competitive. This necessitates designing of innovative and cost-effective mechanisms of delivering banking services efficiently, developing profitable business models and leveraging technology optimally. Bank aims at minimum instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism. To ensure prompt redressal of customer complaints and grievances, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) has been put in place. The customers can lodge their grievances in the SPGRS portal through Bank's website and the grievances are redressed in a timebound manner. The complaints received through other channels viz, letters,mails,phone etc are also lodged in this common platform. The system directs the complaints to the concerned branches/ functional departments/offices for redressal and resolution of the complaint.

Branch Level Customer Service Committee is constituted to encourage a formal channel of communication between the customers and the bank at the branch level. The Branch Level Customer Service Committee consisting of customers from various cross sections of the society including senior citizens and pensioners meets once a month. The views / suggestions are collated and presented before the Standing Committee on Customer Service chaired by the Executive Director which comprises of non officials as its members for having independent feedback. The committee meets at quarterly intervals and submits its report to the Customer Service Committee of the Board.

The Customer Service Committee of the Board headed by the Managing Director and CEO includes Executive Directors and Other Directors of the Board and experts and representatives of customers as invitees to enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure in the Bank and also to bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank. A quarterly review note comprising the nature and category of complaints along with root cause analysis of the complaints is placed before the Board to review the practice and procedures prevalent in the Bank and take necessary corrective action.

The Bank has complied with the directions of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, which had conveyed the observations of the Hon'ble Prime Minister during the PRAGATI interaction on the review of the status of disposal of grievances and as per the directions, a system of conducting weekly review of grievances by MD&CEO is introduced to assess the timelines as well as the quality of the replies and details of action taken are furnished periodically to the Dept of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.

Bank has appointed Principal Nodal Officer of the rank of General Manager, who will be responsible for the implementation of customer service and complaint handling for the entire bank. The bank has designated the Regional Managers as Nodal Officers to handle complaint/grievances in respect of branches following under their control. The name and contact details of nodal officer (s) are displayed on branch notice boards.

In terms of RBI guidelines, the Bank has appointed Internal Ombudsman to examine the grievances which are not resolved to the satisfaction of the customers or partially resolved in the internal grievance redressal mechanism of the Bank.

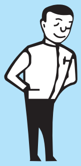

A session on customer service has been made mandatory in all the trainings imparted in the Staff Training College to sensitize the staff members on the following aspects:-

- To provide the customers with a comfortable environment when they access banking services
- To retain the customers by offering a quality service to their satisfaction.
- To shift the emphasis on customer service from the lips to the heart with a motto that "Customer Service is a business need of the Bank and not a Social Service"
- To impress upon the frontline staff on the importance of showing empathy in their dealings with customers.

During the year an Independent Agency was shortlisted for conducting a survey on Customer Satisfaction for the Bank. The agency has analyzed the performance of each of the identified 849 branches, both in terms of Customer Satisfaction and through Staff surveys to understand better the overall performance, identify areas of improvement, and potentially establish benchmarks for the Bank towards achieving superior customer service.

(ii) Call Centre

Being the first point of contact for the customers, Call centre plays a vital role in developing the image of a Bank. It acts as a one stop solution for all the products and services offered by the Bank. Also it facilitates an uninterrupted service and caters to the complaints and queries of the customers. The Bank has integrated 3 different call centers viz. general banking, net banking and card division functioning at three different places, to one outsourced call center functioning round the clock. Besides handling the calls from customers/ branches, the call centre executives also take care of the emails related to V-Net banking and Card Hotlisting. The bank also has an outbound call centre for calling the Housing Loan and Vehicle Loan borrowers to keep an eye on increasing level of special mention accounts. This helps the Bank to have better control, improved tracking of Retail Loans and prevent slippage of these accounts to NPA category. Since inception, the Bank has been continuously increasing the number of call center executives to keep pace with Bank's expanding customer base. The Bank has also been regularly training the call center staff on the new campaigns and products launched by the Bank to help them handle customer queries more efficiently.

(iii) Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank, being a member of BCSBI, has adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers 2018' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises 2015' (Codes). Bank has formulated and complied with several policies and measures as per the guidelines of BCSBI. All the Branches have been provided with a Comprehensive Notice Board that covers all the mandatory information that needs to be displayed in Branch premises, thereby complying with the BCSBI's Code of Information dissemination. A session on Customer Service incorporating the provisions of the Codes has been included in the staff general banking training programmes in order to comply with the Codes in true letter and spirit. BCSBI has revised 'Code of Bank's Commitment to Customers' in January 2018 and the bank has taken several steps to abide with the revised guidelines. The Codes are made available on official website of the bank for the easy reference of the customers. The customer can also access the same at any of Bank's Branches.

(iv) Branch Ambience

Improving customer happiness is a key priority of the Bank. For this, the Bank has improved its quality of customer service, ambience at the branches and ATMs to offer cordial atmosphere to the customers visiting our premises. The branches are now

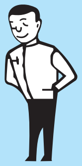

neat and clean with updated notice board and product details. This offers a pleasant banking experience to the customers and helps to increase the goodwill of the Bank in terms of quality service and neatness of our premises. All our branches and offices are air conditioned offering a professional banking atmosphere with all basic facilities offered to the customer. The ramps are made available at metro branches for the comfort of differently abled customers. Senior Citizens / differently abled / women customer are being treated on a priority basis at the branches. The Bank is offering all the priorities and facilities with specific provisions for meeting the needs of Senior Citizens and differently abled persons as per RBI guidelines.

17. SOCIAL MEDIA

Social Media is the current buzzword across industries and the banking industry has its share of presence and is anticipated to transfigure future banking and would take the industry into a new era. Social Media is a convenient, accessible and easy platform to reach key people in any industry, almost all personalities of various walks of life. Instantly, users can connect to people whom they cannot approach in the normal course through other communications and establish relationships which could initiate instant connections and benefit all the parties involved; at times, the same could be abused by online users. Hence, necessary checks are to be put in place. Social Media could make a big difference in the industry in the days to come which could make a huge impact in the minds of the customers and other stake holders. Investment in Social Media presence could reap huge benefits in the next decade and would provide leverage to the first movers in the race.

The Bank had launched its presence on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and Youtube on 29.06.2016. The Bank has made a considerable presence in the last 20 months and has moved gradually creating a fan following on the Social Media pages of the Bank. The bank has garnered more than 4.2 lakhs page likes on Face book as on March 31st, 2018. Know your banking rights contest conducted by the Bank on the Social Media has been ranked 2nd among top 5 Social Campaigns by BFSI during the year 2017.

The Bank has launched Banking services through Social Media and customers of the Bank can now access features such as Customer registration, account balance, mini statement, Fund transfers and Bill payment through Twitter and Facebook; Twitter banking being more popular.

The Bank has made a great impact in the Social Media presence and awareness on all its social media channels and has seen remarkable growth ever since its entry in the space of Social Media.

18. GOVERNMENT BUSINESS, DEPOSITORY SERVICES & INSURANCE

Government Business

Vijaya Bank has been a pioneer in implementing various schemes launched by the Government of India from time to time. Through efficient and effective use of technology, we are implementing the Government Schemes across our branches, with a view to provide hassle-free experience to our esteemed customers. Some of the schemes implemented by our Bank are as follows:

(i) **Direct Tax and Indirect Tax Collection:** The Central Board of Direct Taxes, New Delhi has permitted our Bank to collect the Direct Taxes either by Offline Mode (remittance through designated branches) or Online Mode - by ‘e-Payment’ facility available to our customers through Internet Banking. We have 276 authorized branches to collect Direct Taxes through Offline Mode. During FY 2017-18, our Bank has processed a total of 4.93 Lakh Direct Tax transactions.

Our customers can also pay Indirect Taxes like Central Excise Tax though our V- Net banking facility. Since 01.07.2017, we are collecting Goods and Services Tax (GST) payments through OTC mode (Over the Counter), Electronic Mode (Vijaya bank customer can remit though V- Net banking) and RTGS/NEFT mode. All our branches across the country are authorized to collect GST Challans from customers. We has successfully processed 2,40,212 GST Challans amounting to ` 3419,77,92,266/-,

since 01.07.2017.

(ii) Centralized Payment of Pension: A dedicated Centralized Pension Processing Center(CPPC) has been operational at HO for centralized payment of pensions of Central Government pensioners. All types of pension like Central Civil, Telecom, Postal, Defence, Railway, Judges and Freedom Fighters pension are being paid centrally by the CPPC cell at HO. All branches are authorized to disburse Central Civil, Defence, Telecom, Postal, pensions and State pensions in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and four Metro Cities.

(iii) Atal Pension Yojana (APY): Our Bank has been a true champion in implementing Atal Pension Yojana, a scheme launched by the Government of India with a noble vision of providing a well-defined Pension, especially for the poor and the under-privileged. We have 1603 designated branches for opening of APY accounts. Our Bank has opened 1,15,510 APY accounts during the FY 2017-18 and is amongst the top banks in all APY campaigns launched by PFRDA.

(iv) Public Provident Fund (PPF): This scheme was launched in our Bank in 2006. 887 branches of the Bank are designated to open Public Provident Fund accounts. The Bank has opened 88,639 accounts in FY 2017-18.

(v) Sukanya Samriddhi Yojana: 887 branches of the Bank are authorized for handling Sukanya Samriddhi Yojana. The Bank has opened 3508 accounts in FY 2017-18.

(vi) Senior Citizens Savings Scheme (SCSS): This scheme is offered through our select branches. The Bank has opened 1684 accounts in the FY 2017-18.

(vii) Sovereign Gold Bonds (SGB): All the branches of the Bank are designated to accept applications under this scheme. For the FY 2017-18 a total 1,16,361 grams of Sovereign Gold bonds have been sold across our branches.

Depository Services & ASBA

(i) Depository Participant Account and Online Trading: Vijaya Bank is a Depository Participant (DP) with National Securities Depository Limited.

Our Bank offers the following Depository Services to customers:

- Account Opening
- Dematerialization of securities (Shares, Debentures, Mutual funds etc)
- Electronic settlement of trades in stock exchanges connected to NSDL and CDSL
- Pledge/hypothecation of demat security holdings against bank loan
- Electronic credit of securities allotted in public issues
- Freezing of accounts whenever required so that debits from the account are not permitted
- Nomination facility for demat accounts
- Services related to change of address, bank account details etc.,
- Effecting transmission of securities
- NSDL IDeAS facility

The Bank has a tie up with IDBI Capital for providing Online Trading facility.

(ii) Application Supported by Blocked Amount (ASBA): The Bank is included in the list of SCSBs effective from 01.02.2009. DP Cell is the controlling branch for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility and all Branches are designated for accepting ASBA application.

Insurance

Life Insurance Business: The Bank has entered into the Corporate Agency agreement with M/s. LIC of India, to cater to the life insurance needs of our customers.

General Insurance Business: The Bank has entered into the Corporate Agency agreement with M/s. United India Insurance Co. Ltd., to cater to the non-life insurance needs of our customers.

Government Social Security Insurance Schemes: The Bank has tie-ups with M/s. SBI Life Insurance Co. Ltd. to provide insurance cover under Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and with M/s. United India Insurance Co. Ltd. to provide insurance cover under Prime Minister Suraksha Bima Yojana (PMSBY), to all eligible account holders,

As on 31.03.2018, the Bank has made the following enrollments under PMJJBY and PMSBY:

Scheme	No. of Enrolments
PMJJBY	4,35,502
PMSBY	15,89,033

19. MARKETING & PUBLICITY

(i) Marketing

Marketing Cell is functioning at the Bank's Head Office with active involvement of all Marketing Officers posted across the country in various Regional Offices/ RACPCs & MSMEs. Cell is actively engaged in popularizing and marketing of Bank's various products.

(ii) Publicity and Public Relations

During the FY 2017-18, the Bank has carried out several major advertisement campaigns in Print & Electronic media in English, Hindi and in Regional Languages throughout the country to elevate the visibility of the Bank and its products. During 2017-18, major Publicity Campaigns were carried out thorough outdoor advertisement media such as translites at airports, train branding on Kacheguda Express, etc. Outdoor Advertisement hoardings were taken in metro cities, glow sign/sign board advertisements at Railway Stations/Bus Stands, etc.

20. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Bank is implementing the Government's Official Language Policy in letter and spirit since nationalization. With the efforts of staff members, Bank could achieve Hindi Correspondence of 94.05% in Region 'A' against the target of 100%; 93.56% in Region 'B' against the target of 90% and 71.20% in Region 'C' against the target of 55% as on 31.03.2018.

The Bank was awarded I Prize under Kirti Puraskar of Government of India in Region 'C' for excellent performance under Rajbhasha Implementation. The Shield and Certificate was awarded to the Bank's Managing Director and CEO by Hon'ble President of India at Rashtrapathi Bhavan, New Delhi on 14.09.2017.

Our Bank's Head Office being Convenor of TOLIC (Banks), Bangalore was awarded I Prize for implementation of Rajbhasha under TOLICs Category of South and South-Western Region by Ministry of Home Affairs, Department of Official Language. Similarly, Bank's Regional Office, Bangalore (South) was awarded with II Prize under Regional Office Category. The Prizes and the Shield were awarded by the Secretary (O.L.), Ministry of Home Affairs, Department of Official Language in the Regional Rajbhasha Sammelan of South and South-Western Region at Vishakhapattanam.

Various Regional Offices and Branches of the Bank also bagged 16 prizes from various TOLICs for Best Performance under Rajbhasha Implementation in which Regional Office – Bangalore (South), Hassan, Ludhiana, Mangalore, Meerut, Pune have bagged first prize.

The Drafts and Evidence Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language had discussion programme with our Noida Branch and Regional Office-Hyderabad.

The Bank started sending SMS in Hindi and in other Regional Languages during the year.

The Bank has conducted All India Inter Bank Hindi Seminar at Jaipur which was attended by dignitaries from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India and various banks/financial institutions.

The Bank, during the year published a book, 'Digital Banking' containing articles received during All India Inter Bank Hindi Seminar, during Hindi Day 2017.

Under the banner of 'V-GenUth' all 32 Regional Offices and Head Office have conducted

Competitions in Hindi viz. Essay Writing, Elocution, Drawing, story telling, creative writing, etc. The Regional Offices/Branches have organised camps for encouraging Digital Banking and Atal Pension Yojana. During the year 129 Hindi workshops were conducted for Executives/ Officers/Clerical Staff employees in which 2580 staff members were trained. Importance of use of Unicode was stressed in these workshops.

All 32 Regional Offices conducted Seminars/ various competitons in Hindi under the aegis of their respective Town Official Language Implementation Committee. Head Office organized Seminar in Hindi on "GST – A Historic Change and Effect of Bank Merger on the Economy" on 31.05.2017 under the aegis of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Bangalore. O.L. Officers / Generalists from various Banks situated in Bangalore participated in the Seminar.

Under the Bank's Internal Rajbhasha Shield Scheme for the year 2016-17, Personnel Department was awarded 1st Prize, Planning & Development Department was awarded 2nd Prize and Credit Department (Review and Recovery) was awarded 3rd Prize under HO Department Category for effective implementation of Official Language. Under Best Region Category Delhi were awarded 1st Prize, Nagpur Region 2nd Prize and Chandigarh 3rd Prize.

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(i) Vijaya Bank - A Responsible Corporate Citizen

Bank has a robust CSR policy which aims at equitable development, infrastructure creation, employment generation, environment protection and sustainable socio-economic development of the weaker sections of the society. A Board approved CSR Roadmap for the year 2017-18 had been prepared with special focus on areas which have lasting social impact. Our primary focus continues to be girl child education, rural healthcare, sanitation facility in schools, safe drinking water facilitation, infrastructure support and supplying essentials to schools, hospitals, old age home, orphanages, special schools etc. for the benefit of the old, sick, differently-abled, destitute, orphaned and the helpless.

Bank has put in place its own CSR schemes which have long term transformational impact on the standard of life of the poor and needy. The major focus areas of our CSR activities are:

(ii) Girl Child Adoption

A flagship Scheme of the Bank to promote girl child education amongst the underprivileged sections of the society. The adopted girl child is financially supported by the Bank till completion of her Post Graduation level studies. This is undertaken with an aim to promote education of the girl child and give her an equal opportunity to realize her true potential and not be deprived of her right to education due to financial constraints. Bank provides annual expenses to the girl child for her education related expenses like books, shoes, uniform etc. During 2017-18, Bank has adopted 148 girl children taking the overall tally of Girl Child adoptions to 1311.

(iii) Rural Health Centres

To bring basic healthcare within the reach of rural poor in remote, backward areas, Bank has set up Vijaya Rural Health Centres (RHC). The Bank provides preventive health care by engaging a doctor and providing free medicines to the patients at these RHCs. Bank has added 13 RHCs during 2017-18 to the existing 45 taking the total number of Vijaya Rural Health Centres to 58 as on 31.03.2018.

(iv) Construction of toilet blocks and their maintenance

Bank has constructed separate toilet blocks for girls and boys in Govt. schools in backward areas to provide sanitation facility to ensure conducive learning atmosphere and reduce early school drop-out especially amongst girl children. Bank has provided towards construction of toilet blocks to 66 schools/ organisations till date. Bank also pays for their monthly maintenance to ensure upkeep and cleanliness.

(v) Donation of vehicles

Bank has donated vehicles - vans, ambulances and buses etc. to non-profit, charitable organizations, trusts, orphanages and schools etc. which are engaged in serving the orphaned, aged, disabled, sick, destitute, abandoned and helpless persons. Donation of bus has been made for the convenience in transportation facility to the visiting pilgrims of a renowned pilgrimage. Also ambulances and vehicles have been donated by the bank to orphanages and charitable trusts to aid in case of medical emergencies and to rescue destitutes.

(vi) Donation towards creation of medical aid and infrastructure

Bank has made donations towards creation of permanent infrastructure like construction of a ward/ patient room for Alzheimer and Dementia patients to a Trust, donations have been made to a renowned Blood Bank towards medical equipments and vehicle for the welfare of the sick and needy people. Also donations have been made for the aid of cancer patients, towards procurement of hospital beds etc. to hospitals.

(vii) Facilitating safe drinking water

Donation of few water purifying units had been made to a Health Institute cum Hospital for the welfare of the patients and the general visitors. To facilitate safe drinking water several donations of water purifiers, water filters, water storage tanks, RO water units, etc. had been undertaken by the Bank in schools, colleges, orphanages, hospitals, charitable organizations, public spaces etc., all over the country for the benefit of children, students, old, poor and the needy people.

(viii) Infrastructure to schools/ colleges

Apart from donation of infrastructural items like furniture, computers, LCD projectors, water filters etc. to schools/ special schools for the disabled etc., Bank has sanctioned donation to a charitable trust towards establishment of a School for the welfare of the underpriviledged.

(ix) Supply of Essentials to old age homes, orphanages, special schools, charitable organisations etc.

Bank has donated essentials and basic amenities like furniture, computers, braille equipped computers, refrigerators, solar water heaters, electrical appliances etc. to old age homes, orphanages, special schools for the disabled, charitable organisations etc. all over the country. Bank has made donations for provisions like food items i.e., rice etc., provided towards expenditure of food expenses for a trust, dress material for uniforms of orphan inmates etc., to charitable organisations, to help the poor and the needy. Also donation of Agarbatti making Automatic Machines were undertaken towards empowering and providing livelihood generation to the underprivileged women.

(x) Go-green initiatives for environment protection

Recognising the imperative need to conserve environment, green initiatives are one of the focus areas in the CSR Roadmap. Under the green initiatives by the Bank, tree plantation activities, installation of tree guards and providing of financial assistance for maintenance of public parks, and other environmental initiatives have been undertaken. Apart from this, major donation involving hopper tipper vehicle for garbage collection and contribution towards Swachh Bharat Mission for road maintenance have also been made by the Bank towards conservation and protection of the environment.

22. PARLIMENTARY COMMITTEE MEETINGS

Details of Parliamentary Committee visited during FY 2017-18

- Study Tour of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on “Priority Sector Lending To SCs, STs, OBCs, Minorities And Differently Abled Persons” to Goa on 31st May, 2017.
- Study Visit of Parliamentary Standing Committee on Urban Development on “Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY –

Urban) Housing For All" by 2022 and Deendayal Antyodaya Yojana (Day) – National Urban Livelihood Mission (NULM), to Bengaluru on 06th June, 2017.

- Parliamentary Committee on Welfare of SCs/ STs held at New Delhi on 08th September, 2017.
- Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha on "RBI Master Direction – Priority Sector Lending" to Bengaluru, Vishakhapatnam and Mumbai from 04th to 09th November, 2017.

23. AWARDS & ACCOLADES

In recognition of Bank's excellent performance in financial and other initiatives, the Bank was conferred with many awards and accolades during the financial year 2017-18

- Rajbhasha Kirthipuraskar Award received from the President of India.
- Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Award for Makers of Excellence conferred on our MD &CEO Shri R A Sankara Narayanan under Atal Pension Yojana.
- Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Award for "Transformative Leader" - conferred on our Executive Director, Shri Nageswara Rao Y.
- First Prize Winner of ASSOCHAM Social Banking Excellence Award 2017 for Agriculture Banking presented by the Hon'ble Minister of State for Finance, Shri Pratap Shukla.
- First Prize Winner of ASSOCHAM Social Banking Excellence Award 2017 for Priority Sector Lending presented by the Hon'ble Minister of State for Finance, Shri Pratap Shukla.
- IBA has awarded "Technology Bank of the year 2017" amongst mid-size banks.
- IDBRT has awarded Best Bank in "Use of Technology for Financial Inclusion among mid-size banks and "Digital Banking among mid-size banks" for the FY'17.
- IPE's (Institute of Public Enterprise) Award for 'Women Excellence-2017' received by Smt. Nirmala Sridhar, General Manager, Vijaya Bank.
- Bank has received Second Prize under Raja Basha Shield in the Southern Region.
- Bank's VIBSETIS received Highest grading (AA) Award by Ministry of Rural Development Government of India distributed on 07.06.2017 at Vigyan Bhawan New Delhi.
- Award by HUDCO for its outstanding contribution under the PMAY scheme.
- ET NOW CSR Leadership Award by World HRD Congress for Best Corporate Social Responsibility Practices.

Skoch Financial Technology Awards 2017

- Best Bank in Public Sector
- Banker of the Year, Dr.Kishore Sansi, Ex.MD & CEO Vijaya Bank.
- Banker of the Year (for NPA Management) – Shri B S Rama Rao, Ex. Executive Director of the Bank
- Best Bank in NPA Management
- Gold award for the performance under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
- Best Bank in Retail Lending
- Award for Inclusive Wallet – VPAYQWIK
- Award for Digital Inclusion
- Award for IT Security
- Award for e – Surveillance of ATMs & Branches
- Award for 100 Digital Villages – Financial Inclusion

24. BOARD MEETING AND MEETING OF OTHER SUB COMMITTEES OF THE BOARD

During the year 2017-2018, the Board of Directors met 17 times. The details of Committee Meetings are as under:-

Name of the Committee of the Board	No. of Meetings
Management Committee	14
Audit Committee	7
Stakeholder Relationship Committee	4
Share Transfer Committee	4
Risk Management Committee	6
Committee to Review High Value Frauds	2
Head Office Level Credit Approval Committee	22
Directors’ Promotion Committee	1
Review Committee on Disciplinary Matters & Probity	4
Customer Service Committee	4
Remuneration Committee	1
Nomination Committee	2
IT Strategy Committee	5
Committee For Monitoring of Recovery	7
Corporate Social Responsibility Committee	4
Review of Wilful Defaulters Committee	3
HR Committee	4
Committee of Digital Transaction	1

Changes in the Board of Directors

During the year 2017 -18, the following New Directors have joined the Board.

1. Shri R A Sankara Narayanan, has been appointed as Managing Director & CEO w.e.f. 01.09.2017
2. Shri Murali Ramaswami has been appointed as Executive Director w.e.f 19.02.2018
3. Shri Srinivasa Rao has been appointed as Government Nominee Director w.e.f 28.09.2017
4. Shri Rajan Dogra has been appointed as Shareholder Director w.e.f 08.08.2017
5. Shri Raghvender Gupta has been appointed as Shareholder Director w.e.f 08.08.2017
6. Shri Vivek Soni has been appointed as Non Official Director under CA Category w.e.f 27.12.2017

During the year 2017 -18, the following Directors have ceased to be Director on the Board of the Bank.

1. Shri Kishore Sansi, has demitted the office as Managing Director & CEO on 31.08.2017
2. Smt Bharati Rao has demitted the office as Shareholder Director on 07.08.2017
3. Shri P Vaidyanathan has demitted the office as Shareholder Director on 07.08.2017
4. Shri Sanjay Kumar has demitted the office as Government Nominee Director on 27.09.2017
5. Shri B S Rama Rao has demitted the office as Executive Director on 31.01.2018

The Bank’s Board as on date consists of the following Directors:-

Sl. No	Name of Director	Designation
1.	Shri G Narayanan	Non Executive Chairman & Non Official Director
2.	Shri R A Sankara Narayanan	Managing Director & CEO
3.	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director
4.	Shri Murali Ramaswami	Executive Director
5.	Shri N Srinivasa Rao	Government Nominee Director
6.	Shri G P Borah	RBI Nominee Director
7.	Shri Vivek Soni	Non Official Director (CA Category)
8.	Shri M Bhagavantha Rao	Non Official Director
9.	Shri V V R Sastry	Non Official Director
10.	Shri S Raghunath	Non Official Director
11.	Shri Rajan Dogra	Nominee-Shareholders Director
12.	Shri Raghvender Gupta	Nominee-Shareholders Director

Acknowledgement

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year and to all staff members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

For and on behalf of the Board of Directors

Head Office, Bengaluru — **R. A. Sankara Narayanan**

Date: 08.05.2018 — Managing Director & CEO

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company :- NA
2. Name of the Company :- VIJAYA BANK
3. Registered address :- No.41/2, MG Road, Head Office, Bengaluru - 560001
4. Website :- www.vijayabank.com
5. E-mail id :- planningdev@vijayabank.co.in
6. Financial Year reported :- 2017-18
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) :- Banking and Finance
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet) :-
   1. Deposit Products
   2. Loan Products
   3. Other Banking Services
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company :-
   a) Number of International Locations (provide details of major 5) – Nil
   b) Number of National Locations 2136
10. Markets served by the Company - Local/State/National/International :- National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1 Paid up Capital (INR) :- `1304.15 Crore

2 Total Turnover (INR) :- ` 2,75,965 crore (Total Business)

3 Total profit after taxes (INR) :- ` 727 Crore

4 Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%) :- ` 3.98 Crore 0.55%

5 List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :-

a. **Girl Child Adoption** from SC/ST/OBC/Minority/EWS familes under which financial support is extended for education upto Post Graduation level studies.

b. **Rural Health Centers** set up in backward/ rural areas across the country to provide free primary healthcare/medicines to the rural poor.

c. **Construction of toilet blocks** to provide sanitation facility in Govt. schools. Bank also pays for their monthly maintenance.

d. **Donation of vehicles** like buses, ambulances, vans etc. to charitable Trusts, blood bank, nonprofit organizations etc. engaged in serving the aged, orphaned, sick, destitute, abandoned, helpless etc. Apart from this donation of basic amenities to and basic essentials like furniture, computers, medical equipment, water purifiers, uniforms etc. to orphanages, old age homes, special schools for the disabled etc.

e. **Construction of a ward** in charitable hospital for the dementia affected aged people, donation of medical equipment to blood bank, donation of hospital beds etc.

f. **Facilitating safe drinking water** in schools, hospitals, public places etc. by installation of water purifying plants, water storage tanks, water chilling plants, water filters etc.

g. **Under Go green initiatives**, Bank has undertaken maintenance of public parks, tree plantation activities, donated vehicle for garbage collection, provided towards cleaning and maintenance of road etc.

SECTION C: OTHER DETAILS

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies? :- No
2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s) : NA
3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%] :- NO

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

(a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

1. DIN Number:- NA
2. Name: - Shri Y Nageswara Rao
3. Designation: - Executive Director

(b) Details of the BR head

No	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	N A
2	Name	Smt. Nirmala Sridhar
3	Designation	General Manager
4	Telephone number	080-25584655
5	E-Mail ID	nirmalasridhar@vijayabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*Bank's Corporate Governance Policy, Compliance Policy, Vigilance Department etc. ensure the well conduct of Business ethics in the bank. Apart from this, bank is subject to offer its products and services as per the standard codes announced by the BCSBI in its (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers 2018' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises 2015' (Codes)

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

1. **Governance related to BR**

(a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking of each department relevant Policies are framed / renewed individually and Board's approval is obtained. Further the Board assess the performance in the Bank and discuss various aspects of conducting bank business in compliance of bank Policies / directions from RBI / Ministry of Finance / IBA etc. during the Board Meeting which is being held almost every month.
(b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, The report is published annually and is part of the Bank's Annual Report. The BR Report in Annual Report can be viewed at www.vijayabank. com.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.

1. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?**

   The bank has well defined policy on Corporate Governance and compliance. The bank's Vigilance department is functioning under strict guidance of Central Vigilance Commission.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   The bank has a hassle free complaints redress mechanism to deal with compliance from stake holders including customers. Bank has provided online facility to lodge complaints through Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS). The bank has taken pro-active steps to reduce the number of complaints by providing a good customer service at the branches and separate cell has been framed to resolve the complaints in a faster way. This helps the bank to bring down the number of complaints and to resolve the complaints.

   No. of Complaints pending at the beginning of the year: 39

   No. of Complaints received during the year: 4660

   No. of Complaints redressed during the year: 4659

   % of complaints resolved: 99.15%

Principle: 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

   (a) **Debt swap Scheme:** The scheme has been revised with limit enhanced to ` 1 Lakh covering both famers and micro entrepreneurs to bring them out of the clutches of money lenders. Under the scheme Bank is proactively identifying farmers and micro entrepreneurs indebted to money lenders and extends finance to them at lowest RoI to clear their high cost borrowings. In identifying the eligible borrowers, Bank takes the assistance of SHGs, village elders and panchayats. The Bank has financed 3967 beneficiaries involving ` 28 Crore under the scheme.

   (b) **To promote digital banking** among the public and to reduce the pollution associated with traditional banking system, our Bank has adopted 105 villages across India under 'Vijaya Digital Villages' project. Out of this 101 villages have been adopted during the financial year 2017-18. All the villagers have been covered with Jan Dhan accounts. Account holders have been issued RuPay Debit cum ATM cards and all are covered under PMSBY and PMJJBY. The bank encourages paper less banking among villagers through our Digital banking products viz., Mobile banking, net banking and SMS services. Wi-Fi facility provided in the villages at Bank's cost. Digital banking transactions improved in these villages.

   (c) **Green Banking:** The Bank is taking special care for an environmental friendly banking by reducing usage of papers, power, wastages, etc., The Bank has taken many eco-friendly steps in this direction. The core banking solutions, internet banking, Tele-banking, mobile banking, ATMs, etc,. helps to reduce usage of papers, power, wastages in its daily banking activities. Further the bank has setup E-Lobby with high-tech banking facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk, Pass Book printing kiosk, internet banking etc.

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**

   (a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

   Not Applicable

   (b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

   Not Applicable

3. **Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?**

   Not Applicable, The Bank mainly deals with Financial Services and Products.

   (a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so. Not Applicable

4. **Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?**

   (a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

   The procurement of goods which requires for setting up of branches and operation of branches etc are done through nearby vendors through bidding process.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees.

   The total number of employees is **16079**

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.

   The number of employees hired temporary / contractual / casual basis is **1434**

3. Please indicate the Number of permanent women employees.

   The number of permanent women employee is **4479**

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities

   The Number of permanent employees with disabilities is 342

5. Do you have an employee association that is recognized by Management?

   Yes

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Type of Association	Name of Association	% of employee strength
Officers Association	AIVBOA	42.06%
Workmen Association	VBWO	27.65%
	VBEA	17.45%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

No	Category	No of complaints filed during the FY	No of complaints pending as on end of the FY
1	Child labour/forced labour / involuntary labour	Nil	Nil
2	Sexual harassment	7	2
3	Discriminatory employment	Nil	NA

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

(a) Permanent Employees :- 66.65%

(b) Permanent Women Employees :- 61.11%

(c) Casual/Temporary/Contractual Employees :- Nil

(d) Employees with Disabilities :- 72.22%

Principle 4

Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders especially those who are disadvantages

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No**

   Yes, The stakeholders of the bank include Government, investors, employees and the customers of the Bank.

2. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes

3. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Employees: The bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The bank extends certain equal benefits / facilities / assistance to employees belonging to SC/ST category as per government guidelines.

   With respect to the welfare of PwD employees, a separate promotion channel for promotion to officers and clerks has been formulated for PwD Employees. Conveyance facility (pickup & drop) has been provided Visually Impaired and Orthopedically Challenged employees. Introduced a scheme for providing scholarship ranging from `2000/- pa to `5000/- pa for the wards of PwD employees for pursuing higher studies (10th Std to P.G). Scheme for providing financial assistance of `10000/- at the time of marriage to the employees belonging to PwD category. Visually impaired employees, are provided with aids like smart walking canes, talking software, Braille attachments, Braille watches etc.

   Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, bank has introduced among others, Basic Savings Bank Account Scheme, Kisan Credit Card for farmers, loans to self-help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA wages and social security pension, loan under differential interest rate scheme, Loans to women entrepreneurs and support to Micro and Small enterprises.

Principle 5

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint entures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   Yes. The bank is aware of the Human Rights content of the constitution of India and respects the freedom of associations. The HR related policies cover the operations of the Banking. The HR policies of the bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age disabilities, social and economic status of the employees. While engaging the services of the contractors for the civil construction / electrical / maintenance works at its premises, the bank follows the labour laws and other related human rights.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   During the year the bank has received 5290 number of complaints from the various stake holders of the bank and resolved 100% number of complaints.

Principle 6

Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.**

   Yes, the policy covers only the Bank

2. **Does the company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes.

   In terms of the Bank's Lending policy guidance, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming / producing Ozone depleting substances such as Chloroflurocarbon - 11 (CFC-11), CFC-12, Mixtures of CFC-11 and CFC-12, CFC-113 Carbon Tectrachloride, Methyl chloroform, Halons - 1211, 1301, 2402.

3. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

   Given the nature of business, the bank is not vulnerable for environmental risk in a significant level. Yes

4. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   Yes, various green initiatives undertaken by the bank include core banking solutions, internet banking, Tele-banking, mobile banking, ATM, E-Lobby to promote paperless banking.

5. **Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.**

   Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green products which earn the carbon credits, wind mills / solar power projects.

6. **Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?**

   The bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.**

   -NIL-

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:**

   a) Indian Banks' Association (IBA)

   b) Banking Codes and Standard Board of India (BCSBI)

   c) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

   d) Institute of Banking Personnel selection (IBPS)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The bank being one of the Public Sector Banks of India, is driven by Total Objective of obtaining the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the bank is adhering to all the policy directions / regulatory guidelines issued by Government of India and Reserve bank of India from time to time in the area of economic and financial sector reforms, inclusive growth, national priorities contributing to sustainable development of the country.

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Lending to Self Help Groups and Joint Liability Group:

Being a successful credit delivery system in meeting the credit needs of rural and urban poor, the Bank is pursuing lending to SHGs/JLGs as one of the thrust areas. The Bank has so far credit linked 30395 groups with ` 841 Crore. The special campaigns are conducted for credit linking SHGs/JLGs on a large scale directly and also through Business Correspondent model. Interest subvention benefit under GoI's NRLM is passed on to the eligible groups.

The Bank has also financed Micro Finance Institutions (MFIs) involving credit to the tune of ` 567 Crore which is onlent to SHGs/JLGs and other Low Income Group.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/ any other organization?

Following are the other initiatives wherein bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

I. VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes): The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes [VIBSETIs] at Mandya and Haveri in Karnataka State and at Indore in Madhya Pradesh. The Institutes have been conducting various vocational training/skill upgradation / awareness programmes/Entrepreneur Development Programmes etc. All the three VIBSETIs have been graded 'AA', highest grading, for the year 2016-17 by Ministry of Rural Development (MoRD), GoI.

   During the financial year 2017-18, VIBSETIs have conducted 87 programmes and trained 2399 beneficiaries. Since inception, totally 1624 programmes have been conducted benefitting 63631 beneficiaries. Settlement of trained candidates with gainful self- employment ventures is 70% as at 31.03.2018.

II. Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by the Bank in the year 1990 at Mangalore to provide a platform for developmental programmes and conducting extension activities in rural areas promoting and fostering scientific, educational and extension activities in the field of agriculture, animal husbandry, Rural industries, services etc and also other rural development fields like literacy, self-employment, health & hygiene. VRDF has been conducting various awareness programmes covering a wide range of subjects through the Village Development Councils (VDC). At present, 49 such VDCs are functioning under VRDF including 5 VDCs formed during FY 2017-18. The activities of the Foundation are spread over Dakshina Kannada, Udupi, Kasargod and adjacent parts of Uttara Kannada district and to Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

During the financial year 2017-18, VRDF has conducted 283 programmes benefiting 11094 persons. This is the highest number of programs conducted in a year by VRDF since its establishment. Since inception, totally 1969 programmes have been conducted benefitting 121665 beneficiaries.

The following were a few novel programmes conducted during 2017-18:

- Roof rain water harvesting models to give awareness about water conservation among villagers which is the need of the day.
- Popularizing Prime Minister Soil Health Card Scheme.
- Radio classes to 10th Class Kannada medium rural school students in Mathematics, English and Science through Akashavani Mangalore.
- Formation of 50 vidyarthi Krishika Sanghas to motivate students to develop interest in agricultural profession.
- Distribution of Vegetable seeds.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

As on 31st March 2018, the Bank was having 14.59 Lakh Basic Savings Bank Deposit accounts with total savings of ` 203.43 Crore . All active accounts have been provided with RuPay debit cards. Aadhaar seeding percentage in PMJDY accounts improved to 90.01% in March 2018 from 88% in March-2017. Aadhaar seeding in operative accounts improved to 82% in March 2018 from 62% in March 2017. Bank has sanctioned Overdraft facility to 9442 PMJDY account holders amounting to ` 158.00 Lakhs.

4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken.

During the year 2017-18, Bank has undertaken several activities aimed at sustainable development of the neglected, socially backward, economically weak and geographically distant sections of the society. Our attention is focused especially in the realm of girl child education, rural healthcare, safe drinking water, sanitation, creation of medical infrastructure, infrastructure development in rural schools, environment protection and providing access to resources to the marginalized, neglected, abandoned and the needy and these activities are undertaken/monitored through Bank's own pan-India branch network.

During the year 2017-18, Bank has spent Rs.3.98 crores by undertaking various socially useful activities as per its CSR Roadmap for year as given below:

- Girl Child Adoptions - The Scheme was introduced by our Bank in 2011 under which girl children from SC/ST/OBC/Minority/EWS families are extended financial support for their education upto Post Graduate level. The total number of girl children adopted by the Bank is 1311.
- Sanitation to Schools - Bank has constructed toilet blocks for boys and girls in 66 schools/ organizations, all over the country mostly in rural/ backward areas, for which Bank also pays monthly maintenance charges for proper upkeep/maintenance.
- Rural Health Centres - Bank has established 58 Rural Health Centres to give access to primary healthcare to rural poor all over the country, by engaging qualified doctors where consultation/ medicines are provided free of cost to all.
- Buses/Vehicles/Ambulances for the needy - Bank has donated buses, vehicles, vans, etc to charitable hospitals, special schools, orphanages to help the needy.
- Facilitating safe drinking water-Bank has donated for installation of water purifying plant, water purifiers, water filters, water storage tanks etc. to schools, hospitals, orphanages etc.

- Go-green initiatives were undertaken by way of maintenance of public parks, tree plantation, donation of vehicle for garbage collection, providing towards cleaning and maintenance of road under Swachh Bharat Abhiyan etc.
- Other donations were undertaken apart from aforementioned activities such as providing of basic necessities/ amenities etc. to schools, charitable trusts and non-profit organizations directly for the welfare of the disabled, aged, poor, needy and the underprivileged in order to provide succor and relief to the suffering.

5. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

   Yes. Monitoring and end usage of funds are ensured through the Regional offices and branches across the country. The nearest branches are always in touch with the beneficiaries of our CSR activities. Bank also undertakes activities that are one-off in nature such as donations and has donated liberally towards creation of infrastructure, supply of essentials to schools, old age homes, orphanages, homes for disabled/destitute, charitable hospitals, etc. to reduce their hardship and raise their standard of living on a sustainable basis.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.**

   The total number of customer complaints pending with the bank is 40 out of total complaints of 4699 i.e. only 0.85% of total complaints.

2. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)**

   The information about the products and services offered by the bank are made available in the branches through pamphlets and brochuers and is also made available in the bank's website.

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   -Nil-

4. **Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

   Yes, during the month of customer service committee meeting being conducted at all branches / Regional Offices, feedback on customer service is elicited and necessary and time bound corrective actions are taken to improve customer service in the deficient.

   A Part from this, the bank has conducted survey on Customer Satisfaction through an independent Agency at our 849 selected branches to identify areas of improvement towards achieving a superior Customer Service.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE FY 2017-18

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Bank defines the philosophy of Corporate Governance as one which spells out the long term sustainability with strong fundamentals. Corporate Governance is a mission intended to create strong fundamentals for the bank. With changing dimensions of corporate governance practices bank need to transform into much more dynamic and forceful entity setting a broad vision for the future. Corporate governance essentially involves balancing the interests of the many stakeholders - these include its shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government , regulators and the community. Since corporate governance also provides the framework for attaining a company's objectives, it encompasses practically every sphere of management, from action plans and internal controls to performance measurement and corporate disclosure. The essence of good corporate governance is ensuring trustworthy relations between the Bank and all its stakeholders. Therefore, good governance involves a lot more than compliance. Good corporate governance is a culture and a climate of Consistency, Responsibility, Accountability, Fairness, Transparency, and Effectiveness that is Deployed throughout the organization.

The Bank continues its Endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources. The Bank complies with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulates and adheres to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is striving hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large. The Bank is a listed entity; it's not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank's corporate governance policies recognize the accountability of the Board and the importance of its decisions to all constituents, including customers, investors, employees and the regulatory authorities, and demonstrates that the shareholders are the cause of and ultimate beneficiaries of our economic activities.

Green Initiatives in Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Ministry of Corporate Affairs has issued circulars giving clarification regarding service of documents/notices including copies of Annual Financial Results to shareholders in electronic form rather than sending through physical mode. This will benefit the society at large through reduction in paper consumption and in turn protect our trees which would contribute towards a sustainable greener environment. Sending of documents / communications through electronic mode also ensures prompt communication and avoids their loss in transit. We have requested all our shareholders to register their e-mail address with us to enable us to comply with the Green Initiatives envisaged by the GOI.

2. BOARD OF DIRECTORS

Good Corporate Governance starts at the top, with the Board of Directors and the Top Management who takes appropriate decision and guide the Bank in achieving highest standards of excellence. Constitution of Board of Directors and other committees in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and RBI Directives/GOI Guidelines/ICAI-Accounting.

2.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2018

Executive	3
Non-Executive	9
TOTAL	**12**

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank.

2.2. Composition of Board of Directors as on 31.03.2018:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri G Narayanan	Non Executive Chairman & Non Official Director	Non Executive	14.08.2015
2.	Shri R A Sankara Narayanan*	Managing Director & CEO	Executive	01.09.2017
3.	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director	Executive	22.01.2016
4.	Shri Murali Ramaswami*	Executive Director	Executive	19.02.2018
5.	Shri N Srinivasa Rao*	Government Nominee	Non Executive	28.09.2017
6.	Shri G P Borah	RBI Nominee	Non Executive	13.01.2017
7.	Shri Vivek Soni*	Non Official Director (CA Category)	Non Executive	27.12.2017
8.	Shri M Bhagavantha Rao	Non Official Director	Non Executive	28.01.2016
9.	Shri V V R Sastry	Non Official Director	Non Executive	28.01.2016
10.	Shri S Raghunath	Non Official Director	Non Executive	25.04.2016
11.	Shri Rajan Dogra*	Nominee-Shareholders	Non Executive	08.08.2017
12.	Shri Raghvender Gupta*	Nominee-Shareholders	Non Executive	08.08.2017

Appointment of Directors during the year

* Shri R A Sankara Narayanan, has been appointed as Managing Director & CEO w.e.f. 01.09.2017

* Shri Murali Ramaswami has been appointed as Executive Director w.e.f 19.02.2018

* Shri N Srinivasa Rao has been appointed as Government Nominee Director w.e.f 28.09.2017

* Shri Rajan Dogra has been appointed as Shareholder Director w.e.f 08.08.2017

* Shri Raghvender Gupta has been appointed as Shareholder Director w.e.f 08.08.2017

* Shri Vivek Soni has been appointed as Non Official Director under CA Category w.e.f 27.12.2017

Cessation of Directors during the year

Shri Kishore Sansi, has demitted the office as Managing Director & CEO on 31.08.2017

Smt Bharati Rao has demitted the office as Shareholder Director on 07.08.2017

Shri P Vaidyanathan has demitted the office as Shareholder Director on 07.08.2017

Shri Sanjay Kumar has demitted the office as Government Nominee Director on 27.09.2017

Shri B S Rama Rao has demitted the office as Executive Director on 31.01.2018

2.3 Profile of Directors Appointed During the Year 2017-2018

NAME	Shri R A SANKARA NARAYANAN
DATE OF BIRTH	23.01.1960
AGE	58 years
QUALIFICATIONS	MBA (Finance) CAIIB, PGDPM, PGDFM, DTIRM, DCP, BRM.

NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MANAGING DIRECTOR & CEO Shri R A Sankara Narayanan was appointed as Managing Director & CEO of the Bank by Government of India, under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub Clause (1) of Clause 3, clause 6 and sub clause (1) of clause 8 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 wef from 01.09.2017.
EXPERIENCE	Shri R.A. Sankara Narayanan has joined Vijaya Bank as the Managing Director & CEO with effect from 1st September 2017. He is a post-graduate in Public Administration with MBA in Finance, CAIIB, PGDPM, PGDFM, DTIRM, DCP, BRM. He joined Bank of India as a Direct Recruit Officer in the year 1983 and headed various Branches, Zones, National Banking Groups across India and many other Departments in Corporate Office including Treasury, Retail, and International Banking with Overseas assignments at Tokyo and Singapore. He has rich experience and exposures in all segments of Banking including Treasury, International Banking, Corporate Credit, Risk Management, Compliances, Retail, Marketing, Recovery, Human Resources. As Executive Director of Bank of India from May 2015, he was responsible for Treasury, Corporate Credit, Recovery, Risk Management, Compliance apart from International Banking, Retail, HR, IT, Planning, Finance etc. He has represented BOI in various Boards – including PT. Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India - Tanzania, Commonwealth Finance Corporation Ltd (CFCL-Hongkong), BOI New Zealand Ltd, BOI Shareholding, SUD Life Insurance

NAME	Shri Murali Ramaswami
DATE OF BIRTH	20.12.1960
AGE	58 Years
QUALIFICATIONS	MBA (Finance) JAIIB, CAIIB and Qualified Cost Accountant
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Executive Director Shri Murali Ramaswami was appointed as Executive Director of the Bank by Government of India, vide notification F.No.4/5(2)/2017-BO-I dated 19th February 2018 under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub Clause (1) of Clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 for a period from the date of his taking over of the post up to 31.12.2020 or until further orders
EXPERIENCE	Shri Murali Ramaswami has joined Vijaya Bank as the Executive Director with effect from 19th February 2018. He is a commerce graduate, MBA in Finance, Qualified JAIIB,CAIIB and Qualified Cost Accountant. Shri Murali Ramaswami had joined Vijaya bank as Manager in the year 1989 and headed various Branches, Regions, across India and many other Departments in Corporate Office. Prior to his elevation as Executive Director, he was General Manager Credit (O) as well as the Chief Financial Officer of the Bank. He has rich experience and exposures in all segments of Banking. He has attended various training, seminars organized by IDRBT, NIBM and other institutions in India and abroad.

NAME	Shri N Srinivasa Rao
DATE OF BIRTH	08.02.1969
AGE	49 years
QUALIFICATIONS	Ph.D
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Government Nominee Director Shri N Srinivas Rao was appointed as Government Nominee Director of the Bank by Government of India, vide its notification F. No.6/3/2012- BO.I dated 28.09.2017 has informed that in exercise of (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub Clause (1) of Clause 3 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980, with immediate effect and until further orders.
EXPERIENCE	He is a post graduate in Economics and has done Ph.D in debt sustainability and FRBM act in India. He joined Government of India in the year 1995 as Research officer in Department of Economic affairs, Ministry of Finance, New Delhi. In his career, he has worked in various departments like development of Economic affairs, Department of financial services, Insurance Regulatory & Development Authority of India etc under different capacities like Director, Financial Adviser and Economic Advisor. Presently he is posted as an Economic Advisor in DFS, Government of India.

NAME	Shri Raghvender Gupta
DATE OF BIRTH	06.04.1955
AGE	63 years
QUALIFICATIONS	Chartered Accountant
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Shareholder Director Shri Raghvender Gupta was nominated as Shareholder Director of the Bank, wef 08th August 2017 in terms of section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980.
EXPERIENCE	He is a commerce graduate and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India since 1986. Shri Raghvender Gupta has an eminent experience of 37 years in the field of Finance, Taxation and Bank Audits. He is the main partner of M/s R.VENDER GUPTA & ASSOCIATES, New Delhi which he started in the year 1980. He has obtained Certificate Course on Valuation from Institute of Chartered Accountants of India and has also completed course on Concurrent Audit of Banks from ICAI. He is associated with various Public Sector banks in the capacity as Concurrent auditor, Stock auditor, Revenue auditor, Statutory Branch auditor as well as Central Statutory Auditor. He has also been associated with various Public Sector undertakings in the capacity as Statutory/Internal/Concurrent auditor etc. He has been affiliated as an expert with Bureau of Indian Standard (BIS) and as a Special auditor with the Income Tax department.

NAME	Shri Rajan Dogra
DATE OF BIRTH	21.06.1964
AGE	54 years
QUALIFICATIONS	Chartered Accountant
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Shareholder Director Shri Rajan Dogra was nominated as Shareholder Director of the Bank, wef 08th August 2017 in terms of section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980.
EXPERIENCE	He is a commerce graduate and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India since 1989. He has been in practice since 1995. Shri Rajan Dogra has an eminent experience of 27 years in the field of Banking and Telecom. He is the full time partner in S.Tandon & Associates, Chartered Accountants. He is a Director in various Companies. Amongst the Companies, his flagship Company is Syncpro Solutions Pvt Ltd. The Company is in existence since 2006 and is engaged primarily in Document Management Systems including warehousing for various Telecom Service Providers. The Company also acts as an Outsourced vendor for various Private Sector Banks & NBFCs for Credit Monitoring i.e Credit Verifications, Documents Processing, Collections etc. He has travelled extensively and this facilitates his global perspective.

NAME	Shri Vivek Soni
DATE OF BIRTH	24.07.1962
AGE	56 years
QUALIFICATIONS	Chartered Accountant
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Non Official Director under CA Category Shri Vivek Soni was appointed by Government of India vide its notification F. No.6/1/2015- BO.I dated 27.12.2017 has informed the Bank that in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with item (b) of sub clause (2) of clause 9 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980.
EXPERIENCE	He is a graduate from Meerut University and fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. He is the partner of M/s Vivek Soni and Company. The firm has experience of conducting Statutory Branch Audit, Concurrent Audit, Inspection Audit, Stock Audit, Due Diligence and Unit Inspection on behalf various nationalised and private Banks. He has vast experience in the field of Capital and Money Market, specialization in Audit, Merger and Amalgamation, Corporate Restructuring, Project Financing, Taxation, Tax Planning and Company Law Matters. He has been an advisor to Corporate and Non corporate Entities for the last 30 Years.

2.4. Board Meetings:

During the year under review, 17 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

09.05.2017	23.06.2017	22.07.2017	30.08.2017	18.09.2017	12.10.2017	26.10.2017
02.12.2017	02.12.2017	03.12.2017	02.01.2018	24.01.2018	08.02.2018	24.02.2018
09.03.2018	09.03.2018	22.03.2018				

Out of the above Board Meetings, 5 were Special Board Meetings held as per the directions of the Ministry of Finance vide their letter dated 10.07.2012 for discussing major policy and strategic issues.

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings including Special Board Meetings held during their respective tenure are as under.

2.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings and Last AGM:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure	Attendance in last AGM Yes/ NO/NA
1.	Shri G Narayanan	01.04.2017-31.03.2018	17	17	YES
2.	Dr. Kishore Sansi	01.04.2017-31.08.2017	4	4	YES
3.	Shri R A Sankara Narayanan	01.09.2017-31.03.2018	13	13	NA
4.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	12	12	YES
5.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017-31.03.2018	17	16	YES
6.	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	4	4	NA
7.	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017-27.09.2017	5	3	YES
8.	Shri Srinivasa Rao	28.09.2017-31.03.2018	12	9	NA
9.	Shri G P Borah	01.04.2017-31.03.2018	17	15	YES
10.	Smt. Bharati Rao	01.04.2017-07.08.2017	3	2	YES
11.	Shri P. Vaidyanathan	01.04.2017-07.08.2017	3	3	YES
12.	Shri Rajan Dogra	08.08.2017-31.03.2018	14	14	NA
13.	Shri Raghvender Gupta	08.08.2017-31.03.2018	14	14	NA
14.	Shri Vivek Soni	27.12.2017-31.03.2018	7	7	NA
15.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017-31.03.2018	17	17	YES
16.	Shri V V R Sastry	01.04.2017-31.03.2018	17	17	YES
17.	Shri S Raghunath	25.04.2017-31.03.2018	17	13	NO

3. Committees of Board

In line with the requirements/ directions of SEBI, RBI and Ministry of Finance, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees provide specific and focused governance for the activities falling within their terms of reference and as per the stipulated guidelines.

1. Management Committee
2. Audit Committee
3. Stakeholder Relationship Committee
4. Share Transfer Committee
5. Risk Management Committee
6. Committee to Review High Value Frauds
7. Head Office Level Credit Approval Committee
8. Directors' Promotion Committee
9. Review Committee on Disciplinary Matters & Probity
10. Customer Service Committee
11. Remuneration Committee
12. Nomination Committee
13. Committee to decide on supporting candidates in election of shareholder directors
14. IT Strategy Committee
15. Committee For Monitoring of Recovery
16. Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the Managing Director & CEO as Disciplinary Authority
17. APAR Review Committee:
18. Corporate Social Responsibility Committee
19. Review of Wilful Defaulters Committee
20. HR Committee
21. Committee of Digital Transaction

3.1. Management Committee of Board:

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause 13 of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/ write-off, sanction of capital and revenue expenditure, investments, donations etc. The Committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

Members as on 31.03.2018

Sl No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri G P Borah	Member
5.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
6.	Shri Rajan Dogra	Member

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 14 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of Director Members are as detailed below:

08.05.2017	22.06.2017	18.09.2017	27.09.2017	12.10.2017	07.11.2017	01.12.2017
27.12.2017	24.01.2018	08.02.2018	24.02.2018	09.03.2018	22.03.2018	31.03.2018

3.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankaranarayanan*	01.09.2017 - 31.03.2018	12	12
2.	Dr. Kishore Sansi*	01.04.2017 - 31.08.2017	2	2
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 - 31.01.2018	9	8
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 - 31.03.2018	14	13
5.	Smt. Murali Ramaswamy	19.02.2018 – 31.03.2018	4	4
6.	Shri G P Borah	01.04.2017 – 31.03.2018	14	12
7.	Shri S Raghunath	08.08.2017 – 07.02.2018	7	5
8.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017 - 07.08.2017 08.02.2018 - 31.03.2018	7	7
9.	Shri VVR Sastry	01.04.2017 - 07.08.2017	2	2
10.	Shri Rajan Dogra	08.02.2018 - 31.03.2018	5	5
11.	Shri Raghvender Gupta	08.08.2017 – 07.02.2018	7	7

*Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and Shri R A Sankara

Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 2013 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

The functions of Audit Committee include inter-alia, the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control system is observed and suggests strengthening of control mechanism.
- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report etc.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:

a) Inter Branch Adjustment Accounts.

b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.

c) Arrears in balancing of books at various branches.

d) Frauds.

e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Executive Director, Government Nominee Director, RBI Nominee Directors and Non-Executive Directors.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri Vivek Soni	Chairman
2.	Shri Murali Ramaswami	Member
3.	Shri N Srinivasa Rao	Member
4.	Shri G P Borah	Member
5.	Shri V V R Sastry	Member
6.	Shri Raghvender Gupta	Member

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times in a year. During the year, the Audit Committee met 7 times on the following dates:

08.05.2017	22.07.2017	04.10.2017	26.10.2017	02.12.2017	24.01.2018	09.03.2018

3.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Smt Bharati Rao*	01.04.2017 – 07.08.2017	2	1
2.	Shri P. Vaidyanathan	01.04.2017 – 07.08.2017	2	2
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 - 31.01.2018	6	6
4.	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018 – 31.03.2018	1	1
5.	Smt Sanjay Kumar	01.04.2017 – 27.09.2017	2	-
6.	Shri Srinivasa Rao	28.09.2017 – 31.03.2018	5	3
7.	Shri G P Borah	01.04.2017 – 31.03.2018	7	7
8.	Shri S Raghunath	01.04.2017-07.08.2017	2	2
9.	Shri M Bhagvantha Rao*	08.08.2017 – 07.02.2018	4	4
10.	Shri V V R Sastry	08.08.2017-31.03.2018	5	5
11.	Shri Rajan Dogra	08.08.2017-07.02.2018	4	4
12.	Shri Raghvender Gupta	08.02.2018-31.03.2018	1	1
13	Shri Vivek Soni *	08.02.2018-31.03.2018	1	1

* Smt Bharati Rao was Chairperson from 01.04.2017 to 07.02.2018 and Shri Bhagavantha Rao was Chairperson from 08.08.2017 to 07.02.2018 and Shri Vivek Soni is Chairman from 08.02.2018 to 07.02.2018.

3.3 Stakeholder's Relationship Committee:

The Stakeholder's/Relationship Committee was constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders' and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations 2015, Smt K Renu Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri Raghvender Gupta	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri VVR Sastry	Member
5.	Shri Rajan Dogra	Member

The Committee met 4 times during the year under review on the following dates.

09.05.2017	22.07.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Stakeholder's Relationship Committee:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri P. Vaidyanathan*[1]	01.04.2017 – 07.08.2017	2	2
2.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 – 31.01.2018	3	3
3.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
4.	Shri Murali Ramaswamy	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
5.	Smt. Bharati Rao	1.04.2017 – 07.08.2017	2	1
6.	Shri V V R Sastry	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1
7.	Shri S Raghunath	01.04.2017 – 26.02.2018	3	3
8.	Shri Rajan Dogra	08.02.2018 – 31.03.2018	2	1
9.	Shri Raghvender Gupta*[2]	08.08.2017 – 31.03.2018	2	2

*1 Shri P. Vaidyanathan was Chairman from 01.04.2017 to 07.08.2017.

*2 Shri Raghuvender Gupta is Chairperson from 08.08.2017 to 31.03.2018

3.4. Share Transfer Committee:

Besides the Directors' Sub Committee on Stakeholder Relationship, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Directors with Managing Director & CEO or Executive Director (in the absence of MD & CEO) and non-executive Directors as its members.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanana	Chairman
2.	Shri S Raghunath	Member
3.	Shri Rajan Dogra	Member

The Committee met 4 times during the period under review with details as under.

09.05.2017	22.07.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankaranarayanan	01.09.2017- 31.03.2018	2	2
2.	Shri Kishore Sansi	01.04.2017 - 31.08.2017	2	2
3.	Shri V V R Sastry	01.04.2017 - 31.03.2018	3	3
4.	Shri Vaidyanathan	01.04.2017- 07.08.2017	2	2
5.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017- 31.03.2018	3	3
6.	Shri S Raghunath	08.02.2018- 31.03.2018	1	1
7.	Shri Rajan Dogra	08.08.2017- 26.02.2018	1	1
8.	Shri Raghvender Gupta	08.08.2017- 31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank.

Functions of the Committee interalia include the following -

1. To devise the Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri R A Sankara Narayanan	Member
3.	Shri Nageswara Rao Y	Member
4.	Shri Murali Ramaswami	Member
5.	Shri Vivek Soni	Member
6.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
7.	Shri Rajan Dogra	Member
8.	Shri Raghvender Gupta	Member

The Committee met 6 times during the period under review with details as under.

22.06.2017	12.10.2017	03.12.2017	27.12.2017	08.03.2018	22.03.2018

3.5.1. Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri G Narayanan	01.04.2017-31.03.2018	6	6
2.	Shri Kishore Sansi	01.04.2017-31.08.2017	1	1
3.	Shri R A Sankaranarayanan	01.09.2017-31.03.2018	5	5
4.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	4	4
5.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017-31.03.2018	6	4
6.	Smt. Bharati Rao	01.04.2017-07.08.2017	1	1

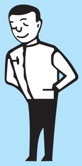

7.	Shri P. Vaidyanathan	01.04.2017-07.08.2017	1	1
8.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017-31.03.2018	6	6
9.	Shri V V R Sastry	01.04.2017-07.02.2018	4	4
10.	Shri Vivek Soni	08.02.2018-31.03.2018	2	2
11	Shri Raghvender Gupta	08.08.2017-31.03.2018	5	5
12	Shri Rajan Dogra	08.08.2017-31.03.2018	5	4

3.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of Rupees one Crore and above, a Committee of the Board was constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri R A Sankara Narayanan	Member
3.	Shri Nageswara Rao Y	Member
4.	Shri Murali Ramaswami	Member
5.	Shri N Srinivasa Rao	Member
6.	Shri Rajan Dogra	Member
7.	Shri Raghvender Gupta	Member

The Committee met 2 time during the period on 08.05.2017 and 27.12.2017

3.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri G Narayanan	01.04.2017-31.03.2018	2	2
2.	Dr. Kishore Sansi	01.04.2017-31.08.2017	1	1
3.	Shri R A Sankara Narayanan	01.09.2017-31.03.2018	1	1
4.	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	0	0
5.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	2	2
6.	Shri Nageswara Rao	01.04.2017-31.03.2018	2	2
7.	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017-27.09.2017	1	0
8.	Shri Srinivasa Rao	28.09.2017-31.03.2018	1	1
9.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017-07.02.2018	2	2
10.	Shri V V R Sastry	01.04.2017-07.02.2018	2	2

*Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and Shri R A Sankara

Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.7 HEAD OFFICE LEVEL CREDIT APPROVAL COMMITTEE (HLCC)

Board of Directors in its meeting held on 28.12.2011 had approved the constitution of Credit Approval Committee of the Board as per the direction of Government of India vide communication bearing reference no 13/1/2006-BO.1 dated 5th December, 2011. As per the notification, the Committee shall exercise powers of Board with regard to sanction of credit proposals upto ` 400 Crore in case of category 'A' Banks having business of ` Three Lakh Crore or more and credit proposals upto ` 250 Crore in case of other nationalized Banks. Credit proposals exceeding the delegated powers of Officials of the Bank including MD & CEO shall be placed to this Committee for approval. Credit proposals above this limit shall continue to be placed before the Management Committee of the Board for sanctions. Besides sanctioning the credit proposals (funded and non funded), loan compromise/ write off proposals upto an amount of ` 4 crore (excluding fraud cases which will continue to be placed to the MCB) will also be placed to this Committee.

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri Sivaiah K (GM Credit & CAD)	Member
5.	Shri Subrat Kumar (GM Risk Management)	Member

During the year 22 meetings of HLCC were held on the following dates:

26.04.2017	08.06.2017	27.06.2017	19.07.2017	05.09.2017	11.09.2017	20.09.2017
26.09.2017	11.10.2017	26.10.2017	07.11.2017	21.11.2017	30.11.2017	18.12.2017
28.12.2017	10.01.2018	25.01.2018	06.02.2018	21.02.2018	03.03.2018	14.03.2018
27.03.2018						

3.7.1 Details of Attendance of the Members in HLCC meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017-31.03.2018	18	18
2.	Dr.Kishore Sansi*	01.04.2017-31.08.2017	4	4
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 - 31.01.2018	17	16
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 - 31.03.2018	22	22
5.	Shri Murali Ramswamy General Manager Credit (O) and General Manager Accounts	01.04.2017 - 31.03.2018	22	21
6.	Shri Shivaih General Manager Credit (O)	26.10.2017-31.03.2018	12	12
7.	Shri Jagan Mohan General Manager RMD	01.04.2017– 07.11.2017	11	11
8.	Shri Subrat Kumar General Manager RMD	08.11.2017 - 31.03.2018	11	10
9.	Smt Gayathri Devi T S General Manager Credit (O)	01.04.2017 - 31.07.2017	3	3

Apart from the above, the concerned General Manager for Credit (Retail & MSME), Credit (Priority) and Credit (R&R) were present for their respective proposals, whenever required.

*Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and Shri R A Sankara

Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.8. Review Committee on Disciplinary Matters and Probity

The Committee was formed to oversee the following

a. Vigilance Disciplinary Cases and Departmental Enquiries

b. Non Vigilance Disciplinary Cases

c. Review under Regulation 19(2) of Officers Service Regulations

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri N Srinivasa Rao	Member
5.	Shri G P Borah	Member

The Committee met 4 times during the period under review as under:

23.06.2017	18.09.2017	02.12.2017	09.03.2018

3.8.1. Details of Attendance of the Directors at the Review Committee on Disciplinary Matters and Probity

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017-31.03.2018	3	3
2.	Shri Kishore Sansi*	01.04.2017 – 31.08.2017	1	1
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 – 31.01.2018	3	3
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
5.	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017 – 27.09.2017	2	1
6.	Shri N Srinivasa Rao	28.09.2017 - 31.03.2018	2	2
7.	Shri G P Borah	01.04.2017-31.03.2018	4	4

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and

* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.9 Directors Promotion Committee

The Committee was formed to oversee the following Promotions from TEGS VI to TEGS VII

Appeal in respect of Promotion to SMGS IV & Above.

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri G P Borah	Member
3.	Shri S Raghunath	Member

Committee consists of the following members-

1. MD & CEO
2. RBI Nominee Director
3. One Part Time Non Official Director

Committee met twice on 17.06.2017 and 18.09.2017

3.10 Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer Service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services.
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services.
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri Vivek Soni	Member
5.	Shri VVR Sastry	Member
6.	Shri Rajan Dogra	Member
7.	Shri K Jose James (customer representative)	Member

The Committee met 4 times during the period under review as under:

22.06.2017	18.09.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.10.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankarnarayanan*	01.09.2017- 31.03.2018	3	3
2.	Dr. Kishore Sansi*	01.04.2017- 31.08.2017	1	1
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017- 31.01.2018	3	3
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 -31.03.2018	4	3
5.	Shri Murali Ramaswamy	19.02.2018 -31.03.2018	1	1
6.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017 -07.02.2018	3	3
7.	Shri V V R Sastry	01.04.2017 -31.03.2018	4	4
8.	Shri S Raghunath	01.04.2017- 07.02.2018	3	3
9.	Shri Rajan Dogra	08.02.2018 -31.03.2018	1	1
10.	Shri Vivek Soni	08.02.2018 -31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and
* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.11. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Whole Time Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007, Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration Committee on 30.07.2007.The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors, viz., Managing Director & CEO and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31st March of the relevant year.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri N Srinivasa Rao	Member
3.	Shri G P Borah	Member
4.	Shri Vivek Soni	Member

The Committee met on 30.08.2017 during the period.

3.11.1 Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1	Shri G Narayanan	01.04.2017- 31.03.2018	1	1
2	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017-27.09.2018	1	1
3	Shri G P Borah	01.04.2017-31.03.2018	1	1
4	Shri Raghvender Gupta	08.08.2017-31.03.2018	1	1

The details of remuneration to Managing Director & CEO and ED's during the year 2017-2018 are as detailed below:

Particulars	Dr. Kishore Sansi	Shri R A Sankara Narayanan	Shri B S Rama Rao	Shri Nageswara Rao Y	Shri Murali Ramaswami
	MD & CEO(Rtd)	**(MD & CEO)**	**ED(Rtd)**	**(ED)**	**(ED)**
Salary	1126120	1509690	2016588	2317248	301380.85
PI Encashment on Retirement	2266160	0.00	2,028,600	0.00	0.00
Allowances					
Contribution on PF	107060	143780	191,520	220170	23362.85
Other-performance					
Linked Incentive					
Other - LFC	0	0	312096.00	0	0
Other - Medical	37199	216816.46	93203.30	13230.50	12349.10
Other Perquisites	8,000	11,200	16,000	19,200	0
Total	**3544539.00**	**1881486.46**	**4658007.30**	**2569848.50**	**337092.80**
Stock Option					

The Non Executive Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees paid as per Government of India directives.

The Total Sitting Fees paid to the Non Executive Directors for the financial year 2017-18 is as under-

Name of the Non – Executive Director	Sitting Fees paid (`)
Shri G Narayanan	540000
Shri Vaidyanathan	140000
Smt. Bharati Rao	80000
Shri Bhagavantha Rao	720000
Shri V V R Sastry	760000
Shri S Raghunath	530000
Shri Rajan Dogra	500000
Shri Raghvender Gupta	470000
Shri Vivek Soni	210000
Total	**3950000**

3.12. NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001 /2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors/the persons to be elected as Directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of three Directors as members:

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri N Srinivasa Rao	Member
3.	Shri M Bhagavantha Rao	Member

The Committee met twice during the period under review on 08.07.2017 and 15.07.2017 and found that the persons elected as Directors fulfill the 'fit and proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

3.12.1. Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri G Narayanan	01.04.2017 -31.03.2018	2	2
2.	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017-27.09.2017	2	2
3.	Shri V V R Sastry	01.04.2017-31.03.2018	2	2

3.13 COMMITTEE TO DECIDE ON SUPPORTING CANDIDATES IN ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS IN PSBs , FIs AND PUBLIC SECTOR INSURANCE COMPANIES

In line with the Ministry of Finance, GOI directives, the Board in its meeting held on 31.05.2012, approved the constitution of the committee, to take a decision on supporting candidates in the election of shareholder directors, where the Bank has invested in the shares of those companies.

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri S Raghunath	Member

The committee consists of the following members:

1. Managing Director & CEO- Chairman of the Committee
2. Executive Director/s- Member
3. One Non-Official Director- Member

During the year the committee did not meet since there was no such event.

3.14 IT STRATEGY COMMITTEE:

In line with the guidelines issued by the RBI and IBA recommendations, Board of Directors at its meeting held on 18.02.2012 has constituted the IT Strategy Committee with an outside technical expert as a special invitee.

Scope of the functions of the IT Strategy Committee inter-alia is as under:-

1. To advise the Bank on strategic direction on IT and to review IT investments on Board's behalf.
2. To approve IT Strategy and Policy documents and ensure that Business Strategy is aligned to IT Strategy.
3. To ascertain that management has implemented processes and practices that ensures that IT delivers value to the business.
4. Monitoring the method the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
5. To evaluate effectiveness of management's monitoring of IT risks and management's performance in IT implementation.
6. Issuing high level policy guidance related to risk.

Members as on 31.03.2018

SI No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri Vivek Soni	Member
5.	Shri VVR Sastry	Member
6.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
7.	Shri S Raghunath	Member

During the year the Committee met 5 times as under:

22.06.2017	12.10.2017	27.12.2017	23.02.2018	08.03.2018

Besides the Directors we have IT Experts as member and quorum for the meeting mandatorily requires the presence of One IT Expert.

3.14.1. Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri G Narayanan	01.04.2017-31.03.2018	5	5
2.	Smt Bharati Rao	01.04.2017-07.08.2017	1	1
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	3	3
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017-31.03.2018	5	4
5.	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	2	2
6.	Shri V V R Sastry	01.04.2017-31.03.2018	5	5
7.	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017-31.03.2018	5	5
8.	Shri S Raghunath	01.04.2017-31.03.2018	5	4
9.	Shri Rajan Dogra	08.08.2017-07.02.2018	2	1
10.	Shri Vivek Soni	08.02.2018-31.03.2018	2	2

3.15 COMMITTEE FOR MONITORING OF RECOVERY

In line with the Ministry of Finance letter dated 21.11.2012; the Board has constituted the committee for Monitoring of recovery to monitor / review the progress in recovery/ management of NPAs in general and of high value accounts of ` 1 Crore and above in particular.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri N Srinivasa Rao	Member
5.	Shri S Raghunath	Member

The Committee met 7 times during the period under review, as under:

08.05.2017	23.06.2017	18.09.2017	12.10.2017	03.12.2017	27.12.2017	09.03.2018

3.15.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017-31.03.2018	5	5
2.	Dr. Kishore Sansi*	01.04.2017-31.08.2017	2	2
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	6	6
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017-31.03.2018	7	7
5.	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	1	1
6.	Shri Sanjay Kumar	01.04.2017-27.09.2017	3	1
7.	Shri Srinivasa Rao	28.09.2017-31.03.2018	4	3
8.	Shri VVR Sastry	01.04.2017-07.02.2018	6	6
9.	Shri S Raghunath	08.02.2018-31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and
* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.16 COMMITTEE TO CONSIDER APPEALS PREFERRED BY EMPLOYEES AGAINST FINAL ORDERS BY THE MANAGING DIRECTOR & CEO AS DISCIPLINARY AUTHORITY

The Committee was formed on 29.03.2010 to consider appeals from employees against final order by the Managing Director & CEO as Disciplinary Authority to protect the interest of employees. The committee consists of GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and Non official Director (Chairman of the Audit Committee of the Board)

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri N Srinivasa Rao	Chairman
2.	Shri G P Borah	Member
3.	Shri Vivek Soni	Member

During the year the committee did not meet since there was no such appeal.

3.17 APAR REVIEW COMMITTEE:

The Committee was formed on 14.09.2013 for reviewing/upgrading the rating in Annual Performance Appraisal Reports (APAR) for Executives in TEGS-VII and the same was reconstituted on 31.10.2014.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri N Srinivasa Rao	Member
3.	Shri V V R Sastry	Member

During the year the committee did not meet since there was no such matter.

3.18 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

Vijaya Bank has, over the years, taken up several CSR initiatives on a voluntary basis to bring about long term impact on the lives of the underprivileged and neglected sectors of the society. Bank has a robust CSR policy and put in place a Roadmap for undertaking CSR activities every year by focusing on some important areas of national importance such as girl child education, rural healthcare, sanitation, facilitating safe drinking water, donation of ambulance/ vehicles, infrastructural support to schools/colleges in backward areas, environmental conservation, extending financial aid in times of natural calamities and other initiatives. Bank has contributed immensely to infrastructural development in rural, backward and remote regions. The increasing emphasis laid on CSR by the Bank is evident by the increasing number, spread and scope of CSR activities of the Bank over the years.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri S Raghunath	Member
5.	Shri Raghvender Gupta	Member

The CSR Committee was formed on 17.01.2014 for enhancing the scope of work on Corporate Social Responsibility in line with the above

The Committee met 4 times during the period as under

08.05.2017	18.09.2017	27.12.2017	09.03.2018

3.18.1 Details of Attendance of the Corporate Social Responsibility Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017- 31.03.2018	3	3
2.	Dr. Kishore Sansi*	01.04.2017 -31.08.2017	1	1
3.	Shri B S Rama Rao	01.04.2017 -31.01.2018	3	3
4.	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017 - 31.03.2018	4	4
5.	Shri Murali Ramaswamy	19.02.2018 - 31.03.2018	1	1
6.	Smt Bharati Rao	01.04.2017 - 07.08.2017	1	0
7.	Shri P Vaidyanathan	01.04.2017 - 07.08.2017	1	1
8.	Shri M Bhagavantha Rao	08.08.2017 - 07.02.2018	2	2
9.	Shri S Raghunath	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1
10.	Shri Rajan Dogra	08.08.2017 - 07.02.2018	2	1
11.	Shri Raghvender Gupta	08.02.2018 - 31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and
* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.19 REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS COMMITTEE

The Committee was formed on 17th January 2015 as per the guidelines of the RBI issued vide Master circular RBI/2014-15/73 dated 1st July 2014, to review the grievances of those borrowers identified as Willful defaulters. The committee comprises of MD & CEO as the Chairman and two Non Executive Directors as Members.

Members as on 31.03.2018

Sl No	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
3.	Shri Rajan Dogra	Member

The Committee met 3 times during the period as under

09.05.2017	27.12.2017	08.03.2018

3.19.1 Details of Attendance of the Review of Wilful Defaulters Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017-31.03.2018	2	2
2	Shri Kishore Sansi*	01.04.2017-31.08.2017	1	1
3	Shri M Bhagavantha Rao	08.02.2018-31.03.2018	1	1
4	Shri V V R Sastry	01.04.2017-07.02.2018	2	2
5	Shri S Raghunath	01.04.2017-07.02.2018	2	2
6	Shri Rajan Dogra	08.02.2018-31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and
* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

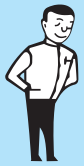

3.20 HR COMMITTEE:

The Committee was formed on 14th February 2015 to address the critical HR issues.

The Scope of the Committee is as under-

1) To analyze the manpower plan vis – a- vis the goals set by the Bank
2) To analyze, review and monitor Executive/Capability development programmes and training programmes as approved/ recommended by the training advisory committee.
3) To review and draw employee engagement initiatives to drive organization success.
4) To review staff resourcing trends and Human Resources Metrics
5) To guide the Bank on various HR Policies and in Succession Planning.
6) Any other relevant matters identified from time to time, or advised by the Board.

The committee comprises of the Chairman, MD & CEO, Executive Directors and other Non Official Directors.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri G Narayanan	Chairman
2.	Shri R A Sankara Narayanan	Member
3.	Shri Nageswara Rao Y	Member
4.	Shri Murali Ramaswami	Member
5.	Shri Vivek Soni	Member
6.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
7.	Shri Raghvender Gupta	Member

The Committee met 4 times during the period as under

08.05.2017	18.09.2017	24.11.2017	09.03.2018

3.20.1 Details of Attendance of the HR Committee

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1	Shri G Narayanan	01.04.2017-31.03.2018	4	4
2	Shri R A Sankara Narayanan*	01.09.2017-31.03.2018	3	3
3	Dr. Kishore Sansi*	01.04.2017-31.08.2017	1	1
4	Shri B S Rama Rao	01.04.2017-31.01.2018	3	3
5	Shri Nageswara Rao Y	01.04.2017-31.03.2018	4	4
6	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	1	1
7	Smt Bharati Rao	01.04.2017-07.02.2018	1	0
8	Shri M Bhagavantha Rao	01.04.2017-31.03.2018	2	2
9	Shri S Raghunath	01.04.2017-07.02.2018	3	3

S. N.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
10	Shri V V R Sastry	01.04.2017-07.02.2018	3	3
11	Shri Rajan Dogra	08.08.2017-07.02.2018	2	1
12	Shri Raghvender Gupta	08.02.2018-31.03.2018	1	1
13	Shri Vivek Soni	08.02.2018-31.03.2018	1	1

* Shri Kishore Sansi was Chairman from 01.04.2017 to 31.08.2017 and
* Shri R A Sankara Narayanan is Chairman from 01.09.2017 to 31.03.2018

3.21 Committee on Digital Transactions

The Committee was formed on 18th September 2017 as per the letter from Department of Financial Services, Government of India ref no F. NO8/08/2015-BOA dated 04th August 2017. The committee was formed to monitor the progress of digital transactions in the Bank.

Members as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1.	Shri R A Sankara Narayanan	Chairman
2.	Shri Nageswara Rao Y	Member
3.	Shri Murali Ramaswami	Member
4.	Shri M Bhagavantha Rao	Member
5.	Shri V V R Sastry	Member
6.	Shri S Raghunath	Member

The Committee met 1 time during the period on 08th March 2018.

3.21.1 Details of Attendance of the Committee on Digital Transaction

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1	Shri R A Sankara Narayanan	18.09.2017-31.03.2018	1	1
2	Shri Nageswara Rao Y	18.09.2017-31.03.2018	1	0
3	Shri Murali Ramaswami	19.02.2018-31.03.2018	1	1
4	Shri M Bhagavantha Rao	18.09.2017-31.03.2018	1	1
5	Shri V V R Sastry	18.09.2017-31.03.2018	1	1
6	Shri S Raghunath	18.09.2017-31.03.2018	1	1

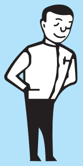

4. PARTICULARS OF SHAREHOLDINGS OF NON-EXECUTIVE/SHAREHOLDER DIRECTORS AS ON 31.03.2018:

Sr. No.	Name of Director	Number of shares held
1.	Shri G Narayanan, Non Executive Chairman	NIL
2.	Shri M Bhagavantha Rao Non Official Director	NIL
3.	Shri V V R Sastry Non Official Director	NIL
4.	Shri S Raghunath Non Official Director	NIL
5.	Shri Rajan Dogra Shareholder Director	500
6.	Shri Raghvender Gupta Shareholder Director	500
7.	Shri Vivek Soni Non Official Director	NIL

5. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in the SEBI (LODR) Regulations. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/ top management personnel on an annual basis for compliance of the same. The code of conduct is also hosted in Bank's Website.

6. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Meeting held are furnished below:

Special Resolution		Date	Time	Venue
				Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bangalore.
15th AGM	YES	22.06.2015	10:30 A M	
16 th AGM	YES	24.06.2016	10.00 A M	
17 th AGM	YES	23.06.2017	10.00 A M	

The following Directors were present during the Seventeenth Annual General Meeting. There was one Special Resolution on capital raising plan which was passed in the meeting:

1. Shri G Narayanan - Chairman
2. Dr. Kishore Sansi - Managing Director & CEO
3. Shri B S Rama Rao - Executive Director
4. Shri Nageswara Rao Y - Executive Director
5. Shri Sanjay Kumar - Govt Nominee Director
6. Shri G P Borah - RBI Nominee Director
7. Shri M Bhagavantha Rao - Non Official Director
8. Shri V V R Sastry - Non Official Director
9. Smt Bharati Rao - Shareholder Director and Chairman of ACB
10. Shri P Vaidyanathan - Shareholder Director

Shri Arun Kumar, Under Secretary, (welfare) Ministry of Finance, Government of India was also present at the Meeting as an Observer of the Government of India.

7. **Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:**

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of shares is duly effected within the stipulated period from the date of their lodgments. The Board has constituted Stakeholder's Relationship Committee and In-house Executive Committee for Share Transfer to redress shareholders' grievances and to consider transfer of shares and other related matters. The Committees meets at regular intervals and reviews the status of Stakeholders Grievances besides confirming transfer of shares.

The Bank has appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Share Transfer Agent whose duty is to process share transfers, dividend payments, recording of shareholders' requests, and resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

M/s Link Intime India Private Limited

C101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West

Mumbai 400083

Tel: (022) 49186000

Fax: (022) 49186060

E-mail: mumbai@linkintime .com.in

Website: www.linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bengaluru at the following address:

General Manager,

Board Secretariat (Shares Division)

Vijaya Bank, Head Office,

41/2, M.G.Road, Bengaluru

Karnataka – 560 001

Telephone : 080 25584066 Extn.514

Fax : 080 25594737

e-mail : sdigc@vijayabank.co.in

website : www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the In House Share Transfer Committee for approval. After getting the approval from the Committee, M/s Link Intime India Private Limited effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period from the date of their lodgment.

As per the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2017-2018 and pending as on 31.03.2018 are as follows:

Particulars	Pending As on 01.04.2017	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2018
a) No. of Requests	NIL	5290	5290	NIL
b) No. of Complaints	NIL	316	316	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2018, no share transfer requests were pending at our end.

8. Disclosure, Communication and Relationship with Shareholders

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or Relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters. The Bank has conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

The details of familiarization programmes imparted to our Independent Directors can be viewed at the following link.

Investors Corner-----> Disclosures under SEBI (LODR)-à https://www.vijayabank.com/Investors-Corner/Disclosure-Under-SEBI-LODR

The Bank has drawn whistle blower policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

Reserve Bank of India has given specific guidelines regarding the related party disclosures and the Bank has been complying with the same. As per RBI, related parties for a Bank are its Parents/ Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures, Key Managerial Personnel (KMP) and relatives of KMP. For an Indian Bank, KMP are the Whole Time Directors.

Information relating to Bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's Statement, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.vijayabank.com as also through PPTs made to the investors or the analysts.

In terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015, Financial Results and other price sensitive information's are furnished to the Stock Exchanges. During the financial year the quarterly financial results were published in the following newspapers as mentioned below table. The results are also displayed on the web site of the bank www.vijayabank.com

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
30.06.2017	23.07.2017	Vijaya Karnataka (Kannada)	Business Line (English) Business Standard (Hindi)
30.09.2017	27.10.2016	Udayavani (Kannada)	Business Line (English) Business Standard (Hindi)
31.12.2017	25.01.2018	Vijaya Karnataka (kannada)	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2018	08.05.2018	Vijaya Karnataka (kannada)	Economic Times (English) Nav Bharat Times (Hindi)

9. Mandatory and non-mandatory requirements

9.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (LODR) Regulations, 2015.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.1 The Board A Non-Executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
9.2.2 Shareholder Rights The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly financial results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.
9.2.3 Modified Opinion (s) in Audit Report Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in Auditors report of the Bank for the year ended 31.03.2018
9.2.4 Separate Posts of Chairman and CEO The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO	The Government of India has nominated/appointed separate persons to the post of Chairperson and MD & CEO.
9.2.5 Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The Internal Audit function/ its terms of reference and composition of the Audit Committee of the Board & its terms of reference are governed through the guidelines/circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank comply.

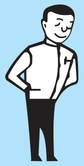

10. Shareholders' Information:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bengaluru. The Bank has its presence in all parts of the country with 2031 network of Branches as on 31.03.2012. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1) **BSE Limited**

Corporate Relationship Department,

1st Floor, New Trading Ring,

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001

BSE CODE: 532401

2) **National Stock Exchange of India Ltd**

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No.C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai-400051

NSE CODE : VIJAYA BANK

The annual listing fees to the Stock Exchanges for the year 2018-19 have been paid within prescribed due dates.

10.1. Dematerialisation of Securities:

Dematerialization of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Dematerialized with National Securities Depository Ltd and Central Depository Services (India) Limited. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialized Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at two Stock Exchanges. Bank has complied with SEBI requirements with regard to Share Capital Audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, is certified by a practising Company Secretary.

Particulars of shares held in Demat and Physical form held by the Equity Shareholders as of 31.03.2018 are as under:

	No. of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
DEMAT			
President of India*	1	896811702	68.7661
Others in NSDL	125899	330956667	25.3772
Others in CDSL	63568	757159078	58.05
(* Shares held by GOI is held with CDSL)		194279628*	14.8971*
Total - A	**189467**	**1282395373**	**98.3320**
Physical			
	67253	21752592	1.6680
Total-B	**67253**	**21752592**	**1.6680**
Grand Total (A+B)	**256720**	**1304147965**	**100**

Note * 194279628 Preferential allotment shares Corporate Action has been done on 02.04.2018

10.2. Dividend paid by the Bank during the year 2017-2018:

During the year 2017-18, Bank has declared 15% dividend pertaining to the financial year 2016-17.

10.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorized Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorized Capital shall not exceed three thousand Crore of rupees or should not be less than one thousand five hundred Crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorized Capital of the Bank from ` 1500 Crore to ` 3000 Crore. Accordingly Authorized Capital of the Bank at present is ` 3000 Crore divided into 300 Crore fully paid shares of ` 10 each.

At present, Government of India holds 68.77% Equity Share Capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The details of present Paid up Capital of the Bank is as follows:

(` Crore)

Authorised Capital:	
300 Crore Shares of ` 10 each	` 3000.00
Paid up Capital:	
130,41,47,965 Equity Shares of ` 10 each	` 1304.14
Total Paid up Capital `	**1304.14**

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2018

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A	Promoter's Holding		
1	Promoters		
	- Indian Promoters(Govt Of India)	896811702	68.77
	- Foreign Promoters	-	
2	Persons Acting In Concert	-	-
	Sub-Total	896811702	68.77
B	Non-Promoters Holding		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI& Alt Investment Funds	47725568	3.66
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/state Institutions/Non-Government Institutions)	124288727	9.53
	c) FIIs/FMFs/FPI	65877478	5.04
	Sub- Total	237891773	18.23

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
C	Others		
	a) Corporate Bodies	24796778	1.90
	b) Indian Public	136075494	10.45
	c) NRIs/OCBs	6909143	0.52
	d) Any Other (Clg Member & Market Maker)	1649000	0.12
	e) Foreign Nationals	14075	0.001
	Sub –Total	169444490	13.00
	GRAND TOTAL	1304147965	100.00

Table 2: Total Foreign shareholding as on 31.03.2018

Sl. No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	----- Nil -----	----- Nil -----
2	Foreign Promoters	----- Nil -----	----- Nil -----
3	Foreign Institutional Investors / Foreign Portfolio Investor	65877478	5.04
4	Foreign Mutual Funds	---------	-------
5	NRIs	6909143	0.52
6	Foreign Banks	----- Nil -----	----- Nil -----
7	Foreign National	14075	0.001
	Total	**72800696**	**5.56**

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2018.

Sl. No.	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	896811702	68.77	Indian promoter
2	LIC of India	106299217	8.15	Govt. Sponsored Financial Institution
3	HDFC Trustee Company Limited	14228000	1.09	Mutual Fund
4	East Spring Investments India Equity Open Limited	13560120	1.03	Foreign Portfolio Investor

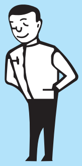

10.4. Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of our bank's shares traded on for NSE and BSE for the period April 2017 to March 2018 are as follows:

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)						
Month	**High (`)**	**Low (`)**	**Close (`)**	**Close Date**	**Volume of Shares Traded**	**NSE NIFTY**
April 2017	82.90	67.20	81.90	28.04.2017	24671082	9304.05
May 2017	97.40	74.20	75.15	31.05.2017	59103744	9621.25
June 2017	84.80	69.35	72.35	30.06.2017	22915555	9520.90
July 2017	78.25	69.30	70.00	31.07.2017	29817274	10077.10
August 2017	71.45	62.70	68.15	31.08.2017	20772169	9917.90
September 2017	69.30	53.00	54.75	29.09.2017	34065500	9788.60
October 2017	70.90	53.85	65.95	31.10.2017	124177296	10335.30
November 2017	76.60	66.65	70.70	30.11.2017	103138698	10226.55
December 2017	73.40	68.30	68.35	29.12.2017	35205714	10530.70
January 2018	74.00	63.15	63.85	31.01.2018	53925846	11027.70
February 2018	64.90	55.25	59.90	28.02.2018	25380411	10492.85
March 2018	59.70	50.50	52.05	28.03.2018	22275648	10113.70

VIJAYA BANK'S SHARE PRICE Vs NIFTY-NSE INDEX DURING FY-2017-18

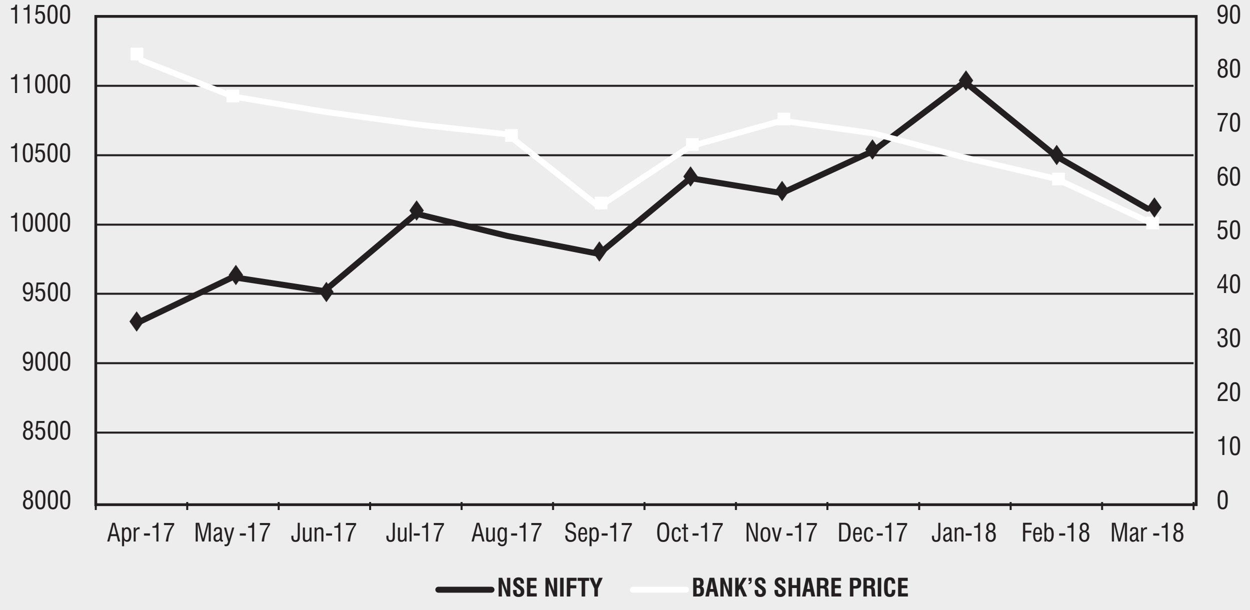

BSE LIMITED (BSE)						
Month	High (`)	Low (`)	Close (`)	Close Date	Volume of Shares Traded	BSE SENSEX
April 2017	82.95	67.10	81.90	28.04.2017	302752324	29918.40
May 2017	97.40	74.00	75.25	31.05.2017	926227981	31145.80
June 2017	84.70	69.00	72.30	30.06.2017	297025967	30921.61
July 2017	78.15	68.40	70.10	31.07.2017	291976009	32514.94
August 2017	71.50	62.85	68.25	31.08.2017	173048494	31730.49
September 2017	69.15	53.20	54.90	29.09.2017	210114424	31283.72
October 2017	70.90	53.85	65.95	31.10.2017	751827545	33213.13
November 2017	76.50	66.80	70.65	30.11.2017	872745281	33149.35
December 2017	73.50	66.50	68.35	29.12.2017	260419833	34056.83
January 2018	73.85	63.20	63.95	31.01.2018	429913592	35965.02
February 2018	64.85	55.30	59.80	28.02.2018	283835853	34184.04
March 2018	60.00	50.50	51.90	28.03.2018	234018297	32968.68

VIJAYA BANK'S SHARE PRICE Vs SENSEX-BSE INDEX DURING FY- 2017-18

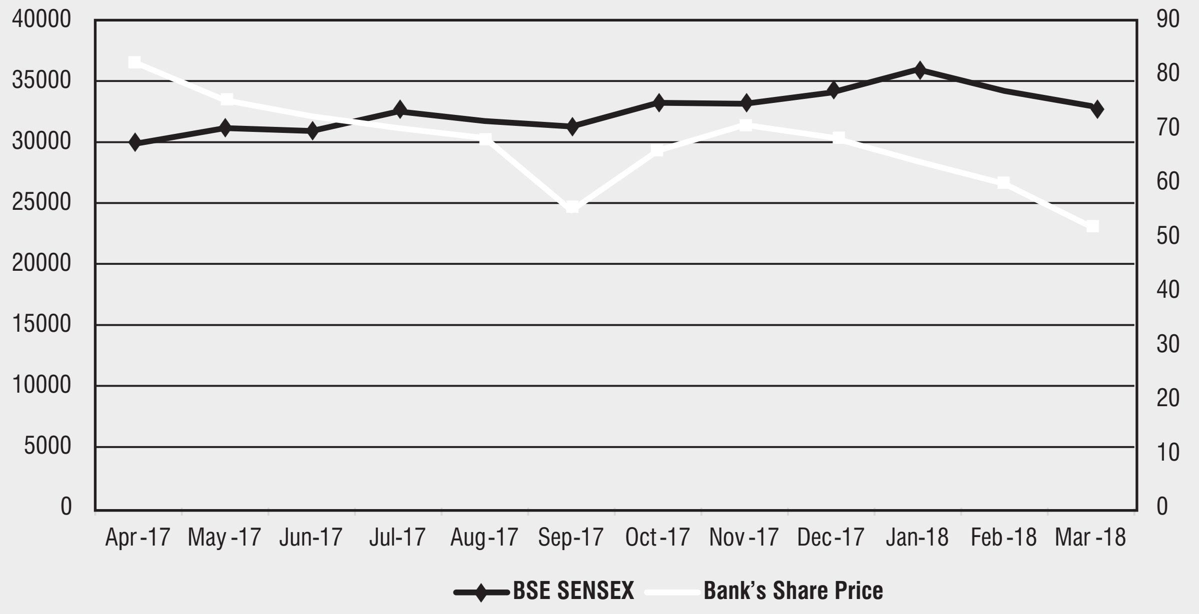

10.5. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2018

Shareholding of Nominal value. `	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	Amt in `	Percentage
1 to 5000	218140	84.972	345190830	2.6469
5001 to 10000	21614	8.4193	187367010	1.4367
10001 to 20000	8749	3.4080	135620640	1.0399
20001 to 30000	2481	0.9664	63808370	0.4893
30001 to 40000	1433	0.5582	51680800	0.3963
40001 to 50000	1030	0.4012	48313410	0.3705
50001 to 100000	1677	0.6532	123561840	0.9475
100001 and above	1596	0.6217	12085936750	92.6730
TOTAL	**256720**	**100.00**	**13041479650**	**100.00**

G. Narayanan Chairman	**R. A. Sankaranarayanan** Managing Director & CEO	**Y. Nageswara Rao** Executive Director
Murali Ramaswami Executive Director	**Srinivasa Rao** Director	**G. P. Borah** Director
Vivek Soni Director	**M. Bhagavantha Rao** Director	**V. V. R. Sastry** Director
S. Raghunath Director	**Rajan Dogra** Director	**Raghvender Gupta** Director

Place: Bengaluru
Date: 08.05.2018

DECLARATION BY MD & CEO

I Confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Banks Code of Conduct for the Financial Year 2017-18.

Place: Bengaluru
Date: 07.05.2018

R A Sankara Narayanan
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **VIJAYA BANK** for the year ended on 31st March 2018, as stipulated in the relevant regulations of SEBI (LODR) 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We wish to bring to your notice that in respect of "Constitution of Board of Directors, Audit Committee/ other Committees, Remuneration of Directors, board procedures /Related Party Transactions/ Whistle Blower/ Management and Compliance", as stipulated under relevant regulations of SEBI (LODR) Regulations of 2015, the Bank is governed by the provisions stipulated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and RBI Directives/GOI Guidelines/ ICAI-Accounting Standards whenever applicable. The Bank has therefore complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) Regulations 2015 to the extent these do not violate the above guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholder's Relationship Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For M/S Jagannathan & Sarabeswaran Chartered Accountants Registration No: 001204S **[N RANGAN]** Partner Membership No:012190	**For M/S Shiv Jindal & Co** Chartered Accountants Registration No 011316N **[VIKRAM JINDAL]** Partner Membership No: 095464
For M/s. O P Bagla & Co LLP Chartered Accountants Registration No:000018N/AAM-4855 **[RAKESK KUMAR]** Partner Membership No:087537	**For M/s Price Patt & Co.** Chartered Accountants Registration No 072783S **[M NAGANATHAN]** Partner Membership No: 07547

Place: Bengaluru
Date: 07.05.2018

THIS PAGE HAS BEEN INTENTIONLLY LEFT BLANK

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2018

PARTICULARS	Schedule No.	[` 000’s omitted] As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**1304 14 80**	998 84 54
Share Application Money	1A	**0**	0
Reserves and Surplus	2	**9323 05 01**	7152 64 25
Deposits	3	**157287 53 58**	133011 95 21
Borrowings	4	**7299 79 41**	11061 79 67
Other Liabilities and Provisions	5	**2417 51 92**	2656 33 92
TOTAL		**177632 04 72**	154881 57 59
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	**4303 69 75**	5770 42 12
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**666 54 40**	160 28 89
Investments	8	**39511 66 14**	44424 55 13
Advances	9	**116165 44 23**	94548 88 80
Fixed Assets	10	**1301 47 52**	1318 75 97
Other Assets	11	**15683 22 68**	8658 66 68
TOTAL		**177632 04 72**	154881 57 59
Contingent Liabilities	12	**15001 05 62**	15920 14 45
Bills for Collection		**9166 75 34**	2281 21 22
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

R. A. SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

NAGESWARA RAO.Y
Executive Director

MURALI RAMASWAMI
Executive Director

N. SRINIVAS RAO
Director

G. P. BORAH
Director

VIVEK SONI
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

RAJAN DOGRA
Director

RAGHVENDER GUPTA
Director

RAMESH KUMAR MIGLANI
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

N. RANGAN
Partner
Membership No:012190

For M/s O. P. BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

M. NAGANATHAN
Partner
Membership No:07547

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2018

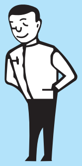

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

PARTICULARS	Schedule No.	[` 000's omitted] For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
I. INCOME			
Interest Earned	13	**12589 84 30**	12379 45 85
Other Income	14	**1600 60 89**	1651 26 27
TOTAL		**14190 45 19**	14030 72 12
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**8286 95 47**	8873 01 79
Operating Expenses	16	**2805 69 56**	2736 54 95
Provisions and Contingencies		**2370 77 87**	1670 66 87
TOTAL		**13463 42 90**	13280 23 61
III. PROFIT / LOSS			
Net Profit for the year		**727 02 29**	750 48 51
Add: Profit brought forward		**1274 85 24**	1337 24 27
Less: Creation of DTL on Special Reserve U/s 36(1)(viii)		**-**	-
Add: Transfer from General Reserve		**-**	-
TOTAL		**2001 87 53**	2087 72 78
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		**181 75 57**	187 62 13
Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		**80 00 00**	80 00 00
Transfer to Capital Reserve		**88 29 50**	3 64 92 56
Transfer to General Reserve		**-**	-
Interim Dividend (inclusive of tax)		**-**	-
Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		**188 35 69**	180 32 85
Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		**-**	-
Balance carried forward to Balance Sheet		**1463 46 77**	1274 85 24
TOTAL		**2001 87 53**	2087 72 78
Earnings Per Share - Basic (In `)		**6.83**	7.57
- Diluted (In `)		**6.83**	7.57
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

R. A. SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

NAGESWARA RAO.Y
Executive Director

MURALI RAMASWAMI
Executive Director

N. SRINIVAS RAO
Director

G. P. BORAH
Director

VIVEK SONI
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

RAJAN DOGRA
Director

RAGHVENDER GUPTA
Director

RAMESH KUMAR MIGLANI
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

N. RANGAN
Partner
Membership No:012190

For M/s O. P. BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

M. NAGANATHAN
Partner
Membership No:07547

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2018

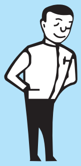

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[` 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
SCHEDULE - 1 :		
CAPITAL		
AUTHORISED CAPITAL	**3000 00 00**	3000 00 00
300,00,00,000 Shares of `10/- each		
ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL		
130,41,47,965 Equity Shares of `10/- each (Previous year 99,88,45,340 Equity Shares of `10/- each)	**1304 14 80**	998 84 54
PAID UP CAPITAL		
(a) Held by Central Government 89,68,11,702 Equity Shares of `10/- each (Previous year 70,25,32,074 Equity Shares of `10/- each)	**896 81 17**	702 53 21
(b) Held by the Public and Others 40,73,36,263 Equity Shares of `10/- each (Previous year 29,63,13,266)	**407 33 63**	296 31 33
TOTAL	**1304 14 80**	998 84 54
(11,10,22,997 shares alloted on preferential basis to QIBs on 05.09.2017 at a price of `63.05/-, (face value `10/- at premium of ` 53.05/-) (19,42,79,628 shares alloted on preferential basis to GOI on 27.03.2018 at a price of `65.73/-, (face value `10/- at premium of ` 55.73/-)		
SCHEDULE - 1A :		
SHARE APPLICATION MONEY	**0**	0
TOTAL	**0**	0
SCHEDULE - 2 :		
RESERVES AND SURPLUS		
I. STATUTORY RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**1730 64 20**	1543 02 07
Add : Additions during the year	**181 75 57**	187 62 13
TOTAL	**1912 39 77**	1730 64 20
II. CAPITAL RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**774 65 36**	409 72 80
Add : Additions during the year	**88 29 50**	364 92 56
TOTAL	**862 94 86**	774 65 36
III. SHARE PREMIUM		
Balance as per last Balance Sheet	**1985 50 36**	1831 78 86
Add : Additions during the year	**1671 69 73**	153 71 50
TOTAL	**3657 20 09**	1985 50 36

[` 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
IV. REVALUATION RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**830 46 73**	873 85 98
Add : Additions during the year	**0**	0
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	**39 95 58**	43 39 25
TOTAL	**790 51 15**	830 46 73
V. REVENUE AND OTHER RESERVES		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	**543 72 74**	463 72 74
Add : Additions during the year	**80 00 00**	80 00 00
TOTAL	**623 72 74**	543 72 74
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	**12 79 62**	12 79 62
Add/(Less) : Transfer during the Year	**-**	-
TOTAL	**12 79 62**	12 79 62
[c] Balance in Profit & Loss Account	**1463 46 77**	1274 85 24
TOTAL	**1463 46 77**	1274 85 24
TOTAL [a+b+c]	**2099 99 13**	1831 37 60
TOTAL { I+II+III+IV+V}	**9323 05 01**	7152 64 25
SCHEDULE - 3 :		
DEPOSITS		
DEPOSITS IN INDIA		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**7 54 51**	16 35 14
ii) From Others	**9196 45 69**	8547 42 49
II. Savings Bank Deposits	**30668 82 53**	28834 56 99
III. Term Deposits		
i) From Banks	**50 00 00**	30 85
ii) From Others	**117364 70 85**	95613 29 74
TOTAL	**157287 53 58**	133011 95 21

[` 000’s omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
SCHEDULE - 4 :		
BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0	0
ii) Other Banks	165 18 00	0
iii) Other Institutions & Agencies	3909 61 41	7336 79 67
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds		
1) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	0	0
2) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	0	0
3) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	0	200 00 00
4) 10 Years & 4 Months Bonds 2018 - 9.35%	200 00 00	200 00 00
5) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	0	300 00 00
6) 10 Years Bonds 2023 - 9.73%	250 00 00	250 00 00
8) 10 Years Bonds 2024 - 9.15%	500 00 00	500 00 00
9) Perpetual Additional Tier I Bonds - 9.54%	100 00 00	100 00 00
10) 10 Years Bonds 2025 - 8.62%	500 00 00	500 00 00
11) Perpetual Additional Tier I Bonds - 10.40%	400 00 00	400 00 00
12) Perpetual Additional Tier I Bonds - 11.25%	500 00 00	500 00 00
13) 10 Years Bonds 2026 - 8.64%	450 00 00	450 00 00
14) Additional Tier 1 Basel III compliant Series IV - 10.49%	325 00 00	325 00 00
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	0	0
TOTAL	7299 79 41	11061 79 67
SCHEDULE - 5 :		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
(i) Bills Payable	618 74 92	578 90 55
(ii) Interest Accrued	398 18 84	389 46 43
(iii) Provision against Standard Assets	459 92 53	516 63 53
(iv) Others [including Provisions]	940 65 63	1171 33 41
(v) Inter Office Adjustments [net]	0	0
(vi) Deffered Tax Liablity (Net)	0	0
TOTAL	2417 51 92	2656 33 92
SCHEDULE - 6 :		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	598 26 03	506 85 55
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	3705 39 54	5263 52 38
III. Balances with Reserve Bank of India in other Accounts	4 18	4 19
TOTAL	4303 69 75	5770 42 12

[` 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
SCHEDULE - 7 :		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**27 15 99**	23 50 62
b) in Other Deposit Accounts	**20**	23
(ii) Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	**0**	0
b) with Other Institutions	**0**	61 66 01
TOTAL	**27 16 19**	85 16 86
II. OUTSIDE INDIA *		
a) in Current Accounts	**20 17 21**	4 36 94
b) in Other Deposit Accounts	**619 21 00**	70 75 09
TOTAL	**639 38 21**	75 12 03
TOTAL {I+II}	**666 54 40**	160 28 89
*Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
SCHEDULE - 8 :		
INVESTMENTS		
INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]	**40281 85 78**	44786 97 37
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	**770 19 64**	362 42 24
Net Investments in India	**39511 66 14**	44424 55 13
Break up :		
i) Government Securities	**34887 29 63**	40042 60 57
ii) Other Approved Securities	**2 79 26**	2 79 09
iii) Shares	**430 10 25**	257 12 04
iv) Debentures & Bonds	**3988 94 73**	3564 11 79
v) Investments in Associates (on Equity Method)	**0**	0
vi) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Funds, Venture Capital Fund etc.)	**202 52 27**	557 91 64
TOTAL	**39511 66 14**	44424 55 13
SCHEDULE - 9 :		
ADVANCES		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	**1171 50 50**	1109 42 45
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	**39582 41 57**	35246 26 45
iii) Term Loans	**75411 28 43**	58192 94 93
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**23 73**	24 97
TOTAL	**116165 44 23**	94548 88 80

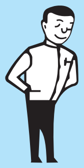

[` 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
[B] i) Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]			**100381 37 30**	84839 96 44
ii) Covered by Bank/Government Guarantees			**208 99 31**	298 45 27
iii) Unsecured			**15574 83 89**	9410 22 12
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008			**23 73**	24 97
TOTAL			**116165 44 23**	94548 88 80
[C] Advances in India				
i) Priority Sector			**43474 98 33**	36319 34 56
ii) Public Sector			**31732 86 93**	2335 26 77
iii) Banks			**280 73 34**	46 17 26
iv) Others			**40676 61 90**	55847 85 24
v) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008			**23 73**	24 97
TOTAL			**116165 44 23**	94548 88 80
	31.03.2018	**31.03.2017**		
SCHEDULE - 10 :				
FIXED ASSETS				
I. PREMISES				
Gross Block [at cost/re-valued amount]				
As per last Balance Sheet	**1321 28 47**	1320 21 52		
Additions during the year	**64 66**	1 06 95		
Deductions during the year	**-**	-		
	1321 93 13	1321 28 47		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**395 62 66**	347 98 64		
Add : Depreciation charged during the year	**44 00 70**	47 64 02		
Less : Deduction during the year	**-**	-		
Depreciation to date - includes on account of revaluation ` 3,99,558 thousands (Previous year : ` 4,33,925 thousands)	**439 63 36**	395 62 66		
Written Down Value			**882 29 77**	925 65 81
II. OTHER FIXED ASSETS [including Furniture & Fixture]				
Gross Block (at cost)				
As per last Balance Sheet	**935 04 09**	794 60 16		
Additions during the year	**128 88 42**	162 94 58		
	1063 92 51	957 54 74		

[` 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Deductions during the year	**11 16 17**	22 50 65		
	1052 76 34	935 04 09		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**543 31 70**	479 92 39		
Add : Depreciation charged during the year	**98 32 90**	78 56 52		
	641 64 60	558 48 91		
Less : Deduction during the year	**7 07 49**	15 17 21		
Depreciation to date	**634 57 11**	543 31 70		
Written Down Value			**418 19 23**	391 72 39
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS			**98 52**	1 37 77
TOTAL			**1301 47 52**	1318 75 97
SCHEDULE - 11 :				
OTHER ASSETS				
i. Interest accrued			**770 66 44**	868 53 93
ii. Tax paid in Advance/Tax Deducted at Source [net of provision]			**1602 12 70**	2589 98 55
iii. Deferred Tax Asset (Net)			**612 67 17**	344 12 40
iv. Stationery & Stamps			**1 26 83**	1 32 94
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims			**7 62**	7 62
vi. Others [net of provision]			**9037 74 91**	5310 24 29
vii. Unamortisation-Gratuity & Pension			**-**	-
viii. Inter-office adjustments (Net)			**3658 67 00**	-455 63 05
TOTAL			**15683 22 68**	8658 66 68
SCHEDULE - 12 :				
CONTINGENT LIABILITIES				
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts			**424 17 71**	251 79 69
ii. Liability for Partly Paid Investments			**-**	-
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts			**4273 05 70**	3959 84 81
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India			**6574 21 47**	7104 97 73
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations			**1213 56 28**	1342 93 84
vi. Other items for which the Bank is contingently liable			**2479 85 42**	3254 65 48
vii. Capital contracts remaining to be executed			**36 19 04**	5 92 90
TOTAL			**15001 05 62**	15920 14 45

[` 000’s omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
SCHEDULE - 13 :		
INTEREST EARNED		
i. Interest/Discount on advances/bills	**9027 60 87**	8734 80 06
ii. Income on Investments	**3083 81 80**	3359 09 41
iii. Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	**2 82 71**	44 05
iv. Others	**475 58 92**	285 12 33
TOTAL	**12589 84 30**	12379 45 85
SCHEDULE - 14 :		
OTHER INCOME		
i. Commission, Exchange & Brokerage	**147 79 64**	147 23 99
ii. Profit on Sale of Investments	**585 85 18**	920 08 27
Less: Loss on Sale of Investments	**41 59 30**	151 09 58
	544 25 88	768 98 69
iii. Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	-	-
Less: Amortisation of premium on HTM securities	-	-
	-	-
iv. Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	**11 22**	15 82
Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	**1 43 77**	2 52 75
	-1 32 55	-2 36 93
v. Profit on Exchange Transactions	**55 54 44**	52 66 90
Less: Loss on Exchange Transactions	**35 87**	0
	55 18 57	52 66 90
vi. Miscellaneous Income	**854 69 34**	684 73 62
TOTAL { i+ii+iii+iv+v+vi }	**1600 60 89**	1651 26 27
SCHEDULE - 15 :		
INTEREST EXPENDED		
i. Interest on Deposits	**7615 36 07**	8039 25 47
ii. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	**42 72 74**	14 20 09
iii. Others	**628 86 66**	819 56 23
TOTAL	**8286 95 47**	8873 01 79

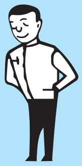

[` 000's omitted]

	PARTICULARS			For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
	SCHEDULE - 16 :				
	OPERATING EXPENSES				
i.	Payments to and provisions for employees			**1607 36 49**	1747 88 58
ii.	Rent, Taxes and Lighting			**227 25 52**	198 88 89
iii.	Printing & Stationery			**15 62 60**	12 29 83
iv.	Advertisement and Publicity			**8 21 48**	7 02 67
		31.03.2018	**31.03.2017**		
v.	Depreciation on Banks' Property	142 33 60	126 20 54		
	Less: Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	39 95 58	43 39 25	**102 38 02**	82 81 29
vi.	Directors' Fees, Allowances & Expenses			**90 88**	60 92
vii.	Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]			**19 79 22**	13 19 45
viii.	Law charges			**71 11**	65 36
ix.	Postage, Telegrams, Telephones etc.			**44 02 88**	33 08 96
x.	Repairs and Maintenance			**7 31 18**	5 74 53
xi.	Insurance			**124 82 85**	121 88 10
xii.	Other Expenditure			**647 27 33**	512 46 37
	TOTAL			**2805 69 56**	2736 54 95

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

R. A. SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

NAGESWARA RAO.Y
Executive Director

MURALI RAMASWAMI
Executive Director

N. SRINIVAS RAO
Director

G. P. BORAH
Director

VIVEK SONI
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

RAJAN DOGRA
Director

RAGHVENDER GUPTA
Director

RAMESH KUMAR MIGLANI
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

N. RANGAN
Partner
Membership No:012190

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s O. P. BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

M. NAGANATHAN
Partner
Membership No:07547

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2018

SCHEDULE – 17 :
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2017-18

A. Basis of Preparation:

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting and on a going-concern basis, unless otherwise stated and they conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in force in India, Accounting Standards Issued by ICAI as well as to the applicable statutory provisions including those of Banking Regulation Act 1949, regulatory norms/guidelines prescribed by RBI including special dispensations (to the extant availed) announced from time to time, and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the estimates is recognised prospectively in the year in which they are known/ materialised, unless otherwise stated.

1) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

I. Transactions other than FCNR/EEFC/ RFC Accounts

a) Foreign Currency assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are translated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/ loss is included in the Profit and Loss Account.

b) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.

c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet are valued at the yearend rates as quoted by FEDAI.

II. Transactions relating to FCNR/EEFC/ RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/ RFC accounts including interest accrued thereon and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the yearend are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant profit / loss is shown as income / loss.

2) INVESTMENTS

A) General

All the investment transactions are recorded on trade date and accounted on settlement date.

Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and shown in the Balance Sheet under the following six groups:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures

f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, Venture Capital Funds etc.)

B) Classification of investments:

The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

a) Held to Maturity – Investments that the Bank intends to hold till maturity

and Investments in subsidiaries, joint ventures and associates, if any, are classified as Held to Maturity (HTM).

b) Held for Trading – Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading (HFT).

c) Available for Sale – Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for Sale (AFS).

An investment is classified under HTM, HFT or AFS at the time of its acquisition and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines as follows.

Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category and vice versa is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at the book value. In cases where the market value is lower than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision required, if any, based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

In the case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category, if the security was originally placed under the HTM category at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/book value. After transfer, it is immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS/HFT category at the amortised cost. After transfer, the security is immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer.

C) Basis of Valuation:

I. Cost of acquisition of investments:

In determining the acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

(b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost/sale consideration.

(c) Cost is determined on the moving weighted average cost method for investments under AFS and HFT and HTM Category.

II Valuation of Investments under Held to Maturity

(i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.

(ii) Investments in venture capital funds are valued at cost of acquisition.

(iii) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and there after appropriated to the

"Capital Reserve Account". Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

III. Valuation of Investments under Available for Sale and Held for Trading categories:

Investments held under AFS and HFT categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., (i) Government securities (ii) Other Approved Securities (iii) Shares (iv) Bonds and Debentures (v) Subsidiaries and Joint Ventures; and (vi) others) is provided for and net appreciation, is ignored. The provision thus created, is not reduced from the book value of individual security, but such provision is held under liabilities as "Provision for depreciation on Investments".

The valuation criteria for the various investments held under AFS and HFT category is given in the following table:

(a) Criteria for Valuation of Investments under AFS and HFT:

	Investments	Valuation Procedure
A	Central Govt. Securities and State Govt. Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) on periodical basis.
B	Securities guaranteed by Central / State Govt. PSU Bonds (Not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA / RBI guidelines.
C	Treasury Bills	At carrying cost
D	Equity Shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the shares as per latest balance sheet (Not more than one year old), otherwise at ` 1/- per company.
E	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines. In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if the arrears are for 1 year and more. The depreciation/ provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing preference shares where dividends are in arrears is held separately and it is not set off against appreciation on other performing preference shares.
F	Bonds and Debentures (Not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity as per RBI / FIMMDA guidelines.
G	Units of mutual funds	As per Stock Exchange quotation, if quoted; at repurchase price / NAV, if unquoted.
H	Commercial Papers	At carrying cost

	Investments	Valuation Procedure
I	Security Receipts	Security Receipts issued to the Bank by Secrutisation Company / Asset Reconstruction Company, on sale of its loans, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR provided by the SC/ARC as per the Recovery Rating provided by Credit Rating Agencies.
J	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF.
K	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

Depreciation on the instruments acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Profit/Loss on sale of investments in AFS/HFT category is recognised in Profit and Loss Account.

(b) Prudential Norms

Income recongnition, asset classification and provisioning norms, applicable to loans and advances, shall apply, mutatis mutandis, to investments, as follows:

(a) i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.

ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/ interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.

(b) Preference Shares and other Non SLR Securities including bonds and debentures not guaranteed by the Central Government/ State Governments: Where the Principal/Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.

(c) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non Performing Investments and vice versa, except in the case of investment in preference shares.

(e) The depreciation/ provision requirement in respect of non-performing investments is not set off

against the appreciation in respect of other performing investments.

3) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

a) Hedge Swaps: The interest rate swaps which hedge interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In such cases the swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b) Re-designation of Hedge items: If a hedge is re-designated from one item of asset/ liability to another item of asset/liability, such re-designation is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of another. On the date of re-designation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the re-designated asset/liability or remaining term of the swap whichever is shorter.

c) Trading Swaps: The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

4) FIXED ASSETS/DEPRECIATION & AMORTIZATION

I) Fixed Assets

a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date of put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost, except those which have been re-valued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under ‘Other Assets’.

II) Depreciation / Amortization

a) Fixed Assets (other than computers and software) including leasehold land and building are depreciated at the rates prescribed under the rules framed under ‘Income Tax Act 1961’ on reducing balance method, including on the composite cost of certain properties, where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum as per RBI guidelines. Other software expenses, treated as intangible assets are amortized at 100% in the year of acquisition. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is provided in the year of sale/disposal of fixed assets.

b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account and credited to Profit and Loss account.

5) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per Accounting Standard 19. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

6) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

7) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the guidelines issued by RBI from time to time.

a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" as per the delinquency norms stipulated by RBI. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions other than provision on standard assets] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/ DICGC claims received.

b) Advances include the Bank's participation in/ contributions to Pass through Certificates (PTCs) and /or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks / financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.

c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised in the Profit and Loss account.

d) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".

e) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:

1. **Standard Assets:** provision is made as per the extant RBI guidelines.

2. **Sub Standard Assets:** 15% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 25% of the outstanding balance is made.

3. **Doubtful Assets:** 25% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/ CGSTI Schemes.

4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.

f) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI.

The diminution in the fair value is recomputed on each balance sheet date till satisfactory completion of all repayment obligations and full repayments of the outstanding, so as to capture the changes in the fair value on account of changes in base rate, term premium and credit category of the borrower.

The restructured accounts are classified in accordance with RBI guidelines.

8) REVENUE RECOGNITION

Income is accounted on accrual basis except in the following cases:

a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Asset accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/ book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing Investments, the same accounting treatment, as above, is followed.

b) Income from Units of Mutual Funds, Commission on Insurance and Depository Participant business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, Sale of Mutual Fund products, Locker Rent, Commission on Government business, etc. are accounted on cash/realisation basis.

c) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.

d) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.

e) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

f) Dividend is recognised as income in the year the right to receive the dividend is established.

9) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

a) Provisions for Income Tax in accordance with statutory requirements

b) Provision on advances/investments

c) Adjustments to the value of investments

d) Transfers to provisions and contingencies

e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms

f) Other usual and necessary provisions

10) EMPLOYEE BENEFITS

a) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/ negotiation are accounted during the year of final settlement/determination.

b) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

c) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

d) Liability towards leave encashment, privilege leave and sick leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

Details are as under:

<u>Long term employee benefits:</u>

Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which employees render service), and post employment benefits (benefits which are payable after completion of employment), are measured on a discounted basis by the Projected Unit Credit Method, on the basis of annual third party actuarial valuations. The bank provides for the following long term employee benefits as per actuarial valuation:

1. Leave encashment: The Bank provides for liability accruing on account of deferred entitlement towards leave encashment in the year in which the employees concerned render their services based on third party actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

2. Sick Leave: Provision for sick leave is non-funded.

3. Pension: The Bank provides for liability accruing on account of the employees who have opted for pension based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

4. Gratuity: The Bank provides for gratuity liability based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

The pension and gratuity contributions are transferred to self-managed trusts.

11) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

12) IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13) SEGMENT REPORTING:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. **Treasury** includes all investment portfolio, profit/ loss on sale of investments, profit/ loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.

2. **Corporate/ Wholesale Banking** includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.

3. **Retail Banking** includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.

4. **Other Banking Operations** includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.

14) EARNINGS PER SHARE:

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting preference dividend and attributable taxes thereto) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

15) CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

1. A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event if it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

2. Transactions in Government securities and others which were pending for settlement on the balance sheet date are shown as off balance sheet items under contingent liabilities head.

16) CASH FLOW STATEMENT

Cash and cash equivalents in the cash flow statement comprise cash and balances with RBI and balances with banks and money at call and short notice.

17) The Bank has followed the same accounting policies as in the previous year's subject to regulatory changes.

SCHEDULE – 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2018 in the inter-branch and other accounts has been done. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances in drafts accounts, suspense accounts, GST, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets etc. is complete up to 31.03.2018. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.

2. In respect of certain premises having written down value of ` 3.56 Crore (PY ` 3.96 Crore) documentation / registration in favour of the bank are yet to be completed pending legal or other formalities.

3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches/by the concurrent auditors have been adopted.

4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to ` 79.60 Crore (PY ` 98.80 Crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions.

5. No provision has been considered necessary by the Management in respect of certain disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Provision for Income Tax act have been considered on the basis of legal opinion obtained.

6. As per Indian Banks' Association (IBA) communication vide letter no LEGAL/CIR Dtd. March 03rd 2015, Ministry of Company Affairs (MCA) has advised that provisions related to Corporate Social Responsibility (CSR) are not applicable to the nationalised banks, as they are not registered under the Companies Act.

7. During the year the bank has issued 11,10,22,997 equity shares of face value of ` 10 each at a premium of ` 53.05 per share aggregating to ` 699,99.99 lakhs through Qualified Institutional Placement (QIP) for augmenting Bank's Tier I Capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes. Further, during the year the bank has issued 19,42,79,628 equity shares of face value of ` 10 each at a premium of ` 55.73 per share aggregating to ` 1277.00 Crore to the Government of India by way of preferential issue. Also during the year, Bank has redeemed Upper Tier II Series Bonds aggregating to ` 300.00 Crores by exercising call option.

8. During the year Goods and Service Tax (GST) Act has been implemented and income are stated inclusive of GST in consistence with the accounting treatment of service tax.

9. In terms of RBI circular RBI/2015-16/366 FIDD.CO/Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 Banks are allowed for issuance of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) and trade their Priority sector portfolios by selling/buying these certificates. During the year, the bank has purchased PSLCs (Agriculture Category) amounting to ` 981.00 Crores and has not sold any PSLCs.

10. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

(I) Capital :

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1.	CRAR (%)		
	Basel II	**13.32**	12.95
	Basel III*	**13.90**	12.73
2.	CRAR – Common Equity Tier I Capital (%)		
	Basel III*	**10.36**	8.44

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
3.	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel II	**10.75**	9.56
	Basel III*	**11.71**	9.96
4.	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel II	**2.57**	3.39
	Basel III	**2.19**	2.77

* Basel III Common Equity Tier I, Tier I and CRAR ratios include Capital Conservation Buffer (CCB) 1.875% as on 31.03.2018 and 1.25% as on 31.03.2017.

Basel III

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**10.36**	8.44
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	**11.71**	9.96
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	**2.19**	2.77
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**13.90**	12.73
v)	Percentage of the shareholding of Government of India in the bank	**68.77**	70.33
vi)	Amount of Equity Capital raised including share premium (` In Crore)	**1977.00**	-
vii)	` in Crore of Additional Tier 1 Capital raised of which:- i. PNCPS: ii. PDI:	 **0.00** **0.00**	 0.00 325.00
	Amount of Tier 2 capital raised of which:		
	i. Debt capital instrument (` In Crore):	**0.00**	0.00
	ii. Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	**0.00**	0.00

(II) Investments :

(i) Particulars of Investments

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1.	Value of Investments**		
	Gross value of investments	**40281.86**	44786.97
	In India	**40281.86**	44786.97

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	Outside India	**Nil**	Nil
	Provisions for depreciation and NPI Dep.*	**770.20**	362.42
	In India	**770.20**	362.42
	Outside India	**Nil**	Nil
	Net value of investments	**39511.66**	44424.55
	In India	**39511.66**	44424.55
	Outside India	**Nil**	Nil
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	**272.29**	265.04
	Add: i) Provision made during the year	**384.75**	7.25
	ii) Diminution on shifting of investments	**-**	-
	Less: Write back of excess provisions	**61.09**	-
	Closing balance	**595.95**	272.29

Gross value of investments includes securities pledged with RBI under LAF Repo of ` 3,435.00 Crore (PY ` 300.00 Crore), MSF of ` Nil (PY ` Nil) and securities pledged with other market participants under Non-Standard Repo of ` 97.67 Crore (PY ` 6857.39 Crore) and CBLO of ` Nil (PY ` Nil) outstanding as on 31.03.2018.

*Includes provision of ` 174.25 Crore (PY ` 90.13 Crore) made on NPI.

**excluding RIDF Investments.

(ii) The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:

(` in Crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2018
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos:				
1) Govt. Securities	**400.20**	**7157.39**	**3479.68**	**3532.67**
2) Corporate debt securities	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Securities purchased under Reverse Repos:				
1) Govt. Securities	**0.00**	**3000.00**	**228.47**	**3000.00**
2) Corporate debt securities	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

(` in Crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2017
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos:				
1) Govt. Securities	1033.84	10235.75	5676.00	7157.39
2) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos:				
1) Govt. Securities	0.00	2150.00	235.08	961.66
2) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

(iii) Non-SLR Investment Portfolio

Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2018

(` in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	2896.79	1411.99	97.23	2630.81	236.01
(ii)	FIs**	654.63	393.96	10.00	170.08	0.00
(iii)	Banks	143.86	119.08	13.80	57.06	0.00
(iv)	Private Corporate	987.70	860.75	74.03	414.27	14.13
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Other	346.88	346.88	0.00	346.88	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	408.29	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total *	**4621.57**	**3132.66**	**195.06**	**3619.10**	**250.14**

Note:

(1) *Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

a) Shares

b) Debentures & Bonds

c) Subsidiaries/joint ventures

d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

(3) The column (6) "Unrated Securities" mainly include Special State Government securities of ` 833.34 Crore, Central Govt. Securities issued as per Capital Infusion Plan of ` 1,277 Crore,

Equity Shares of ` 618.46 Crore, Venture Capital ` 17.70 Crore, Mutual Fund ` 5.00 Crore, Security Receipt of ` 329.11 Crore and DISCOM bonds of ` 447.73 Crore.

** Excludes the investment under RIDF of ` 3,907.88 Crore outstanding as on Mar 31, 2018.

a) Non performing Non-SLR investments

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance	**118.50**	123.39
Additions during the year	**95.19**	25.89
Reductions during the above period	**0.23**	30.78
Closing balance	**213.46**	118.50
Total provisions held	**174.25**	90.13

b) Movement in provision for Non Performing Investments

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance	**90.13**	70.59
Add: Provision made during the year	**84.35**	48.06
Less: Write off/write back of excess provisions	**0.23**	28.52
Closing balance	**174.25**	90.13

(iv) Sale and Transfer to/from HTM category

During the year the book value of securities sold under HTM category exceeds 5% of the book value of investments held on HTM category as at the beginning of the year. The details of HTM category on 31.03.2018 are furnished hereunder:

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Market Value	22,236.74
2	Book Value	22,783.06
3	Excess of book value over market value for which provision is not made	546.32

All SLR securities held under HTM have been valued as per FIMMDA/FIBIL rates.

(v) Derivatives

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(` in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a.	The notional principal of swap agreements	115.00	NIL
b.	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL

(` in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
c.	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collateral are required as the counterparties are Banks	NIL
d.	Concentration of credit risk arising from the swaps	The swaps undertaken are within interbank limits approved by Board. There is no concentration of credit risk arising from IRS undertaken during the year	NIL
e.	The fair value of the swap book	-0.28	NIL

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2018 (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument –wise)	NIL	NIL

(vi) RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants the banks an option to spread provisioning for Mark to Market Losses (MTM Loss) on investments for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018, equally over the four quarters commencing with the quarter in which the loss is incurred. However, the Bank has not exercised the option and recognised the mark to market loss on investments in the quarter of incurrence.

(vii) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place Board approved derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and for catering to customer requirements as per RBI guidelines. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight the derivative desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back office with clear segregation of functions.

b) Quantitative Disclosures

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
			31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
(i)	**Derivatives (Notional Principal Amount)**		**NIL**	NIL	**115.00**	NIL
	a) For Hedging		**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	b) For Trading		**NIL**	NIL	**115.00**	NIL
(ii)	**Marked to Market Positions(1)**		**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	a) Asset(+)		**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	b) Liability(-)		**NIL**	NIL	**0.28**	NIL
(iii)	**Credit Exposure(2)**		**NIL**	NIL	**1.05**	NIL
(iv)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**		**NIL**	NIL	**3.86**	NIL
	a) On hedging derivatives		**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	b) On trading derivatives		**NIL**	NIL	**3.86**	NIL
(v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**		**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	a. On hedging	Maximum	**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
		Minimum	**NIL**	NIL	**0.00**	NIL
	b. On trading	Maximum	**NIL**	NIL	**4.92**	NIL
		Minimum	**NIL**	NIL	**0.41**	NIL

(III) Asset Quality

a. Non-Performing Asset

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	**4.32**	4.36
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
Opening balance	**6381.78**	6027.07
Additions during the year	**4388.20**	2893.44
Reductions during the year	**3243.89**	2538.73
Closing balance	**7526.09**	6381.78
(iii) Movement of NPAs (Net)		
Opening balance	**4118.16**	4276.82
Additions /(reductions) during the year	**903.08**	(158.66)
Closing balance	**5021.24**	4118.16

(` in Crore)

Particulars		31.03.2018	31.03.2017
(iv)	Movement of provisions for NPAs*		
	Opening balance	**2227.33**	1730.40
	Provisions made during the year	**1746.62**	1558.29
	Write-off / Write back of excess provision	**1531.31**	1061.36
	Closing balance	**2442.64**	2227.33

(*excluding provisions on standard assets and including floating provision)

b. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(` in '000)

Sl. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPA as on 31.03.2017 as reported by the Bank	63817736
2.	Gross NPA as on 31.03.2017 as assessed by RBI	71195736
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	7378000
4.	Net NPA as on 31.03.2017 as reported by the Bank	41181600
5.	Net NPA as on 31.03.2017 as assessed by RBI	45540506
6.	Divergence in Net NPA (5-4)	4358906
7.	Provision for NPAs as on 31.03.2017 as reported by the Bank	22273230
8.	Provision for NPAs as on 31.03.2017 as assessed by RBI	25655230
9.	Divergence in Provisioning (8-7)	3382000
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31.03.2017	7504851
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31.03.2017 after taking into account	5293023

c. Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(` in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**944.26**	1523.78
	Of which under CDR	**21.40**	425.93
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**547.59**	1115.35
	Of which under CDR	**21.40**	298.06
c.	The amount of sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**175.33**	105.26
	Of which under CDR	**0.00**	80.95
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**221.34**	303.18
	Of which under CDR	**0.00**	46.92
	Note: (a = b + c + d)		

	Debt restructuring for MSME accounts	31.03.2018	31.03.2017
a.	Total amount of assets of MSMEs subjected to restructuring (b+c+d)	**18.83**	22.30
b.	Amount of standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**5.05**	6.58
c.	Amount of sub-standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**1.89**	1.24
d.	Amount of doubtful assets of MSMEs subjected to restructuring	**11.89**	14.48

d. Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets(S4A)

(` in Crore**)**

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding		Amount Outstanding		Provision held
	FB	NFB	In Part A*	In Part B	
Classified as Standard (1 accounts)	34.66	72.85	107.51	45.48	` 21.25 Crore (Investment: ` 14.32 Crore requirement, Standard Assets Provision: ` 6.93 Crore)
Classified as NPA (1 accounts)	46.24	130.21	176.45	28.61	` 31.17 Crore (Investment: ` 7.37 Crore, NPA Provision: ` 23.80 Crore)

*Including Non fund based

e. Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(` in Crore**)**

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
31.03.2017	7	898.79	-	10.50 yrs	18.66 yrs
31.03.2018	1	215.13	-	10.07 yrs	19.96 yrs

f. Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(` in Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL						

g. Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(` in Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL								

h. Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(` in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL			

i. **Particulars of Standard Restructured Accounts attracting higher restructuring provision:**

Disclosure of Restructured Accounts as at March 2018*

(` in crores)

Sl. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details ↓																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2017*	No. of borrowers	0	4	5	2	11	1	8	793	305	1107	587	295	1807	615	3304	588	307	2605	922	4422
		Amount outstanding	0	80.95	35.64	11.28	127.87	0.02	1.24	11.87	2.61	15.74	28.58	23.07	237.45	4.33	293.43	28.60	105.26	284.96	18.22	437.04
		Provision thereon	0	7.16	0	0	7.16	0	0.01	0.02	0	0.03	0.52	0.11	2.93	0	3.56	0.52	7.28	2.95	0	10.75
2	Fresh restructuring during the FY 2017-18	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	5	1	59	53	0	5	1	59
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.27	0	33.37	0.14	35.78	2.27	0	33.37	0.14	35.78
		Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.46	0	5.46	0	0	5.46	0	5.46
3	Up gradations to restructured standard category during the FY 2017-18	No. of borrowers	0	0	0	0	0	5	-1	-4	0	0	34	-14	-16	-4	0	39	-15	-20	-4	0.00
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	0.64	-0.04	-0.60	0	0	9.19	-8.50	-0.64	-0.05	0	9.83	-8.54	-1.24	-0.05	0.00
		Provision thereon	0	0	0	0	0	0.03	-0.03	0	0	0	0.871	-0.84	-0.03	-0.001	0	0.901	-0.87	-0.03	-0.001	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY 2018 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2017-18 (accounts restructured before 31st March,2016)	No. of borrowers	2				2	29				29	1281				1281	1312				1312
		Amount outstanding	21.4				21.4	5.05				5.05	506.33				506.33	532.78				532.78
		Provision thereon	0.44				0.44	0.06				0.06	6.37				6.37	6.87				6.87
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of borrowers	0	0	0	0	0	-5	2	3	0	0	-304	155	149	0	0.00	-309	157	152	0	0.00
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	-0.68	0.67	0.01	0	0.00	-208.93	173.42	35.51	0	0.00	-209.61	174.09	35.52	0	0.00
		Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.87	2.46	5.41	0	0.00	-7.87	2.46	5.41	0	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	2	608	382	992	0	148	1642	682	2472	0	150	2250	1064	3464
		Amount outstand-ing	0	0	0	0	0	0	0.68	8.66	3.23	12.57	-0.01	173.3	171.57	4.36	349.22	-0.01	173.98	180.23	7.59	361.79
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2018*	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	327	9	7	1	344	327	11	7	1	346
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	0	1.21	0	0	1.21	14.81	0.14	33.39	0.14	48.48	14.81	1.35	33.39	0.14	49.69
		Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0.003	0	0	0.003	0.24	0	5.45	0	5.69	0.24	0.003	5.45	0	5.69

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which have completed two years from the date of restructure or two years plus moratorium period, if any.

j. Details of Assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC), for Assets Reconstruction –

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Number of accounts	**NIL**	NIL
2	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	**NIL**	NIL
3	Aggregate consideration	**NIL**	NIL
4	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
5	Aggregate gain / loss over net book value	**NIL**	NIL

k. Sale of Financial Assets to Securitisation Company/Reconstruction Company

Table (i) (` in Crore)

Sl. No.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
1	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	146.39	20.06	NIL
	Provision held against (1)	115.40	16.01	NIL
2	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (2)	NIL	NIL	NIL
	Total (1+2)	**146.39**	**20.06**	**NIL**

Table (ii) (` in Crore)

Sl. No.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
1	Book value of SRs backed by standard assets sold by the bank as underlying	162.66	NIL	NIL
	Provision held against (1)	16.26	NIL	NIL
2	Book value of SRs backed by standard assets sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (2)	NIL	NIL	NIL
	Total (1+2)	**162.66**	**NIL**	**NIL**

l. Credit Default Swaps : NIL

m. Details of non-performing financial assets purchased/sold

i. Details of non-performing financial assets purchased

(` in Crore)

Particulars			31.03.2018	31.03.2017
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL

ii. Details of non-performing financial assets sold

(` in Crore)

Particulars		31.03.2018	31.03.2017
1.	No. of accounts sold	**NIL**	NIL
2.	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
3.	Aggregate consideration received	**NIL**	NIL

There was no case where the banks had spread the shortfall over 2 years.

n. Provision on Standard Asset

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provisions towards Standard Assets	**459.92**	516.64
TOTAL	**459.92**	516.64

o. Business Ratios

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Interest Income as a percentage to Working Funds	**7.69%**	8.14%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	**0.98%**	1.09%
Operating Profit as percentage to Working Funds	**1.89%**	1.59%
Return on Average Assets	**0.44%**	0.49%
Average Business [Deposits + Advances] per employee (` in Crore)	**18.10**	14.17
Net profit per employee	**0.05**	0.05

p. In terms of directions of RBI vide letter no DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dt.23.06.2017 and DBR.No.BP.1926/21.04.048/2017-18 dt.28.08.2017 in respect of certain NPA accounts under Insolvency and Bankruptcy code (IBC), bank has fully provided the additional provision of ` 14979 lakhs required to be provided by 31st March 2018 in respect of such accounts. In this regard RBI has reduced the provisioning requirement from 50% to 40 % vide circular number

DBR.No.BP.8756/21.04.048/2017-18 dated 2nd April 2018. The bank, however, has not reduced the provision and maintained the provision as aforesaid.

q. In respect of advances under IBC, provision has been done considering the value of security as per available records in view of uncertainty involved in fair value which will be decided on resolution of the case in NCLT.

r. RBI vide its circular no DBR.NO.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12th February 2018, has issued revised framework on Resolution of Stressed Assets. In pursuance to the revised framework the bank has classified the specific restructured accounts as non performing and accordingly made provision towards such stressed accounts of ` 116.45 Crores.

s. In view of fraud detected during the year in certain banks, in respect of a Gems and Jewellery borrower Group, the Bank has classified certain accounts as non-performing and made an additional provision of ` 27.38 Crores by way of abundant caution.

(IV) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(` in Crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15-30 days	31 days and upto 2 months	More than 2 months and upto 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	490.13	3513.07	2856.29	3351.94	9176.34	15413.84	20880.40	44190.30	20480.37	35467.91	1466.94	157287.53
Advances*	1294.32	135.15	159.64	1278.72	2203.66	2971.56	4196.47	8285.12	59198.90	14215.21	22226.70	116165.44
Investments*	36.91	290.62	0.00	50.14	20.50	40.34	10.00	1396.89	4114.43	5070.66	28481.18	39511.67
Borrowings**	0.00	3205.67	427.00	200.00	86.18	71.31	1.56	9.10	1012.42	338.90	1947.65	7299.79
Foreign Currency Assets	47.54	10.82	13.52	477.44	217.11	48.80	101.93	12.25	70.23	9.31	48.04	1056.99
Foreign Currency Liabilities	595.23	1.37	3.03	2.08	76.80	19.28	33.33	138.29	152.55	35.03	0.00	1056.99

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India and compiled by the management and relied upon by the auditors.

* Figures are broadly net of provision.

** Borrowings in India.

(V) Lending to Sensitive Sectors

a) Exposure to Real Estate Sector

(` in Crore)

Particulars	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**15584.36**	11771.19
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	**7105.46**	5889.23

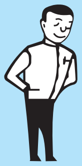

(` in Crore)

Particulars			31.03.2018	31.03.2017
	b.	Commercial Real Estate		
		Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	**1256.89**	1925.24
	c.	Income Producing Real Estate	**2347.24**	2208.07
	d.	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
		i) Residential	**--**	500.46
		ii) Commercial Real Estate	**--**	--
2)	Indirect Exposure			
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		**688.12***	100.88
Total exposure to real estate sector			**19878.27**	16005.38

*Including indirect investment exposure of ` 561.87 Crore to NHB & HFC.

b) Exposure to Capital Market

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(I)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**352.71**	183.45
(II)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(III)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	**NIL**	NIL

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(IV)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**NIL**	NIL
(V)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers.	**25.00**	25.30
(VI)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**NIL**	NIL
(VII)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	**NIL**	NIL
(VIII)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(IX)	Financing to stock brokers for margin trading.	**NIL**	NIL
(X)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**17.70**	20.05
	Total exposure to capital market	**395.41**	**228.80**

(VI) Disclosure for investments under SDR :-

Pursuant to the master circular DBR.BP.BC.No.101/21.04.132/2014-15 dated June 08, 2015, on Strategic Debt Restructuring Scheme, Point No. 7, and acquisition of shares under SDR mechanism is exempted from regulatory ceilings/restrictions on Capital Market Exposures, investment in Para-Banking activities and intra-group exposure.

Details of shares held under SDR mechanism and details of the same as on 31.03.2018 are as under:

Name of Company	Shares allotted	Allotment price/ share in `	Book value ` in Cr
LancoTeesta Hydro Power Limited	4,00,00,000	10.00	40.00
Monnet Ispat and Energy Limited	20,00,000	34.20	6.84
Bellona Estate Developers Limited	36,140	10.00	0.04
Athena Chhattisgarh Power Limited	5,86,57,727	10.00	58.66
ETCO Denim Private Limited	79,23,749	10.00	7.92
GTL Infrastructure Limited	1,57,86,048	10.00	15.79
Total			**129.25**

(VII) Risk Category-wise Country Exposure:

(` in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	380.94	NIL	336.71	NIL
Low	318.30	NIL	292.72	NIL
Moderate	8.05	NIL	19.92	NIL
High	7.22	NIL	6.60	NIL
Very High	0.00	NIL	1.25	NIL
Restricted	0.00	NIL	0.00	NIL
Off credit	0.00	NIL	0.00	NIL
Total	**714.51**	**NIL**	**657.20**	**NIL**

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is required to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.01.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD. BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

(VIII) Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year :

(` in Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeds	Amt. outstanding during the period limit exceeded	Board Sanction details	Position on 31.03.2018
2017-18	M/s. Kaleshwaram irrigation Project Corporation limited	2210.30 (individual exposure ceiling @20% of capital fund of Rs.11051.49 as on 31.03.2017 applicable for Infrastructure)	2750.00	Not applicable under drawdown	Not applicable under drawdown-outstanding within prudential exposure ceiling	Sanctioned vide MCB proceeding No. CD:MC:Cir-01/2018 dated 04.01.2018 approved by Board vide agenda No.A-09/18 dated 02.01.2018	1961.83
2016-17	NIL	NA					

(IX) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of twenty largest depositors	**38196.29**	26490.55
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**24.28%**	19.92%

b) Concentration of Advances –

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances of twenty largest borrowers	**24574.01**	13156.81
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**20.71%**	13.59%

c) Concentration of Exposures -

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	**26822.39**	16987.56
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers to aggregate exposure under fund based, non-fund based investment and derivative exposure Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**20.16%**	15.06%

d) Concentration of Exposures -

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure of twenty largest groups	**17516.93**	16931.01
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers to aggregate exposure under fund based, non-fund based investment and derivative exposure Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**13.17%**	15.01%

e) Concentration of NPAs -

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure of top four NPA accounts	**1653.90**	1317.46

(X) Sector-Wise advances (Gross) -

(` in Crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2018			31.03.2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**15897.00**	**578.64**	**3.64**	12752.54	544.89	4.27

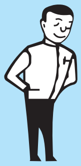

(` in Crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2018			31.03.2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**5005.03**	**506.93**	**10.13**	4554.50	305.89	6.72
3	Services	**12916.34**	**464.74**	**3.60**	11453.06	85.13	0.74
4	Personal Loans	**9656.63**	**79.63**	**0.82**	7973.53	480.46	6.03
	Sub-total (A)	**43475.00**	**1629.94**	**3.75**	**36733.63**	**1416.37**	**3.86**
B	**Non-Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**Nil**	**Nil**	**Nil**	Nil	Nil	Nil
2	Advances to Industries Sector	**70381.90**	**5378.70**	**7.64**	27545.59	4316.43	15.67
3	Services	**3363.28**	**428.21**	**12.73**	3329.60	51.82	1.56
4	Personal Loans	**1457.22**	**89.24**	**6.12**	29212.63	597.16	2.04
	Sub-total (B)	**75202.40**	**5896.15**	**7.84**	**60087.82**	**4965.41**	**8.26**
	Total (A+B)	**118677.40**	**7526.09**	**6.34**	**96821.45**	**6381.78**	**6.59**

(XI) Movement of NPAs –

(` in Crore)

Particulars	**31.03.2018**	**31.03.2017**
Gross NPAs as on 01st April 2017 (Opening Balance)	**6381.78**	6027.07
Additions (Fresh NPAs) during the year	**4388.20**	2893.44
Sub-total (A)	**10769.98**	**8920.51**
Less:-		
(i) Up gradations	**876.57**	895.44
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**827.33**	575.00
(iii) Technical/Prudential Write-off	**1531.32**	1061.36
(iv) Write-offs Other than those under (iii) above	**8.67**	6.93
Sub-total (B)	**3243.89**	**2538.73**
Gross NPAs as on 31st March 2018 (A-B)	**7526.09**	6381.78

(XII) Technical write off and recoveries made thereon: –

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of technical/prudential write-off accounts	**3459.51**	2540.48
Add: Technical/Prudential write off during the year	**1531.31**	1061.36
Sub Total	**4990.82**	3601.84
Less:Recoveries made from previously technical/prudential written off accounts during the year	**151.27**	142.33
Closing balance	**4839.55**	3459.51

(XIII) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL

(XIV) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

(XV) Unsecured advances: The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

(XVI) Fees / remuneration from insurance business during 2017-18:

(` in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2017-18	2016-17
1	For selling life insurance policies	**2.15**	2.17
2	For selling non-life insurance policies	**6.13**	4.64
3	For selling mutual fund products	**NIL**	NIL
4	Others (Specify)	**NIL**	NIL

11. Disclosure requirements as per Accounting Standards notified by the Ministry of Corporate Affairs under section 133 of Companies Act 2013 read rule 7 of Companies (Act) Rules 2014 where RBI has issued guidelines:

i) There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per AS -5.

ii) As per the past practice, the bank does not provide details for the gross amount of each class of depreciable asset as and related accumulated depreciation as required under AS-6.

iii) In terms of accounting policy No.8 of the Bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under AS-9.

iv) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.

v) The following information is disclosed under AS-15 - Employee benefits :-

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.18	Pension 31.03.17	Pension 31.03.16	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	**7.64%**	7.50%	8.00%	8.00%	8.50%
	Salary escalation rate	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition rate	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Expected rate of return on Plan Assets	**8.17%**	9.16%	9.02%	8.95%	9.50%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	**3282.09**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	Interest Cost	**239.45**	184.70	180.28	161.87	161.48
	Current Service Cost	**95.38**	341.24	208.27	268.84	268.90
	Benefits Paid	**295.95**	278.49	(307.37)	(218.99)	(219.72)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	**355.34**	432.60	113.71	62.58	(87.47)
	PVO as at the end of the period	**3676.31**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	Expected return on Plan Assets	**250.87**	232.91	211.74	201.02	186.58
	Contributions	**811.43**	560.58	299.64	89.00	271.58
	Benefits Paid	**295.95**	278.50	(307.37)	(218.99)	(219.72)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	**3860.19**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
IV.	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	**250.87**	232.91	211.74	201.02	186.58
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64
	Actual return on Plan Assets	**274.05**	245.88	202.93	231.43	230.22
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	**355.34**	432.60	(113.71)	(62.58)	87.47
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	**23.18**	12.97	(8.81)	30.41	43.64
	Total gain / (loss) for the period	**332.16**	419.63	(122.52)	(32.17)	131.11
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	**332.16**	419.63	(122.52)	(32.17)	131.11

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.18	Pension 31.03.17	Pension 31.03.16	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	**3676.30**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84
	Fair Value of Plan Assets	**3860.20**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	**183.89**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
	Amount recognised in the Balance Sheet	**183.89**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	**95.38**	341.24	208.27	268.84	268.90
	Interest Cost	**239.45**	184.70	180.28	161.87	161.48
	Expected return on Plan Assets	**250.87**	232.91	(211.74)	(201.02)	(186.58)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	**332.16**	419.63	122.52	32.17	(131.11)
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	**416.11**	712.68	299.33	261.86	112.69
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	**211.43**	59.33	59.64	(113.22)	45.66
	Expense as above	**416.11**	712.68	299.33	261.86	112.70
	Contribution Paid	**811.43**	560.58	(299.64)	(89.00)	(271.58)
	Closing Net Liability	**(183.89)**	211.42	59.33	59.64	(113.22)
IX.	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	**3676.30**	3282.08	2602.03	2407.14	2132.84
	Plan Assets	**3860.20**	3070.66	2542.70	2347.50	2246.06
	Surplus / (Deficit)	**(183.89)**	(211.42)	(59.33)	(59.64)	113.22
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	**(355.34)**	(432.60)	(113.71)	(62.58)	87.47
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	**23.18**	12.97	(8.81)	30.40	43.64

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.18	Gratuity 31.03.17	Gratuity 31.03.16	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	**7.71%**	7.50%	8.00%	8.00%	8.50%
	Salary escalation rate	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition rate	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Expected rate of return on Plan Assets	**8.42%**	10.79%	9.00%	8.81%	8.50%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	**332.16**	298.88	298.16	315.93	343.85
	Interest Cost	**23.76**	20.64	21.39	22.77	26.49
	Service Cost*	**101.80**	24.77	22.06	18.63	17.45
	Benefits Paid	**47.93**	47.29	(61.68)	(62.70)	(64.50)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	**6.86**	35.16	18.95	3.54	(7.36)
	PVO as at the end of the period	**416.65**	332.16	298.88	298.17	315.93
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	**339.71**	308.99	326.30	354.14	368.24
	Expected return on Plan Assets	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	Contributions	**36.00**	44.89	16.00	0.00	21.00
	Benefits Paid	**47.93**	47.29	(61.68)	(62.70)	(64.50)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	**351.15**	339.71	308.99	326.31	354.14
IV.	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	Actual return on Plan Assets	**23.37**	33.12	28.37	34.87	29.40
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	**(6.86)**	(35.16)	(18.95)	(3.54)	7.36
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)
	Total gain / (loss) for the period	**(12.09)**	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	**(6.86)**	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46

(` in Crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.18	Gratuity 31.03.17	Gratuity 31.03.16	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	**416.65**	332.16	298.88	298.17	315.93
	Fair Value of Plan Assets	**351.15**	339.72	308.99	326.31	354.14
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
	Amount recognised in the Balance Sheet	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	**23.13**	24.77	22.06	18.63	17.45
	Interest Cost	**23.76**	20.64	21.39	22.77	26.49
	Expected return on Plan Assets	**28.60**	33.34	29.37	31.20	31.30
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	**12.09**	35.38	19.95	(0.13)	(5.46)
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	**101.50**	47.46	34.02	10.06	7.18
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	**(7.54)**	(10.12)	(28.14)	(38.21)	(24.39)
	Expense as above	**101.50**	47.46	34.02	10.06	7.18
	Contribution Paid	**(36.00)**	(44.89)	(16.00)	-	(21.00)
	Closing Net Liability	**65.50**	(7.54)	(10.12)	28.15	(38.21)
IX.	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	**416.65**	332.16	298.88	298.16	315.93
	Plan Assets	**351.15**	339.72	308.99	326.30	354.14
	Surplus / (Deficit)	**(65.50)**	7.54	10.12	28.14	38.21
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	**(6.86)**	(35.16)	(18.95)	(3.54)	7.36
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	**(5.23)**	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)

*includes part service cost of ` 78.68 Crore

Actuarial assumptions relating to provisions for compensated absence are given below :

Interest rate :- 7.71% p.a

Salary inflation:-5.50% p.a

Mortality :- LICI 1994-96

Attrition rate :- 10 per thousand p.a

Formula :- projected unit credit method

vi) Details of Provisions as per AS-15 made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:

(` in Crore)

Sl. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2018	31.03.2017
1.	Pension	**416.11**	712.68
2.	Gratuity	**101.50**	37.35
3.	Leave Encashment*	**4.29**	(14.28)
4.	Sick Leave	**0.51**	3.41

* Note: Actual expenditure of ` 45.00 crores (Previous year ` 41.00 Crore) has been recognized in P&L Account by debiting salary & allowance A/c.

vii) In view of fraud detected during the year in certain banks, in respect of Two Gems and Jewellery borrower Group, the Bank has classified those accounts as non-performing assets and made necessary prvisions.

viii) Segment Reporting (AS-17)

(` in Crore)

	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.18	**31.03.17**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.18**	**31.03.17**
Revenue	**3705.80**	4182.90	**5550.06**	5560.09	**3866.58**	3540.34	**1068.02**	747.39	**14190.45**	14030.72
Result	**1471.79**	1067.80	**471.16**	298.06	**680.79**	857.12	**576.45**	280.98	**3200.18**	2503.96
Unallocated Expenses									**2216.97**	1589.48
Profit Before Taxes									**983.22**	914.48
Provision for Taxes									**256.19**	164.00
Extraordinary Profit/Loss									**Nil**	Nil
Net Profit									**727.02**	750.48
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	**43576.93**	47466.52	**71707.52**	57498.55	**53591.62**	41358.83	**5239.70**	4304.81	**174115.80**	150628.71
Unallocated Assets									**3516.27**	4252.86
Total Assets									**177632.05**	**154881.57**
Segment Liabilities	**42058.51**	45666.57	**69148.43**	56279.23	**51781.89**	40730.61	**4016.02**	3873.35	**167004.85**	146549.76
Unallocated Liabilities									**10627.20**	8331.81
Total Liabilities									**177632.05**	**154881.57**

For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/ Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d)Other Banking Operations. Segmenting is based on the current policy of the bank.

Since the Bank does not have any Overseas Branch, reporting under geographic segment is not applicable.

Expenses wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.

Assets/liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue/segments assets ratio.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

ix) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures –

a) Key Management Personnel :

a. Dr. Kishore Sansi (EX- M.D & CEO)-Part of the year

b. Shri B.S. Rama Rao (EX-ED)- Part of the year

c. Shri R. A. Sankara Narayanan (M.D & CEO)

d. Shri Nageswara Rao Y (Executive Director)

e. Shri Murali Ramaswami (Executive Director)

The transactions with Related Parties during the year are as under:

a) i) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

Shri R. A. Sankara Narayanan, M.D & CEO (01.09.2017 to 31.03.2018)	` 18,81,486.46
Dr. Kishore Sansi, EX- M.D & CEO (01.04.2017 to 31.08.2017)	` 35,44,539.00
Shri Nageshwara Rao Y, ED (01.04.2017 to 31.03.2018)	` 25,69,848.50
Shri Murali Ramaswami, ED (20.02.2017 to 31.03.2018)	` 3,37,092.80
Shri B.S. Rama Rao, EX-ED (01.04.2017 to 31.01.2018)	` 46,58,007.30

ii) Previous year figures (2016-17)

Dr. Kishore Sansi, EX- M.D & CEO (01.04.2016 to 31.03.2017)	` 30,15,624.00
Shri B.S. Rama Rao, EX-ED (01.04.2016 to 31.03.2017)	` 27,36,526.00
Shri Nageshwara Rao Y, ED (01.04.2016 to 31.03.2017)	` 25,30,938.00

b) There has been no transaction with the relatives of the Key Management Personnel during the year.

c) Associates: NIL

x) Leases (AS -19)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease :

(` in Crore)

Particulars	**31.03.2018**	**31.03.2017**
Not Later than 1 year	**200.59**	153.06
Later than 1 year but not Later than 5 years	**961.32**	696.66
Later than 5 years	**944.05**	765.75
Total	**2105.96**	1615.40
Amount Charged to P&L	**191.98**	151.29

c) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

d) At the expiry of initial lease term, generally the Bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

e) The Bank does not have any financial lease.

xi) Earning Per Share (AS-20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS/ Diluted		**31.03.2018**	**31.03.2017**
a.	Net Profit after tax available for equity share holders (` in Crore)	**727.02**	750.48
b.	Weighted average number of equity shares (Numbers in Crore) Number of shares at beginning: 998845340*365/365 Addition as on 05/09/2017: 111022997*208/365 Addition as on 27/03/2018 : 194279628*5/365	**106.48**	99.10
c.	Basic EPS/ Diluted (in rupees)	**6.83**	7.57
d.	Nominal Value per share (in rupees)	**10.00**	10.00

(xii) Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has accounted for Taxes on Income in compliance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

a) The components of deferred tax are as under:

(` in Crore)

Timing Difference	**Deferred Tax Asset**		**Deferred tax liability**	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
1. Provision for leave encashment	**53.57**	52.09	**Nil**	Nil
2. Depreciation on Fixed Assets	**0.55**	0.55	**Nil**	Nil
3. Unamortized pension	**NIL**	Nil	**Nil**	Nil
4. Unamortized gratuity	**NIL**	Nil	**Nil**	Nil
5. Provision for Restructured Advances	**2.45**	3.98	**1.74**	Nil
6. Special Reserve u/s 36(i) (viii) of IT Act	**NIL**	Nil	**215.85**	188.17
7. Provision for NPA	**773.68**	475.67	**Nil**	Nil
Total	**830.25**	532.29	**217.59**	188.17

In view of the application of ICDS (Income Computation and Disclosure Standards) from the year 2017-18, provisions of AS 22 in respect of DTL on Investments under HTM category are not applicable.

b) During the financial year 2017-18, the Bank has recognised DTA in respect of provision made in excess of deduction allowable u/s 36(i)(vii)(a) of the Income Tax Act.

c) Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Income Tax	**524.74**	307.76
Provision for Deferred Tax	**(268.55)**	(143.76)

(xiii) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 – Impairment of Assets.

12. Additional disclosures

(i) Break up of provisions and contingencies

(` in Crore)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	31.03.2018	31.03.2017
Provision for depreciation on investment	**457.06**	44.97
Provisions towards NPA	**1746.81**	1347.34
Provisions towards Standard Assets (including Restructured Std.)	**(68.32)**	58.27
Provisions made towards Income Tax (net):		
i) Current Tax	**524.74**	307.76
ii) Deferred Tax	**(268.55)**	(143.76)
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	**15.42**	10.94
ii) Others	**15.79**	47.29
iii) Excess Provision written back	**(52.18)**	(2.14)
Total	**2370.78**	1670.67

(ii) Floating Provisions (` in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a) Opening balance	**71.35**	71.35
(b) Floating provisions made during the year	**Nil**	Nil
(c) Amount withdrawn during the year	**Nil**	Nil
(d) Closing balance	**71.35**	71.35

(iii) Disclosure of Customer Complaints

a) Customer Complaint

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	**39**	37
(b)	No. of complaints received during the year	**4660**	5850
(c)	No. of complaints redressed during the year	**4659**	5848
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	**40***	39

*Since redressed

b) Complaint details related to ATM transactions

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	No. of issues pending at the beginning of the year	**53**	98
2	No. of issues received during the year	**10297**	32148
3	No. of issues resolved during the year	**10273**	32193
4	No. of issues pending at the end of the year	**77**	53

c) Awards passed by the Bank's ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**Nil**	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**1**	12
(c)	No. of Awards implemented during the year	**1**	12
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**Nil**	Nil

d) During the current financial year RBI has levied penalty of ` 93.61 lacs (Previous year ` 18.31 lacs).

(iv) During the year 2017-18 the Bank had issued 453 Letters of Undertaking (LoU) amounting to USD 139107187.37 covering imports of goods into India. These Letters of Undertaking have been issued after due assessment of its financial impact on the Bank and with the approval of the competent authorities. As on the date of balance sheet 150 Letters of Undertaking amounting to USD 55495216.68 (approximately ` 361.69 Crore @ USD 1 = ` 65.175) are outstanding which, in the opinion of the management, will not have any significant impact on the Bank's financial position.

(v) Provision coverage ratio (PCR): Provision Coverage ratio as of 31.03.2018 is 59.39% (previous year 58.15%) as per RBI guidelines. The Bank has achieved the PCR as envisaged in RBI circular DBOD. No.BP.BC.87-21.048/2010-11 dt.21.04.2011.

13. Intra Group Exposure: -

a) Total Amount of Intra group Exposures: NIL

b) Total amount of top-20 intra group exposures: NIL

c) Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers: NIL

d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any: NIL

14. Transfers to Depositor Education and awareness Fund (DEAF): -

(` in Crore)

Particulars	**31.03.2018**	**31.03.2017**
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**117.05**	87.53
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	**79.85**	30.54
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**1.53**	1.02
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**195.37**	117.05

15. Un hedged Foreign Currency Exposure:

(To the extent bank has been able to ascertain from borrowers and as certified by bank and relied upon by auditors)

Incremental provisioning as on 31.03.2018: ` 3.70 Crore

Regulatory requirement for incremental capital: ` 5.90 Crore

16 (a) Liquid Coverage Ratio:

(` in Crore)

LCR Disclosure Template			
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		20083.78
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	90259.21	6669.31
(i)	Stable deposits	47132.14	2356.61
(ii)	Less stable deposits	43127.07	4312.71
3	Unsecured wholesale funding, of which:	15871.66	10547.29
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	18651.95	10547.29
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	3348.93	0.00

(` in Crore)

LCR Disclosure Template			
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**
5	Additional requirements, of which	16594.45	1957.30
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	7992.86	1010.54
6	Other contractual funding obligations	679.74	679.74
7	Other contingent funding obligations	7921.86	267.02
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		**19173.90**
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	213.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	5663.05	2831.52
11	Other cash inflows	1263.09	885.70
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	**7139.81**	**3717.23**
TOTAL ADJUSTED VALUE			
13	**TOTAL HQLA**		20083.78
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		15456.67
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		**129.94%**

16 (b) Qualitative disclosures around LCR:

(a) The main drivers of their LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time:

The main drivers of the LCR is HQLA, the involvement of healthy HQLA not only improve the LCR percentage but also increase the ability of the bank to meet the liquidity requirement upto 30 days.

(b) Intra-period changes as well as changes over time:

Not Applicable

(c) The composition of HQLA:

The composition of HQLA is divided into Level 1 Asset and Level 2A & Level 2B.

Level 1 Asset includes:

i. Cash including cash reserves in excess of required CRR.

ii. Government securities in excess of the minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement.

iii. Within the mandatory Statutory Liquidity Ratio(SLR) requirement, Government securities to the extent allowed by Reserve Bank of India (RBI), under Marginal Standing Facility (MSF).

iv. Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns satisfying all the following conditions:-

(a) Assigned a 0% risk weight under the Basel II standardized approach for credit risk.

(b) Traded in large, deep and active repo or cash markets characterized by a low level of concentration and proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions.

(c) Not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

Level 2 assets (comprising Level 2A assets and Level 2B assets) can be included in the stock of liquid assets, subject to the requirement that they comprise no more than 40% of the overall stock of HQLAs after haircuts have been applied.

Level 2A and Level 2B assets would comprise of the following:

Level 2A Assets includes:

A minimum 15% haircut should be applied to the current market value of each Level 2A asset held in the stock. Level 2A assets are limited to the following:

1) Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development banks that are assigned a 20% risk weight under the Basel II Standardised Approach for credit risk and provided that they are not issued by a bank/ financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

2) Corporate bonds, not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

3) Commercial Papers not issued by a bank / Primary dealers (PD)/financial institution or any of its affiliated entities, which have a short-term rating equivalent to the long-term rating of AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

Level 2B Assets includes:

A minimum 50% haircut should be applied to the current market value of each Level 2B asset held in the stock. Further, Level 2B assets should comprise no more than 15% of the total stock of HQLA. They must also be included within the overall Level 2 assets. Level 2B assets are limited to the following:

i. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns having risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., they should have a credit rating not lower than BBB- as per RBI Master Circular on 'Basel III – Capital Regulations'.

ii. Common Equity Shares which satisfy all of the following conditions:

a) not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities;

b) included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index.

(d) Concentration of funding sources:

Amount to be received by RBI / Central banks.

(e) Derivative exposures and potential collateral calls:

Not Applicable

(f) Currency mismatch in the LCR:

Not Applicable

(g) A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units and

The Fund Management desk in Treasury Management Department (TMD) is centralized liquidity management desk that manages the flow of funds between the two units.

(h) Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.

Not Applicable

17. As per RBI circular no. DBR.NO.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 on disclosures pertaining to Provisions for frauds is as follows:-

Sl. No.	Particulars	Amt in Crores
1	No. of Frauds reported (Nos.)	19
2	Amount involved in such frauds	31.02
3	Quantum of Provisions during the year (net of recoveries)	28.44
4	Quantum of unamortized Provision debited to other reserves	Nil

18. The bank has drawn down a sum of Rs. NIL/- (Previous year Rs. NIL) from General Reserve on account of payment of Lapsed Demand Drafts which were taken to general reserve earlier as per RBI approval.

19. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.

20. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

21. Cash flow has been prepared using Indirect method.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

R. A. SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

NAGESWARA RAO.Y
Executive Director

MURALI RAMASWAMI
Executive Director

N. SRINIVAS RAO
Director

G. P. BORAH
Director

VIVEK SONI
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

RAJAN DOGRA
Director

RAGHVENDER GUPTA
Director

RAMESH KUMAR MIGLANI
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

N. RANGAN
Partner
Membership No:012190

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s O. P. BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

M. NAGANATHAN
Partner
Membership No:07547

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2018

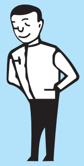

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018 [Indirect Method]

[` 000's omitted]

Particulars	For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit after tax	**727 02 29**	**750 48 51**
Provision for depreciation on Fixed Assets	**102 38 02**	82 81 29
Profit on sale of Fixed Assets	**-1 32 55**	-2 36 93
Current Deffered Tax	**-268 54 77**	-143 76 27
Provision for income tax	**524 74 00**	307 76 00
MAT Credit Entitlement	**0**	0
Provision in respect of NPA/restructured Advance	**1735 44 85**	1328 77 13
Provision for Standard Assets	**-56 96 00**	76 84 00
Provision for Diminution in the value of Investments	**457 06 45**	44 97 14
Payment/Provision for interest on Subordinate Bonds	**350 51 01**	369 96 54
Provision for other Items	**-20 96 67**	56 08 88
Sub total:-	**3549 36 63**	**2871 56 29**
Adjustment for net change in operating assets and liabilities		
Decrease/(Increase) in Investment	**4455 82 54**	-2627 03 32
Decrease /(Increase) in Advances	**-23352 00 28**	-6890 69 80
Increase / (Decrease) in Deposits	**24275 58 37**	7571 22 93
Increase/ (Decrease) in Borrowings	**-3262 00 25**	986 22 49
Decrease/(Increase) in other Assets	**-7743 87 08**	-1346 45 60
Increase/(Decrease) in other Liabilities & Provisions	**-168 92 17**	300 35 95
tax (paid)/ Refund	**463 11 85**	-804 76 37
Net Cash from operating Activities (A)	**-1782 90 39**	**60 42 57**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Fixed Assets (net)	**-123 72 60**	-154 30 10
Net cash from investing activities (B)	**-123 72 60**	**-154 30 10**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Issue of Share Capital	**305 30 26**	66 28 50
Share Application Money	**0**	-220 00 00
Share Premium	**1671 69 74**	153 71 50
Subordinate bonds issued	**0**	325 00 00
Subordinate bonds redeemed	**-500 00 00**	-550 00 00
Interest on subordinate bonds	**-350 51 01**	-369 96 54
Prefrence dividend paid & tax paid thereon	**0**	0

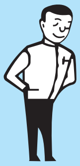

[` 000’s omitted]

Particulars	For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
Equity dividend & Tax paid thereon	**-180 32 85**	0
Interim dividend paid & tax paid thereon	**0**	0
Net cash from financing activities (C)	**946 16 14**	**-594 96 54**
Net cash & cash Equivalents (A+B+C)	**-960 46 85**	**-688 84 07**
Cash & Cash equivalents at the begning of the year	**5930 71 01**	**6619 55 08**
Cash in Hand	**506 85 55**	554 59 71
Balances with Reserve bank of India	**5263 56 57**	5713 75 28
Balances with banks and money at call and short notice	**160 28 89**	351 20 09
Cash & Cash equivalents at the end of the year	**4970 24 16**	**5930 71 01**
Cash in Hand	**598 26 03**	506 85 55
Balances with Reserve bank of India	**3705 43 73**	5263 56 57
Balances with banks and money at call and short notice	**666 54 40**	160 28 89

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 07.05.2018.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

R. A. SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

NAGESWARA RAO.Y
Executive Director

MURALI RAMASWAMI
Executive Director

N. SRINIVAS RAO
Director

G. P. BORAH
Director

VIVEK SONI
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

RAJAN DOGRA
Director

RAGHVENDER GUPTA
Director

RAMESH KUMAR MIGLANI
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

N. RANGAN
Partner
Membership No:012190

For M/s O. P. BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

M. NAGANATHAN
Partner
Membership No:07547

Place : Bengaluru
Date : 07.05.2018

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India/ Members,

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Vijaya Bank as at 31st March, 2018, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, and the Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1023 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss account are the returns from 1093 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.76 per cent of advances, 19.49 per cent of deposits, 7.19 per cent of interest income and 18.91 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, Provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, recognized accounting practices including the accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) the Balance Sheet, read with the significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the third schedule to the Banking regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report

   (a) that the balance sheet and profit and loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns.

   (b) The reports on the accounts of the branches audited by other branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

   (c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

[N. RANGAN]
Partner
Membership No: 012190

For M/s SHIV JINDAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

[VIKRAM JINDAL]
Partner
Membership No:095464

For M/s O P BAGLA & CO. LLP
(Formerly M/s O P Bagla & Co.)
Chartered Accountants
Registration No: 000018N/NYA

[RAKESH KUMAR]
Partner
Membership No: 087537

For M/s PRICE PATT & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 02783S

[M NAGANATHAN]
Partner
Membership No: 07547

Date: 07th May 2018
Place: Bengaluru

BASEL DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31ST MARCH 2018

TABLE DF-1 on group entities disclosures is not applicable to the Bank.

TABLE DF-2

CAPITAL ADEQUACY

<table>
<tr><td colspan="2">Qualitative Disclosures</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(a)</td><td>A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.</td><td colspan="3">As per RBI directives, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Quantitative Disclosures</td><td colspan="3">(` in Crore)</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>Capital requirements for Credit Risk under Basel II & Basel III:
• Portfolios subject to standardized approach
• Securitization exposures</td><td colspan="3">
9003.44 (including other assets and counterparty un-hedged foreign currency exposure)
NIL - as the Bank has no exposure under securitization.</td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:
Under Basel II:
• Interest rate risk
• Foreign Exchange Risk
• Equity Risk

Under Basel III:*
• Interest rate risk
• Foreign Exchange Risk
• Equity Risk
* After Cross holding Adjustment of `10.19 crs.</td><td colspan="3">

651.09
559.40
4.50
87.19

642.59
558.75
4.50
79.34</td></tr>
<tr><td>(d)</td><td>Capital requirements for Operational Risk – Basic Indicator Approach Basel II & III</td><td colspan="3">576.17</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Basel II</td><td>Basel III</td></tr>
<tr><td></td><td>Capital required:</td><td>Min. Cap Required:</td><td>10230.70</td><td>10222.20</td></tr>
<tr><td></td><td>Capital Maintained:</td><td>Capital Funds:
(as on 31.03.2018)</td><td>13068.38</td><td>13624.43</td></tr>
<tr><td>(e)</td><td>Total and Tier 1 Capital Ratio
• For the top consolidated group</td><td></td><td>Basel II</td><td>Basel III</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>CRAR as on 31.03.2018:</td><td>13.32%</td><td>13.90%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Common Equity Tier I:</td><td>-</td><td>10.36%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tier 1 Capital:</td><td>10.75%</td><td>11.71%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tier 2 Capital:</td><td>2.57%</td><td>2.19%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">(Includes Capital Conservation Buffer 1.875%)</td></tr>
<tr><td></td><td>• For significant Bank subsidiaries</td><td colspan="3">Not applicable as our Bank has no subsidiary.</td></tr>
</table>

(` 612.67 crores of Net DTA related to timing difference recognised in Regulatory Capital Calculation in terms of RBI's circular no. DBR.No. BP.BC. 83/21.06.201/ 2015-16 dated 1st March, 2016)

TABLE DF-3

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including • Definitions of past due and impaired (for accounting purposes) • Discussion on the Bank's Credit Risk Management Policy	The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors & Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee headed by Managing Director & Chief Executive Officer ensures its implementation. Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing, monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have been detailed. To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, ALM & FTP. **The Bank's policy on IRAC (Income Recognition & Asset Classification) norms** is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as 'performing' & 'non-performing' assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets. **Definition of impaired assets (for accounting purposes):** An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/or installment of the loan remains 'overdue' (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan (b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire. * 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment. # 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days.

	Discussions on Bank's Credit Risk Management Policy: The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism / Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration / monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for groups, ratings and sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensive Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.
Quantitative Disclosures	**Gross Credit risk exposure :**
(b) Total gross Credit Risk exposures - fund based & non-fund based	Fund based – Gross Credit : ` 118677.40 Crore Investments : ` 26691.09 Crore Other Assets : ` 11190.32 Crore Non-Fund based – BG/ LC : ` 7787.78 Crore Derivatives & CCIL/MCX : ` 3825.13 Crore Undrawn : ` 6364.83 Crore **Total : ` 174536.55 Crore**
(c) Geographical distribution of exposures -fund based & non-fund based separately • Overseas • Domestic	**Overseas: Fund based & Non-fund based: Nil** **Domestic:** Fund based – Gross Credit : ` 118677.40 Crore Investments : ` 26691.09 Crore Other Assets : ` 11190.32 Crore Non-Fund based – BG/ LC : ` 7787.78 Crore Derivatives & CCIL/MCX : ` 3825.13 Crore Undrawn : ` 6364.83 Crore **Total : ` 174536.55 Crore** Geographic distribution of Gross credit, NFB and HTM investments is as under as on 31.03.2018:

State	Gross credit	Non-Fund Based	HTM Investments	Total
Andaman & Nicobar	53.06	7.16	0.00	60.22
Andhra Pradesh	9353.90	149.35	80.01	9583.26
Arunachal Pradesh	214.31	84.36	0.00	298.68
Assam	422.07	36.92	25.24	484.22
Bihar	551.77	21.37	0.00	573.13
Chandigarh	210.01	17.22	0.00	227.24
Chattisgarh	998.82	22.56	0.00	1021.38
Dadra & Nagar Haveli	22.76	0.11	0.00	22.87
Daman & Diu	3.28	0.00	0.00	3.28
Delhi	13363.39	1210.72	18424.50	32998.61
Goa	283.56	2.75	0.00	286.30

State	Gross credit	Non-Fund Based	HTM Investments	Total
Gujarat	3896.44	304.70	471.42	4672.56
Haryana	2697.22	48.25	131.49	2876.96
Himachal Pradesh	112.06	0.69	0.00	112.75
Jammu & Kashmir	25.14	0.92	0.00	26.06
Jharkhand	220.22	10.69	0.00	230.91
Karnataka	27607.97	1181.21	1053.71	29842.89
Kerala	5029.79	142.49	103.51	5275.78
Madhya Pradesh	1138.15	32.54	97.25	1267.94
Maharashtra	24541.89	2668.50	704.22	27914.61
Manipur	88.77	2.46	0.00	91.23
Meghalaya	76.73	33.53	0.00	110.26
Mizoram	78.58	1.66	0.00	80.24
Nagaland	116.20	1.33	0.00	117.53
Odisha	584.45	12.77	63.04	660.26
Pondicherry	95.66	2.83	0.00	98.49
Punjab	2057.79	25.85	109.44	2193.08
Rajasthan	1286.22	46.29	646.93	1979.43
Sikkim	21.96	1.00	0.00	22.96
Tamil Nadu	7941.91	450.01	664.41	9056.33
Telangana	8247.78	658.06	0.00	8905.84
Tripura	45.59	6.86	0.00	52.45
Uttar Pradesh	2873.63	230.07	143.74	3247.44
Uttaranchal	208.26	3.58	0.00	211.84
West Bengal	4208.08	369.00	64.15	4641.22
Total	**118677.40**	**7787.78**	**22783.06**	**149248.24**

(d). Industry type distribution of credit (Fund Based and Non-Fund Based) is as under as on 31.03.2018:

Amount in (₹) Crore

Industry	Fund Based	Non-Fund Based
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	**210.79**	**18.48**
A.1 Coal	27.59	0.41
A.2 Others	183.20	18.07
B. Food Processing (Sum of B.1 to B.5)	**196.42**	**30.16**
B.1 Sugar	5.36	0.00
B.2 Edible Oils and Vanaspati	23.82	23.11
B.3 Tea	5.65	1.16
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	161.59	5.89

		Amount in (`) Crore	
	Industry	Fund Based	Non-Fund Based
	C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco (Sum of C.1 & C.2)	**180.52**	**0.14**
	C.1 Tobacco and tobacco products	144.13	0.05
	C.2 Others	36.39	0.09
	D. Textiles (Sum of D.1 to D.6)	**987.50**	**32.45**
	D.1 Cotton	566.06	11.05
	D.2 Jute	0.52	0.00
	D.3 Man Made	51.05	1.47
	D.4 Others	369.87	19.93
	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
	E. Leather and Leather products	**45.92**	**1.14**
	F. Wood and Wood Products	**129.30**	**7.76**
	G. Paper and Paper Products	**195.91**	**18.84**
	H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**22.60**	**0.15**
	I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (Sum of I.1 to I.4)	**1569.27**	**82.87**
	I.1 Fertilizers	92.21	0.11
	I.2 Drugs and Pharmaceuticals	82.24	2.10
	I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	1248.24	41.82
	I.4 Others	146.58	38.84
	J. Rubber, Plastic and their Products	**23.93**	**4.75**
	K. Glass & Glassware	**22.38**	**0.07**
	L. Cement and Cement Products	**76.35**	**81.95**
	M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	**4183.67**	**296.63**
	M.1 Iron and Steel	3701.26	220.03
	M.2 Other Metal and Metal Products	482.41	76.60
	N. All Engineering (N.1 + N.2)	**30 49.63**	**518.89**
	N.1 Electronics	800.57	159.38
	N.2 Others	2249.06	359.51
	O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	**501.21**	**33.66**
	P. Gems and Jewellery	**662.80**	**24.15**
	Q. Construction	**1321.69**	**1084.49**

Industry	Amount in (`) Crore Fund Based	Non-Fund Based
R. Infrastructure (Sum of R1 to R.4)	**27772.94**	**911.51**
R.1 Transport (Sum of R.1.1 to R.1.5)	5324.04	207.14
R.1.1 Roads and Bridges	4592.92	172.37
R.1.2 Ports	60.34	0.00
R.1.3 Inland Waterways	0.00	0.00
R.1.4 Airport	521.15	0.48
R.1.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	149.63	34.29
R.2 Energy (Sum of R.2.1 to R.2.4)	10643.28	650.42
R.2.1 Electricity (generation-transmission and distribution)	10268.66	650.40
R.2.2 Oil (storage and pipeline)	343.46	0.00
R.2.3 Gas/LNG (storage and pipeline)	31.16	0.02
R.2.4 Others	0.00	0.00
R.3 Telecommunication	419.43	28.92
R.4 Others (Sum of R.4.1 to R.4.3)	11386.19	25.03
R.4.1 Water sanitation	6341.59	2.83
R.4.2 Social & Commercial Infrastructure	5044.60	22.20
R.4.3 Others	0.00	0.00
S. Other Industries	**1029.21**	**2680.77**
All Industries (Sum of A to S)	**42182.04**	**5828.86**
Residuary Other Advances (to tally with gross advances)	76495.36	1958.92
Gross total Loans and Advances	**118677.40**	**7787.78**

(e) Residual maturity breakdown of assets as at 31.03.2018

(` in Crore)

Period	1 day	2-7 days	8-14 days	15-30 days	31 days - 2 months	Over 2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
FC Assets	47.54	10.82	13.52	477.74	217.11	48.80	101.93	12.25	70.23	9.31	48.04	**1056.99**
Net Advances	1294.32	135.15	159.64	1278.72	2203.66	2971.56	4196.47	8285.12	59198.90	14215.21	22226.70	**116165.45**
Net Investments	36.91	290.62	0.00	50.14	20.50	40.34	10.00	1396.89	4114.43	5070.66	28481.18	**39511.67**

Position as on 31.03.2018

		(` in Crore)
(f)	Amount of NPAs (Gross)	7526.09
	• Substandard	2311.75
	• Doubtful 1	2496.93
	• Doubtful 2	2687.88
	• Doubtful 3	20.81
	• Loss	8.72
(g)	Net NPAs	5021.24
(h)	NPA Ratios:	
	• Gross NPAs to gross advances	6.34
	• Net NPAs to net advances	4.32
(i)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	6381.78
	• Additions	4388.20
	• Reductions	3243.89
	• Closing balance	7526.09
	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	4118.16
	• Additions	903.08
	• Reductions	-
	• Closing balance	5021.24
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	2227.33
	• Provisions made during the period	1746.63
	• Write off/ Write back of excess provisions	1531.31
	• Closing balance	2442.65
	(DICGC/ECGC claims settled & pending for payment = ` 63.18 crs)	
(k)	Amount of Non-Performing Investments	
	(Under HTM Category)	9.08
	(Under AFS Category)	165.17
(l)	Amount of provisions for depreciation on Non-Performing Investments (NPI)	174.25
(m)	Movement of provisions for depreciation on Non-Performing Investments (NPI):	
	• Opening balance	90.13
	• Provisions made during the period	84.35
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	0.23
	• Closing balance	174.25

TABLE DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) For portfolios under the standardised approach: • Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes	The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / India Ratings / CARE/SMERA/Brickwork/Informerics Rating only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with the credit rating agencies.
• Types of exposure for which each agency is used	All Corporate exposure above ₹ 5 Crore and exposure to public sector entities.
• A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book	Bank has used only bank ratings which are available in public domain. Further the Bank has not used any public issue ratings.
Quantitative disclosures	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
	Credit exposure **
	(₹ in Crore)
• Below 100% risk weight ..	118536.56
• 100% risk weights ..	33743.00
• More than 100% risk weight ..	10438.46
• Deducted - Financial collaterals ..	11818.53
TOTAL ..	**174536.55**
** Includes following off B/S exposure	
NFB Exposure ₹ 7787.78 Crs	
Undrawn Portion ₹ 6364.83 Crs	
CCIL & MCX ₹ 350.00 Crs	
NFB Investments ₹ 3475.13 Crs	
Also includes Other assets ₹ 11190.32 Crs.	

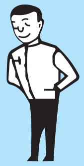

TABLE DF-5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting
- Policies and processes for collateral valuation and management.
- A description of the main types of collateral taken by the bank.
- The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness.
- Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken.

The general principles, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch & maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of Credit Risk Mitigation (CRM) is not double counted.

The financial collaterals taken for the purpose of CRM mainly includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs and gold benchmarked to 99.99 purity.

Guaranteed exposure includes those guaranteed by Central / State Governments, ECGC, Bank and CGTSI.

The CRM / Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diversed.

Quantitative disclosures

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Excluding exposure of other assets: ` 11190.32 crs.)

` in Crore

Credit risk exposure	Loans & advance **	Non-fund based	Investment *	Total
Exposure	125042.23	7787.78	30513.22	**163343.23**
CRM (fin. collaterals)	9093.89	1162.27	0.00	**10256.16**
Net exposure	**115948.34**	**6625.51**	**30513.22**	**153087.07**

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Excluding exposure of other assets: ` 11190.32 crs.)

` in Crore

Guarantee status	Loans & Advance **	Non-fund based	Investment * #	Total
Exposure	125042.23	7787.78	30513.22	**163343.23**
Central/ State Govt.	14229.17	0.00	22740.95	**36970.12**
ECGC/BANK / CGTSI	1190.01	0.00	0.00	**1190.01**
Guarantee total	**15419.18**	**0.00**	**22740.95**	**38160.13**
Net exposure	**109623.05**	**7787.78**	**7772.27**	**125183.10**

Includes bonds/ instruments issued by the Central/ State Government and/ or guaranteed by Central Government.

* Including off balance sheet exposure

** Including Undrawn

For the credit risk portfolio under the standardised approach (fund & non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.

TABLE DF-6

SECURITISATION
DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank has not securitised any standard asset during the year ended 31.03.2018.

TABLE DF-7

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosure	
(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach	Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices. Basel-II proposes two approaches for Market Risk viz **Standardised Duration Approach and Internal Model Approach.** At present, the bank has implemented "**Standardised Duration Approach**" and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardised Duration Approach has got following features. 1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate Risk, Equity Price Risk, Foreign Exchange Risk and Commodity Risk. 2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield. 3. The specific risk is calculated based on external risk rating, duration of the instrument etc.
Quantitative disclosures (b) The capital requirement for • Interest rate risk • Equity position risk • Foreign Exchange risk	For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted 'Standardised Duration Approach', as detailed below: **Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-II as on 31.03.2018** **` in Crore**

	Risk Category	Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**	**0.74**
	Interest Rate (a+b)	0.74
	a. General Market Risk	0.74
	(i) Net position (parallel shift)	0.74
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**	**558.66**
	Interest Rate (a+b)	558.66
	a. General Market Risk	499.02
	(i) Net position (parallel shift)	498.29
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.22
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.51
	b. Specific risk	59.64
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**	**68.04**
	I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}	**559.40**
	II. Equity (a+b)	**87.19**
	a. General Market Risk	38.75
	b. Specific Risk	48.44
	III. Foreign Exchange & Gold	**4.50**
	IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)	**651.09**
	Total Risk Weighted Assets	**8138.63**

Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-III as on 31.03.2018

` in Crore

	Risk Category	Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**	**0.74**
	Interest Rate (a+b)	0.74
	a. General Market Risk	0.74
	(i) Net position (parallel shift)	0.74
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**	**560.35**
	Interest Rate (a+b)	560.35
	a. General Market Risk	499.02
	(i) Net position (parallel shift)	498.29
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.22
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.51
	b. Specific risk	61.33
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**	**70.04**
	I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}	**561.09**
	II. Equity (a+b)	**87.19**
	a. General market risk	38.75
	b. Specific risk	48.44
	III. Foreign Exchange & Gold	**4.50**
	IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)	**652.78**
	Total Risk Weighted Assets	**8159.75**
	Adjustment for Cross holding securities (` 10.19 crs written off from capital)	127.37
	Total Risk Weighted Assets after adjustment	**8032.38**

TABLE DF-8

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per ‘Basic Indicator Approach’. The Bank has set up Operational Risk Management Committee to identify, assess, monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy & guidelines on Operational Risk Management (ORM), Loss Data , Risk & Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI), Scenario Analysis (SA), Business Line Mapping (BLM) policy, Business Continuity Policy (BCP), Business Continuity & Disaster Recovery Plan, Outsourced Activities, New Product & Activities Review, KYC norms and Anti-Money Laundering, etc.

Further, the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:-

- Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual interval.
- Operational Risk losses (Fraud & Non-Fraud data) are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis.
- The Bank has put in place IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Web filtering solution, forced password change, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been conducting information security & network audit for its network, Data Centre, Disaster Recovery Site, Business Units facilities. The Bank has been conducting vulnerability assessment and penetration testing for Critical Service like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solution to find the loop holes if any and taking corrective steps. The Bank has been conducting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources.
- In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms/measures specially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, IRMS.
- Risk Based Internal Audit (RBIA) is made applicable for all the branches from the year 2008-09 based on the revised RBIA format.
- Bank has put business units under RCSA exercise in 15 operational areas viz. Retail Banking, Branch Operations, Internet Banking, ATM operation, Forex, Currency Chest, Lockers, Remittances, Information Technology, Debit Card & Credit Card operation, Treasury Operations, Trading & Sales (AFS/ HFT), Financial Inclusion, Payment & Settlement and Commercial Banking.
- The Bank has been permitted by RBI to assess Operational risk capital under The Standardised Approach (TSA) – (Parallel run w.e.f March 2015).

Quantitative disclosures:

Calculation of capital charge on Operational Risk

AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS

(` in Crore)

Sl. No.	Description	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017
1	Net Profit	439.41	381.80	750.49
	ADD	0.00	0.00	0.00
2	Provisions & Contingencies	819.62	1167.07	1670.67
3	Operating Expenses	1912.21	2085.82	2736.55
4	**Sub-Total**	**3171.24**	**3634.69**	**5157.70**
	LESS			
5	Realised profit / loss from the sale of securities in the HTM category	6.54	51.29	364.93
6	Income from insurance activities and insurance claims in favour of Bank	6.44	7.47	6.81
7	Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	0.00	0.00	0.00
8	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the previous year	0.00	0.00	0.00
9	Income from the disposal of items of movable and immoveable property	-0.50	-0.39	-2.37
10	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11	**Sub-Total**	**12.48**	**58.37**	**369.37**
12	**GROSS INCOME (Sl.No.4 - Sl.No.11)**	**3158.77**	**3576.33**	**4788.33**

Average of 3 years gross income	=	**` 3841.14 Crore**
Capital Charge for Operational Risks **Average of gross Income * alpha (15%)**	=	**` 576.17 Crore**
Equivalent Risk weighted Assets:	=	**` 7202.14 Crore**

TABLE DF-9

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).

2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

   The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its monthly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.

Analytics used by the Bank:

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at monthly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

(i) Volatile and Core portion of Savings deposits

(ii) Repricing character of CC/OD accounts

(iii) Embedded options in the investment portfolio

Earnings at Risk (EaR):

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the monthly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile up to 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

Quantitative disclosure:

The prudential limit for EaR is fixed at ` 150 crs, with a tolerance limit of 15% i.e., ` 172 crs for a 100 basis point upward parallel shock on the net gaps upto 1 year horizon.

Earnings at Risk (EaR):

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizon	` **137.72 crores**

Economic value approach:

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method based on RBI guidelines. As a prudential measure limits have been fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals based on RBI guidelines.

TABLE DF-10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

<table>
<tr><th>Qualitative disclosures</th><th></th></tr>
<tr><td>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including:
• Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counterparty credit exposures;
• Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves;
• Discussion of policies with respect to wrong-way risk exposures;
• Discussion of the impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade.</td><td>Counterparty Credit Risk (CCR) Limits for the banking counterparties are assessed based on an internal model that considers the parameters viz. credit rating and net worth of counterparties, net worth of the Bank and business requirements. In all other cases, CCR limit is approved based on credit assessment process followed by the Bank as per the Credit Policy and Procedural Manual. CCR limits are set on the amount and tenor while fixing the limits to respective counterparties with distinct limits for each type of exposure. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Approach.

The Bank does not have any credit derivatives exposure at present.</td></tr>
<tr><th>Quantitative disclosures</th><th></th></tr>
<tr><td>(b) Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

(c) Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group</td><td>The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as on March 31, 2018 is given below.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">(` in Crore)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>Notional Amount</th><th>Current Exposure</th></tr>
<tr><td>Foreign exchange contracts (Inter-Bank)</td><td>3475.13</td><td>10.89</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

TABLE DF-11 : COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(` in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments		As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	49613.49		a=b+c
2	Retained earnings	14634.68		d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	37676.00		e = f + g + (h*45%) + i +j
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	101924.17		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-		
8	Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-		
10	Deferred tax assets	-		Notes
11	Cash-flow hedge reserve	-		
12	Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	Securitisation gain on sale	-		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	Defined-benefit pension fund net assets	-		=x+y
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	-387.35		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments		As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		
24	of which: mortgage servicing rights	-		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	-		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**-387.35**		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**101536.82**		

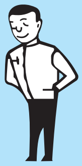

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments		As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	13250.00		I=m1+m2+m3+m4
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	13250.00		I=m1+m2+m3+m4
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	-		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**13250.00**		
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	-		
39	39 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: Net DTAs	-		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments	As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**-**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**13250.00**		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**13250.00**		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**114786.82**		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	17000.00		N=o1+o2+o3+o4
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	-		P=q1 fully Discounted
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	Provisions	4636.27		r=s+t
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**21636.27**		
Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	-178.78		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments		As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: Basel III Discounting and Phase out of non Basel III compliant instruments at 40% as per Transitional Arrangements.	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**-178.78**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**21457.48**		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**21457.48**		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**21457.48**		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**136244.30**		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		–
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	of which: …	-		
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**980248.03**		
60a	of which: total credit risk weighted assets	827902.83		u
60b	of which: total market risk weighted assets	80323.80		
60c	of which: total operational risk weighted assets	72021.40		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.36%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.71%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.90%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments		As on March, 2018	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.985%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		Excl. CCB
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		Excl. CCB
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		Excl. CCB
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	2765.06		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	-		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	6126.72		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	4636.27		r
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	10348.79		u*1.25%
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
Capital instruments subject to phase-out arrangements				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		

Notes to Template

Row	Particular	(` in Million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6126.72
	Maximum eligibility limit as per RBI Circular no. RBI/2015-16/331 RBI/2015-16/331 dt. March 1, 2016	9541.01
	Deduction of Net DTA in excess of eligibility limit	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	-
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	4636.27
	Eligible Revaluation Reserves included in CET 1 capital (in accordance with the revision in Basel III Capital Regulations vide circular DBR.No.BP.BC.83/ 21.06.201/ 2015-16 dated March 1, 2016)	3557.30

TABLE DF - 12 - COMPOSITION OF CAPITAL

LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements As on 31.03.2018	Ref. No.
CAPITAL		
Equity Share Capital	13041.48	b
Share Application Money	0.00	
Reserves and Surplus		
I Statutory Reserve	19123.98	f
II Capital Reserve	8629.49	g
III Share Premium	36572.01	c
IV Revaluation Reserve	7905.12	h
V Genereal Reserve	127.96	i
VI Revenue And Other Reserves		
A Special Reserve In Terms Of Sec.36(1)(Viii)	6237.27	j
B Profit & Loss Account	14634.68	d
Total Capital, Reserves and Surplus	**106271.99**	
Total Deposits	**1572875.36**	
BORROWINGS		
(i) FROM R.B.I.	0.00	
(ii) OTHER BANKS	1000.00	
(iii) FROM OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	3769.41	
(iv) REPO (including RBI Repo)	35326.73	
(v) BORROWINGS OUTSIDE INDIA	651.80	
(vi) TIER II BONDS		
124 MONTHS BONDS 2018 - 9.35%	2000.00	q1
120 MONTHS BONDS 2023 - 9.73%	2500.00	o1
120 MONTHS BONDS 2024 - 9.15%	5000.00	o2
120 MONTHS BONDS 2025 - 8.62%	5000.00	o3
120 MONTHS BONDS 2026 - 8.64%	4500.00	o4
(vii) Additional TIER I BOND		
PDI 2024 - 9.54%	1000.00	m1
PDI 2024 - 10.40%	4000.00	m2
PDI 2024 - 11.25%	5000.00	m3
PDI Series IV - 10.49%	3250.00	m4
TOTAL BORROWINGS	**72997.94**	

LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements As on 31.03.2018	Ref. No.
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I Bills Payable	6187.49	
II Interest Accrued	3981.88	
III Vrs Bonds	0.00	
IV Provision For Standard Assets	4599.25	s
V Provision For Ufce	37.02	t
VI Others (Including Provisions)	9369.55	
Total Other Liabilities	**24175.19**	
Grand Total Of Liabilities	**1776320.47**	

ASSETS	Balance sheet as in consolidated financial statements As on 31.03.2018	Ref. No.
Total Cash & Bank Bal With RBI	**43036.98**	
Total Bal With Banks & Money At Call	**6665.44**	
Total Investments	**395116.61**	
Total Net Advances	**1161654.42**	
Total Fixed Assets	**13014.75**	
Other Assets		
I Inter Office Adjustment	36586.70	
II Interest Accrued	7706.64	
III Tax Paid In Advance	16021.27	
IV. Deferred Tax Assets	6126.72	k
V Stationery And Stamps	12.68	
VI Non-Banking Assets	0.76	
VII Gratuity Amortization	0.00	x
Pension Amortization	0.00	y
VII Others	90377.50	
Total Other Assets (Schedule - 11)	**156832.27**	
Grand Total Of Assets	**1776320.47**	

Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability as mentioned in the table above is recognized in the Bank's Common Equity Tier I Capital in terms of RBI Circular no. RBI/2015-16/331 RBI/2015-16/331 dt. March 1, 2016.

TABLE DF-13 - MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS AS ON 31.03.2018

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III S1	AT 1 Bonds Basel III S2	AT 1 Bonds Basel III S3	AT 1 Bonds Basel III S4	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III	Tier II S11 Basel III
1	Issuer	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank
2	Unique Identifier	INE705A01016	INE705A08045	INE705A08060	INE705A08086	INE705A08094	INE705A09092	INE705A08029	INE705A08037	INE705A08052	INE705A08052
3	Governing Laws of the Instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
Regulatory Treatment											
4	Transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Ineligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at Solo/Group	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument Type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount Recognised in Regulatory Capital (` in mn. As on 31.03.2018)	49613.49 (incl. Premium)	1000	4000	5000	3250	0	2500	5000	5000	4500
9	Par Value of Instrument (` in Crs.)	13041.48	1000	4000	5000	3250	2000	2500	5000	5000	4500
10	Accounting Classification	Equity Capital	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	02-02-2015	27-03-2015	30-03-2016	17-01-2017	31-12-2007	23-12-2013	30-10-2014	18-02-2015	22-01-2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	Not Applicable	No	No	No	No	30-04-2018	23-12-2023	30-10-2024	18-02-2025	22-01-2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable	02-02-2020	27-03-2020	30-03-2021	17-01-2022	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Coupons/ dividends											
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	9.54%	10.40%	11.25%	10.49%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%	8.64%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary	Fully discretionary	Fully discretionary	Fully discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary

TABLE DF-13 - MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS AS ON 31.03.2018

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III S1	AT 1 Bonds Basel III S2	AT 1 Bonds Basel III S3	AT 1 Bonds Basel III S4	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III	Tier II S11 Basel III
21	Existence of step-up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Non-convertible	Non-convertible	Write-off or Conversion (RBI Discretion)	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	PONV	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	RBI Discretion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	RBI Discretion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Optional	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Equity	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Vijaya Bank	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Equity	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	Not Applicable	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	Not Applicable	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Not Applicable	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent
34	If write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	Not Applicable	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III
35	Position in subordination heirarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	No loss absorption features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

TABLE DF-14

FULL TERMS AND CONDITION OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENT

Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

TABLE DF-15

DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. RBI's Basel III Guidelines refer to the Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD.No.BC.72/29.67.001/2011-12 dated January 13, 2012 addressed to all private sector and foreign banks operating in India. As the guideline is applicable to private sector and foreign banks, this disclosure is not applicable to our Bank.

TABLE DF-16

EQUITIES - DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Investments are classified into Held to Maturity (HTM) category in line with the RBI master circular – "Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks". For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under banking book.

As on 31.03.2018, Bank is not holding equity of subsidiaries or joint ventures in its HTM portfolio (Banking Book). Therefore, this disclosure is not applicable to our Bank.

TABLE DF-17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

S. No.	Item Statement as on 31.03.2018	(` in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	1711569.17
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	34751.30
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	30000.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	58444.74
7	Other adjustments- Reciprocal Cross Holdings	-387.30
8	Leverage ratio exposure	**1834377.91**

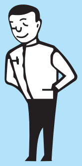

TABLE DF-18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

Statement as on 31.03.2018		(₹ in Millions)
	On-balance sheet exposures	
		Gross Value
1)	On-balance sheet items *(excluding derivatives and SFTs, but including collateral)*	17,11,569.17
2)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier I capital)	-387.30
3)	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) **(sum of lines 1 and 2)**	**1711181.87**
	Derivative exposures	
4)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	34,751.30
5)	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	-
6)	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7)	(Deductions of receivable assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9)	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11)	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**34,751.30**
	Securities financing transaction exposures	
12)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	30,000
13)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14)	CCR exposure for SFT assets	-
15)	Agent transaction exposures	-
16)	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	30,000
	Other off-balance sheet exposures	
17)	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	77,877.77
18)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-19,433.03
19)	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**58444.74**
	Capital and total exposures	
20)	**Tier 1 capital**	114786.82
21)	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**1834377.91**
	Leverage ratio	
22)	**Basel III leverage ratio**	**6.26%**

As on: 30-Jun-2017			
LCR Disclosure Template			
(` in Crore)		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquidity Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		27458.73
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	82025.94	6089.76
(i)	Stable deposits	42256.63	2112.83
(ii)	Less stable deposits	39769.31	3976.93
3	Unsecured wholesale funding, of which:	15427.30	8965.99
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	15427.30	8965.99
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	3474.72	0.00
5	Additional requirements, of which	8711.87	1164.25
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	8711.87	1164.25
6	Other contractual funding obligations	938.51	938.51
7	Other contingent funding obligations	7758.54	258.94
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		17417.45
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	391.01	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	3506.11	2143.92
11	Other cash inflows	1023.05	511.52
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	4920.17	2655.44
			Total Adjusted Value
	TOTAL HQLA		27458.73
	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		14762.01
	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		**186.01%**

As on: 30-Sep-2017			
LCR Disclosure Template			
(` in Crore)		**Total Unweighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquidity Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		26800.83
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	83490.85	6205.91
(i)	Stable deposits	42863.41	2143.17
(ii)	Less stable deposits	40627.44	4062.74
3	Unsecured wholesale funding, of which:	15782.12	9172.20
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	15782.12	9172.20
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	3474.72	0.00
5	Additional requirements, of which	9942.84	1326.35
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	9942.84	1326.35
6	Other contractual funding obligations	543.90	543.90
7	Other contingent funding obligations	7868.61	266.16
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		17514.52
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	395.92	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	3060.85	1530.42
11	Other cash inflows	2574.29	2331.15
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	6031.06	3861.57
			Total Adjusted Value
	TOTAL HQLA		26800.83
	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		13652.95
	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		**196.30%**

As on: 31-Dec-2017			
	LCR Disclosure Template		
(` in Crore)		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquidity Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		27597.47
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	84331.54	6279.72
(i)	Stable deposits	43068.66	2153.43
(ii)	Less stable deposits	41262.88	4126.29
3	Unsecured wholesale funding, of which:	15871.66	9205.56
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	15871.66	9205.56
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	2784.62	0.00
5	Additional requirements, of which	0.00	3061.84
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	9905.30	3061.84
6	Other contractual funding obligations	763.22	763.22
7	Other contingent funding obligations	7921.86	269.34
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		19579.69
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	281.99	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	3975.22	1987.61
11	Other cash inflows	2330.14	1898.50
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	6587.35	3886.11
			Total Adjusted Value
	TOTAL HQLA		27597.47
	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		15693.57
	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		**175.85%**

As on: 31-Mar-2018			
	LCR Disclosure Template		
(` in Crore)		**Total Un-weighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquidity Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		20083.78
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	90259.21	6669.31
(i)	Stable deposits	47132.14	2356.61
(ii)	Less stable deposits	43127.07	4312.71
3	Unsecured wholesale funding, of which:	15871.66	10547.29
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	18651.95	10547.29
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	3348.93	0.00
5	Additional requirements, of which	16594.45	1957.30
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	7992.86	1010.54
6	Other contractual funding obligations	679.74	679.74
7	Other contingent funding obligations	7921.86	267.02
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		19173.90
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	213.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	5663.05	2831.52
11	Other cash inflows	1263.09	885.70
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	7139.81	3717.23
			Total Adjusted Value
	TOTAL HQLA		20083.78
	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		15456.67
	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		**129.94%**

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

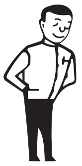

एनईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म

मैं/हम, ______________________________ विजया बैंक को प्राधिकार देता हूं/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्यौरे छपाएं
- मेरी लाभांश रकम, एनईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नं : ______________________________

डीपीआईडी नं.______________________ ग्राहक आईडी सं.______________________

बैंक खाते के विवरण

क	बैंक का नाम	: ____________________
ख.	आईएफएससी कूट सहित शाखा का नाम	: ____________________
	पता (केवल आदेश के लिए)	: ____________________
ग.	एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक तथा	
	शाखा की 9 अंकवाली कूट सं	: ____________________
घ.	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	: ____________________
ङ.	चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या	: ____________________
च.	शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं.	: ____________________

अगर एनईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह से बैंक, एनईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे.

इस पते पर भेजें

लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : विजया बैंक सी 101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग
विक्रोली पश्चिम, मुंबई – 400 083, महाराष्ट्र

शेयरधारक के हस्ताक्षर

नौ अंकोंवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति अथवा रद्द किए गए चेक संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह, आपके बैंक खाते के विवरण/ एनईसीएस आदेश को नोट करें.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001
HEAD OFFICE - BENGALURU
*****

Dear Shareholder (s)

Re.: Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)

In case you have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through NECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully

For Vijaya Bank

Authorized Signatory

FORM FOR NECS MANDATE /BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We.. do hereby authorize Vijaya Bank

- Print the following details on my /our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by NECS

(* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No.: ....

DPID No.: .... Client ID No.: ....

Particulars of Bank Account

A.	Bank Name	: ....
B.	Branch Name with IFSC Code	: ....
	Address (for Mandate only)	: ....
C.	9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque	: ....
D.	Account Type (Saving/Current)	: ....
E.	Account No. as appearing in the Cheque Book	: ....
F.	STD Code & Telephone No. of Shareholder	: ....

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS could not be implemented or the Bank discontinues the NECS for any reason.

Mail to ....

Link Intime India Pvt. Limited.
Unit : Vijaya Bank C 101, 247 Park, L B S Marg,
Vikhroli West Mumbai - 400083 Maharastra

....
Signature of the Shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/NECS mandate.

विजया बैंक

41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001

प्रधान कार्यालय - बेंगलूरु

*****

वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची

शेयरधारक/प्रॉक्सी का नाम व पता

दिनांक : 29 जून, 2018 समय : सुबह 10.00 बजे

स्थान : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह,

विजया बैंक, प्रधान कार्यालय,

41/2, एम.जी.रोड,

बेंगलूर - 560 001

धारित कुल शेयर	पंजीकृत फोलियो सं. (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)	डीपीआईडी सं. (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)	ग्राहक आईडी सं. (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)

मैं एतद्वारा, विजया बैंक, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूरू - 560 001 में 29 जून, 2018 को होनेवाली बैंक की 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करता/करती हूं.

शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक/

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर * ....

शेयरधारक का नाम : ....

प्रवेश पर्ची

फोलियो/ग्राहक आईडी. सं. : .... **क्रम सं.:** .... **कुल शेयर :**...

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभागृह में प्रवेश पाने के लिए विधिवत् हस्ताक्षरित इस उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची को दिखाएं. प्रवेश पर्ची का हिस्सा, शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटाया जाएगा जिसे उनको बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा. लेकिन प्रवेश पाते समय ऐसा अतिरिक्त सत्यापन/जांच भी की जा सकती है जो आवश्यक समझी जाए. सभागृह के प्रवेश स्थान में, किसी भी हालत में, कोई डूप्लिकेट उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची नहीं दी जाएगी.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001
HEAD OFFICE - BENGALURU
*****

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

NAME & ADDRESS OF THE SHAREHOLDER/PROXY

Date : 29th June, 2018 Time: 10.00 A.M.

Place : Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium,
Vijaya Bank, HO,
41/2, M G Road,
Bengaluru-560001

No. of Shares held	Regd. Folio No. (If not dematerialized)	DPID No. (If dematerialized)	Client ID No. (If dematerialized)

I hereby record my presence at the Eighteenth Annual General Meeting of the Bank held on 29th June 2018, at Vijaya Bank, HO, 41/2, M G Road, Bengaluru-560001.

Signature of the Share holder /
Proxy Holder / Representatives : ....

Name of shareholder : ....

ENTRY PASS

Folio/Client ID No. .... **Sr. No.** .... **No. of Shares** ....

Shareholders/proxy holders/Representatives are requested to produce this attendance slip-cum-entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy holders/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subjected to further verifications/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate attendance slip cum entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरू – 560 001

फार्म 'ख'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाएं)

पंजीकृत फोलियो सं. ....
(अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)

डीपीआईडी सं. ....

ग्राहक आईडी सं. ....
(अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)

मैं/हम, ________________________________ निवासी ______________________,
ज़िला________________________________, राज्य________________________________,
विजया बैंक का/के शेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती________________________________
निवासी ________________________________, ज़िला ________________________________,
राज्य________________________, को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती ________________________
निवासी--,ज़िला--,
राज्य ________________________, **मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू** में शुक्रवार, 29 जून, 2018 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयरधारकों की अठारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरी/हमारी ओर से, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं.

____________________ के दिन, ____________________ 2018 को हस्ताक्षरित

....
(प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

कृपया एक रुपया का राजस्व टिकट चिपकाएं

(प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)..
नाम :..
पता :..
....
....

नोट : पूर्ण रूप से भरे तथा स्टैम्प्ड व हस्ताक्षरित प्रॉक्सी/ फार्म विजया बैंक, शेयर प्रभाग, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूरू– 560 001 में शुक्रवार 22 जून, 2018 को सायं 5.00 बजे तक कारोबार समाप्ति से पूर्व पहुंच जाना चाहिए.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001

HEAD OFFICE - BENGALURU

*****

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.: .... (If not Dematerialized)
DP ID / Client ID No. .... (If Dematerialized)
No. of Shares Held

I/We, ... resident of .... in the District of .... in the State of ...., being a shareholder/shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt .... resident of .... in the District of .... in the State of .... or failing him/her Shri/Smt- .... resident of .... in the District of .... in the State of .... as my/our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 29th June, 2018, at the MULKI SUNDER RAM SHETTY AUDITORIUM, VIJAYA BANK, H.O, Bengaluru and at any adjournment thereof.

Signed this .... Day of 2018

Please affix One Rupee Revenue Stamp

....
(Signature of the Proxy)

....
(Signature of the first holder/sole holder)

Name : ....

Address : ....

....

....

Note: Proxy forms duly filled in stamped & signed should reach Vijaya Bank, Shares Division, H.O. MG Road, Bengaluru-560001 on or before the business hour at 5 PM on Friday, the 22nd June 2018.

Gearless Move
Clutchless Approval
Drive home your Dream Car
V-Wheels
Car Loan
100% financing of the cost of vehicle For those with
Salary Account or Home Loan account in Vijaya Bank
विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon
GROWTH POWERED BY TECHNOLOGY DRIVEN BY CUSTOMERS

प्रधान कार्यालय:
41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001
फोन : 080 2558 4066 (20 लाइनें) फैक्स : 080 2559 8040
टोल फ्री : 1800 425 5885
वेबसाइट : www.vijayabank.com

विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

Head Office :
41/2, M.G.Road, Bengaluru - 560 001
Ph: 080 2558 4066 (20Lines) Fax : 080 2559 8040
Toll Free : 1800 425 5885
Website: www.vijayabank.com

VIJAYA BANK & YOU
CONNECTED 24 x 7 NOW...
Say Hello to us on: